'सेवायोजित शिक्षित एवं पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं का अध्ययन झांसी नगर के विशेष सन्दर्भ में।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी से
समाजशास्त्र विषय में
पी-एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

2005

शोध निर्देशक
डा. (श्रीमती) शबीहा रहमानी
रीडर
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय बांदा (उ0प्र0)

शोधकर्ता
सैय्यद राशिद आलम
एम0 ए0 (समाजशास्त्र)

समर्पण

स्व0 सैय्यद तनवीर आलम जी
(1950–1971)
दिनांक ११ नवम्बर सन् १९७१ में मेरे प्रिय चाचाजी श्री सैय्यद तनवीर आलम एम.एस-सी. (रसायन विज्ञान) ने अल्पकाल में ही दिबंगत होकर मुझमें प्रेरणा का संचार किया उनकी इच्छा को व्यवहारिक रूप देते हुए यह शोध कार्य सम्पन्न किया, के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्ही की मूल प्रेरणा से यह शोध कार्य सम्पन्न हुआ की स्मृति में यह शोध-ग्रन्थ सादर समर्पित है।

-सैय्यद राशिद आलम
शोधार्थी

डा. (श्रीमती) शबीहा रहमानी
रीडर
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बांदा (उ0 प्र0)

दूरभाष : 05192–225593
मोबाइल : 9415557673
निवास : मनोहरी गंज,
डी0ए0वी0 कालेज रोड,
गूलरनाका, बांदा (उ0 प्र0)
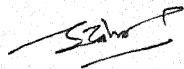
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैय्यद राशिद आलम पुत्र श्री सैय्यद अनीस आलम द्वारा समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत **"सेवायोजित शिक्षित उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं का अध्ययन, झांसी नगर के विशेष सन्दर्भ में"** शीर्षक विषय पर पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय के अध्यादेश ग्यारह की समस्त शर्तों को पूर्ण करते हुए मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया है, यह उनके स्वयं का मौलिक प्रयास है। अध्यादेश 11–8 में उल्लिखित प्राविधान अनुसार इन्होने उपस्थिति भी पूर्ण की है।

विषय सामग्री, लेखन, भाषा आदि की दृष्टि से यह प्रबन्ध पी–एच0 डी0 उपाधि के स्तर का है एवं परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु भेजने योग्य है।

दिनांक :

डा0 (श्रीमती) शबीहा रहमानी
शोध निर्देशक

घोषणा-पत्र

मैं सैय्यद राशिद आलम पुत्र श्री सैय्यद अनीस आलम घोषणा करता हूँ कि पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध जिसका शीर्षक– **"सेवायोजित शिक्षित उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं का अध्ययन, झांसी नगर के विशेष सन्दर्भ में"** अध्ययन मेरे स्वयं के प्रयासों का परिणाम है। यह एक मौलिक प्रस्तुति है। जो सामग्री जिन स्रोतों से प्राप्त की गई है उसका उल्लेख उचित स्थान पर किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भाषा के दृष्टिकोंण से और साथ ही साथ विषय–वस्तु के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में भी संतोषप्रद है। मैने निर्देशन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शोध पर्यवेक्षक के साथ दो सौ दिन व्यतीत किए हैं।

दिनांक :

(सैय्यद राशिद आलम)
शोधार्थी

प्राक्कथन

भारत एक विकासशील देश है, जिसके कारण पारम्परिक भारतीय समाज पर भी औद्योगीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा है। महिलाएं भारतीय समाज में अनेक रूढ़ियों, परम्पराओं, जनश्रुतियों आदि के होते हुए भी पुरुषों से हर क्षेत्र में समकक्षता प्राप्त करने के लिए आगे आई हैं, विशेषकर महिलाएं महिला स्वतन्त्रता, महिला शिक्षा, महिला आंदोलन के फलस्वरूप अपने चतुर्दिक विकास के लिए सेवायोजित क्षेत्र में पदार्पण किया है।

भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदा ही विवादास्पद रही है। सम्प्रत नए रोजगारों में महिलाओं के सेवायोजित होने से उनकी भूमिका की नई परिभाषा होने लगी है। सेवायोजित महिलाओं की भूमिका दोहरी होती है। एक ओर तो वह गृहणी होतीं हैं, दूसरी ओर वेतनभोगी सेवायोजित सदस्या। दोहरी भूमिका के कारण सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य के नए प्रारूपों की समस्या उठ खड़ी होती है। वर्तमान अध्ययन में सेवायोजित महिलाएं पत्नी, माता, गृहणी और सेवायोजित होने की भूमिका का एक साथ निर्वाह करतीं हैं। यदि परिवार के लोग इनको समर्थन प्रदान करते हैं और महिलाएं स्वयं इन भूमिकाओं में असंगति के कारण तनाव नहीं महसूस करतीं हैं तो वे समायोजित समझी जाती हैं अन्यथा दोहरी भूमिका के कारण भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो

जाती है। भारतीय परिस्थिति में नारी पर समस्त समाज और परम्पराओं का प्रभाव होता है। अतः सेवायोजित महिला की दोहरी भूमिका को परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना आवश्यक है, इससे यह ज्ञात होता है कि परिवार कहां तक सेवायोजित महिलाओं की दोहरी भूमिका में सहायक या बाधक है।

हमने इस पूर्वानुमान से कार्य करना प्रारम्भ किया है कि महिलाओं के सेवायोजित होने के कारण सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में समायोजन से नए स्वरूप उभरते हैं, जिससे महिलाएं सेवायोजित क्षेत्र को छोड़ नहीं रहीं हैं और परिवार उनसे सेवायोजित क्षेत्र को छुड़वा नहीं रहा है। सेवायोजित महिला परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और आर्थिक स्वावलम्बन और आत्मपूर्ति का अनुभव करती है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य नारी की दोहरी भूमिका का अध्ययन करना है। अध्ययन भाग प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक है। इनकी समस्याएं केवल विवरण को स्पष्ट करने के लिए निर्मित की गईं हैं।

आभार पत्र

अपने गुरुजनों, मार्गदर्शकों, समीक्षकों, अध्येताओं एवं हितैषियों से मार्गदर्शन, सुझावों, सहयोगों और आशीर्वादों के बिना किसी भी विषय में ज्ञान की प्राप्ति और प्राप्त ज्ञान की सम्यक प्रस्तुति सम्भव नहीं होती। अतः मैने बौद्धिक क्षमतानुसार ज्ञान के अपरिसीम क्षेत्र से जो कुछ भी प्राप्त कर पाया, उसकी प्राप्ति में जिन गुरुजनों, पथ–प्रदर्शकों, मनीषियों, शिक्षाविदों, शुभाकांक्षियों और सहयोगियों से निर्देशन, परिमार्जन, पथप्रदर्शन, आशीष व सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना से अभिभूत अंतस से निस्तृत आभारानुभूति समर्पित करने का कर्तव्य बोध आकांक्षा शब्दों को गति देने को आतुर हो उठा था, अतः यह आभार भावांजलि प्रस्तुत करने में अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ।

मैं अपनी शोध निर्देशक **डा0 (श्रीमती) शबीहा रहमानी**, रीडर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, बांदा (उ0प्र0) का हृदय से आभारी हूँ जिन्होने अपने मूल्यवान समय में से कुछ समय न केवल उदारता पूर्वक ही दिया वरन अपने बहुमूल्य सुझावों एवं महत्वपूर्ण विचारों से भी अवगत कराया जिनके प्रयास से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का पूर्ण होना सम्भव हो सका।

मैं श्री अकील अहमद खान (समाजसेवी) बांदा का भी हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिन्होने इस कार्य हेतु मुझे सहयोग दिया।

मैं मौलाना मसरूर अहमद, श्री एच0 सी0 श्रीवास्तव रीडर जन्तु विज्ञान विभाग दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, उरई, श्री काजी नूरु उद्दीन सिद्दीकी (वरिष्ठ अधिवक्ता) कमिश्नरी झांसी, एवं उनके पुत्र काजी आमिर उद्दीन सिद्दीकी का सहृदय आभारी हूँ। जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरणा दी।

मैं श्री डा0 अभय करन सक्सेना, रीडर एवं विभागाध्यक्ष रक्षा अध्ययन विभाग, दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, उरई, डा0 सोम प्रकाश शर्मा वरिष्ठ प्राध्यापक मथुरा प्रसाद स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, कोंच (जालौन), डा0 आई0 एस0 सक्सेना पूर्व विभागाध्यक्ष दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, उरई, डा0 मोहनलाल श्रीवास्तव पूर्व विभागाध्यक्ष दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, उरई, प्रो0 जियाउद्दीन पूर्व विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय उरई, डा0 प्रभात कुमार, रीडर जन्तु विज्ञान विभाग दयानन्द वैदिक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय उरई, श्रीमती पूर्णिमा सक्सेना (समाज सेवी), श्री काजी जमील उद्दीन सिद्दीकी (समाज सेवी) ने मुझे निरन्तर प्रोत्साहित किया ताकि शोध कार्य निर्धारित समय में ही पूरा हो सके। मैं इन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने ताऊ श्री मुहम्मद हामिद (पूर्व जमींदार), श्री नसीम आलम (शिक्षाधिकारी) माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान व शमसुल इस्लाम (प्राध्यापक) एवं श्री राजेश कौशल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ क्योंकि प्रस्तुत शोध कार्य करने हेतु आपने मेरा निरन्तर उत्साहवर्द्धन किया जिससे कि मैं अपना शोध कार्य सम्पन्न कर सका।

मैं अपने प्रेरणास्रोत परम आदरणीय दादाजी स्व0 मुहम्मद जफर (पूर्व राजस्व अधिकारी) एवं अपने नाना स्व0 श्री काजी कदीर उद्दीन सिद्दीकी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वहीदन निशां के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपकी प्रवल इच्छा थी मैं यह कार्य सम्पन्न करूँ, अपने दादा एवं नाना जी की इच्छा को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश मैने की है

मैं अपने प्रिय पिता सैय्यद अनीस आलम सीनियर एडवोकेट (सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, उ0 प्र0) जनपद जालौन का भी हृदय से आभारी हूँ। जिन्होने निरन्तर कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की है। मैं अपनी ममतामयी माता श्रीमती रुकसाना आलम एम0 ए0 (समाजशास्त्र) का भी कृतज्ञ हूँ जिनसे मुझे निरन्तर सहानुभूति और सहयोग मिलता रहा।

मैं अपनी बुआ सुश्री रफीक फातिमा एम0 ए0 (उर्दू) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (सामाजिक विचारक) का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होने मुझे अपने मूल्यवान विचारों से लाभान्वित किया। मैं अपने बड़े भाई सैय्यद शाह आलम शोधार्थी इतिहास, नफीस आलम, खलीक आलम (मीनू) का भी आभारी हूँ जिन्होंने अत्यन्त सुयोग्यतापूर्वक मेरे शोध प्रबन्ध में निरन्तर सहयोग किया है।

मैं अपने प्रिय मित्र श्री केशव कुमार गुप्ता (गोपालजी) का भी आभारी हूँ, जिन्होने अत्यन्त सुयोग्यतापूर्वक मेरे शोध प्रबन्ध को टाइप किया है।

(सैय्यद राशिद आलम)

शोधार्थी

विषय अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

1- भूमिका

2- पूर्व अध्ययन

3- अध्ययन की समस्या

4- अध्ययन का उद्देश्य

5- अध्ययन का महत्व एवं उपकल्पना

भूमिका

भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति-

नारी की स्थिति युग के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। प्रायः अधिकांश समाजों में प्राचीन काल में पत्नी और नारी की स्थिति बहुत सोचनीय थी, किन्तु वैदिक कालीन शिक्षा-साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि हिन्दू परिवार के सबसे पुराने काल वैदिक युग में उसकी दशा अत्यन्त उन्नत थी। हिन्दू समाज में स्त्रियों का सम्मान और आदर प्राचीन काल से आदर्शात्मक और मर्यादा युक्त रहा है, उनके प्रति समाज की स्वभाविक निष्ठा और श्रृद्धा रही है, प्राचीनकाल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार था।

भारतीय नारियां सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक पदों से होकर गुजरीं है। **मनु** के कथनानुसार पुरुष, नारी और स्वदेह तथा सन्तान ये तीनो मिलकर ही पुरुष पूर्ण होता है। इसलिए स्त्री पुरुष की 'अर्द्धांगिनी' मानी गई है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति में भी अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। **प्रो0 इन्द्र** ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट लिखा है कि "कुवांरी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते है। **नीरा देसाई** ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट करते हुए लिखा है कि "शिक्षा के विषय में पुत्री का पुत्र से भेद नही किया जाता था। प्राचीन काल में स्त्री को अर्द्धांगिनी समझने के कारण उसके बिना यज्ञादि कार्य सम्पन्न नहीं किए जा सकते थ। ऋग्वेद् में भी अनेक स्थलों पर पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से यज्ञ करने का उल्लेख है। इसके पूर्व प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचारकों

ने कहा है कि उसके पूर्व महिलाओं की स्थिति सामूहिक उपभोग के रूप में थी। एक पति एवं एक पत्नी के विचार की स्वीकृति सभ्य समाज की देन है। मानव मूल रूप से समूह में रहा करता था, जहां व्यक्तिगत विवाह नहीं था। तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। वह केवल दुःख–सुख में ही जीवन–संगिनी नहीं होती थी बल्कि गृहस्वामिनी भी होती थी। इस युग मे जो स्त्री–पुरुष शिक्षित होते थे, वही विवाह योग्य समझे जाते थे। ऐसी भी स्त्रियां थीं जो जीवन–पर्यन्त विद्या अध्ययन में लगीं रहतीं थी और ब्रह्मवादिनी कहीं जाती थीं। ब्रह्मचर्य व्रत सम्पन्न कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करने का अधिकार था। ऋग्वेद के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसकी अनेक संहिताओं की रचना महिला कवियित्रियों द्वारा की गई है, उनमें से उर्वशी निवावारी, घोषा, शिकाता, विश्ववारी, रोमशा, अपाला एवं लोपामुद्रा का नाम उल्लेखनीय है। अनेक स्त्रियां दार्शनिक विषयों एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता मे भाग लेतीं थीं। अनेक स्त्रियों मे गार्गी का नाम अति प्रसिद्ध है। इस काल में हमें राजनीति एवं युद्ध–विद्या मे निपुण स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्री–शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तथा नारी सर्व शक्ति सम्पन्न मानी गई तथा विद्या, यश और सम्पत्ति की प्रतीक समझी गई।

स्त्री शिक्षा का उक्त कार्यक्रम प्राचीन काल से लेकर 200 ई0 पू0 तक अवाध गति से चलता रहा है। इसके उपरान्त जैसे–जैसे समाज में स्त्रियों का महत्व कम होता चला गया, वैसे–वैसे क्रमशः स्त्री शिक्षा का पतन होता गया।

उत्तर वैदिक काल से ही नारी की दिशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी, उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्यभाव व पतित कहा गया, हिन्दू धर्मशास्त्र पत्नी के कर्तव्यों और दायित्वों के संदर्भ

में भरे पड़े हैं। पति के प्रति उसकी पूर्ण निष्ठा, सेवा व आज्ञाकारिता की उपेक्षा की जाती थी। इन पर अनेक प्रकार से सामाजिक व धार्मिक नियन्त्रण लगा दिए गए, जो आगे चलकर और विस्तृत हो गए। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतोन्मुखी हो गई। एक आदर्श हिन्दू पतिव्रता नारी अर्थात वह पत्नी जो केवल अपने पति में आस्था रखती हो तथा जो पति की सेवा को ही अपने जीवन का परम कर्तव्य व ध्येय मानती हो, ऐसी नारी का वर्णन करते हुए **कपाड़िया** ने लिखा है– "जिस प्रकार नदी सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को खो देती है, उसी प्रकार पत्नी से भी अपने आप को पति के व्यक्तित्व में मिला देने की आशा की जाती थी। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह होता था कि वह पति की सेवा में कोई कसर न रखे और उसको सन्तुष्ट रखना ही अपने जीवन की एकमात्र खुशी माने"। परम्परागत भारतीय नारी का वर्णन करते हुए **राधाकृष्णन** ने लिखा है, "शताब्दियों से चली आ रही परम्पराओं ने भारतीय नारी को विश्व की सर्वाधिक निःस्वार्थी, सर्वाधिक धैर्यवान नारी बना दिया है, कष्ट उठाना ही जिसका आत्मगौरव है"। इसी प्रकार हिन्दू नारी की भूमिका पर विचार करते हुए **श्रीनिवास** लिखते हैं कि "हिन्दुओं के सभी धार्मिक एवं व्यावहारिक ग्रन्थों में पति की अपेक्षा पत्नी के आचरण व भूमिका के सम्बन्ध में कहीं अधिक निर्देश मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि पति की तुलना में पत्नी की भूमिका अधिक सुनिश्चित एवं निर्दिष्ट थी। इस प्रकार पति की अपेक्षा ज्यादातर पत्नी को ही अपने लिए निर्धारित एवं बंधे ढांचे का अनुसरण करना पड़ता था"। बौद्ध युग में भी शिक्षित स्त्रियां थीं, जिन्हें उपाध्याया कहा जाता था। अनेक महिलाएं अध्यापिकाओं का जीवन व्यतीत करतीं थीं, जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह एवं लगन से करतीं थीं। ऐसी स्त्रियां उपाध्याया कहीं जातीं थीं। व्यावहारिक शिक्षा में वह नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा ग्रहण करतीं थीं। नृत्य और संगीत में स्त्रियों की सदा से ही रुचि रही है।

मध्यकालीन युग में, विशेषकर मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की दशा और भी खराब हो गई। यद्यपि इस्लाम स्त्री–शिक्षा का निषेध नहीं करता है, किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा–प्रथा का विशेष महत्व होने के कारण मुस्लिम काल में स्त्री–शिक्षा का क्षेत्र अति सीमित था। प्रारम्भ में तो बालिकाओं को बालक के समान विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता था, किन्तु एक निश्चित आयु के बाद उन्हें घर की चाहरदीवारी में बन्द हो जाना पड़ता था। इससे पर्दा–प्रथा को और भी प्रोत्साहन मिला। शिक्षा का निषेध न होने के कारण अमीर परिवारों की बालिकाओं को घर में ही विद्या अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। राज परिवारों की बालिकाएं बड़ी होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करतीं थीं। 'तबकात–ए–नासिरी' के लेखक **मिनहाजुस सिराज** ने लिखा है कि– "रजिया सुल्तान न केवल उच्च शिक्षा में बल्कि युद्धकला में प्रवीण थी।" निर्धन वर्ग की पुत्रियां यद्यपि विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जातीं थीं, फिर भी उन्हें सीमित मात्रा में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो जाता था। इस सम्बन्ध में **डा0 यूसुफ हुसैन** ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि– "मध्यम वर्ग के परिवारों की विधवा स्त्रियां अपने घरों में अपने पास–पड़ोस के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के लाभार्थ व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देतीं थी।" उपरोक्त युगों में स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह जैसा कि **डा0 शर्मा** ने लिखा है, पूरी तरह से सारे हिन्दुओं के लिए सही है यह मान लेना उचित न होगा। उस समय की स्थिति के विषय में केवल उन पुस्तकों के आधार पर कहा जाता है जिनमें हिन्दुओं के सामाजिक नियम और संहिताएं दी गईं है। विशेषतः उच्च जाति की स्त्रियों की स्थिति को ही अभिव्यक्त करतीं हैं, क्योंकि निम्न जातियों की स्त्रियों की स्थिति सदैव ही उच्च जातियों की स्त्रियों की स्थिति से भिन्न रही है। निम्न जातियों की स्त्रियों तथा पुरुषों की सापेक्ष स्थिति प्रायः बराबर ही रही होगी, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है।

आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका-

मध्यकाल में पति देवता और पत्नी दासी मानी जाती थी तथा सूद्रों के समकक्ष मानी गई। 19वीं सदी के मध्य में **ईश्वर चन्द्र विद्यासागर** और ईसाई मिशनरियों द्वारा स्त्रियों में शिक्षा प्रसार के आन्दोलन में स्त्रियों के उत्थान का कार्य आरम्भ हुआ। 1854 में **सर चार्ल्स वुड** ने तथा तात्कालिक सुधार आन्दोलनों ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने इस दिशा में बहुत उत्साह से कार्य किया। सन् 1854 के **वुड** के घोषणा–पत्र में स्त्री–शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दिया गया था। अतः प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने स्त्री शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया, किन्तु इस क्षेत्र में बहुत धीमी प्रगति हुई। इसके लिए सरकार और जनता दोनों उत्तरदायी थे। न सरकार ने स्त्री–शिक्षा के उत्तरदायित्व को समझा और न जनता ने इसका पक्ष किया इसके अतिरिक्त बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रति भारतीयों की अरुचि, निर्धनता, जनता की रूढ़िवादिता आदि स्त्री शिक्षा के प्रसार में अवरोध सिद्ध हुए। 1882 में हन्टर कमीशन में भी यह बात स्पष्ट है कि स्त्री–शिक्षा अभी तक अत्याधिक पिछड़ी हुई दशा में है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक सम्भव विधि से इसका पोषण किया जाए 1882–1902 में यद्यपि स्त्री–शिक्षा में मन्द गति से प्रगति हुई, किन्तु वह निरन्तर होती रही। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर स्त्री–शिक्षा के पाठ्यक्रम में गान, कला, सिलाई, कढ़ाई आदि विशिष्ट विषयों का समावेश किया गया। इस काल में हिन्दू महिलाओं ने उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेजों में प्रवेश प्रारम्भ कर दिया, परन्तु मुस्लिम महिलाएं इससे दूर रहीं। 1813 ई0 में पहली स्त्री विश्वविद्यालय की स्नातिका बनीं।

1885 ई0 में कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसकी बैठकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद के अधिवेशन होने लगे। इस परिषद द्वारा पास किए गए प्रस्तावों में निम्न बातों पर बल दिया गया– स्त्रियों में

प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रसार बाल और बेमेल विवाह का विरोध तथा दहेज और बहु–विवाह निषेध, विधवाओं के सिर मुड़वाने का जोर सामाजिक समारोह में वेश्याओं के नाच द्वारा मनोरंजन का विरोध, विधवा विवाह तथा अर्न्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। 1904 ई0 में **लार्ड कर्जन** ने शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में कहा है कि "स्त्री–शिक्षा पर सरकार को अधिक व्यय करना चाहिए।" सन् 1911 में **गोपाल कृष्ण गोखले** ने भी स्त्री–शिक्षा सम्बन्धी कुछ सिफारिशें की। सन् 1910 में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' ने स्त्री–शिक्षा पर बल देते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए–

1– कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक स्पेशल बोर्ड आफ वूमेन्स एजूकेशन की स्थापना की जाए, जो स्त्रियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को तैयार करे।

2– 13–16 वर्ष के ऊपर वाली पर्दानशीन छात्राओं के लिए पर्दा स्कूलों की व्यवस्था की जाए।

3– 'अध्यापिका प्रशिक्षण' एवं चिकित्सा शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

4– सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए।

स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने से 1922 ई0 में उनके अनेक संगठन बनने लगे। स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने लगी। 1920 के बाद स्त्रियों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष में बहुत भाग लिया। 1926 में **श्रीमती मार्गरेट कजिन्स** ने महिलाओं के भारत व्यापी संगठन का प्रयास किया, फलस्वरूप अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना हुई, यह हमारे देश में शिक्षित महिलाओं का प्रधान संगठन है। इसने दो शताब्दियों में भारतीय नारियों पर लगे प्रतिबन्धों और कानूनी बाधाओं को हटाने तथा समान अधिकारों की मांग करने में प्रमुख भाग लिया।

ब्रिटिश काल में स्त्री-शिक्षा के प्रयास-

प्राचीन काल में स्त्री–शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी, किन्तु मध्यकाल में स्त्री–शिक्षा का पूर्ण पतन हो गया। ब्रिटिश काल में स्त्री–शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित प्रयास हुए–

1– सन् 1818 में बालिकाओं की शिक्षा के लिए ईसाई पादरियों द्वारा स्कूलों की स्थापना होना।

2– सन् 1919 में **श्री केरे** द्वारा श्रीरामपुर में बालिकाओं के लिए एक दूसरा स्कूल खोलना।

3– सन् 1883 तक कलकत्ता में स्थापित 'कलकत्ता फीमेल जुवेनाईल सोसाइटी' द्वारा 10 स्कूल स्थापित करना। जिसकी आगे संख्या 23 हो जाना।

4– सन् 1821 में 'चर्च मिशनरीज सोसाइटीज' द्वारा मद्रास में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना।

5– सन् 1826 मे **श्रीमती विल्सन** द्वारा सेन्ट्रल स्कूल की स्थापना करना।

6– सन् 1849 में श्री डिंकू वाटर बेथयून स्कूल को **बेथयून** द्वारा 19000 पौण्ड की धनराशि देकर स्कूल की स्थापना होना।

7– **लार्ड डलहौजी** ने स्त्री–शिक्षा के प्रसार के लिए प्रस्ताव पास किया।

8– सन् 1851 तक प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों द्वारा बालिकाओं के लिए स्थापित स्कूलों की संख्या 371 तक हो जाना।

9– सन् 1854 मे वुड घोषणा–पत्र में स्त्री–शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार से सिफारिश करना।

10– सन् 1859 में **लार्ड स्टेनले** द्वारा स्त्री–शिक्षा के प्रसार के प्रयास करना।

11– सन् 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय मे बालिकाओं को मेट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलना।

12– सन् 1882 में हन्टर कमीशन द्वारा स्त्री–शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना।

13– सन् 1902 के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बालिका विद्यालयों को प्रत्येक सुविधा प्रदान करना प्रारम्भ कर देना।

14– सन् 1904 में **श्रीमती ऐनी बेसेन्ट** द्वारा बनारस सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना करना।

15– सन् 1916 में पूना में एस0 एन0 डी0 टी0 यूनियन वूमेन्स यूनीवर्सिटी की स्थापना होना।

16– इसी वर्ष दिल्ली मे लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की स्थापना की जाना।

17– सन् 1923 में **लार्ड कर्जन** द्वारा अपने शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना।

18– सन् 1926 में अखिल भारतीय स्त्री संघ नामक स्त्री संगठन का निर्माण होना, जिसके द्वारा स्त्री–शिक्षा के अधिकारों की मांग उठाना।

19– सन् 1927–29 में नियुक्त हर्टांग समिति द्वारा स्त्री–शिक्षा के विस्तार के महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना।

20– द्वितीय महायुद्ध में शिक्षित व्यक्तियो की मांग बढ़ने एवं महंगाई बढने के कारण स्त्रियों को सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा संस्थाओं की संख्या 16951 हो जाना, जिनमें पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या 3550503 तक पहुंच गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्त्री-शिक्षा के लिए प्रयास-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त स्त्री–शिक्षा की प्रगति के लिए क्रान्तिकारी प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप 1955–56 तक बालिकाओं को शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या 14876 तक पहुंच गई जिनमें 9182707 बालिकाएं पढ़ रही थीं। स्त्री–शिक्षा मे प्रगति एवं सुधार करने के लिए सरकार ने मई सन् 1958 में **श्रीमती दुर्गावाई देशमुख** की अध्यक्षता में "स्त्री–शिक्षा" की राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की। जनवरी 1959 में समिति ने स्त्री–शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं में अध्ययन कर सरकार से सिफारिश की कि वह स्त्री–शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे और राज्यों में स्त्री–शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य समितियों की स्थापना की जाए। सरकार के अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं धार्मिक संस्थाओं ने देश में अनेक बालिका विद्यालय एवं कालेज स्थापित किए। इन स्त्री प्रयासों के परिणामस्वरूप सन् 1960–61 तक विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या 14259484 तक पहुंच गई। स्त्री शिक्षा में इतनी अधिक प्रगति होते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि स्त्री–शिक्षा में वांछित प्रगति हुई है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भारत में स्त्री–शिक्षा का प्रसार द्रुत गति से हुआ। हमारी सरकार स्त्रियों की स्थिति ऊँची उठाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही बालिकाओं के लिए

शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहीं हैं, जैसे अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन करने वाली अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ते का प्रबन्ध करना, छात्रावासों का निर्माण आदि।

सन् 1959–60 में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। राज्य सरकारों को अपने–अपने शिक्षा विभाग में एक उपनिदेशक या संयुक्त निदेशक को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया, जिनका प्रमुख कार्य बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रय नियोजित कर उन्हें क्रियान्वित रूप देने है।

आजकल स्त्रियों के शिक्षित होने से उनमें आर्थिक स्वावलम्बन की क्षमता बढ़ गई है। अतः अपने निर्वाह के लिए उन्हें पति पर निर्भर रहने अथवा विवाह करने की पहले जैसी अनिवार्य आवश्यकता नही रही। **हाटे** के अन्वेषण में 37 प्रतिशत स्त्रियों ने महिला–शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना है।

पहले स्त्रियां आर्थिक अवलम्बन प्राप्त करने के लिए विवाह करतीं थीं, अब इसके साथ–साथ प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दाम्पत्य जीवन अंगीकार करतीं है। पहले प्रेम न मिलने पर भी कोई विकल्प न होने के कारण स्त्रियां विवाह विच्छेद की कल्पना भी नहीं करतीं थी। अब आजीविका मिलने पर विश्वास होते ही स्त्रियां तलाक द्वारा दुःखमय पारिवारिक जीवन से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करतीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह से पहले स्वतन्त्र कमाई करने वाली युवतियों में 70–80 प्रतिशत विवाह के बाद यह अनुभव करतीं हैं कि वे अब पहले जैसा जीवन स्तर नहीं रख सकतीं। इस कारण वे वैवाहिक बन्धन से मुक्त होने का प्रयास करतीं है।

पूर्व अध्ययन

भारत में कार्यशील महिलाओं की स्थिति शोध कार्य के लिए एक महत्वूर्ण खोज का विषय है, यद्यपि इस विषय से सम्बन्धित साहित्य विगत वर्षों से समय–समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। परन्तु अब तक कोई क्रम बद्ध तरीके से इस विषय पर अध्ययन नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन कार्य द्वारा महिलाओं की भारत में स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वैसे भारत में कार्यशील महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययन कुल मिलाकर नाम मात्र को ही हुए हैं। यहां इन अध्ययनों के अभाव का एक सम्भाव्य कारण यह भी है कि इस देश में समाजशास्त्र के विषयों का अध्ययन अति विलम्ब से प्रारम्भ हुआ और पहले उन्हीं समस्याओं पर ज्यादातर केन्द्रित रहा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जान पड़ी तथा जो देश की अधिकांश जनसंख्या से जुड़ी थीं। इसके अलावा अध्ययनों की कमी इस तथ्य से भी अच्छी तरह स्पष्ट हो सकती है कि भारतीय समाज का ढांचा परम्परागत और कतिपय सुव्यवस्थित सामाजिक आदर्शों पर आधारित था अतः यह समस्या न केवल पृष्ठभूमि में रही वरन् दबी रही।

कुछ वर्षों में कामकाजी महिलाओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं। यह अध्ययन वास्तव में कई दृष्टिकोंणों से किए गए हैं। कुछ अध्ययन बदलते हुए आर्थिक दृष्टिकोंण के कारण महिलाओं को श्रम बाजार में आने पर किए गए हैं तथा कुछ अध्ययन महिलाओं के कार्य करने की प्रेरणाओं से भी सम्बन्धित हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने द्विव्यक्तित्व या द्विजीवन–क्रिया से सम्बन्धित पति और कामकाजी पत्नी के घरेलू कार्य के बंटवारे पर किया है। उन्होनें कामकाजी महिलाओं के व्यवसाय का वैवाहिक स्थिति तथा उनके बच्चों के ऊपर उसके प्रभावों का भी परीक्षण किया है। कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने महिलाओं

की दो भूमिकाओं का अध्ययन किया है और उनकी भूमिका द्वंद के कारणों और परिस्थितियों का विवेचन किया है।

आज महिलाओं की स्थिति में तीव्रता से परिवर्तन हुआ है, तथा उनके राष्ट्रीय जीवन में हिस्सा लेने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि महिलाएं समझ गईं हैं कि लम्बे संघर्ष के बाद ही अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यह अधिकार उन्हें प्राप्त भी हो गए हैं। भारतीय संविधान में भी उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए हैं, तथा उनकी विभिन्न क्षेत्रों में जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक विधि सम्बन्धी स्थिति में प्रगति लाने का प्रयास किया है, महिलाओं की स्थिति में प्राचीन काल से आज तक के वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुआ है उस पर विचार किया जाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी हो रही प्रगति पर शोध किया जाए ताकि उनकी समस्याओं को समझकर भविष्य में सुधार हेतु योजनाएं बनाई जा सकें। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने अध्ययन किए हैं, तथा निष्कर्ष भी दिए हैं।

कार्यशील महिलाओं की स्थिति पर हुए अध्ययन

डा0 ए0 एस0 अल्टेकर द्वारा किया गया अध्ययन "पोजीशन आफ वीमन इन हिन्दू सिविलाईजेशन" पर हुआ है।[1] डा0 अल्टेकर ने भारतीय स्त्रियों का प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक की स्थिति का अध्ययन किया है व अनेक ऐसी समस्याओं की ओर संकेत दिया है जिसका कि सन्तुष्टिजनक हल प्राप्त किया जा सके, उन्होने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से जिन मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया है वे हैं– भारतीय नारी के बचपन व शिक्षा की

1- Altekar, A. S., The Position of Woman in Hindu Civilization, Banaras, Motilal Banarsidas Publishers, 1956.

समस्याएं, स्त्रियों की विवाहित जीवन की अनेक विषम समस्याओं, समाज में विधवाओं की स्थिति, धार्मिक स्थिति, स्त्रियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, भारतीय स्त्री का समाज में क्या स्थान है आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है, तथा इसके सम्बन्ध में उचित सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

श्री माधवनन्द स्वामी ने "ग्रेट वीमन इन इण्डिया" तथा **श्री आर० सी० मजूमदार** ने स्त्रियों की स्थिति का प्राचीन काल से आधुनिक समय तक का अध्ययन किया है। ये सब शोध अध्ययन और आर्टिकल वैदिक समय से वर्तमान समय तक के ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं।

स्वतन्त्रता के समय से ही महिलाओं की स्थिति पर अध्ययन करने के प्रयास किए गए तथा यह कार्यवाही 1920 में शुरू हो गई जिसमें महिलाओं की समस्याओं की महत्पवूर्ण नाप की गई और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर महिलाओं की कार्यवाही की चर्चा की। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारकों ने भी विशेष प्रयत्न किए और उनकी श्रेष्ठता के लिए क्रान्ति को आवश्यक बताया। ब्रिटिश विद्वानों और अन्य विदेशी विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में अपने अनुभवों को बताया है। **कमला देवी चटोपाध्याय** ने भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में पाश्चात्य दुनियां तथा एशियन सम्मेलन को सूचित किया है कि भारतीय महिलाएं किस तरह अपनी स्थिति को आनन्द पूर्वक व्यतीत करती हैं, तथा उनकी आशाओं और डर के बारे में बताया है।

अमरीका में विवाहित महिलाओं के नौकरी करने की समस्या ने समाजशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय में "नारी शक्ति" पर आयोजित एक सम्मेलन में "वर्क इन द लाईव्स आफ मैरिड वूमन" विषय पर बोलते हुए **फेल्डमेन** ने कहा कि ये अपेक्षतया एक नवीन घटना का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। मध्यम वर्ग की कामकाजी पत्नी अब एक सक्षम आर्थिक,

मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है, उसकी नवीनता, उसकी संख्या और परिवार व समाज पर जिसकी वह एक अंश है– उसके गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव अब निरीक्षण का तकाजा रखते हैं।[1]

नाय और **हॉफमेन** ने मिलकर विवाहित कामकाजी महिलाओं की समस्या पर किए गए अध्ययनों को "द एम्पलाईड मदर इन अमेरिका"[2] (1963) नामक पुस्तक के रूप में संकलित किया है। इन अध्ययनों में यह जानने के लिए कि माँ व पत्नी के नौकरी में होने से विवाहित और पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अन्य कई अध्ययन भी हुए है जिनमें कामकाजी और गैर कामकाजी पत्नियों के वैवाहिक सामंजस्य की तुलना की गई है। इन अध्ययनों से अनेक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है।

स्वीडन के समाजशास्त्री **गुस्ताफ गीगर** ने लिखा है– "किसी समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उससे उस समाज के विकास को सही–सही नापा जा सकता है।"

फूनियर के अनुसार स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उससे समग्र रूप से होने वाले सामाजिक परिवर्तन की दिशा का पता चलता है। स्त्रियों की स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण और आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े पहलू इस प्रकार हैं। उनके आदर्श परिवार में उनकी भूमिका, आर्थिक भूमिका और कार्यकर्ता के रूप में उसकी स्थिति, इन सबका

1- Feldman, Francis, Lomas "Work in the lives of Married Woman", National Manpower Council, New York, Columbia University Press 1958, p.94

2- Nye, Iyan F. and Hoffman- Marital Interaction "The Employed Mother in America" Nye and Hoffman Chicago, Rand Mcnally & Company, 1963,

अध्ययन करने से इस तथ्य पर निश्चय ही रोशनी पड़ेगी कि समाज में उनकी क्या स्थिति या दर्जा है। **(सुलेराट)**

डा0 प्रमिला कपूर ने कामकाजी महिलाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और एक विस्तार पूर्ण अध्ययन किया जो कि कार्यकारी महिलाओं के वैवाहिक सामंजस्य पर था। यह शोध दिल्ली की कार्यकारी महिलाओं पर था, इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि "शहरों की जो शिक्षित विवाहित महिलाएं रोजगार पाने के लिए आगे बढ़ रहीं है, इसके लिए उन्हें न केवल आर्थिक सन्तोष प्रेरित करता है, बल्कि कई दूसरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं प्रेरित करतीं हैं। जहां तक वैवाहिक सामंजस्य का प्रश्न है यह अध्ययन बताता है कि कार्यकारी महिलाओं को पति और पत्नी के बीच निजी अर्न्तक्रियाओं की समस्या का सामना करना पड़ता है, पत्नी के रोजगार तथा रोजगार के कारण उसकी दोहरी भूमिका व उसके परिस्थिति बस बदले हुए व्यवहार के कारण पति में मानसिक विसंगति उत्पन्न होती है।" इस प्रकार **डा0 प्रमिला कपूर** ने वैवाहिक सामंजस्य का अपने शोध प्रबन्ध मे काफी विस्तार से अध्ययन किया है।[1]

मल्लिका वर्मा ने 1964 में मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर अध्ययन किया तथा महिलाओं की कई समस्याओं पर उनकी मनोवृत्ति ज्ञात की। उन्होने बाम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज तथा दिल्ली के स्कूल आफ सोशल वर्क में अध्ययन किए।[2] **मार्क्स** ने कहा था कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठीक नापा जा सकता है।

1– कपूर, प्रमिला–"द स्टडी आफ मैरिटल एडजस्टमेन्ट आफ एजूकेटिड वर्किंग वीमन इन इण्डिया" समाज विज्ञान में डी0 लिट0 थीसिस, आगरा विश्वविद्यालय, 1968

2– वर्मा, मल्लिका–"द स्टडी आफ द मिडिल क्लास वर्किंग वीमन इन कानपुर", द इण्डियन जरनल आफ सोशल वर्क 21 दिसम्बर 1960, पृष्ठ–283।

"नौकरी करने वाली मध्यम वर्ग की स्त्रियों की संख्या में किस तेजी के साथ वृद्धि हुई है, उसका अन्दाज रोजगार दफ्तरों में दर्ज की गई नौकरियों के लिए अर्जी देने वाली इन स्त्रियों की बढ़ती हुई संख्या से लगाया जा सकता है।"[1]

बेगतारा अली व **देवकी जैन** ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे है जो महिलाओ से कई विषय से सम्बन्धित हैं। भारतीय राष्ट्रीय काउन्सिल ने भी महिलाओं पर अपनी रिपोर्ट दी है, तथा शिक्षित महिलाओं की समस्याओं, सुविधाओं व उनके कार्यों के सम्बन्ध में कई सामान्य जांच हुई है। महिलाओं की स्थिति की जांच के लिए बैठाई गई कमेटी की रिपोर्ट शोध के लिए अच्छा नेतृत्व करती है, जो कि गाँव की महिलाओं से शहर की महिलाओं तक सम्बन्धित है। इस कमेटी ने संविधान के द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकारों के बारे में बताया है तथा महिलाओं के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लिया है।[2]

भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक "वूमेन इन एम्पलायमेन्ट" (1964) में भी यह जिक्र किया है कि युद्धोत्तर काल में ऐसी स्त्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि उपयुक्त नौकरियां जैसे– दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बैंको और बीमा कम्पनियों की नौकरियां करके अपना जीवकोपार्जन कर रहीं हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा भी ऐसी ही बातें कहीं गई है– शिक्षा

1– नारायण वत्सला,–"इण्डियन वीमन इन द मार्डन वर्ल्ड" रैपले पताई (सं0) न्यूयार्क द फ्री प्रेस, 1068।

2– इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, "स्टेटस आफ वीमन इन इंडिया" ए सिनोपसिस आफ द रिपोर्ट आफ द नेशनल कमेटी, नई दिल्ली एलाइड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड, 1975।

के प्रसार ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए शारीरिक श्रम की अपेक्षा रखने वाले कार्यों से अलग किस्म के रोजगारों जैसे—क्लर्क, प्रशासक, वकील, डाक्टर आदि कामों के अधिक अवसर सुलभ कर दिए हैं, अवसरों का सबसे ज्यादा प्रसार नौकरी में हुआ है।

स्त्रियों की अपने काम के प्रति मनोवृत्ति काफी हद तक बदल गई है। **डा0 प्रमिला कपूर** के अध्ययनों (1960, 1970, 1973) **अरोड़ा भट्टाचार्य** तथा अन्य लोगों द्वारा किए गए अध्ययनों 1963 तथा **रामनम्मा** (1968) और **रामानुजन** (1972) के अध्ययनों में यह बात कही गई है कि जिन शिक्षित कामकाजी स्त्रियों का अध्ययन किया गया है उनमें 55 से 64 प्रतिशत स्त्रियां इस पक्ष में थीं कि स्त्रियों को विवाह से पहले और विवाह के बाद भी नौकरी करनी चाहिए भले ही उनके माता—पिता और उनके पति भरण—पोषण कर सकने की स्थिति में क्यों न हों।

1970 में **रानाडे** और **रामचन्द्रन** ने 920 कार्यकारी और अकार्यकारी महिलाओं पर बम्बई और दिल्ली में सर्वेक्षण किया जिसका विषय 'पार्ट टाईम जाब पर महिलाओं की मनोवृत्ति' था उन्होंने अपने सर्वेक्षण में पाया कि अधिकांश मामलों में काम करने वाली स्त्रियों के रिश्तेदार इस पक्ष में थे कि स्त्रियों को काम करना चाहिए। बम्बई में किए गए अध्ययन में पाया गया कि सहोदरों और पतियों में से 94 प्रतिशत और करीब 90 प्रतिशत माता—पिता और सास—ससुर महिलाओं के नौकरी करने के पक्ष में थे और 70 प्रतिशत दादा—दादी इसको ठीक समझते थे। दिल्ली के अध्ययन में स्त्रियों के कुल रिश्तेदारों में से 88 प्रतिशत रिश्तेदार स्त्रियों के नौकरी करने के पक्ष में थे क्योंकि वे समझते थे कि इससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। काम करने वाली स्त्रियों के रिश्तेदारों की ये प्रतिक्रियाएं असंदिग्ध रूप से जाहिर करतीं हैं कि औरतों के काम करने के बारे में लोगों की मनोवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन इन

प्रतिक्रियाओं को ध्यान में न रखा जाए तो इन दोनों अध्ययनों से यह बात सिद्ध होती दिखती है कि मध्यवर्गीय परिवारों में स्त्रियों द्वारा नौकरी करने के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं है।[1]

1961 मे **कौर** द्वारा अध्ययन किया गया जो कि ''कैरियर प्रिफरेन्स आफ अन्डर ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेन्ट'' पर था। दूसरा अध्ययन **पुष्पा मिश्रा** द्वार 1968 में किया गया जो कि स्कूल जाने वाली तथा न जाने वाली गाँव के क्षेत्र की लड़कियों की व्यवसायिक आकांक्षा पर था।

अख्तर इटल ने 1969 में एक अध्ययन किया जो महिलाओं की कार्य करने की मनोवृत्ति पर आधारित था उनका निर्देशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के स्नातक पुरुष और महिला विद्यार्थी थे।

1960 में **पद्मिनी सेन गुप्ता** ने एक किताब प्रकाशित की जो कि भारत की कार्यकारी महिलाओं पर थी जिसमें महिलाओं को मिलों, फैक्ट्रियों व बागानों में कार्यरत बताया था उन्होनें अपने पहले के अध्यायों में महिलाओं के नौकर होने वाली स्थिति को बताया है और बाद के अध्यायों में उन महिलाओं के बारें में बताया है जो कुछ तो शिक्षित हैं और कुछ अशिक्षित। उन्होनें कार्य की दशाओं तथा प्रत्येक रोजगार में क्या समस्याएं होती हैं के बारे मे बताया है।[2]

सी0 ए0 हाटे ने (1936, 1946, 1948, 1969) भारत में महिलाओं पर अध्ययन किए उनका कार्यक्षेत्र शिक्षित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशाएं था, उन्होंने हिन्दू महिला और उसके भविष्य पर अध्ययन किया और ये अनुभव

1– रामचन्द्रन, पी0 और रानाडे, एस0 एन0–''वीमन एण्ड एम्प्लायमेन्ट'' टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज बम्बई, 1970, पृष्ठ–7।

2– सेनगुप्ता, पद्मिनी–''वीमन वर्क्स इन इण्डिया'' एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1960

किया कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक अवस्था और व्यक्तिक दर्जे में गहरे और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। **हाटे** ने पति–पत्नी के स्वभाव के बारे में तथा महिलाओ के विवाह के विषय पर परिवर्तित विचार बताएं हैं। उन्होनें महिलाओं की बदलती अवस्था पर शोध किया उनका अध्ययन क्षेत्र महाराष्ट्र के चार शहरों की कार्यकारी और अकार्यकारी महिलाएं थीं। उन्होनें भारतीय महिलाओं की दुनिया के छः प्रगतिपूर्ण देशों से तुलना की, उनके निष्कर्ष बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति में जो निश्चित परिवर्तन हुए हैं वे अपूर्ण हैं उन्होने बताया कि महिलाओं को रोजगार की प्रेरणा परिवार से ही मिलती है उनकी दोहरी भूमिका समाज को मान्य नहीं है। कई कार्यकारी महिलाएं भूमिका संघर्ष और अपराध की भावना से ग्रसित रहतीं हैं, उन्होनें इस तथ्य पर जोर दिया है कि आधुनिक भारतीय महिलाएं जटिल भूमिकाएं निभा रहीं हैं, उन्हें कानून द्वारा अधिकार दिए गए हैं। वे अपनी आजादी का उपयोग कर रहीं हैं, शिक्षा द्वारा अपने भविष्य को बना रहीं हैं तथा मानवता के कल्याण में अपना योगदान दे रहीं हैं। अन्त में उन्होनें महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा महिलाओं के कार्य में घर से कार्य स्थल तक सुविधाएं देने के लिए वकालत की है। उन्होनें विवाहित महिलाओं के लिए पार्ट टाइम कार्य उपयोगी बताए हैं क्योंकि विवाहित महिलाएं पूरे समय के लिए कार्य नहीं कर सकतीं। महिला संगठन इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं इस प्रक्रिया में सहायता कर सकतीं हैं तथा भूमिका संघर्ष को दूर कर सकतीं हैं।

1- Hate (Mrs.) C. A. "The Social Position of Hindu Women" Unpublished Ph.D. Thesis University School of Economics & Sociology, Bombay 1946.
Hindu Women and Her Future, Bombay New York Company, 1948.
Changing Status of Women in Past Independence India, Bombay Allied Publishers Pvt. Ltd. 1969.

श्रीमती के० पी० सिंह (1972) ने पंजाब में अध्ययन किया वे बताती हैं कि 25 प्रतिशत महिलाएं इस तथ्य से सहमत हैं कि वे जितना समय अपने बच्चों के साथ बिताती हैं। वह पर्याप्त है तथा वह इससे सन्तुष्ट हैं। परन्तु 75 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वह अपना पूरा ध्यान बच्चों तथा घर पर नहीं दे पातीं क्योंकि उनका बहुत सारा समय घर के बाहर खर्च हो जाता है। वे महिलाएं भी जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहीं हैं इस तथ्य से पूर्णतः असन्तुष्ट हैं। वे महिलाएं सामन्यतः यह अनुभव करतीं हैं कि उनकी अनुपस्थिति में बच्चों के लिए कोई सन्तुष्टिपूर्ण व्यवस्था नहीं हैं। कुछ महिलाओं के बच्चे घर में सास, सम्बन्धी या नौकरों की देखभाल में रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षित और अच्छा वेतन पाने वाली महिलाएं ही कर सकतीं हैं। अन्त में **श्रीमती सिंह** बताती हैं कि रोजगार की प्रेरणा और भूमिका संघर्ष ये आपस में सम्बन्धित हैं, महिलाओं के कार्य करने से उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।[1]

जरीना भाटी (1971) ने भारत में शिक्षित कामकाजी महिलाओं की समस्या पर अध्ययन किया उन्होनें बताया कि महिलाएं इस तथ्य को स्वीकारतीं हैं कि उनके काम पर जाते समय सास, सम्बन्धी या नौकर बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन आज के समय में जब कि संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, यह समस्या और जटिल होती जा रही है। यदि नौकर भी रखे जाएं तो इससे सबसे अधिक खतरा बच्चों को शिक्षित मां के स्थान पर अशिक्षित नौकर मिलेगा।

पढ़ी–लिखी कामकाजी महिलाओ को आज दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। एक भूमिका पत्नी, माँ व गृहणी की तथा दूसरी नौकरी की। घर और

1— श्रीमती के० पी० सिंह, "कैरियर एण्ड फैमिली" वूमन्स टू रोल्स ए स्टडी इन रोल कानफिलक्ट, इंडियन जर्नल आफ सोशल वर्क बाम्बे, अक्टूबर 1972।

नौकरी दोनों की दोहरी मांगों और तनावों के कारण उन्हें परिवार में संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नारी होने के नाते उन्हें जैविक क्रियाएं पूरी करनी होती हैं, तो दूसरी ओर संस्कृति द्वारा निरूपित उनका नारी रूप है। जिसके कारण उन्हें अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है और साथ ही अपनी नौकरी से सम्बद्ध दायित्वों व कर्तव्यों का भी सामना करना पड़ता है। कामकाजी पत्नी वाले परिवार के सम्पूर्ण ढांचे और उस परिवार के अन्य सदस्यों के कामों पर भी पत्नी के घर से बाहर वैतनिक नौकरी करने के तथ्य का गहरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना बनी रहती है। कामकाजी महिलाएं अभी अपनी भूमिकाओं के बारे में भली–भांति स्पष्ट नहीं है। परिवर्तित सन्दर्भ ने कामकाजी महिलाओं के लिए भूमिका सम्बन्धी नई उलझने पैदा कर दी हैं। पत्नी तथा मां के रूप में उनकी स्थापित भूमिकाओं में, घर से बाहर काम करके आजीविका कमाने की एक अन्य भूमिका और जुड़ गई है। यह उलझन इसलिए उठ खड़ी हुई कि उसकी नई और पुरानी भूमिकाओं के बीच सांमजस्य का अभाव है। इस सम्बन्ध में **पोवेल** का कहना है कि परिवार के अध्येताओं ने नारी के माँ एवं पत्नी होने की भूमिकाओं के साथ नौकरी की एक और भूमिका जुड़ जाने पर परिवार के सदस्यों के कर्तव्यों तथा दायित्वों की दृष्टि से उनकी भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की है। चूंकि कामकाजी पत्नी के परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की दृष्टि से अभी तक पुनः परिभाषित नहीं किया गया। अतः संघर्षों की अधिक सम्भावनाएं हैं। कामकाजी पत्नियों के लिए सामंजस्य की समस्या और भी चौंका देने वाली बन सकती है, यदि पति नई परिस्थितियों में स्वयं को ढालने में असमर्थ हो या उसके लिए तैयार न हो। अतः यह स्पष्ट होता है कि विवाहित कामकाजी महिलाओं के दृष्टिकोंण के प्रभावित होने की सम्भावना है, यदि पत्नी व माँ के रूप में उनकी भूमिकाओं में नौकरी करने की भूमिका औंर जुड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पुरुषों की भूमिकाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः उसके

अनुरूप उनके दृष्टिकोंणों तथा व्यवहार में भी उसकी अपेक्षा कम परिवर्तन आने की सम्भावना है, जितना कि शिक्षित कामकाजी महिलाओं के विचारों में आया है। उनके दृष्टिकोंणों के बीच परिवर्तन की गति में अन्तर होने के कारण ही दोनों के बीच पारिवारिक दायित्वों और भूमिकाओ में तालमेल रखना जटिल और कठिन हो सकता है।

महिलाओं के लिए स्वेच्छा से हो अथवा आर्थिक आवश्यकतावश, घर व नौकरी दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाना कोई सरल या निर्वाध कार्य नहीं इसमें न केवल दक्षता चाहिए, अपितु इस मिली–जुली भूमिका से उत्पन्न परिवर्तनों को मानसिक एवं शारीरिक स्वीकृति भी देनी होगी और इनमें तालमेल भी विठाना होगा। हम देखते हैं कि इससे अनेक समस्याएं सामने आ रहीं हैं। हमारे देश में कामकाजी महिलाओं के बारे में अभी सुनिश्चित जानकारी तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित अनुसंधान का अभाव है। इन अध्ययनों में महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः इन परिवर्तनों ने महिलाओं के नौकरी करने से उनके परिवार तथा स्वयं उन पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में अनेक निराधार कल्पनाओं को जन्म दिया है। इस परिवर्तन का कामकाजी महिलाओं के सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक व व्यवसायिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है। यह एक खोज का विषय है। इस परिवर्तन की गति और ध्येय इस विषय के गहन अध्ययन के लिए वाध्य करते हैं। **हावहाउस** ने कहा है कि "स्त्रियों की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति समाज की प्रगति की असंदिग्ध सूचक है।" नारी की सामाजिक स्थिति के प्रति बदलते रूप के बारे में बताते हुए **श्रीमती नीरा देसाई** लिखतीं हैं, "अब नारी को न तो मात्र बच्चा जनने की एक मशीन और न घर की एक दासी ही माना जाता है, उसने एक नया दर्जा, एक नई सामाजिक महत्वता प्राप्त कर ली है।"

राजगोपाल ने कहा है, "महिलाएं धीरे–धीरे यह महसूस करने लगीं

हैं कि इन्सान के रूप में उनका भी एक निजी व्यक्तित्व है।" **रास** ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि अनेक पत्नियां अब जाने और अनजाने अधिक प्रभुत्व रखने लगीं हैं। **कामारोवास्की** और **लेडिस** ने अध्ययनों में यह महसूस किया है कि महिलाओं का कई कार्यों में सक्रिय रहने से जीवन–स्तर में सुधार आ जाता है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि महिलाओं के लिए व्यवसाय से अधिक 24 से 54 वर्ष तक हैं जब कि इसी वर्षों में घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियां काफी अधिक मात्रा में रहतीं हैं। **कोर्डन** के अनुसार मध्यम वर्ग की महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन स्तर को ऊँचा बनाएं रखने के लिए कार्य करतीं हैं, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं अपने परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करतीं हैं। **रोसी** ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि पत्नी के पुनः अध्ययनरत् होने तथा नौकरी पेशे में लगने से विवाहित जीवन को अधिक सुदृढ़ तथा सम्पन्न बनाया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं के पति यह अनुभव करते हैं कि उन्हें मानसिक और आर्थिक शान्ति मिले। कामकाजी महिलाएं अपने परिवार की आय में वृद्धि करतीं हैं और इस हेतु उन्हें सम्मान मिलता है।

यूरोप में इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और न्यूजीलैण्ड आदि में कामकाजी महिलाओं के विषय में अध्ययन किए गए हैं। **थाम्सीपस्न** एवं **फिनालिसन** ने बताया है कि स्काटलैण्ड, इंग्लैण्ड और वेल्स में कामकाजी महिलाओं की संख्या में महत्पवूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होनें इस विषय पर अध्ययन किया है कि कामकाजी माँ का अपने बच्चों के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार का सामाजिक स्तर और आर्थिक स्थिति महिलाओ को कार्य करने के लिए वाध्य करती है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार पति–पत्नी वाले परिवार (एकाकी परिवार) धन कमाने के लिए अपने ऐक्षिक कार्यों को दूर कर सकते हैं और साथ ही

पारिवारिक जीवन भी विताते हैं। यदि महिलाओं को अपनी इच्छा विरूद्ध विभिन्न परिस्थितियों में काम पर जाना पड़ा तो उसका परिवार पर कुप्रभाव पड़ता है। वे महिलाएं जो मात्र समय बिताने के लिए कार्य करतीं हैं, कर्तव्य परायण नहीं हैं। **केल्सन, पूल, कहन** के अनुसार सामाजिक स्थिति वैवाहिक स्थिति और बच्चों का होना महिलाओं के कार्य करने के पुनः तत्व हैं। ऊँचे वेतन पाने वाले पुरुष को ग्रेजुएट पत्नियां यह तर्क देतीं हैं कि उनका कार्य करना एक मानसिक सन्तोष का कारण है। आदर्श पारिवारिक प्रथा के अनुसार पत्नी अपनी पूरी क्षमता परिवार के कार्यों में लगा देती है और उसका पति एक मात्र धनोपार्जन का साधन होता है, इसलिए महिलाएं इस प्रकार के कार्य को करना चाहती हैं जो उनके पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बाद सम्भव हों। कारण है कि महिलाएं अध्यापन के कार्य को अधिक महत्व देती हैं एक शिक्षित महिला अपने पति और बच्चों के प्रति प्रतिबन्धनों और कर्तव्यों का भली प्रकार पालन कर सकती है। **सुलर्ट** ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि अब महिलाएं इस बात से अवगत हो चुकीं हैं कि धनोपार्जन द्वारा वे अपने परिवार को सुखी बनाने में मदद कर सकतीं हैं तथा समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है। यही कारण है कि महिलाएं विवाह के उपरान्त भी अपना कार्य करतीं रहतीं हैं तथा कुछ अपनी प्रतिभा, शिक्षा और व्यक्तिगत सन्तोष के लिए कार्य करतीं हैं। महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य करतीं हैं। **एस0 एन0 आलम** ने अपने शोध में महिला शिक्षिकाओं के दृष्टिकोंणों का सामाजिक एवं पारिवारिक सन्दर्भ में विश्लेषण किया है। उनके अध्ययन के अनुसार पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों की दोहरी भूमिका के कारण महिला शिक्षिकाओं में समन्वय की कमी हो जाती है। जिस कारण वह तनाव–ग्रस्त हो जाती हैं।

महिलाओं को कार्य करने में स्वतन्त्रता एक निश्चित सीमा तक दी जाती है। उनसे यह आशा की जाती है कि वे घरेलू कार्यों को महत्व दें।

कभी–कभी, छोटी–छोटी बातों को लेकर परिवार में तनाव हो जाता है, इसलिए कामकाजी महिलाएं अपराध की भावना से ग्रसित होती हैं। जबकि जरूरी नहीं कि उनका उसमें अपराध हो ही।

पति परिवार से बाहर के कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जबकि पत्नी परिवार के आन्तरिक मामलों में उत्तरदायी मानी जाती है। यही कारण है कि फ्रांस में 70 प्रतिशत नागालैण्ड में 80 प्रतिशत व्यक्ति महिलाओं के कार्य करने के विरूद्ध हैं।

उपरोक्त अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सेवायोजित महिलाओं की प्रमुख समस्याएं उनकी भूमिका परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रमुख रूप में पारिवारिक संघर्ष तथा पारिवारिक प्रसंगतियों के रूप में प्रकट होती हैं। किन्तु प्रस्तुत शोध में भूमिका संदर्भित समस्या को कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक सम्बन्धों, दोनों में ही खोंजने का प्रयास किया गया है। अर्थात दोनों के पारस्परिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

इन अध्ययनों से सम्बन्धित अनेक शोध ग्रन्थों और पुस्तकों से प्राप्त पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित कुछ प्राक्कल्पनाओं का निर्माण किया है, जिन्होंने प्रस्तुत अध्ययन कार्य में दिशा–निर्देशन का कार्य किया है।

1– शिक्षित सेवायोजित महिलाओं की दोहरी भूमिका ने जहां एक ओर पारिवारिक सामंजस्य को विघटित किया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक तनाव के परिणामस्वरूप उनकी कार्यकारी भूमिकाएं भी प्रभावित हुई है।

2– सेवायोजित महिलाओ की गृहणी व व्यवसायी की भूमिका में, माँ और व्यवसायी की भूमिका में तथा पत्नी एवं व्यवसायी की भूमिका में काफी अंशो तक भूमिका संघर्ष उपस्थित है।

अध्ययन की समस्या

स्त्रियों की सामाजिक भूमिका विगत वर्षों में विवाद का एक रोचक विषय रहा है। आज के विशिष्ट परिवर्तनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाएं केवल गृहस्थी तक सीमित परम्परागत कार्यों को ही करने की योग्यता नहीं रखती बल्कि वे अन्य अनेक प्रकार की भूमिकाओं को भी कुशलता पूर्वक कर सकतीं है जो अब तक उनके कार्यक्षेत्र से बाहर उनकी असमर्थता समझकर केवल पुरुष के हाथ में सौंप दिए गए थे। आज नारी, विशेषकर शिक्षित नारी की प्रस्थिति और भूमिका संक्रमण के दौर से गुजर रहीं है। पुरुषों ने चाहे किसी कारणवश एक कामकाजी महिला को पत्नी के रूप में स्वीकार किया हो परन्तु इससे स्वयं उनके दृष्टिकोंण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ जाता। परिणाम स्वरूप वह स्त्री को बहुत कुछ परम्परागत रूप में देखना चाहता है। यही स्थिति तनाव एवं असामंजस्य को उत्पन्न करती है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आज शिक्षित स्त्रियां एक ओर तो अपनी योग्यता का लाभ उठाना चाहतीं हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहतीं हैं। अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक जीवन में प्रवेश करना चाहतीं हैं। साथ ही दूसरी ओर अपनी पारिवारिक भूमिकाओं का भी निर्वाह करना चाहतीं हैं।

चूंकि सेवायोजित महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है– एक भूमिका पत्नी, माँ व गृहिणी की तथा दूसरी भूमिका नौकरी की। घर और नौकरी दोनों ही दोहरी मांगों व तनावों के कारण उन्हे परस्पर पारिवारिक असंगतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव उनकी नौकरी से सम्बद्ध दायित्वों व कर्त्तव्यों पर भी पड़ता है। इस तरह उनके कार्यकारी सम्बन्ध एवं पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव दोनो ही एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम किसी एक पक्ष को लेकर अध्ययन करते रहेंगे।

इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए झांसी नगर की सेवायोजित शिक्षित उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

सेवायोजित महिलाओं की अवधारणा-

सेवायोजित महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिला के सन्दर्भ में किया जाता है। अर्थात वे महिलाएं जो घरों के बाहर नियमित रूप से आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं।[1]

सेवायोजित शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है जो वेतन वाले काम धन्धों में लगी है।[2]

काम करने का अर्थ स्वयं काम करना ही नहीं, वरन दूसरे व्यक्तियों से काम लेना तथा उनके कार्य की निगरानी करना एवं निर्देशन आदि देना भी सम्मिलित है।

काम करने वाली वे महिलाएं हैं, जिनके शारीरिक या मानसिक श्रम से कोई आर्थिक रूप का उत्पादन कार्य सम्पन्न हो–

An employed woman is defined here as one who has been gainfully employed by Government or semi-Government and private agencies.[3]

1– डा0 प्रमिला कपूर – विवाह और कामकाजी महिलाएं।

2– डा0 नन्दनी उप्रेती – क्या कामकाजी महिलाएं तनावग्रस्त रहतीं हैं? समाज कल्याण पत्रिका, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जून 1988।

3- Dr. Amuradla Bhaite- "Woman employees and rural development problems of employed woman in rural areas.

सेवायोजित सम्बन्धों का अर्थ-

सेवायोजित सम्बन्धों से तात्पर्य नौकरी/व्यावसाय के आधार पर बने सम्बन्धों से है। दूसरें शब्दों में कार्यकारी सम्बन्धों से तात्पर्य कार्यस्थल पर सेवायोजित महिलाओं के अपने अधिकारियों, सहकर्मियों तथा आयु एवं समान प्रस्थिति वाले सहकर्मियों से कार्यों के आधार पर बने सम्बन्धों से है।

असंगति की अवधारणा-

समाज में व्यक्ति का व्यवहार सदैव मानदण्डो के अनुरुप हो, यह आवश्यक नही है। सामाजिक संरचना के स्वरुप या प्रवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संरचना का ही एक अंग होता है। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इसीलिए यह हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार इस रूप में प्रकट हो, जैसी कि उससे अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार समाज में असंगति की समस्या पैदा होती है।

किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति सामान्यतः समाज में स्वीकृत विधियों के अनुसार ही व्यवहार करता है। लेकिन अनेक बार अनेक व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार भी करते हैं। असंगति का सम्बन्ध इसी समाज विरोधी व्यवहार से है। समकालीन समाजशास्त्र में असंगति की अवधारणा का अत्याधिक महत्व है। समाजशास्त्र में ईमाइल दुर्खीम, राबर्ट के0 मर्टन, ई0 टाइरनकेन, सदरलैण्ड एवं क्रीसे, पारसन्स आदि विद्वानों ने असंगति के व्यवहार पर प्रकाश डाला है।

दुर्खीम के अनुसार– "सर्वप्रथम 'एनोमी' की अवधारणा को विकसित किया। उनका कथन है कि समाज का व्यक्ति पर केवल स्वस्थ्य प्रभाव ही नहीं, अपितु अस्वस्थ्य प्रभाव भी पड़ता है, और अस्वस्थ्य प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति

के व्यवहार में असंगति देखने को मिलती है।"[1] श्री दुर्खीम की एनोमी की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने का श्रेय श्री मर्टन को है।

श्री मर्टन के अनुसार– "जब सामाजिक संरचना की कोई असन्तुलित अवस्था व्यक्ति पर इस प्रकार का निश्चित दबाव डालती है और अन्य व्यक्ति सामाजिक आशाओं के प्रतिकूल आचरण करता है। तो उस स्थिति को असंगति कहते हैं।[2]"

श्री लेमर्ट के अनुसार– "यदि हम सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में विवेचना करें तो, यह कहना अधिक उचित होगा कि असंगति वास्तव में एक कारण है, न कि परिणाम है।"

राबर्ट निस्बेट के अनुसार– "जब मूल्यों में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनका एक–दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है अथवा जब मनुष्यों के लिए उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है तो उस अवस्था में व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवस्था दोनों ही प्रभावित होते हैं। फलतः समाज में व व्यक्ति के जीवन में एक असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि असंगति कहा जा सकता है।[3]"

सदरलैण्ड और क्रीसे के अनुसार– "असंगति एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उससे क्या आशा की जाती है।[4]"

1– इमाइल दुर्खीम – "द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसायटी"।
2– राबर्ट के0 मर्टन – "सोशियल थ्यौरी एण्ड सोशियल स्ट्रक्चर" – सोशियल स्ट्रक्चर एण्ड एनोमी।
3– राबर्ट निस्बेट – "सोशियोलॉजी"।
4– सदरलैण्ड एवं क्रीसे – "सोशियल डिस्आर्गेनाईजेशन"।

समाज में कभी–कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि परिवर्तित परिस्थितियों में पुराने आदर्श, मूल्य व सामाजिक आशाएं तो समाप्त हो जाती हैं, या अर्थहीन बन जाती हैं, पर उनके स्थान पर नए आदर्श, मूल्य व आशाएं बन नहीं पाती ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि समाज उससे किस प्रकार की आशा करता है और किस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए। अतः वह अपने को एक अनिश्चित स्थिति में पाता है। चाहे उसकी अवधि कुछ समय के लिए भी क्यों न हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में असंगति व असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है।

श्री पारसंस के अनुसार– "समाज की संस्थागत आदर्श व्यवस्था का पूर्ण रूप से छिन्न–भिन्न हो जाने की दशा को असंगति कहा है।[1]"

श्री ई0 टायरियंकियन ने श्री दुर्खीम के दो पूरक पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक तो व्यैक्तिक पहलू और दूसरा सामाजिक पहलू। व्यैक्तिक पहलू से यदि हम विचार करें, तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का जीवन या व्यवहार प्रतिमान कुछ सामाजिक आदर्शों, मूल्यों व लक्ष्यों पर आधारित होता है और इन आदर्शों, मूल्यों व लक्ष्यों को वह अपने उस समाज या समूह से ही प्राप्त करता है, जिसका कि वह सदस्य है। इनके विषय में समाज की परिभाषा ही व्यक्ति की परिभाषा होती है। पर कभी–कभी समाज स्वयं ऐसी विषम या असंगतिपूर्ण अवस्था में होता है कि वह आदर्शों, मूल्यों व लक्ष्यों को निश्चित व स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं कर पाता है। ऐसा तभी होता है, जबकि परिवर्तित परिस्थिति में पुरानी परिभाषाएं बेकार सिद्ध होती हैं। जब समाज स्वयं व्यक्ति के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल होता है तो व्यक्ति भी समाज के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व को कम अनुभव करता

1– टालकट पारसंस – "द सोशियल सिस्टम"।

है और अनिश्चित मूल्यों व आदर्शों से दूर भाग कर विसंगतिपूर्ण या असंगतिपूर्ण व्यवहार करता है जिससे कि सामूहिक एकता व संगठन में शिथिलता व असंतुलन उत्पन्न होता है, यही असंगति की स्थिति है। उसी प्रकार यदि हम सामाजिक पहलू से देखें, तो प्रत्येक समाज में कभी न कभी कुछ समय के लिए ऐसी सामूहिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं, जो कि सामाजिक जीवन को पूर्णतया नियमित व संगतिपूर्ण बने रहने नहीं देती। फलतः सामाजिक जीवन में असंगति का पनपना स्वाभाविक होता है।

आधुनिक जटिल सामाजिक संरचना में कई अनेक पद ऐसे भी होते हैं जिनसे सम्बन्धित कार्य वर्तमान स्थिति में असंगत प्रतीत होते हैं। ऐसे अनेक पुराने कार्यों को जो अब भी करने को कहा जाता है, जो कि पुराने जमाने को देखते हुए संगत कहे जा सकते थे। क्योंकि उस समय सामाजिक संरचना भी उसी के अनुरूप सरल, सादा थीं। पर आज भी जटिल सामाजिक संरचना के अन्तर्गत उनकी संगति को ढूंढना व्यक्ति के लिए कठिन ही प्रतीत होता है। ऐसी विरोधी स्थितियों में, **लिण्टन** ने लिखा है– "अक्सर व्यक्ति अपने को ऐसी परिस्थितियों के बीच पाता है, जिससे वह अपने साथ तथा दूसरे दोनों के पदों तथा कार्यों के सम्बन्ध में अनिश्चित होता है।"[1] नई परिस्थितियां व्यक्ति पर निरन्तर दबाव डालतीं हैं कि वह किसी न किसी कार्य को चुन ले। परन्तु व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि उसके कार्य सम्बन्धी चुनाव को समाज पसन्द करेगा या नहीं और अपने समूह से उसे आशानुरूप सहयोग व सहायता प्राप्त हो सकेगी या नहीं। यह परिस्थिति सामाजिक सम्बन्धों में गहरी तथा व्यापक असुरक्षा उत्पन्न करती है, जिसके कारण व्यक्ति में असन्तोष और निराशा की भावनाएं पनपती हैं जो अन्ततः उसके आचरणों या व्यवहारों में असंगति उत्पन्न कर सकती है।

1– राल्फ लिण्टन – "द कल्चरल बैक ग्राउण्ड ऑफ पर्सनेलिटी।"

मर्टन के अनुसार – "एक सामाजिक संरचना के अन्तर्गत सदस्यों के लिए कुछ निश्चित पदों तथा कार्यों की व्यवस्था होती है। परन्तु जब किसी समाज में प्रमुख पदों से सम्बन्धित कार्यों की कोई निश्चितता नहीं होती, तब भी व्यक्ति के व्यवहार में असंगति पनप सकती है।" उदाहरण के लिए आज की भारतीय पत्नी यह निश्चय पूर्वक नहीं जानती है कि पत्नी के पद से सम्बन्धित वास्तविक कार्य क्या हैं? स्थिति यह है कि परिवार और सास–ससुर यह चाहते हैं कि वधू एक आदर्श गृहणी बने, बच्चों के हित को अगर देखा जाए तो उसे एक आदर्श माँ बनना चाहिए। समाज की मांग यह है कि वह महिला एक आदर्श माँ बननी चाहिए या नारी बनकर सामाजिक प्रगति में हाथ बंटाए और पति यह चाहता है कि उसकी पत्नी एक रोचक जीवन–संगिनी की भूमिका को निभा सके तथा आर्थिक क्षेत्र में नौकरी करके योगदान करे। इनमें से कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं, जो परस्पर विरोधी हैं। कुछ स्त्रियां घर व बाहर की विरोधी भूमिका में एक समन्वय व सांमजस्य स्थापित करने में सफल होती हैं, परन्तु जो ऐसा नहीं कर पाती हैं, उनके व्यवहारों, आचरणों में तनाव व असंगति उत्पन्न होती हैं।

पारिवारिक असंगति की अवधारणा–

जब सेवायोजित महिलाएं घर व बाहर की विरोधी भूमिकाओं में सामंजस्य व समन्वय स्थापित नहीं कर पातीं हैं तो उनके व्यवहारों, आचरणों मे तनाव उत्पन्न हो जाता हैं, जिसे पारिवारिक असंगति कहते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य, महत्व एवं उपकल्पना

अध्ययन के उद्देश्यों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

1. **सैद्धान्तिक उद्देश्य**
2. **व्यावहारिक उद्देश्य**

सैद्धान्तिक उद्देश्य में हम विषय से सम्बन्धित तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की प्रभाविकता की जांच करते हैं। इन तथ्यों मे परस्पर सम्बन्ध क्या है, और वे किस स्वाभाविक नियमों से संचालित होते हैं, यह सब जानने का हम प्रयास करते हैं।

प्रत्येक समाज की परिस्थितियां, सामाजिक वातावरण व सामाजिक स्तर एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह समस्याएं हमारे समाज में क्यों और कैसे उत्पन्न हुई, तथा यह ज्ञात करना तथा समस्या के निराकरण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं यही प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है।

सैद्धान्तिक रूप से अध्ययन का मुख्य उद्देश्य झांसी नगर की सेवायोजित शिक्षित उच्च, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों और पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

सैद्धान्तिक उद्देश्य

केवल सामाजिक शोध ही नहीं, सभी प्रकार के शोध मूल रूप से

ज्ञान की वृद्धि के साधन होते हैं अर्थात् सामाजिक शोध का सैद्धान्तिक उद्देश्य सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों या समस्याओं के विषय के ज्ञान को प्राप्त करना है।

केवल नए तथ्यों के विषय में ही नहीं, अपितु पुराने तथ्यों के विषय मे भी ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक बोध का उद्देश्य होता है। सामाजिक तथ्य स्थिर या शाश्वत तथ्य नहीं होते। सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर सामाजिक तथ्यों का भी परिवर्तन हो जाता है, और इसलिए आज एक तथ्य के सम्बन्ध में जो कुछ हमारा ज्ञान है, वह आगे चलकर भी खरा बना रहेगा ऐसी सम्भावना कम होती है।

नवीन तथ्यों के विषय मे अनुसंधान कर तथा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा कर सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान को गतिशील बनाए रखना सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक उद्देश्य है।

सामाजिक शोध का दूसरा सैद्धान्तिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों को ढूंढना है। प्रत्येक सामाजिक घटना का या तथ्यों का सामाजिक संरचना के अन्तर्गत कोई न कोई प्रकार्य अवश्य ही होता है। चाहे उस प्रकार्य से सामाजिक संरचना व व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा।

विद्वानों का मत है कि किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रकार्यविहीन अस्तित्व ही सम्भव नहीं है।

सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रकार्यात्मक सम्बन्धों को ढूंढ निकालना है क्योंकि इन सम्बन्धों को समझे बिना किसी भी सामाजिक घटना या तथ्य की वास्तविक प्रकृति को समझा नहीं जा सकता।

सामाजिक शोध का एक और सैद्धान्तिक उद्देश्य उन स्वभाविक नियमों को ढूंढ निकालना है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाएं या जीवन निर्देशित व नियमित होता है। आज यह स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक घटनाएं आकस्मिक या स्वतः उत्पन्न नहीं होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, वर्षा, ज्वार भाटा आदि, प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं बल्कि कुछ निश्चित नियमों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती हैं, उसी प्रकार मानवीय घटनाएं या सामाजिक घटनाएं भी कुछ स्वभाविक सामाजिक नियमों के अन्तर्गत आती हैं और उन नियमों को व्यवस्थित पद्धति की सहायता से ढूंढा जा सकता है।

अतः सामाजिक शोध का एक सैद्धान्तिक उद्देश्य उन नियमों को खोजना है जो कि सामाजिक घटना को नियमित व नियंत्रित करते हैं।

श्रीमती यंग के अनुसार – "सामाजिक शोध का एक उद्देश्य प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना भी है।"

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन में सैद्धान्तिक उद्देश्य को शामिल किया है।

व्यवहारिक उद्देश्य

सामाजिक शोध के दूसरे उद्देश्य की प्रकृति व्यावहारिक है। सामाजिक शोध सामाजिक जीवन तथा विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में हमें जो जानकारी प्रदान करता है, उसका उपयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं।

सामाजिक शोध सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण शोध है। वह ज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं को हल करने व सामाजिक

जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक योजना बनाने में मदद कर सकता है।

1. सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है।

2. सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान, सामाजिक तनाव को दूर करके, सामाजिक संगठन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अनेक बार सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के सम्बन्ध में हमारी गलत धारणाएं सामाजिक तनाव को जन्म देतीं हैं। सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक जीवन में जड़ पकड़े हुए अनेक अंध–विश्वासों तथा गलत धारणाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

3. सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक योजनाओं के बनाने में मदद कर सकता है।

4. सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियन्त्रण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

इस प्रकार शोध का व्यवहारिक उद्देश्य समस्या के अध्ययन के पश्चात समस्या के निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना भी है।

सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों उद्देश्यों को मिलाकर सम्पूर्ण अध्ययन उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप मे व्यक्त किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

समकालीन समाज दोहरे मानदण्डों परम्परागत एवं आधुनिक के

मध्य झूल रहा है जिसमें भौतिकवादी दृष्टिकोंण ने जहां एक ओर नारी को आर्थिक स्वतन्त्रता, पुरुष के समान कार्य तथा वैचारिक स्वतन्त्रता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर परम्परागत मान्यताएं जो कि अभी पूर्णरूपेण परवर्तित नहीं हो सकती हैं, नारी को परम्परागत भूमिकाओं में देखना चाहती है जिससे कि पारिवारिक स्थिति में तनाव एवं संघर्ष जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं।

प्रस्तावित अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव एवं कार्यकारी सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए दोनों के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना है।

अध्ययन का महत्व

सामाजिक शोध का सम्बन्ध सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से या और भी स्पष्ट रूप में अनुसंधान से है। अनुसंधान से बोध पनपता है और वास्तविक बोध ज्ञान का द्योतक है। सामाजिक शोध का यही महत्व है कि यह वह साधन है, जिसके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, शोध नवीन वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारे मन की जिज्ञासा को मिटाने का एक साधन भी इस अर्थ में बन जाता है कि इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के अनेक अस्पष्ट या अन्धकार पूर्ण पक्षों के सम्बन्ध में हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है। इस जानकारी के दो स्पष्ट पक्ष हैं–

1. **सैद्धान्तिक**
2. **व्यवहारिक**

सैद्धान्तिक तौर पर सामाजिक शोध की उपयोगिता ज्ञान के विकास तथा बोध के विस्तार में निहित है।

वास्तविक ज्ञान उस समय के सम्बन्ध में अनेक सम्भावित समाधानों का सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। यही ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता या महत्व है और सामजिक शोध में यह उपयोगिता निहित है।

यद्यपि विभिन्न विद्वानों द्वारा जो उक्त विषय के सन्दर्भ में शोध हुए हैं वे समस्या के एक पक्ष को ही स्पष्ट करते हैं। जिससे कि समस्या का वास्तविक अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। जबकि प्रस्तावित शोध में दोनों ही पक्षों को लेकर समस्या की गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि ईमाइल दुर्खीम ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जहां एक घटना दूसरी घटना का कारण है वहीं दूसरी घटना पहली घटना का परिणाम है। अतः शोध में दोनों ही घटनाओं के पारस्परिक प्रभाव को देखा गया है। प्रस्तावित शोध इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है।

प्राक्कल्पना का निर्माण

प्राक्कल्पना सामाजिक शोध का अनिवार्य अंग है। किसी भी सामाजिक घटना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रारम्भिक ज्ञान व सामान्य अनुभव हो। इस प्रारम्भिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में एक सामान्य अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है। यही सामान्य अनुमान अनुसंधानकर्ता के लिए मार्ग–निर्देशक बन जाता है और अनुसंधानकर्ता का ध्यान निश्चित, आवश्यक एवं उपयोगी तथ्यों पर ही केन्द्रित करके अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करता है और उसे अनिश्चितता के अन्धकार में भटकने से बचा लेता है। इसी प्रारम्भिक, सामान्य व कामचलाऊ अनुमान को जो कि शोध कार्य का आधार और शोधकर्ता के लिए सहारा बन जाता है, प्राक्कल्पना (उपकल्पना) कहलाता है।

लुण्डवर्ग के अनुसार – "प्राक्कल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष है। जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी हैं। बिल्कुल आरम्भिक स्तरों पर प्राक्कल्पना कोई भी अटकलपच्चू अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है।" इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य प्राक्कल्पना का निर्माण नहीं बल्कि सत्य की खोज करना है और सत्य की खोज तो वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही सम्भव है। प्राक्कल्पना तो ऐसा आधार प्रस्तुत करती है, जिससे सत्य की खोज में आगे बढ़ा जा सके। वास्तविक तथ्यों के आधार पर प्राक्कल्पना को सही और गलत प्रमाणित करना ही वैज्ञानिक अनुसंधान का लक्ष्य है।

द्वितीय अध्याय

1- अध्ययन का क्षेत्र

2- शोध पद्धति शास्त्र

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययन का क्षेत्र झांसी का नगरीय क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही प्रमुख स्थान रखता है। झांसी की वीर वसुन्धरा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की अमर दीपशिखा झांसीश्वरी महारानी लक्ष्मीबाई की विशाल वैभव कीर्ति से गौरवान्वित है। झांसी बुन्देलखण्ड की प्रमुख नगरी है जो मान–मर्यादा एवं स्वतन्त्रता हेतु संघर्ष वलिदान करने वाली अगणित नरपुंगवों की लीला भूमि है।[1]

भौगोलिक दृष्टि से झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी–पश्चिमी पठारी भाग में स्थित है यह $24^0 11'$ से $25^0 57'$ उत्तरी अक्षांश में $78^0 10'$ से $79^0 25'$ पूर्वी देशान्तर के समानान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर तथा पूर्व में क्रमशः जालौन तथा हमीरपुर हैं तथा दक्षिण और पश्चिम में मध्य प्रदेश के जिलों की सीमाएं मिली हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह उष्ण–कटिबन्धीय स्थानों की तरह दृष्टिगोचर होता है। वर्ष में निरन्तर मौसम परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है। इसका स्पष्ट प्रभाव यहां के जन–जीवन पर पड़ता है। कृषि, व्यापार, उद्योग एवं अन्य व्यवसाय भी इससे प्रभावित होते हैं। उपलब्ध तापमान के तथ्यों से जनपद का पिछले 15 वर्षों से औसत तापमान 44 डिग्री सेन्टीग्रेट रहा है। शीत ऋ़तु में न्यूनतम तापमान का औसत 3 डिग्री सेन्टीग्रेट रहा है। इसके सापेक्ष वर्षाकाल में औसत वर्षा 1138 मि0 मी0 रही है। जनपद झांसी की जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 1746715 है जिसमें 934118 पुरुष एवं 812597 स्त्री हैं। ग्रामीण जनसंख्या 1029164 तथा नगरीय जनसंख्या 717551, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या 550028 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 479136 तथा नगरीय क्षेत्रों में

1– श्री मोती लाल त्रिपाठी 'अशान्त' ''झांसी दर्शन'', पृष्ठ सं0 116
लक्ष्मी प्रकाशन, झांसी (उ0 प्र0)

पुरुषों की जनसंख्या 384090 एवं स्त्रियों की जनसंख्या 333461 है। जिले में कुल 985079 व्यक्ति साक्षर हैं जिसमें 633803 पुरुष एवं 351276 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 345536 पुरुष एवं 153947 स्त्रियां साक्षर हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में 288267 पुरुष 197329 महिलाएं साक्षर हैं। पिछली जनगणना के सापेक्ष जनगणना में वृद्धि 319964 है जो कि 22.42 प्रतिशत है तथा साक्षरता वृद्धि 374510 है जो कि 61.60 प्रतिशत है। पिछली जनगणना में 1000 पुरुष पर 865 स्त्रियां थी वही वर्ष 2001 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर 870 स्त्रियां हैं। इस प्रकार प्रति 1000 पुरुषों पर 05 स्त्रियों की वृद्धि हुई है। जो कि एक सुखद संकेत हैं। ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 59 प्रतिशत है जो कि पिछली जनगणना से कम है। इससे स्पष्ट है कि नगरीय आबादी में वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में 19.77 एवं नगरीय जनसंख्या में 26.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि 72.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि 52.05 प्रतिशत इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे जिले में साक्षरता वृद्धि 61.6 प्रतिशत स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में 136.77 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि 63.87 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में महिलाओं की साक्षरता वृद्धि 89.45 प्रतिशत है जो कि उल्लेखनीय है। पुरूषों की ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि 53.43 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में पुरूषों की साक्षरता वृद्धि 40.90 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद में पुरुषों की साक्षरता वृद्धि 49.43 प्रतिशत है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पुरुषों की साक्षरता में 49.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का प्रतिशत 89.43 है जो कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है।[1]

1– जिला विकास पुस्तिका सन् 2001–2002
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जनपद झांसी, उ0 प्र0

झांसी जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5024 वर्ग कि0मी0 है जिसे दो पृथक–पृथक इकाइयों में बांटा जा सकता है। उत्तर में निचला स्तर एवं उपजाऊ भूमि का भू–भाग और दक्षिण में पठारी भू–भाग। उत्तरी भू–भाग की अधिकांश भूमि समतल मैदानी है, जिसमें कहीं–कहीं छोटी–छोटी पहाड़ियां फैली हैं। इस क्षेत्र में झांसी, मोंठ, गरौठा तथा मऊरानीपुर तहसील का उत्तरी भाग आता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां पतराईं हैं जो अपनी सहायक नदियों के साथ मऊरान्ीपुर की गरौठा तहसीलों की भूमि सिंचाई करतीं हुईं धसान नदी में मिल जाती हैं। इस जनपद में वर्तमान में 4 तहसील कार्यालय हैं– झांसी, मोंठ, गरौठा एवं मऊरानीपुर हैं। इसके पूर्व वर्ष 1973 तक ललितपुर जंनपद भी झांसी जनपद मे मिला हुआ था। राजनैतिक प्रयासों के फलस्वरूप ललितपुर जनपद को अलग जनपद घोषित कर दिया गया है जिसके कारण जनपद झांसी पर औद्योगिक, सामाजिक एवं न्यायिक दृष्टि से सीधा प्रभाव पड़ा है। इस परिवर्तन से विभिन्न सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण झांसी जनपद से ललितपुर जनपद में कर दिया गया है। वर्तमान में झांसी मण्डल में तीन जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन का आयुक्त कार्यालय स्थित है इस कार्यालय के माध्यम से उपर्युक्त जनपदों के व्यक्तियों का झांसी में केन्द्रित होना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। झांसी जनपद में न्यायिक व्यवस्था की दृष्टि से जो कार्यालय एवं अधिकारी कार्यरत हैं उनका विवरण निम्न प्रकार हैं–

1. आयुक्त कार्यालय -

झांसी मण्डल में एक आयुक्त सेवारत होता है एवं इनका कार्यक्षेत्र मण्डल के सभी जनपदों तक है। इस कार्यालय में राजस्व एवं शस्त्र सम्बन्धी विवादों का निस्तारण होता है। इनका कार्यमण्डल सभी जनपदों के राजस्व कार्यालयों का पर्यवेक्षण भी होता है। सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, ऋण–वितरण एवं वसूली आदि कार्य भी होते हैं।

2. पुलिस उपमहानिरीक्षक का कार्यालय -

इस कार्यालय में पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यरत होता हैं जिनका क्षेत्राधिकार पुलिस प्रशासन से सम्बन्धित सम्पूर्ण झांसी परिक्षेत्र है। इसके अन्तर्गत झांसी, ललितपुर एवं जालौन जनपद हैं। इनके अधीनस्थ सम्पूर्ण परिक्षेत्र के समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं।

3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यालय -

जनपद झांसी में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है। इसके अधीनस्थ कुल 18 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इन न्यायालयों में सम्पूर्ण वादों को विचारण अधिकार क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। हस्तक्षेपीय एवं अहस्तक्षेपीय वादों का विचारण उन्हीं न्यायालयों में होता है।

4. जिलाधिकारी का कार्यालय -

इस जनपद में एक जिलाधिकारी, एक अपर जिलाधिकारी, चार उप खण्ड अधिकारी, चार कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चार तहसीलदार, एक विशेष आज्ञप्ति अधिकारी, एक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अधिकारी, 17 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो एवं 377 लेखपाल नियुक्त हैं। इसके अरितिरक्त रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार काननूगो आदि अधिकारी भी कार्यरत हैं। इनका मुख्य कार्य न्यायिक प्रशासन तथा सामान्यतः जनपद की सभी गतिविधियों पर नियन्त्रण करना है।

उपर्युक्त मुख्य कार्यालयों जो कि प्रशासन एवं न्यायिक व्यवस्था की दृष्टि से पूर्ण रूप से सम्बन्धित है, के अतिरिक्त झांसी जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समितियां, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, बिक्रीकर, सिंचाई निर्माण, वित्त योजना आदि अनेक जिला एवं कमिश्नरी के स्तर के कार्यालय कार्यरत हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण झांसी में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ही प्रारम्भ हो सकी है। विन्ध्याचल पर्वत

की श्रृंखलाओं से घिरे हुए झांसी जनपद में भारत सरकार द्वारा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, सूती मिल, पारीक्षा थर्मल पावर योजना, मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक कालेज, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए ग्वालियर रोड पर राजकीय आयुर्वेदिक शोध प्रक्षेत्र खोला गया है। इसके अतिरिक्त झांसी में राष्ट्रीय चारा एवं अनुसंधान संस्थान तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झांसी का किला भी है। झांसी शहर वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से क्रमोत्तर प्रगति कर रहा है जिसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड विश्वविधालय झांसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विपिन विहारी महाविद्यालय (विज्ञान वर्ग), बुन्देलखण्ड कालेज (कला, वाणिज्य, शिक्षा तथा विधि संकाय), आर्यकन्या महाविद्यालय, गुरु हरि किशन डिग्री कालेज, राजकीय महिला महाविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 117 पाठ्यक्रमों जिसमें अधिकांशतः व्यवसायिक हैं चलाए जा रहे हैं, जो कि व्यक्तियों को जीवन में जीवकोपार्जन अर्जित करने के लिए मार्ग दर्शन दे रहे हैं। कई विषयों में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में शोधकार्य भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 290 कि0 मी0 दूर स्थित जनपद झांसी यातायात की दृष्टि से केन्द्रीय रेलवे का महत्वपूर्ण जंकशन है। इससे क्षेत्र के निवासियों का सम्पर्क भारत वर्ष के अन्य प्रान्तों से होता है। झांसी जनपद में एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा भी है जिससे इस जनपद का सम्पर्क प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान प्रान्तों से है। झांसी जनपद के ग्रामों की मुख्यालय से परिधि की ओर अधिकतम दूरी 122 कि0 मी0 है। ग्रामीण व्यक्तियों का जिला मुख्यालय से सम्पर्क पैदल, बैलगाड़ियों, साईकिल, निजी स्वचालित वाहन, बस, ट्रक तथा रेलगाड़ियों से है। देश की सुरक्षा का झांसी से सीधा सम्बन्ध है, क्योंकि थल सेना का बहुत बड़ा कार्यालय एवं सैनिक अड्डा इस जनपद में स्थित है। जिससे देश के अन्य भागों से जनपद का सम्पर्क आसानी से हो जाता है। झांसी जनपद में रवी, खरीफ एवं जायद फसलों का उत्पादन होता है। इन

फसलों से मुख्यतः अनाज पैदा किया जाता है। कृषि कार्य हेतु परम्परागत सिंचाई के साधनों के अतिरिक्त आधुनिक सिंचाई के साधनों का उपयोग होने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी में परम्परागत व्यवसाय कृषि नागरिकों का आर्थिक आधार रहा है। सिंचाई के समुचित सुविधाओ के न होने के कारण उत्पादन संतोष जनक नहीं रहा है। वर्ष 1903 में तत्कालीन वन्दोवस्त अधिकारी **पिम** के अनुसार मुख्य कस्वा झांसी, मऊ, गुरसरांय एवं कटेरा में कठिनाई से ही उत्पादन होता है। ब्रिटिश राज्य में वास्तविक रूप से जनपद झांसी की स्थिति बड़ी दयनीय रही है। राज्य की ओर से कोई उल्लेखनीय सुविधाएं कृषकों को नहीं मिली थीं अंग्रेजों के मस्तिष्क में बहुत समय तक 1857 की क्रान्ति के बहादुरों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनपद झांसी को दण्डित करने की तीव्र इच्छा रही और उन्होने इस क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति की उपेक्षा की है। झांसी जनपद की कृषि व्यवस्था का उल्लेख करते हुए तत्कालीन उपायुक्त एवं वन्दोवस्त अधिकारी **जेकिन्सन** ने लिखा है कि 1865 की जनसंख्या के लिए एक पौण्ड अनाज प्रति व्यक्ति के अनुसार कुल 1630829 मन अनाज की आवश्यकता थी। जो कुल उत्पादन से 339532 मन कम था। अर्थात कुल आवश्यकता का 1/5वां भाग अनाज जैसे गेंहू की पूर्ति अन्य जनपदों से आयात करके की जाती थी। यह व्यवस्था सन् 1900 तक जारी रही। वर्ष 1888 में व्यक्तियों की आर्थिक दशा के अध्ययन के लिए की गई जांच से भी खाद्यान की कमी के तथ्यों की पुष्टि की गई।

अंग्रेजी राज्य से पूर्व जनपद झांसी के मऊरानीपुर में कपड़े का व्यापार होता था। इस तथ्य की पुष्टि **एटकिन्सन** (1814) ने की है। **ब्रोकमेन** (1909–29) के मतानुसार मऊरानीपुर से निर्यात होने वाले कपड़े की कीमत 680000 रुपए प्रतिवर्ष थी। इस कस्बे के व्यापारी अमरावती, बम्बई, मिर्जापुर, नागपुर, इन्दौर, फर्रूखाबाद, हाथरस, कालपी, कानपुर एवं दिल्ली में व्यापार किया करते थे। बुन्देलखण्ड

की प्राचीन आर्थिक स्थिति में कृषि अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की विशेषता थी। अधिकांश व्यक्ति गाँव में रहते थे तथा कृषि एवं पशुपालन करते थे। राज्य द्वारा सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि तालाब और कुओं से आस–पास के क्षेत्र में ही सिंचाई होती थी। जमीन का स्वामित्व व्यक्तिगत था तथा नौकरों द्वारा भी कृषि कार्य कराए जाते थे। किसान अपने नित्य उपयोग का सामान अधिक उत्पादन के माध्यम से खरीदते थे। बुनकर, बढ़ई, लुहार, कुम्हार नित्य प्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पशुशाला, बाग–बगीचा, महुए के पेड़, झोपड़िया एवं सड़के गाँव की सम्पत्ति थीं। कृषि भूमिधर से जमीन कर एवं ऊपरी कर लगते थे। भीता की खुदाई से स्पष्ट है कि अनेकों वास्तुकलाएं इस क्षेत्र में प्रचलित थीं। धातुकला बहुत उन्नत थी अनेकों स्थानों की खुदाई से प्राप्त तत्कालीन धातु मूर्तियां इसका प्रमाण हैं। पुरुष तथा महिलाएं विभिन्न महंगी धातुओं के जेबर पहनतीं थीं एवं गुप्त काल में जेबरातों की कला अपने चर्मोत्कर्ष पर थी। गुप्तकाल में सूती एवं सिल्क कपड़ों की महत्वपूर्ण जगह बुन्देलखण्ड थी। मिट्टी के बर्तन निर्माण की कला पूर्ण विकसित थी तथा इनमें खाद्यान्न संग्रह एवं भोजन पकाया जाता था। बुन्देलखण्ड कृषि एवं व्यापार के लिए छठवीं शताब्दी से जाना जाता था। घोषिया, ककोड़ा एवं पवरिया अपनी धनाड्यता के लिए जाने जाते थे। क्षेत्रीय स्थानीय व्यापारी, संगठन, मजदूर एवं धनीं भूमि–पति निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करते थे। साधारण किसान, मजदूर और छोटे कर्मचारी निश्चित रूप से गरीबी का जीवन यापन करते थे तथा अल्पसंख्यक धनी एवं सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। शहर एवं कस्बे व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति के कारण अच्छी आर्थिक स्थिति में थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही जनपद झांसी का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास शुरू हो सका है। मानसून का सर्वाधिक प्रभाव कृषि एवं व्यापार पर पड़ता है। राज्य सरकार की ओर से खाद, बीज, कर्ज, तकनीकी

सुविधाओं का प्राविधान किया गया है। सम्पूर्ण जनपद को आठ विकास खण्डों क्रमशः बबीना, बड़ागाँव, बंगरा, मऊरानीपुर, बामौर, गुरसरांय एवं चिरगाँव में विभक्त किया गया है। प्रत्येक विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं पशुपालन अधिकारी नियुक्त हैं। सभी विकास खण्डों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस स्टेशन, बैंक, डाकघर एवं आवागमन आदि उपलब्ध हैं। जनपद झांसी में चार ऐसे गाँव हैं जो विकास खण्डों से एक कि० मी० या कम, 19 गाँव 1 कि० मी० से 3 कि० मी०, 138 गाँव 3 से 5 कि० मी० तथा 679 गाँव 5 कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित हैं। जनपद में 760 आबाद ग्राम, 452 ग्राम पंचायतें, 65 न्याय पंचायतें, 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषदें, दो छावनी क्षेत्र तथा नोटीफाइड एरिया हैं। इन परिस्थितियों में सामान्य ग्रामीण कृषक को विकास की सुविधाएं एवं सलाह विकास खण्ड से प्राप्त करना होता है। नहर, नलकूप, रहट पम्पिंग सैट, पिट–बोरिंग, बंधी आदि जनपद झांसी में सिंचाई का मुख्य साधन हैं। वर्ष 1981 के सर्वेक्षण के अनुसार जनपद झांसी में कुल 196 कि० मी० लम्बाई की नहरें, 2 राजकीय नलकूप, 10592 रहट, 9426 पम्पिंग सैट, 144 निजी नलकूप एवं 31832 हेक्टेयर जमीन में बंधी व्यवस्था थी। जनपद झांसी की प्रमुख समस्या अशिक्षा है। यद्यपि सरकार की ओर से अनेकों सुविधाएं कृषकों को दी गईं किन्तु कृषकों की अशिक्षा के कारण इनमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकीं है। वर्ष 1971 में झांसी की साक्षरता का प्रतिशत 20.8 था एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 6.8 रहा है। वर्ष 1981 में जनपद झांसी की साक्षरता का प्रतिशत 36.71 था।

जनपद में सिंचाई के साधन एवं क्षेत्रफल का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि रहट, पम्पिंग सैट तथा निजी नलकूपों से मात्र 2279 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकी है शेष 71686 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहर, राजकीय नलकूप, पक्के कुयें, तालाब एंव बंधी आदि श्रोतो से की गई है। इससे स्पष्ट है कि सिंचाई के परम्परागत साधन तथा रहट आदि का योगदान बहुत कम है।

शोध पद्धति शास्त्र

वैज्ञानिक पद्धति-

विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान के संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है। 'व्यवस्थित' और 'ज्ञान' शब्द इस सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। 'ज्ञान', विज्ञान के लक्ष्य की ओर संकेत करता है, जबकि 'व्यवस्थित' वह पद्धति है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयोग की जाती है। वास्तव में आज किसी भी प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य घटनाओं की वास्तविकता तथा सत्य को जानना और ज्ञान को प्राप्त करना है। सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति वह माध्यम है जिसको पाकर मानव सत्य के द्वार तक पहुंच सकता है। इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान की श्रेणी में आता है।

सामाजिक घटनाएं अपनी प्रकृति से भौतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं से भिन्न होती हैं। सामाजिक घटनाओं मे इतनी अधिक जटिलता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, गुणात्मकता तथा अमूर्तता पाई जाती है कि उनका वैज्ञानिक अध्ययन करके निश्चित और यथार्थ सामाजिक नियमों का प्रतिपादन कर पाना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में सामाजिक घटनाओं का वास्तविक अध्ययन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रविधियों का विकास किया गया है। अब सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं, उनका हल यदि होना है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा ही होगा। इसी दृष्टिकोंण को उसके प्रति ठोस एवं सफल रूप में वैज्ञानिक पद्धति कहा

जाता है। इस प्रकार आज केवल मात्र भौतिक या प्राकृतिक विषयों में ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है इसलिए सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के वास्तविक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि विज्ञान का सम्बन्ध वैज्ञानिक पद्धति से है न कि अध्ययन विषय से। इस विचार का समर्थन करते हुए **कार्ल पियर्सन** ने लिखा है कि "समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, किसी विषय–वस्तु में नहीं।" **स्टुअर्ट चेज** के अनुसार "विज्ञान पद्धति का सहगामी है विषय का नहीं।" **मैरिस** और **नागेल** के अनुसार "जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, उसमें प्रत्येक सन्देह को विकसित किया जाता है, जो सन्देह शेष बचता है उसका प्रमाण द्वारा समर्थन किया जाता है।" **एल0 एल0 बर्ड** के अनुसार "विज्ञान को इसमें होने वाली छः प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक हैं– परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन और उन्मेश जिसमें निर्वाचन तथा क्रियान्वयन शामिल हैं।" समाजशास्त्र के जन्मदाता **अगस्त काम्ट** का मत है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख आधार, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। धर्म, दर्शन व कल्पना का वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। इसलिए सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में आरम्भ से लेकर अन्त तक अत्यन्त सुनिश्चित तथा व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है ताकि सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को स्पष्ट किया जा सके।[1]

सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल मात्र व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से ही सम्भ्व है। अतः प्रस्तुत अध्ययन विषय के सम्बन्धों में यथार्थ तथा

1– आर0 एन0 मुकर्जी एवं एम0 ए0 पद्मधर मालवीय "सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी" पृष्ठ सं0 8, करेण्ट पब्लिकेशन्स, लखनऊ (उ0प्र0)

वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान की प्राप्ति अव्यवस्थित ढंग से सम्भव नहीं, बल्कि इसके लिए कुछ निश्चित स्तरों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर समस्या से सम्बन्धित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात् प्रारम्भिक ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर अध्ययन से सम्बन्धित प्राक्कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। अध्ययन के लिए समस्या से सम्बन्धित विशेष क्षेत्र का चुनाव भी करना पड़ता है। इसके पश्चात् अध्ययन की पद्धतियों तथा प्रविधियों का चुनाव कर तथ्यों का संकलन किया जाता है। संकलित तथ्यों का समानता के आधार पर वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है और फिर सबसे अन्त में अध्ययन के सन्दर्भ में यथार्थ निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है और फिर सबसे अन्त में अध्ययन के सन्दर्भ में यथार्थ निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के इन्हीं विभिन्न स्तरों से गुजर कर ही प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण किया गया है।

अध्ययन इकाइयों का चुनाव 'निदर्शन'-

मोटे तौर पर कोई भी अनुसंधान कार्य दो पद्धतियों के आधार पर किया जाता है।

जनगणना पद्धति -

इस पद्धति में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त इकाइयों का अध्ययन करके ही निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि इस पद्धति में अत्याधिक समय, धन तथा श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए विस्तृत क्षेत्र वाले अनुसंधान कार्य के लिए यह पद्धति उचित नहीं है। अतः इस अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता ने अपने सीमित समय तथा साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस पद्धति को नहीं अपनाया है।

निदर्शन पद्धति –

जब समय, पूंजी तथा कार्यकर्ताओं की मात्रा सीमित हो, तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन निदर्शन पद्धति के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि इस पद्धति में विषय से सम्बन्धित समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। जो उस समग्र का प्रतिनिधित्व करतीं हों। सर्वश्री **फ्रेक येट्स यंग** के अनुसार "निदर्शन शब्द को इकाइयों के एक समूह के लिए सुरक्षित होना चाहिए, जिसे इस विश्वास से चुना गया हो कि सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा।" सर्वश्री **गुडे** एवं **हॉट** के अनुसार "एक निदर्शन, जैसा कि नाम स्पष्ट करता है, सम्पूर्ण समूह का एक अल्पतम प्रतिनिधि है।" **पी0 वी0 यंग** के अनुसार "एक सांख्यिकी निदर्शन एक अल्पतम आकार या सम्पूर्ण समूह अथवा योग का अंश है जिससे निदर्शन को लिया गया है।" **बोगार्ड्स** के अनुसार "निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना है।[1]

निदर्शन केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की ही विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे सम्पूर्ण जीवन में सदैव क्रियाशील रहने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानव का यह स्वभाव रहा है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ घटनाओं को देखकर एक सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। गांवों में गृहणियां पकाए गए चावलों के कुछ दानों को देखकर ज्ञात कर लेती हैं कि वर्तन में भरे हुए चावल पक चुके हैं अथवा नहीं।

इसी प्रकार किसी समूह के बारे में एक विशेष धारणा बनाने अथवा व्यक्तियों की विशेषताओं को समझने के लिए हम कुछ व्यक्तियों से मिलकर

1– आर0 एन0 मुकर्जी एवं एम0 ए0 पद्मधर मालवीय "सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी" पृष्ठ सं0 72, करेण्ट पब्लिकेशन्स, लखनऊ (उ0प्र0)

ही सम्पूर्ण समूह की विशेषताओं को समझने का प्रयत्न करते है। इसके पश्चात भी सांख्यिकी पद्धति की एक प्रविधि के रूप में निदर्शन की प्रकृति दिन–प्रतिदिन के जीवन के प्रति चयन से कुछ भिन्न है।

सांख्यिकी रूप से निदर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके अन्तर्गत हम कुछ स्वीकृत और पूर्व निर्धारित प्रणालियों की सहायता से सम्पूर्ण (समग्र) में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करते हैं। इस दृष्टिकोंण से निदर्शन एक मनमानी अथवा व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित क्रिया नहीं है। बल्कि इसमें कुछ वैज्ञानिक प्रणालियों का समावेश होता है।

निदर्शन का अर्थ –

निदर्शन को सामान्य अर्थों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि समग्र में से चुने गए ऐसे 'कुछ' जो कि उस समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो, निदर्शन कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि निदर्शन किसी भी चीज या समूह का सम्पूर्ण भाग नहीं होता बल्कि उसका एक छोटा भाग या कुछ इकाइयां होती हैं लेकिन इस कुछ को हम तब तक निदर्शन नहीं कह सकते, जब तक ये सभी उस समग्र का प्रतिनिधित्व न करें। निदर्शन पद्धति की उपयोगिता **'स्नेडिकोर'** के इस कथन से स्पष्ट हो जाती है– "केवल कुछ पौण्ड कोयले की जांच के आधार पर एक गाड़ी कोयला या तो स्वीकृत कर लिया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है। केवल एक बूंद रक्त की जांच करके एक बीमार के रक्त की बीमारी में डाक्टर निष्कर्ष निकालता है।"

निदर्शन ऐसी प्रणाली है जिनसे केवल कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके विशाल इकाइयों के विषय में जाना जा सकता है। मोटे तौर पर हम कह सकते है कि समग्र में से चुने गए 'कुछ' को जो कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है, निदर्शन कहते हैं।

गुडे एवं **हॉट** ने लिखा है– "निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल सम्पूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है।" **पी0वी0यंग** के अनुसार– "एक सांख्यिकी निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक अति लघु चित्र है, जिसमे से निदर्शन लिया गया है।" अनुसंधानकर्ता ने अपने शोधकार्य में अपनी अध्ययन इकाई का निदर्शन करने के लिए स्तरित निदर्शन का प्रयोग किया है।

स्तरित निदर्शन –

स्तरित निदर्शन को मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता हैं। क्योंकि इसमें दैवनिदर्शन तथा उद्देश्य पूर्ण निदर्शन की विशेषताओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, ऐसा निदर्शन उन अध्ययन विषयों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जिनसे सम्बन्धित समग्र में एक–दूसरे की भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह पाए जाते हैं।

सिनपाओयंग ने लिखा है– "संस्तरित निदर्शन का अर्थ है समग्र में से ऐसे उन निदर्शनों को लेना, जिनकी कि समान विशेषताएं हैं। जैसे– खेती के प्रकार, खेती के आकार, भूमि पर स्वामित्व, शिक्षा स्तर, आय, लिंग, सामाजिक वर्ग आदि।" उपनिदर्शनों के अन्तर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर एक प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।[1]

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य झांसी नगर की सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक स्थिति में उत्पन्न तनाव का अध्ययन करना है। अनुसंधानकर्ता ने झांसी नगर में विभिन्न कार्य संस्थानों से कार्यरत् महिलाओं की संख्याओं का पता लगाया इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त संख्याओं के आधार पर झांसी नगर में कार्यरत् महिलाओं की सूचना प्राप्त हुई। सीमित समय तथा साधनों को देखते हुए प्रस्तुत अध्ययन की इकाइयों में से 300 सेवायोजित महिलाओं को अध्ययन की इकाई के रूप में चुना गया।

1– आर0 एन0 मुकर्जी एवं एम0 ए0 पद्मधर मालवीय "सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी" पृष्ठ सं0 77, करेण्ट पब्लिकेशन्स, लखनऊ (उ0प्र0)

पारिवारिक स्वरूप के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण-

परिवार के स्वरूप के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का भी वर्गीकरण किया है जैसा कि तालिका से स्पष्ट होता है।

क्र.सं.	संयुक्त परिवार		एकाकी परिवार		योग
	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	
1—	30	10	120	40	150
2—	72	24	60	20	132
3—	12	04	06	02	018
योग—	114	38	186	62	300

परिवार के स्वरूप के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण -

इस प्रकार सेवायोजित महिलाओं के निदर्श में सर्वाधिक महिलाएं एकाकी परिवार की थीं।

जाति के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

तालिका व चित्र में अध्ययन में सेवायोजित महिलाओं के निदर्श को जाति के आधार पर भी विभाजित किया गया है।

क्र.सं.	*जाति*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	ब्राह्मण	65	21.7
2–	ठाकुर	25	8.4
3–	वैश्य	50	16.7
4–	कायस्थ	55	18.3
5–	यादव	30	10.0
6–	कोरी	35	11.6
7–	अहिरवार	40	13.3
	योग	300	100

तालिका व चित्र से विदित होता है कि 21.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाएं ब्राह्मण जाति की, 8.4 प्रतिशत महिलाएं ठाकुर जाति की, 16.7 प्रतिशत महिलाएं वैश्य जाति की, 18.3 प्रतिशत महिलाएं कायस्थ जाति की, 10 प्रतिशत महिलाएं यादव जाति की, 11.6 प्रतिशत महिलाएं कोरी जाति की तथा 13.3 प्रतिशत महिलाएं अहिरवार जाति की थीं।

इस प्रकार अध्ययन के 300 सेवायोजित महिलाओं के निदर्श में सर्वाधिक 21.7 प्रतिशत ब्राह्मण जाति की महिलाओं का था। तदुपरान्त कायस्थ जाति की महिलाओं का 16.7 प्रतिशत था।

आयु के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

सेवायोजित महिलाओं का आयु के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जो तालिका व चित्र में दिया गया है।

क्र.सं.	आयु समूह	आवृति	प्रतिशत
1–	20–25	50	16.7
2–	26–30	75	25.0
3–	31–35	60	20.0
4–	36–40	40	13.3
5–	41–45	35	11.7
6–	46–49	30	10.0
7–	50 से अधिक	10	3.3
	योग	300	100

तालिका व चित्र से स्पष्ट होता है कि सेवायोजित महिलाओ के

20 से 25 आयु समूह में 16.7 प्रतिशत, 26 से 30 आयु समूह में 25 प्रतिशत, 31 से 35 आयु समूह में 20 प्रतिशत, 36 से 40 आयु समूह में 13.3 प्रतिशत, 41 से 45 आयु समूह में 11.7 प्रतिशत, 46 से 49 आयु समूह में 10 प्रतिशत तथा 50 से अधिक आयु समूह में 3.3 प्रतिशत महिलाएं थीं।

इस प्रकार सेवायोजित महिलाओं के 26 से 30 आयु समूह में सर्वाधिक प्रतिशत पाया गया जबकि 50 से अधिक आयु समूह में सबसे कम प्रतिशत महिलाएं पाई गईं।

शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

सेवायोजित महिलाओं का शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण तालिका व चित्र में दिया गया है।

क्र.सं.	*शिक्षा*	*आवृत्ति*	*प्रतिशत*
1–	हाईस्कूल	100	33.4
2–	इण्टरमीडिएट	25	8.4
3–	स्नातक	85	28.2
4–	स्नात्कोत्तर	15	5.0
5–	एम.बी.बी.एस., पीएच.डी., एल–एल.बी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण	75	25.0
	योग	300	100

तालिका व चित्र से विदित होता है कि 33.4 प्रतिशत सेवायोजित महिलाएं हाईस्कूल, 8.4 प्रतिशत महिलाएं इण्टरमीडिएट, 28.2 प्रतिशत महिलाएं स्नातक, 5 प्रतिशत महिलाएं स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण किए हुए थीं। जबकि 25 प्रतिशत महिलाएं या तो व्यावसायिक प्रशिक्षण लिए हुए थीं, या फिर एम.बी.बी.एस., पीएच.डी., एल–एल.बी. किए हुए थीं, इसके बाद ही उन्होने नौकरी/व्यवसाय में प्रवेश किया था।

शिक्षा के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण -

33.4%

8.4%

28.2%

25%

5%

व्यवसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

सेवायोजित महिलाओं का व्यवसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जिसे कि तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

क्र.सं.	*व्यवसायिक पृष्ठभूमि*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	अध्यापिका	150	50.0
2—	क्लर्क	25	8.3
3—	नर्स	30	10.0
4—	अधिकारी	25	8.3
5—	वकील	10	3.3
6—	विश्वविद्यालय कर्मचारी	2	0.8
7—	महिला पुलिस व महिला होमगार्ड	20	6.7
8—	समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाए	28	9.3
9—	अन्य	10	3.3
	योग	300	100

तालिका व चित्र से स्पष्ट होता है कि 300 सेवायोजित महिलाओं के निदर्श में 50 प्रतिशत अध्यापिकाएं, 8.3 प्रतिशत क्लर्क, 10 प्रतिशत नर्स, 8.3 प्रतिशत अधिकारी, 3.3 प्रतिशत वकील, 0.8 प्रतिशत विश्वविद्यालय कर्मचारी, 6.7 प्रतिशत महिला पुलिस व महिला होमगार्ड, 9.3 प्रतिशत समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाए तथा 3.3 प्रतिशत अन्य व्यवसायिक पृष्ठभूमि में हैं।

इस प्रकार सेवायोजित महिलाओं में 50 प्रतिशत अध्यापिकाएं हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत हैं। क्लर्क महिलाएं विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहीं थीं। अधिकरी महिलाएं विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक, सरकारी तथा

गैर–सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहीं हैं। समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाएं सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों में संलग्न हैं। जब कि अन्य सेवायोजित महिलाएं या तो अपने निजी उद्योगों में लगी हुई हैं या फिर विभिन्न पदों पर जैसे रेलवे में टिकट कलेक्टर, पोस्ट आफिस में तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेण्ट के रूप में कार्यरत हैं।

आवृति एवं प्रतिशत

नौकरी की प्रकृति के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण -

सेवायोजित महिलाओं का नौकरी की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जिसे कि चित्र व तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका

क्र.सं.	नौकरी की प्रकृति	आवृति	प्रतिशत
1—	स्थाई	240	80
2—	अस्थाई	60	20
	योग	300	100

चित्र व तालिका से विदित होता है कि 80 प्रतिशत सेवायोजित महिलाएं स्थाई रूप से नौकरी कर रहीं हैं, जबकि 20 प्रतिशत महिलाएं अस्थाई रूप से नौकरी में हैं।

इस प्रकार अधिकांश महिलाओं की नौकरी स्थाई थी।

आय के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण -

सेवायोजित महिलाओं के निदर्श को आय के आधार पर भी विभाजित किया गया है, जिसका विवरण तालिका व चित्र से स्पष्ट है।

तालिका

क्र.सं.	औसत मासिक आय	आवृति	प्रतिशत
1—	1500 से कम	50	16.7
2—	1500 — 3000	100	33.3
3—	3000 — 4500	110	36.7
4—	4500 से अधिक	40	13.3
	योग	300	100

तालिका व चित्र से विदित होता है कि 16.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय, 1500 रुपए से कम थी, 33.3 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 1500 रुपए से 3000 रुपए के मध्य थी,

36.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 3000 रुपए से 4500 रुपए के मध्य पाई गई जबकि 13.3 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 4500 रुपए से अधिक थी।

नौकरी प्रारम्भ करने के समय के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

सेवायोजित महिलाओं के निदर्श को नौकरी प्रारम्भ करने के समय के आधार पर भी वर्गीकरण चित्र व तालिका में किया गया है, जिसे कि चित्र व तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका

क्र.सं.	*नौकरी प्रारम्भ करने का समय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	विवाह के पूर्व	123	41
2–	विवाह के पश्चात	177	59
	योग	300	100

तालिका व चित्र से स्पष्ट होता है कि 59 प्रतिशत सेवायोजित

महिलाओं ने विवाह के पश्चात् नौकरी प्रारम्भ की, जब कि 41 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पूर्व से ही नौकरी में थीं।

इस प्रकार अधिकांश महिलाओं ने विवाह के पश्चात नौकरी करना प्रारम्भ किया।

नौकरी करने के कारण के आधार पर सेवायोजित महिलाओं का वर्गीकरण –

झांसी नगर की सेवायोजित महिलाओं को नौकरी करने के कारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण तालिका व चित्र से स्पष्ट है।

क्र.सं.	*नौकरी करने के कारण*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा	60	20.0
2—	समाज सेवा	50	16.7
3—	उच्च वेतनमान	30	10.0
4—	कोई विकल्प नहीं	10	3.3
5—	व्यवसायिक जीवन की आकांक्षा	15	5.0
6—	आर्थिक आवश्यकता	35	11.7
7—	उच्च शिक्षा का उपयोग करना	45	15.0
8—	विवाह करने के पूर्व का समय विताने	40	13.3
9—	घर के असुखकर वातावरण से दूर रहने के लिए	03	1.0
10—	घरेलू कामों से बचने, लोगों से मिलने—जुलने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए	07	2.3
11—	कामकाज का अभ्यास	05	1.7
	योग	300	100

सेवायोजित महिलाओं के नौकरी करने के कारण -

तालिका व चित्र से स्पष्ट होता है कि 20 प्रतिशत महिलाएं प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा के लिए नौकरी कर रहीं थीं, 16.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी इसलिए कर रहीं थीं, जिससे वे समाज सेवा में योगदान कर सकें, 10 प्रतिशत महिलाएं उच्च वेतन हेतु नौकरी कर रहीं थीं, 3.3 प्रतिशत महिलाओं के नौकरी करने का कारण, कोई विकल्प नहीं था, 5 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करना व्यवसायिक जीवन की आकांक्षा की पूर्ति था। 11.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी इसलिए कर रहीं थी, जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकता पूरी हो सके। 15 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करने का कारण उच्च शिक्षा का उपयोग करना था, जबकि 13.3 प्रतिशत महिलाएं विवाह होने के पूर्व का समय बिताने के लिए नौकरी कर रहीं थीं। केवल 1 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी मिली, जो घर के असुखकर वातावरण से दूर रहने के लिए नौकरी में थीं। 2.3 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करने का कारण या तो घरेलू कामों से बचने का था या फिर लोगों से मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए नौकरी में थीं। जबकि 1.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी में इसलिए थीं कि उन्हें कामकाज का अभ्यास हो चुका था।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिलाएं मात्र आर्थिक आवश्यकतावश ही नौकरी/व्यवसाय नहीं करतीं हैं, अपितु अन्य कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिस्थितिमूलक कारणों से भी करतीं हैं।

विवाह के पश्चात शिक्षित महिलाओं के व्यवसाय में बने रहने के कारण–

विवाह के पश्चात शिक्षित महिलाओं के व्यवसाय में बने रहने के कारण के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, जिसका विवरण तालिका व चित्र में दिया गया है।

क्र.सं.	*व्यवसाय में बने रहने के कारण*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	आर्थिक स्वतन्त्रता	90	30.0
2–	परिवार के रहन–सहन का स्तर सुधारने में मदद	25	8.3
3–	शिक्षा का उपयोग करना	50	16.7
4–	वाह्य जीवन के प्रति अभिरुचि	20	6.7
5–	कठिन समय के लिए पूर्वोपाय	30	10.0
6–	कार्यशील बने रहने के लिए	8	2.7
7–	अपने परिवार की मदद लायक बनने के लिए	70	23.3
8–	अपने रहन–सहन का स्तर बनाए रखने के लिए	7	2.3
	योग	300	100

विवाह के पश्चात शिक्षित महिलाओं के व्यवसाय में

बने रहने के कारण-

तालिका व चित्र से स्पष्ट होता है कि शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाएं विवाह के पश्चात भी व्यवसाय में विभिन्न कारणों की वजह से बनीं

रहती हैं। 30 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए विवाह के पश्चात् भी नौकरी में बनीं हुई हैं, जब कि 23.3 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पश्चात् नौकरी में हैं, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। 16.7 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पश्चात् इसलिए नौकरी कर रहीं थीं, ताकि उनकी शिक्षा का उपयोग हो सके, जबकि 10 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पश्चात् भी नौकरी इसलिए कर रहीं थीं, ताकि कठिन समय के लिए पूर्व उपाय कर सकें। 8.3 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पश्चात् भी इसलिए नौकरी में थीं, ताकि वे अपने परिवार के रहन–सहन का स्तर सुधारने में मदद कर सके। जबकि 2.3 प्रतिशत विवाहित महिलाएं नौकरी इसलिए कर रहीं थीं, जिससे वे अपना रहन–सहन का स्तर बनाए रख सकें। 6.7 प्रतिशत महिलाएं विवाह के पश्चात् भी नौकरी में इसलिए थीं, कि उन्हें वाह्य जीवन के प्रति अभिरूचि जाग्रत हो चुकी थी, जबकि 2.7 प्रतिशत महिलाएं सेवायोजित बने रहने के लिए नौकरी कर रहीं थीं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिलाएं विवाह के पश्चात् भी केवल आर्थिक कारण की वजह से नहीं वरन् अन्य कई सामाजिक–मनोवैज्ञानिक परिस्थितियोंवश व्यवसाय में कार्यरत हैं।

तथ्यों का संकलन -

अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों का चुनाव कर लेने के पश्चात विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किया जाता है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तथ्यों का संकलन करते समय उसमें वस्तुनिष्ठता का पाया जाना अनिवार्य है। अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित तथ्य जितने अधिक विश्वसनीय होते हैं, उतने ही अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोंण से प्रत्येक अनुसंधानकर्ता न केवल अनेक प्रविधियों और उपकरणों की सहायता से सामग्री एकत्रित करता है वल्कि

उन श्रोंतों को भी जानने का प्रयास करता है, जिनके माध्यम से उपयोगी तथा विश्वसनीय सामग्री एकत्र की जाती है। सामग्री अर्थात् तथ्य संकलन के ये स्रोत प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वैतियक भी।

प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता मौलिक एवं वास्तविक तथ्य एकत्र करता है। ये तथ्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं घटनास्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण, अनुसूची, साक्षात्कार आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। प्रश्नावली के द्वारा भी प्राथमिक सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, लेकिन प्रश्नावली चूंकि डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है। इसलिए उनका प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि घटनास्थल पर अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं होता है।

प्राथमिक तथ्य -

"प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े हैं, जिन्हे अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर विषय से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूची व प्रश्नावली की सहायता से एकत्र करता है। प्राथमिक तथ्य इस प्रकार है कि उन्हें अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन उपकरणों की सहायता से प्रथम बार एकत्र करता है। प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के दो स्रोत हैं–

(अ) एक तो जीवित व्यक्तियों से,

(ब) प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा।

प्रस्तुत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने अपने विषय से सम्बन्धित सेवायोजित महिलाओं से साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा सामग्री का संकलन किया गया है।"[1]

1- V. M. Palmer, Field studies in Sociology, University of Chicago press, Chicago, 1928 p. 57.

द्वैतियक स्रोतों के अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रलेख जैसे पत्र, डायरी, जीवन, इतिहास आदि, सार्वजनिक प्रलेख जैसे सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं की सर्वेक्षण रिपोर्ट, प्रकाशित या अप्रकाशित शोध–ग्रन्थ, जनगणना रिपोर्ट, समितियों तथा आयोगों की रिपोर्ट, शिलालेख, पत्र–पत्रिकाओं आदि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने विषय से सम्बन्धित ऐसे द्वैतियक तथ्य एकत्रित करता है, जिन्हें प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित करना सम्भव नहीं। चूंकि ये द्वैतियक स्रोत दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखित होते हैं, इसलिए उनके प्रयोग के समय इनकी सत्यता के बारे में बहुत सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही करना चाहिए।

द्वैतियक तथ्य -

"द्वैतियक तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं, जो कि अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित, अप्रकाशित प्रलेखों, रिपोर्ट, सांख्यिकी, पाण्डुलिपि आदि से प्राप्त होते हैं। द्वैतियक तथ्य की विशेषता यह है कि ये तथ्य स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए हुए नहीं होते। वे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित किए हुए होते हैं। द्वैतियक स्रोतों के भी दो तथ्य होते हैं–

(1) व्यक्तिगत प्रलेख – जैसे आत्मकथा, डायरी, पत्र आदि।

(2) सार्वजनिक प्रलेख – जैसे रिकार्ड, पुस्तकें, जनगणना रिपोर्ट, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएं आदि।"[1]

(अ) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े -

द्वैतियक तथ्यों के संकलन के एक स्रोत के रूप में जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ो का अत्याधिक महत्व होता है। भारतवर्ष में प्रत्येक 10 वर्ष बाद

1– डा0 रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, पृष्ठ सं0–160. विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

जनगणना का आयोजन करके सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जो शोधकार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं।

(ब) प्रकाशित प्रलेख -

अनेक सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाएं जब प्राथमिक रूप से तथ्यों का संकलन करके उन्हें जन सामान्य के उपयोग के लिए प्रकाशित कर देती हैं तो ये ही प्रकाशित प्रलेख आगामी शोध कार्यों के लिए तथ्य संकलन के द्वैतियक स्रोत बन जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित प्रकाशित प्रलेखों का प्रयोग किया गया है–

विभिन्न समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन -

इसमें विशेष रूप से विभिन्न महिला समितियों तथा महिला आयोगों की सिफारिशों एवं शोध–प्रबन्ध आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के माध्यम से सेवायोजित महिलाओं की पारिवारिक असंगतियों की अवधारणा को स्पष्ट किया है।

पत्र-पत्रिकाओं की रिपोर्ट -

समाचार–पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, समाचारों आदि की सहायता ली गई है। इनमें दैनिक समाचार–पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केशरी, टाइम्स आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान और पत्रिकाओं में मनोरमा, गृहशोभा, सरिता, इंडिया टुडे आदि का नाम उल्लेखनीय है।

अन्य प्रकाशित प्रलेख -

विभिन्न विद्वानों के प्रकाशित संदर्भ ग्रन्थों से बहुमूल्य द्वैतियक सामग्री को प्राप्त किए बिना शायद प्रस्तुत अध्ययन का स्पष्ट विश्लेषण कर पाना अवश्य ही कठिन था। कार्यालय संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जिला सूचना एवं

जनसम्पर्क विभाग जनपद–झांसी द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी पत्रिका, 2002–2003 से सम्बन्धित तथ्यों और आंकड़ों को संकलित करने के लिए प्रयोग किया गया है।

अप्रकाशित प्रलेख –

इन अप्रकाशित प्रलेखों में अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने सेवायोजित महिलाओं से सम्बन्धित अप्रकाशित शोध ग्रन्थों का भी सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सहायतार्थ सार्वजनिक प्रलेखों का उपयोग किया गया है। झांसी की भौगोलिक स्थिति के अध्ययन हेतु झांसी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक से सहायता ली गई है। जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़े संख्याधिकारी कार्यालय, झांसी द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी पत्रिका से लिए गए हैं। सेवायोजित महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी कार्यालयों से उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों और पारिवारिक जीवन में उत्पन्न तनाव का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक तथा द्वैतियक दोनों स्रोतों के माध्यम से वास्तविक और उपयोगी तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत विशेष रूप से निरीक्षण, साक्षात्कार तथा अनुसूची का प्रयोग किया गया है। विषय की गहराई तक पहुंचने के लिए अनुसंधानकर्ता ने निरीक्षण, अनुसूची, साक्षात्कार के माध्यम से ही वास्तविक मौलिक तथ्यों को एकत्रित किया है। द्वैतियक स्रोतों से प्राप्त सांख्यिकी आंकड़ो तथा तथ्यों और विभिन्न प्रकार के प्रकाशित या अप्रकाशित प्रतिवेदनो के माध्यम से शोध विषय का विश्लेषण करना अधिक सम्भव हो जाता है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार जनगणना रिपोर्ट, समाचार–पत्र–पत्रिकाओं, जनरल्स आदि अनेक प्रलेखो के माध्यम से द्वैतियक तथ्य तथा सूचनाएं एकत्र की हैं। लेकिन इन द्वैतियक तथ्यों का प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण में प्रयोग करने से पहले उनकी सत्यता की सावधानीपूर्वक परीक्षा की गई है।

प्रविधियां तथा उपकरण –

सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य एक घटना विशेष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना होता है। यह निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों पर आधारित यथार्थ व निश्चित निष्कर्ष होता है। वास्तविक तथ्यों को काल्पनिक ढंग से एकत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ प्रमाण सिद्ध तरीकों का होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए काम में लाए गए निश्चित व प्रमाण सिद्ध तरीकों को ही प्रविधि कहा जाता है।

प्रविधियों का अर्थ –

वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि को अपनाता है, उसे प्रविधि कहते हैं। "प्रविधि वास्तव में वह साधन है, जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ो का संकलन किया जाता है।"

प्रोफेसर मोजर के अनुसार– "प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए वे मान्य व सुव्यवस्थित तरीके हैं। जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। इस प्रकार प्रविधि वह निश्चित तरीका है, जो कि एक सामाजिक वैज्ञानिक को उसके अध्ययन विषय से सम्बन्धित निर्भर योग्य तथ्यों को इकट्ठा करने में मदद करता है।"

प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रविधियां उपयोग में लाई गईं हैं।

(अ) निरीक्षण -

विज्ञान निरीक्षण से ही प्रारम्भ होता है, और फिर सत्यापन के लिए अन्तिम रूप से ही निरीक्षण पर ही लौट आना पड़ता है। **प्रोफेसर गुड एवं हाट** के अनुसार यह कथन निश्चित ही सत्य है। वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक किसी भी घटना की अवस्था को तब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक कि वह स्वयं उसका अपने इन्द्रियों से प्रत्यक्ष निरीक्षण न कर ले। सामाजिक अनुसंधान में तो निरीक्षण की उपयोगिता प्राकृतिक विज्ञानों से भी अधिक होती है। चूंकि सामाजिक घटनाएं अनिश्चित तथा अनियमित रूप से परिवर्तित होती हैं, इसलिए उनका यथार्थ वैज्ञानिक अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण के बिना सम्भव नहीं है।

आक्सफोर्ड कन्साइज शब्दकोष में लिखा है कि– "समग्र में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य–कारण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए उनका यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन ही निरीक्षण है।"[1]

पी० वी० यंग के अनुसार– "निरीक्षण को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ–ही–साथ सम्पूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।"[2]

मोजर के अनुसार– "ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों के प्रयोग को अधिक स्वतन्त्रता रहती है।"[3]

1- Oxford Concise Dictionary, Quoted by C. A. Moser, Survey Methods in Social investigation, 1961, p.169.

2- P. V. Young, Scientific Social Survey & Research, Asia Publishing House, London, 1954, p.199.

3- C. A. Moser, Survey Methods in Social Investigation, p.168.

प्रस्तुत अध्ययन में भी सेवायोजित महिलाओं के प्रत्येंक पहलू को स्पष्ट करने के लिए निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है।

(ब) साक्षात्कार -

प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए साक्षात्कार अत्यधिक लोकप्रिय और बहुप्रचलित विधि है। जिसके माध्यम से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों को संकलित करके सामाजिक अनुसंधान को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। अध्ययन इकाइयों से (जीवित व्यक्ति) विषय के सम्बन्ध में उनकी मनोवृत्ति, भावनाओं तथा विचारों को जानने व अन्य वांछित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य अनुसंधानकर्ता और अध्ययन इकाई के आमने–सामने की स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से ही सम्भव है। जैसा कि **मानेन्द्र नाथ वसु** के अनुसार– "एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने–सामने का मिलन कहा जा सकता है।"[1]

पी0 वी0 यंग ने साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसे सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। इस प्रकार अध्ययन विषय से सम्बन्धित मौलिक तथ्यों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार अत्यन्त विश्वसनीय पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के आमने–सामने की स्थिति में बातचीत, संवाद, उत्तर, प्रत्युत्तर सूचनादाता से अपने तथा अन्तःक्रिया के माध्यम से विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों एवं

1- M. N. Basu, Field Methods in Anthropology and Other Social Sciencies, P.21.

पारिवारिक जीवन में उत्पन्न तनाव के कारण, प्रभाव और परिणाम को जानने के लिए आवश्यकतानुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक साक्षात्कार लिया गया है।

(स) अनुसूची -

"सामाजिक अनुसंधान में मौलिक तथा क्रमबद्ध सूचना एकत्रित करने के लिए अनुसूची का महत्वपूर्ण स्थान है। **प्रोफेसर गुड एवं हाट** के अनुसार, "अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने–सामने की स्थिति में पूंछे और भरे जाते हैं।"

श्री बोगार्ड्स ने अनुसूची को परिभाषित करते हुए लिखा है, "अनुसूची न तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैषयिक रूप में है तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्षता व औपचारिक रूप में पूंछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित व व्यवस्थित सूची है जो कि अध्ययन–विषय की वास्तविकताओं को प्रकट करने वाले तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।"[1]

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत सेवायोजित महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए आवश्यक, क्रमबद्ध और प्रमाणित तथ्यों का संकलन साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार अनुसूची के माध्यम से संकलित की गईं वास्तविक (यथार्थ) मौलिक, प्रमाणिक तथा क्रमबद्ध सूचना के आधार पर ही सेवायोजित महिलाओं की दोहरी भूमिका (घर, नौकरी) को स्पष्ट किया गया है।

1– डा0 रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, पृष्ठ सं0–214. विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

उपकरण -

किसी भी सामाजिक शोध में वैज्ञानिकता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। जिन वस्तुओं की सहायता से अध्ययनकर्ता सामग्री संकलित करता है, वे अध्ययन उपकरण कहे जाते हैं। इन उपकरणों में साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, मानचित्र टेपरिकार्ड कैमरा आदि प्रमुख हैं

साक्षात्कार अनुसूची -

वह प्रपत्र, जिसमें अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से पूछ–पूछ कर भरता जाता है, प्राथमिक सामग्री के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची प्रयोग में लाई जाती है।

साक्षात्कार निर्देशिका एक डायरी होती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता आवश्यक जानकारी लिख लेता है, और समय–समय पर उसका प्रयोग करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों के यथार्थ प्रस्तुतिकरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है। साक्षात्कार निर्देशिका से आवश्यक संकेत मिलते हैं जैसे अमुक मुहल्ले में अमुक महिला के घर जाकर उनसे साक्षात्कार लेना है। तो उनके नाम, पते, कैसे, कहां तक पहुंचा जा सकता है। तथा अन्य आवश्यक बातों में सहायता ली गई है। इस प्रकार अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु विभिन्न अध्ययन प्रविधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया है। साक्षात्कार को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने मे ये अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए हैं।

तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण –

सामाजिक अनुसंधान का आधार अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य हैं, जिन्हें प्राथमिक तथा द्वैतियक स्रोतो के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इस प्रकार एकत्रित तथ्य इतने अव्यवस्थित तथा जटिल होते हैं कि उनसे कोई भी सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन आवश्यक होता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी प्राथमिक तथा द्वैतियक तथ्यों को संकलित करके उनमे पाई जाने वाली समानता तथा विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करके उनका वर्गीकरण किया गया है। सारणीयन की प्रक्रिया द्वारा इन वर्गीकृत तथ्यों को तालिकाबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन को संकलित तथ्यों से तालिकाबद्ध करने के साथ ही उनका आवश्यक विश्लेषण एवं व्याख्या भी की गई है।

निष्कर्षीकरण –

यह सामाजिक अनुसंधान का अन्तिम चरण है, जो तथ्यों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण के पश्चात सम्भव होता है। सामान्य निष्कर्षों का प्रतिपादन करते समय ही यह ज्ञात हो जाता है कि अध्ययन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा बनाई गई प्राक्कल्पना सही है या गलत। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में अध्याय के अन्तर्गत कुछ ऐसे ही यथार्थ निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है, जो झांसी नगर की सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक जीवन में उत्पन्न तनाव को स्पष्ट करते हुए हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

तृतीय अध्याय

1- भारतीय समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोंण

2- विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति

भारतीय समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थितियों में प्राचीन काल से लेकर अब तक निरन्तर बदलाव आते रहे हैं। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति में बदलाव समाज की मनोदशा, शिक्षा एवं संस्कृति के अनुरूप तय होते हैं। पश्चिम के दार्शनिक एवं विद्वान भी इस मत से सहमत हैं। **डॉ० ए० ए० रूबैक**[1] का विचार है कि स्त्रियों मे जन्म से ही अस्थिरता का दोष होता है। जबकि **फ्रायड** ने यहां तक कह दिया कि "यह स्वीकार करना होगा कि स्त्रियों में न्याय की भावना बहुत कम होती है क्योंकि उनके मस्तिष्क में ही ईर्ष्या भरी हुई है।"[2] भारतीय समाज में ऐसी कोई भ्रान्ति नहीं पाई जाती। हमारी मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती रही है। स्त्री को पुरुष की अर्द्धांगिनी के रूप में स्थान दिया गया है जिसके बिना किसी भी कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वैदिक और उत्तरवैदिक काल के पश्चात हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएं रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगीं और समाज में स्त्री की लज्जा, ममता और स्नेह को उसकी दुर्बलता समझ कर पुरुष ने उस पर एकाधिकार करना आरम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण स्त्री परतन्त्र, निस्सहाय और निर्बल बन गई। पुरुष ने शक्ति के लोभ में स्त्री के पारिवारिक अधिकार तक छीन लिए। इन परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि हिन्दू समाज में स्त्री की स्थिति एक दासी से अच्छी नहीं रह गई। समय ने पुनः मोड़ लिया, और हमारे समाज में एक बड़े भाग

1- A. A. Roback, The Psychology of Character, (1952) pp.609-611.

2- Freude, New Introduction by Hectures on Psychoanalysis, p.134.

ने स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने के व्यापक प्रयत्न किए। इसके फलस्वरूप भारतीय समाज में स्त्रियों को पुनः सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो रहे है। अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों ने पुरुषों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया कि जन्मजात रूप से उनमे कोई भी क्षमता पुरुषों से कम नहीं है। स्त्रियों की स्थिति की वास्तविकता और भारतीय समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोंण जानना आवश्यक है। संक्षेप में विभिन्न युगों में नारी की स्थिति निम्न प्रकार रही:—

विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति (प्राचीन काल में)

वैदिक काल –

वैदिक काल इस आदर्श से युक्त रहा कि नारी पुरुष की 'प्रकृति' है जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि 'नववधू' "तू जिस घर में जा रही है वहां की तू साम्राज्ञी है। तेरे श्वसुर, सास, देवर और अन्य व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हों।"[1] इसी प्रकार ऋग्वेद में स्त्री और पुरुष को धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। यजुर्वेद से स्पष्ट होता है कि इस समय स्त्रियों को उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करना और संध्या करने के अधिकार प्राप्त थे।[2] इस युग में स्त्रियों को शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और विवाह के समय स्त्री की इच्छा को महत्व दिया जाता था। धर्म–कार्य में स्त्री का महत्व इतना था कि बिना पत्नी के न तो धार्मिक संस्कार पूरे किए जा सकते थे और न ही स्वर्ग की प्राप्ति की सम्भावना

1— अथर्ववेद 14/14.

2— यजुर्वेद, 8/1, सन्दर्भ, डा0 राधाकृष्णन, धर्म और समाज, पृष्ठ सं0—141.

की जा सकती थी। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में स्त्री को 'जाया' कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि स्त्री अपने पति को दूसरा जन्म देती है। (जायति पुनः)। इस युग की अनेक विदुषी महिलाओं के उल्लेख से ज्ञात होता है कि इस समय पर्दा प्रथा जैसी कोई विशेषता नहीं थी। स्त्रियों को स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने और सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना करने के अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि विधवा विवाह पर भी कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन सम्भवतः स्त्रियां स्वयं ही ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन नहीं देती थीं। विवाह केवल परिपक्व आयु में ही होते थे और कभी–कभी तो स्त्रियां अपनी इच्छा सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रहकर ही व्यतीत कर देतीं थीं। समाज में स्त्रियों का अपमान करना सबसे बड़ा पाप था और स्त्रियों की रक्षा करना सबसे बड़ी वीरता थी। यद्यपि इस समय भी पुत्री की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन ऐसा केवल धार्मिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के दृष्टिकोंण से ही था। रामायण के अन्तर्गत हिन्दू नारी के आदर्श का सर्वोत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। महर्षि बाल्मीकि ने यह स्पष्ट किया है कि स्त्रियों को यज्ञ करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौशल्या (श्रीराम की जननी) स्वयं 'स्वस्ति यज्ञ' करती थीं जिससे उन्हें सौभाग्य और ऐश्वर्यवान पुत्र मिल सकें। सीता भी 'संध्या' करने में प्रवीण थीं।[1] यह सभी प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि वैदिक काल में सभी क्षेत्रों में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के समान था।

उत्तर वैदिक काल –

उत्तर वैदिक काल का समय ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक माना जाता है। महाभारत की रचना इस युग के आरम्भिक वर्षों में ही किसी समय हुई थी। महाभारत के अनेक उद्धरणों से

1- Quoted by P.N. Prabhu, Hindu Social Organization, p.262.

पता चलता है कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में इस समय तक स्त्रियों का पूर्ण अधिकार बना हुआ था। इस महाकाव्य के अनुशासन एवं पर्व में भीष्म पितामाह ने स्त्रियों के प्रति उच्च आदर भाव को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि "स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उससे स्नेह का व्यवहार करना आवश्यक है। जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवताओं का निवास होता है, और इसकी अनुपस्थिति में सभी कार्य पुण्य रहित हो जाते हैं।"[1] ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत काल एक संक्रान्ति–काल था, जिसमें अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के समान स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उदाहरण के लिए जब इसी पर्व के एक स्थान पर युधिष्ठर ने भीष्म पितामाह से स्त्रियों की प्रकृति के बारे में बताने की प्रार्थना की तब भीष्म ने बताया कि "स्वभाव से स्त्री में लालच को दबाने की क्षमता नही होती इसलिए उसे सदैव किसी पुरुष का संरक्षण मिलना आवश्यक होता है। फिर भी स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं– साध्वी और असाध्वी। साध्वी स्त्रियां पृथ्वी की माता इसकी संरक्षिका हैं, जबकि असाध्वी स्त्रियां अपने पापपूर्ण व्यवहार से कही भी पहचानीं जा सकतीं हैं।"[2] इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महाभारत काल से ही स्त्रियों के व्यवहारों पर यद्यपि कुछ नियंत्रण लगाना आरम्भ हो गया था, लेकिन तो भी इस काल में स्वयम्वर प्रथा के द्वारा स्त्री का विवाह होने और वेदों का अध्ययन करने के आधार पर उनकी उच्च सामाजिक स्थिति को प्रमाणित किया जा सकता है।

उत्तर वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन धर्मों का विकास होना था। बौद्ध धर्म में भी स्त्रियों को अत्याधिक सम्मानित पद प्राप्त था। इस समय अनेक स्त्रियां 'भिक्षुणी' बन कर सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में ही व्यतीत कर देती थीं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसी समय से स्त्रियों

1– महाभारत, अनुशासन पर्व, 46/5.

2– महाभारत, अनुशासन पर्व, 43/19–21.

की स्थिति मे पतन आरम्भ हो गया था जैन और बौद्ध धर्मों का ह्रास होने के साथ मनु परम्परा आरम्भ हुई। मनुस्मृति में सबसे पहले स्त्रियों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया गया। उनके लिए वेदों का अध्ययन करने और यज्ञ करने पर प्रतिबन्ध लग गया। विधवा–विवाह का पूर्ण निषेध हो गया स्त्रियों का एक मात्र धर्म पारिवारिक कर्त्तव्यों की पूर्ति करना ही मान लिया गया। पवित्रता की धारणा के आधार पर लड़कियों का विवाह रजस्वला होने के पूर्व ही करने का आदेश दिया गया। उन्हे उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। इसके उपरान्त भी उत्तर वैदिक काल तक स्त्रियों की स्थिति किसी प्रकार भी सोचनीय नहीं हो पाई थी।

धर्मशास्त्र काल –

इस युग से हमारा तात्पर्य विशेष रूप से तीसरी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक के समय से है। तीसरी शताब्दी के बाद याज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पराशर संहिता की रचना हुई, जिनमें वेदों के नियम को पूर्णतया तिलांजलि देकर मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मान लिया गया। यह काल उदारता से बहुत दूर सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। स्त्रियां भी इस संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनीं। इस काल में "स्त्रियां गृहलक्ष्मी से याचिका के रूप में दिखाई देने लगीं। माता सेविका बन गई, जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की खान बन गई। स्त्री, जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।"[1] इस युग में यह विश्वास दिलाया गया कि पति ही स्त्री के लिए देवता है और विवाह ही उसके जीवन का एकमात्र संस्कार है। अनेक पौराणिक गाथाओं

1– चन्द्रावती लखनपाल, स्त्रियों की स्थिति, पृष्ठ संख्या–25

और उपाख्यानों को ईश्वर द्वारा रचित बता कर सतियों की कथाओं का प्रतिपादन किया गया। स्मृतियों मे यहां तक कह दिया गया कि "स्त्री कभी भी स्वतन्त्र रहने य़ोग्य नहीं है। अविवाहित होने पर पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र ही उसका संरक्षक है।" इस काल में स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकारो से पूर्णतया वंचित कर दिया गया और स्त्रियों को मानसिक रूप से अयोग्य तथा दुर्बल सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। कन्या का विवाह 10 वर्ष अथवा अधिक से अधिक 12 वर्ष की आयु तक कर देने का विधान बनाया गया। विवाह पूर्णतया पिता का दायित्व हो गया, जिसमें कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं था। इस युग में बहु–पत्नी–प्रथा का भी प्रचलन बढ़ा, जैसा कि जातक कथाओं से स्पष्ट होता है। वास्तविकता यह है स्त्रियों की स्थिति के पतन में इस काल को आधारभूत कहा जा सकता है। जिसके बाद स्त्रियां एक 'वस्तु' बन गईं जिन्हें पुरुष अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार उपयोग में ला सकता था।

मध्यकाल में नारी की स्थिति -

मध्यकाल का समय 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में जितना ह्रास हुआ, उसे हमारा सामाजिक इतिहास एक कलंक के रूप में सम्भवतः कभी नहीं भूलेगा। यह सच है कि 11वीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने के कारण भारतीय संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक थी। लेकिन स्त्रियों को समस्त अधिकारों से वंचित करके संस्कृति की रक्षा करने का औचित्य समझ में नहीं आता। स्त्री ही वास्तव में संस्कृति को स्थिर रखती है और स्त्रियों का सामाजिक जीवन जब चेतनाहीन हो जाता है, तब संस्कृति अपने आप समाप्त हो जाती है। मध्यकाल में रक्त की पवित्रता को इतना संकीर्ण रूप दे दिया गया कि लड़कियों का विवाह 5–6 वर्ष की आयु में ही कर देना अच्छा समझा

जाने लगा। स्त्रियों को शिक्षा से बिलकुल वंचित कर दिया गया। पर्दा–प्रथा इस सीमा तक पहुंच गई कि परिवार के अन्य सदस्य तों क्या, स्वयं पति भी किसी के सामने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता था। विधवा–विवाह की सोचना भी अक्षम्य अपराध बन गया। स्त्री की तनिक–सी गलती पर उसे शारीरिक दण्ड दिया जाने लगा। शास्त्रकारों ने भी पति को भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का अधिकार दे दिया। पहली पत्नी के जीवित होते हुए भी दूसरी स्त्री से विवाह कर लेना सामान्य–सी बात हो गई। पुरुषों के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। लड़कियों को पिता अथवा अपने संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। एक विधवा स्वयं अपने पुत्र की भी संरक्षिक नहीं बन सकती थी। यद्यपि इस काल में भी कुछ शास्त्रकारों ने स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देने का प्रयत्न किया लेकिन उनकी भी कटु आलोचना करके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करने दिया गया। जब पुरुषों का ही सामाजिक व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार था तो स्वयं वह अपने इस अधिकार और 'अहम' को कैसे कम कर लेते? इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियां अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतयः पुरुषों की दया पर निर्भर हो गईं। अज्ञान में डूबा भारतीय समाज इन्ही कुरीतियों और मिथ्यावाद को भारतीय संस्कृति का अंग समझने लगा और यही कुरीतियां धार्मिक विश्वासों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होने लगी। इस प्रकार यह वह काल था, जब रूढ़ियां धर्म बन चुकीं थीं और पाखण्डवाद जीवन का एकमात्र आधार था।

ब्रिटिश काल –

ब्रिटिश काल के अन्तर्गत हम प्रमुख रूप से 18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर स्वतन्त्रता से पूर्व तक के समय को सम्मिलित करते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों द्वारा समाज–सुधार के अनेक प्रयत्न किए गए लेकिन

सरकार की ओर से स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के कोई भी व्यवहारिक प्रयत्न नहीं किए गए। अपने हितों को पूरा करने के लिए स्त्रियों का शोषित बने रहना ही अंग्रेजों के लिए लाभप्रद था। इसका परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक स्त्रियों की निर्योग्यताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। निम्नांकित क्षेत्रों में स्त्रियों की निर्योग्यताओं के आधार पर इस काल में उनकी सोचनीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

(क) सामाजिक क्षेत्र में -

स्त्रियों को शिक्षा को प्राप्त करने, स्वतन्त्र रूप से अपने अधिकारों की मांग करने और सामाजिक कुरीतियों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में अज्ञानता इस सीमा तक बढ़ गई कि स्वतंत्रता के पहले तक स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 6 से भी कम था। यह शिक्षा भी केवल काम–चलाऊ थी। किसी भी स्त्री के द्वारा बाल–विवाह अथवा पर्दा–प्रथा का विरोध करना उसके चरित्र के लिए एक कलंक समझा जाता था। स्त्री के सम्बन्ध भी उसके पिता और पति के परिवार तक ही सीमित थे तथा परम्परागत धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करना ही उनके मनोरंजन का एकमात्र साधन था।

(ख) पारिवारिक क्षेत्र में -

पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के समस्त अधिकार समाप्त हो गए। सैद्धांतिक रूप से स्त्री परिवार के समस्त कार्यों की अधिकारी रही, लेकिन व्यवहार में यह सभी अधिकार परिवार के एक पुरुष 'कर्त्ता' को प्राप्त हो गए। स्त्री का विवाह बहुत छोटी आयु में हो जाने के कारण उसका जीवन आरम्भ से ही परम्परागत निषेधों और रूढ़ियों से युक्त हो गया। वैदिक काल की 'साम्राज्ञी' अब सास की सेविका बन गई। परिवार में स्त्री एक कार्य केवल बच्चों को जन्म देना और पति के सभी सम्बन्धियों की सेवा करना रह गया। परिवार में दहेज की

मात्रा, सदस्यों की सेवा और धार्मिक कार्यों को लेकर स्त्री का शोषण एक बहुत सामान्य–सी बात हो गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह था कि स्त्रियां स्वयं भी इस अत्याचार को अपने जन्म के कर्म का फल मानकर इसमें सन्तुष्ट रहतीं थीं। इससे उनकी स्थिति में निरन्तर ह्रास होता गया।

(ग) आर्थिक क्षेत्र में -

आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की निर्योग्यताएं सबसे अधिक थीं। उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से ही वंचित नहीं रखा गया। बल्कि स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में भी हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। स्त्री स्वयं 'सम्पत्ति' बन चुकी थी, फिर उसे सम्पत्ति के अधिकार किस तरह प्रदान किए जा सकते थे। स्त्रियों के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना एक सामाजिक अपराध के रूप में देखा जाने लगा। हमारे समाज का इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कि एक स्त्री भूख और प्यास से चाहे कितनी ही संतप्त हो, लेकिन कोई आर्थिक क्रिया करना उसकी कुलीनता और स्त्रीत्व के विरुद्ध मान लिया गया। इन आर्थिक निर्योग्यताओ का ही परिणाम था कि स्त्री को बड़े से बड़े अमानवीय व्यवहार के बाद भी पुरुषों की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आत्म–हत्या इस निर्भरता का एकमात्र समाधान रह गया।

(घ) राजनैतिक क्षेत्र में -

राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा हिस्सा लेने का कोई प्रश्न की नहीं उठता था। जब घर के अन्दर स्त्रियों पर मनमाना शोषण करने वाला पुरुष घर से बाहर अंग्रेजों का गुलाम था तो स्त्रियों द्वारा राजनीति में भाग लेने की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी? यद्यपि 1919 के बाद स्त्रियों को मताधिकार देने के प्रयत्न किए गए। लेकिन इसमें कोई व्यवहारिक सफलता नहीं

मिल सकी। 1937 के चुनाव में पति की शिक्षा और सम्पत्ति के आधार पर ही बहुत थोड़ी–सी स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया वास्तव में स्त्रियों की सम्पूर्ण राजनैतिक चेतना अपने घर की चहारदीवारी के अन्दर ही बन्द थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 के पश्चात कुछ स्त्रियों ने राजनीति में भाग अवश्य लिया, लेकिन कुलीन परिवार इसका सदैव विरोध करते रहे।

स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण –

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि वैदिक हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति अत्याधिक उच्च होते हुए भी ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले से ही उनके अधिकार कम होना आरम्भ हो गए। और बाद में अनेक परिस्थितियों के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति 'दासत्व' के स्तर तक पहुंच गई। स्त्रियों की स्थिति के इस कल्पनातीत ह्रास को निम्नांकित प्रमुख कारको के आधार पर समझा जा सकता है।

1. अशिक्षा –

स्त्रियों की निम्न स्थिति का आरम्भ उस समय से होता है जब उन्हें शिक्षा ग्रहण करने और शास्त्रों का अध्ययन करने से वंचित किया जाने लगा। कुछ विद्वान ब्राह्मणवाद और कर्मकाण्डों की जटिलता को स्त्री की स्थिति के पतन का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि स्त्रियां अशिक्षित होती, तब ब्राह्मणवाद की संकुचित विचारधारा स्त्रियों को कभी उनके वास्तविक पद से नीचे नहीं गिरा सकतीं थीं। शिक्षा के अभाव में स्त्रियों का जीवन अपने परिवार में ही सीमित हो गया। उनकी एकमात्र शिक्षा पिता और पति द्वारा मिलने वाले उपदेश हो गए। इन रूढ़िगत उपदेशों के द्वारा स्त्रियों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूल जाने के लिए बाध्य किया गया और पति तथा पुत्र की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म निर्धारित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप सामाजिक

व्यवस्था एकपक्षीय हो गई, जिसमें पुरूषों के अधिकार निरन्तर बढ़ते गए और स्त्रियों की स्थिति निम्नतम होती गई। अशिक्षा के कारण स्त्रियां अपनी इस स्थिति को ही समाज का धर्म समझने लगीं और यही रूढ़िगत आदर्श माता द्वारा अपनी पुत्री को निरन्तर हस्तान्तरित होने लगे। अशिक्षा के कारण धर्म के वास्तविक रूप को कभी भी नहीं समझा जा सका।

2. कन्यादान का आदर्श -

हिन्दू संस्कृति में 'कन्यादान' के आदर्श का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है लेकिन उस समय सामाजिक व्यवस्थाओं का रूप अत्याधिक परिष्कृत होने के कारण इस आदर्श का दुरूपयोग नहीं किया गया। कन्यादान का आदर्श वास्तव में कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए था, क्योंकि दान किसी सुपात्र को ही दिया जा सकता था। इसी भावना के आधार पर वर के चुनाव में स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। स्मृति काल के बाद से कन्यादान के आदर्श को लेकर स्त्रियों पर सभी प्रकार की वैवाहिक निर्योग्यताएं लाद दी गईं यह विश्वास किया जाने लगा कि जो वस्तु एक बार दान कर दी जाती है, उसे न तो वापस लिया जा सकता है और न ही पुनः दान में दिया जा सकता है। दान प्रदान करने वाला व्यक्ति इसका किसी प्रकार अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक पुरूष सुपात्र बन गया और प्रत्येक स्त्री दान में दी जाने वाली एक निर्जीव वस्तु हो गई। इस प्रकार कन्यादान सम्बन्धी विश्वास स्त्रियों के अधिकारों को समाप्त करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध हुआ है।

3. पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता -

उत्तर वैदिक काल के पश्चात स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाने के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया पुरुषों

पर निर्भर हो गई। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों द्वारा शोषण होने पर भी वे परिवार की सदस्यता को नहीं छोड़ सकतीं थीं। अशिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से कोई आर्थिक क्रिया करना भी उनके लिए सम्भव नहीं रह गया। इसका स्वभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों पर पुरुषों का एकाधिकार निरन्तर बढ़ता गया। इस आर्थिक कारक का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कभी इतना ह्रास नहीं हुआ, क्योंकि वे आर्थिक रूप से पुरुषों की दया पर निर्भर नहीं रहीं हैं। आर्थिक निर्भरता ही व्यक्ति को सबकुछ सह लेने के लिए वाध्य कर देती हैं। निर्भरता की स्थिति में अधिकारों की मांग करने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

4. संयुक्त परिवार व्यवस्था -

संयुक्त परिवार का ढांचा इस प्रकार है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और सम्पत्ति अधिकार देकर इसे किसी प्रकार भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। हमारे समाज में संयुक्त परिवारों का रूप पितृसत्तात्मक रहा है। जिसमें परिवार के एक 'कर्त्ता पुरुष' का परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार होता है। और कर्त्ता ही सभी नीतियों का निर्धारण करता है। ऐसे परिवार सामान्य सम्पत्ति और कर्त्ता के राजतन्त्रात्मक शासन को सबसे अधिक महत्व देते रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी सम्भव हो सकती थी जब स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित करके उनकी स्वतंत्रता पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया जाता। संयुक्त परिवारों ने अनेक गाथाओं और तथाकथित धार्मिक आदर्शों के आधार पर स्त्रियों को यह विश्वास दिलाया कि पति के क्रोधी, कामी, पापी और अत्याचारी होने पर भी उसकी देवता के रूप में पूजा करना स्त्री का परम धर्म है। संयुक्त परिवार के प्रमुख शासको को यह भय था कि स्त्रियों में चेतना का विकास होने से परिवार में उनका शासन समाप्त हो जाएगा। इस आशंका कों समाप्त

करने के लिए भी स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित करके उनका मनमाना शोषण किया गया इस प्रकार अनेक अर्थों में संयुक्त परिवार एक गुणकारी संस्था होते हुए भी स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में अत्याधिक सक्रिय रहे।

5. बाल-विवाह -

बाल–विवाह भी स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण रहा है। छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के कारण स्त्रियां न तो शिक्षा प्राप्त कर सकतीं थीं और न हीं समाज की मौलिक संस्कृति को समझकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकतीं थीं अल्पायु से ही उन्हें पति की उचित और अनुचित आज्ञाओं का पालन करने की सीख मिलने के कारण यही उनका पर्यावरण बन गया। जब तक उनकी बुद्धि परिपक्व हो, तब तक अनेक बच्चों की माँ बन जाने के कारण वे अपने को पूरी तरह असमर्थ और संयुक्त परिवार का आश्रित पातीं थीं। आज भी बहुत से व्यक्ति बाल–विवाह का समर्थन इसलिए करते हैं, जिससे स्त्रियों को सभी प्रकार के नियंत्रण में रहने योग्य बनाया जा सके। उनके लिए स्त्रियों की चेतना और अधिकारों का आज भी कोई अर्थ नहीं है।

6. वैवाहिक प्रथाएं -

अनेक वैवाहिक प्रथाओं, जैसे अन्तर्विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विवाह पर नियंत्रण और दहेज प्रथा आदि ने भी स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने में काफी योगदान दिया है। इन प्रथाओं के कारण स्त्रियों को एक भार के रूप में समझा जाने लगा और फलस्वरूप स्त्रियों से सम्बन्धित दायित्व को पूरा करना एक कठिन कार्य समझा जाने लगा। माता–पिता के सामने एक ही समस्या थी कि किसी प्रकार उनका विवाह हो जाए, योग्य वर का चुनाव करने का कुछ भी महत्व नहीं रह गया। इस परिस्थिति में वर–पक्ष के व्यक्ति स्त्री को

एक 'लाभप्रद वस्तु' के रूप में देखने लगे जिसके आने का एकमात्र लाभ अनेक उपहारों को प्राप्त करना था। अधिक से अधिक उपहार प्राप्त करने के लिए त्यौहारों और संस्कारों के शगुन को कन्या के पिता के दायित्व से जोड़ दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक माता–पिता के लिए कन्या का जीवन भार हो जाने के कारण उनकी सामाजिक स्थिति निरन्तर गिरती गई।

7. मुसलमानों के आक्रमण -

भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में तेजी से ह्रास हुआ। इससे पहले यद्धपि सैद्धान्तिक रूप से स्त्रियों को समस्त अधिकारो से वंचित किया जा चुका था। लेकिन तो भी स्त्रियों की स्थिति का रूप इतना विषम नहीं था। मुसलमानों में स्त्रियों की कमी होनें के कारण वे हिन्दू स्त्रियों और यहां तक कि विधवाओं से भी विवाह करने का पूरा प्रयत्न करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवस्था को इतना कठोर रूप दे दिया कि स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में स्वतन्त्र नहीं छोड़ा गया। इस परिस्थिति में बाल–विवाह और पर्दा–प्रथा के नियम का कठोरता से पालन किया जाने लगा। विधवाओं को एक कैदी के समान रखा जाने लगा और पवित्रता कों यहां तक बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया कि सती–प्रथा विधवाओं के लिए सर्वोच्च आदर्श बन गई। स्त्रियों के घर से बाहर निकलने पर नियंत्रण लगा दिया गया, फिर उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। समाज के तत्कालीन कर्णधारों ने यह नहीं सोचा कि रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के प्रयत्न में वे एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो कभी भी दासता के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण यद्धपि विभिन्न युगों में भिन्न–भिन्न रहे हैं, लेकिन इसका मूल–भूत कारण सामाजिक

व्यवस्था पर पुरुषों द्वारा, एकाधिकार कर लेने की इच्छा और कर्मकाण्डों की जटिलता ही था। अनेक कर्मकाण्डों, रूढ़ियों और कुरीतियों में स्त्रियों का जीवन इस तरह उलझ गया कि अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन्हें उनका वास्तविक पद प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

सुधार आन्दोलन -

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारत में स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने और सामाजिक रूढ़ियों के प्रभाव को कम करने के लिए सुधार प्रयत्नों का आरम्भ हुआ वास्तविकता यह है कि "स्वार्थ, अन्याय और अत्याचार जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब उनके विरूद्ध प्रतिक्रिया भी आरम्भ हो जाती है। हिन्दू समाज में भी स्त्रियों के प्रति अमानुषिक प्रवृत्तियों के विरूद्ध होने वाला आन्दोलन ऐसी ही प्रतिक्रिया को स्पष्ट करता हैं।" यद्यपि 1813 में सर्वप्रथम ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश पार्लियामेण्ट की ओर से यह आदेश दिया गया था कि वह सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार करे लेकिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री–शिक्षा को भारतीय मनोवृत्तियों के विरूद्ध कहकर इसे कोई महत्व नहीं दिया। इसके पश्चात अनेक प्रगतिशील भारतीयों ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के कार्य का दायित्व स्वयं सम्भाला, लेकिन ये सभी प्रयत्न व्यक्तिगत स्तर पर ही थे, इन्हें सरकार की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिल सका। सर्वप्रथम राजा राममोहन राय (1772–1833) ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती–प्रथा के विरूद्ध आन्दोलन किया, जिसके फलस्वरूप 1829 में इस प्रथा को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देने, बाल–विवाहों को समाप्त करने और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार करने के क्षेत्र में भी राजा राममोहन राय ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सच तो यह है कि आपके ही प्रयत्नों में समाज सुधार आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त हो सका। महार्षि दयानन्द ने सबसे पहले 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना

करके हिन्दू–समाज को वैदिक आदर्शों की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। आप स्मृतियों और रूढ़िवादी हिन्दू धर्म के कटु आलोचक थे। उत्तर–भारत में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने तथा पर्दा–प्रथा और बाल–विवाह का विरोध करने में इस संस्था का योगदान सबसे अधिक सक्रिय रहा है। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महार्षि दयानन्द के ही समकलीन समाज सुधारक थे। आपने यद्यपि किसी संस्था की स्थापना नहीं की लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आपके प्रयत्नों से स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। आपने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा–विवाह और बहुपत्नी विवाह सम्बन्धी नियमों का व्यापक विरोध करके स्त्री–शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया। श्री ईश्वरचन्द्र की व्यावहारिकता का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है कि आपने अपने लड़के तक का विवाह एक विधवा से कर दिया। इन्हीं प्रयत्नों से 1856 में 'विधवा विवाह कानून' पास हो सका। श्री ईश्वरचन्द्र के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि उस समय एक ब्राह्मण की अस्सी पत्नियां थीं। इस विषम समस्या को समाप्त करने के लिए भी आपने एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्त्री शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि 1855 और 1858 के बीच ही आपने 40 कन्या विद्यालय खोलकर स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। पूना में **प्रो0 कर्वे** ने अनेक विधवा–आश्रम खोलकर उनमें शिक्षा का प्रसार करना आरम्भ किया। इसी शताब्दी में अनेक प्रगतिशील महिलाओं जैसे, दुर्गाबाई देशमुख, रमाबाई और लखमाबाई ने भी पुरानी रूढ़ियों की चिन्ता न करते हुए स्त्रियों को अपने अधिकार मांगने और समाज में एक सम्मानपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बीसवीं शताब्दी के सुधार आन्दोलन को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है–

1– महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत सुधार प्रयत्न,

2– स्त्री संगठनों द्वारा सुधार–कार्य, तथा

3– संवैधानिक व्यवस्थाएं।

महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम संगठित आधार पर 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों का समर्थन करते हुए स्त्रियों के अधिकारों के औचित्य को स्पष्ट किया। उन्होने स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी सुधार कार्य को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बना लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को भेजकर उन्होंने सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। इन प्रस्तावों में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रसार, दहेज और कुलीन विवाह प्रथा पर नियंत्रण, अन्तर्जातीय विवाह के प्रसार तथा बाल–विवाह की कानून द्वारा समाप्ति पर विशेष जोर दिया जाता था। राष्ट्रपिता गांधी ने स्त्रियों की निद्रा को तोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप पहली बार लाखों स्त्रियां घर की चाहरदीवारी से निकलकर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूंद पड़ी उन्होने पहली बार अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना। इससे स्त्रियों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ, और यही चेतना बाद में उनकी प्रगति का आधार बन गई।

अनेक स्त्री–संगठनों ने भी स्त्रियों में जागरूकता उत्पन्न करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यद्यपि 1875 से ही 'भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हो जाने के बाद महिलाओं को संगठित करने का कार्य आरम्भ हो चुका था लेकिन सर्वप्रथम **श्री रानाडे** और **डा0 एनी बेसेण्ट** के प्रयत्नों से समस्त महिला संगठनों को एक जुट होकर सुधार कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके फलस्वरूप 1929 में विभिन्न संगठनों (महिला संगठनों) ने एक होकर 'अखिल भारतीय–महिला सम्मेलन' का संगठन किया। पूना में इसके

प्रथम अधिवेशन के समय स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने पर बल दिया गया और एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार से मांग की गई थी कि सम्पत्ति, विवाह और नागरिकता से सम्बन्धित स्त्रियों की परम्परागत निर्योग्यताएं कानून के द्वारा समाप्त की जाएं। स्त्रियों को शिक्षा देने के दृष्टिकोंण से दिल्ली के 'लेडी इरविन कालेज' की स्थापना भी इस संस्था के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक महिला संघों ने भी स्त्रियों में जागरूकता तथा उन्हें रूढ़िगत जीवन से बाहर निकालकर संगठित रूप से कार्य करने का प्रोत्साहन दिया ऐसे संगठनों में 'विश्वविद्यालय महिला संघ', 'भारतीय ईसाई महिला मण्डल', अखिल भारतीय स्त्री–शिक्षा संस्था' तथा 'कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट' आदि के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है।

स्त्रियों के सुधार आन्दोलन का एक सुखद परिणाम हमारे संविधान की समानता पर आधारित व्यवस्थाओं और अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक अधिनियमों के रूप में देखने को मिलता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ही 1948 में सरकार के सामने 'हिन्दू कोड बिल' प्रस्तुत किया गया, लेकिन अनेक रूढ़िवादी तत्वों ने इस नवीन संविधान का निर्माण होने की अवधि तक टालने में सफलता प्राप्त कर ली। 1950 में नवीन संविधान के अन्तर्गत पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों को मान्यता दे दी गई, लेकिन 'हिन्दू कोड बिल' स्वीकृति को पुनः यह कहकर टाल दिया गया कि 1952 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही इस प्रकार का कोई निर्णय लेना उचित है। 1952 में जब इसे पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तब अनेक राजनैतिक दलों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन स्त्रियों को ही इसके विरोध में लाकर खड़ा कर दिया जिनके अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए ही इसे प्रयुक्त किया जा रहा था। इसके उपरान्त ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए इस बिल को अनेक खण्डों में विभाजित करके पास किया गया। इसके फलस्वरूप स्त्रियों की सभी

निर्योग्यताएं समाप्त हो गईं और उन्हें विवाह, सम्पत्ति, संरक्षता और विवाह–विच्छेद के क्षेत्र में पुरूषों के ही समान अधिकार प्राप्त होने से सामाजिक रूढियों से छुटकारा पाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अधिनियमों में 'हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955', 'हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956', 'हिन्दू नाबालिक और संरक्षिता अधिनियम, 1956', 'हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956', 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' और 'दहेज निरोधक अधिनियम, 1961' प्रमुख हैं। इन सभी अधिनियमों ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में योग दिया, जिसमें स्त्रियों की खोई हुई क्षमता को पुनः विकसित किया जा सके।

स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति –

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। यद्यपि 19वीं शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात अनेक ऐसे परिवर्तन सामने आए जिनके कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में **डा0 श्री निवास** ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रमुख स्थान दिया है।[1] इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों में प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें

1- M. N. Srinivas, Social Change in Modern India.

बाल–विवाह, दहेज–प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसे निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) शिक्षा में प्रगति -

शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं कि 20 वर्ष पूर्व तक इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। स्वतंत्रता से पूर्व तक लड़कियों के लिए न तो शिक्षा–सम्बन्धी समुचित सुविधाएं प्राप्त थीं और न ही माता–पिता शिक्षा को आवश्यक समझते थे। इसके फलस्वरूप स्त्रियां रूढ़ियों में ही जीवन व्यतीत कर रहीं थीं। 1883 में जहां पहली बार एक स्त्री ने बी0 ए0 पास किया वहीं अब भारत में अधिकांश लड़कियां विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहीं हैं। लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह–विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यापक सुविधाएं प्राप्त हैं। मेडिकल कालेजो में लड़कियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों को बाल–विवाह और पर्दा–प्रथा से तो छुटकारा मिला ही है, साथ ही उन्होंने समाज–कल्याण और महिला–कल्याण में भी व्यापक रुचि दिखलाई है। उच्च्य स्तर की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका मानसिक स्तर पुरुषों से किसी प्रकार भी नीचा नहीं है। शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुए **श्री पणिक्कर** ने यह निष्कर्ष दिया है– "स्त्री–शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है।"[1] वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाने और नए विचारों को जन्म देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्त्रियों में

1– के0 एम0 पणिक्कर, हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर, पृष्ठ सं0 37

शिक्षा का विकास होने से वे रूढ़िगत और अपरिवर्तनीय आदर्शों को किस प्रकार स्वीकार कर सकती थीं?

(2) आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई स्वतंत्रता -

स्वतन्त्रता के पश्चात, औद्योगीकरण और नवीन विचारधारा के कारण स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती ही जा रही है। स्वतंत्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की स्त्रियां अनेक उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वार कोई जीविका उपर्जित करतीं थीं, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक कार्य करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात निम्न वर्ग की स्त्रियों को वेतन और काम के घण्टों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने से विभिन्न उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ी मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया आज शिक्षा, चिकित्सा, समाज–कल्याण, मनोरंजन उद्योगों और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केन्द्रों में भी स्त्री कर्मचारियों की मांग निरन्तर बढ़ती रही और बढ़ रही है। लेकिन भारतीय स्त्री की मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन न हों सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियां आज अन्य स्त्रियों के लिए एक आकर्षण हैं और आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देखकर अन्य स्त्रियों को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्म–विश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूंघट में समेटे हुए और पुरुष का शोषण सहन करती हुई अपना जीवन घुटन में व्यतीत कर रही थी।

(3) पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि -

परिवार में स्त्रियों की स्थिति में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र है, परिवार में उसकी स्थिति याचना की न होकर बल्कि प्रबन्धक की है और अब वह अपने समस्त अधिकारों से वंचित एक निरीह अबला न रहकर अपनी स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरूक है। आज की एक शिक्षित स्त्री संयुक्त परिवार में अपने समस्त अधिकारों को बलिदान करके शोषण में रहने के लिए तैयार नहीं है बल्कि वह मूल परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय का उपयोग, संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पुरुषों के अनेक दोषों को दूर करने में स्त्रियां सक्रिय योगदान कर रहीं हैं। अनेक स्त्रियां तो अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अन्तर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह को ही प्राथमिकता देती हैं। बिलम्ब विवाह स्त्रियों में निरन्तर लोकप्रिय होता जा रहा है। आज की स्त्री बच्चों को जन्म देने वाली मात्र एक मशीन नहीं रह गई है, बल्कि वह परिवार नियोजन के प्रति पुरुष से भी अधिक जागरूक है। कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिन्तित हो उठे कि उन्हें पारिवारिक जीवन के ही विघटित हो जाने का भय हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी यह चिन्ता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण ही उत्पन्न हुई है। आज की नई पीढ़ी को स्वयं स्त्रियों को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है और किसी कारण यदि उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा भी गया, तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेंगी।

(4) राजनैतिक चेतना में वृद्धि -

राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही है वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिए 41 सीटें सुरक्षित होने पर भी केवल 10 स्त्रियां ही चुनाव के लिए सामने आई थीं जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता इतनी बढ़ गई कि केवल विधान सभाओं के लिए ही 342 स्त्रियां चुनाव के लिए खड़ी हुईं जिनमें से 195 निर्वाचित हो गईं। 1967 के चुनावों में लोकसभा के लिए 31 स्त्रियों ने चुनाव जीता। राज्यसभा में भी स्त्री सदस्यों की संख्या 24 थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमन्त्री बनना एक आश्चर्य की बात थी और 1967 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुईं, तब पश्चिम के तथा कथित सभ्य समाजों में स्त्रियां जैसे हतप्रभ हो गई। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनैतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। राज्यसभा मे उपसभापति के पद पर श्रीमती वायलेट अल्वा व श्रीमती नजमा हेपतुल्ला का होना भी स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता का परिचायक है। चुनावों से यह प्रमाणित हो गया कि स्त्रियों में भी स्वतन्त्र रूप से अपने मत का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। **श्री पणिक्कर** का कथन है कि जब स्वतन्त्रता ने पहली अंगड़ाई ली तब भारत के राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देखकर बाहरी दुनियां चौंक पड़ी क्योंकि वह तो हिन्दू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थीं स्त्रियों ने अपनी राजनैतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करके मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए हैं।

(5) सामाजिक जागरूकता -

आज स्त्रियों में काफी सामाजिक जागरूकता आ चुकी है, अब वे पर्दे में सिमटी हुई अपने आप को घर की चहारदीवारी में बन्द नहीं रखती आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जातीय नियमों के प्रति उदासीनता पाई जाती है, वे ऐसे प्रतिबन्धों की अधिक चिन्ता नहीं करतीं। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं, प्रेम विवाहों और विलम्ब–विवाहों की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारतीय महिलाए सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, महिला–मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता ग्रहण करतीं हैं। आज अनेक स्त्रियां रूढ़ियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतन्त्रता के वातावरण में सांस ले रही हैं। **श्री के0 एम0 पणिक्कर** ने स्त्रियों की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है– ''भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह परिवर्तन जो ग्रामों, ग्रामीण क्षेत्रों, वर्गों और जातियों में, जिन्हें आज तक रूढ़िवादी या पिछड़ा हुआ माना जाता था, में हुआ है। वहां प्रथा और रूढ़िवादिता द्वारा लादे गए सामाजिक बन्धनों से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा चुका है।[1] **डा0 एम0 एन0 श्रीनिवास** ने स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति के लिए पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण एवं जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को उत्तरदायी माना है।[2]

स्पष्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। जब हम 19वीं शताब्दी की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उस समय धर्म के नाम पर अनेक विधवाओं को जिन्दा चिता में जलाकर भस्म होना पड़ता था, बहुत–सी बालिकाओं को

1- K. M. Pannikar, Hindu Social at Cross Roads, (1955) p.36

2- M. N. Srinivas, Social Change in Modern India.

जन्म लेते ही गला घोंट कर मार दिया जाता था, पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किन्तु बाल विधवा तक को पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया था, वहां आज कम से कम लोगों के दृष्टिकोंणों में तो अवश्य अन्तर आया है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्त्रियां नौकरी करने, राजनीति में भाग लेने ओर सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगीं हैं। अनेक स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होना अभी शेष है। जैसे–जैसे नगरीयकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे–वैसे ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में भी आवश्यक परिवर्तन आएगा।

डा0 पणिक्कर ने सच ही कहा है कि "स्त्रियों द्वारा हिन्दू जीवन के सिद्धान्तो का पुर्नपरीक्षण आज हिन्दू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बदली हुई सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उनके मस्तिष्क की जागरूकता, पूर्णतः असन्तोषजनक आदर्श के प्रति उनमे बढ़ते हुए क्षोभ, परम्पराओं के नाम पर उन्हें स्वतन्त्र जीवन के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, शिक्षा से उत्पन्न होने वाली महत्वाकांक्षा और राष्ट्र के जीवन में सम्मिलित होने और उसके भविष्य का निर्माण करने हेतु चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष के–दो पीढ़ियों के साहसिक अनुभवों आदि ने उन्हें जीवन के आदर्शों का पुर्नपरीक्षण करने की प्रेरणा दी है।"[1] आज जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं, स्त्रियों में जिस तेजी से चेतना बढ़ रही है, जिस उत्साह के साथ सामाजिक समानता की उनके द्वारा मांग की जा रही है, उन सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में हिन्दू समाज का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। देश में कुछ वर्षों में जो सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, शिक्षा के बढ़नें के साथ–साथ उनका हिन्दू समाज पर क्रान्तिकारी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज कानून के द्वारा स्त्रियों

1- K. M. Pannikar, Hindu Social at Cross Roads, (1955) p.35

की निर्योग्यताओं को दूर किया गया है, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा स्त्रियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, न्यायालयों द्वारा अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। परन्तु यह तभी सम्भव होता है जब अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी और उनके लिए संघर्ष करने की स्वयं में दृढता हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतंत्र भारत में पारित किए गए सामाजिक अधिनियम स्त्रियों की स्थिति को परिवर्तित करने की दृष्टि से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है, परन्तु इनका पूर्ण लाभ स्त्रियों को उसी समय मिल सकेगा जब ग्राम–ग्राम और घर–घर में शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। **डा0 ए0 एस0 अल्टेकर** ने लिखा है कि "हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है, तार्किकता और समानता का युग आ चुका है। इसलिए हमें प्रस्तावित परिवर्तनों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए।"[1] स्पष्ट है कि समय के साथ–साथ विचारों, दृष्टिकोंणों, व्यवहारों और क्रियाओं में परिवर्तन लाना समाज हित में आवश्यक होता है और हिन्दू समाज आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है। **प्रो0 कुप्पुस्वामी** ने कहा है, "कानूनी निर्योग्यताओं के दूर होने और शिक्षा के क्षेत्र मे उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठानें से, एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र में स्त्रियां अब अपना उचित स्थान ले रहीं हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं ले रहीं हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पुराने सामाजिक मूल्य अभी भी प्रभावशाली बने हुए हैं, जो उन्हें विविध क्षेत्रों में भाग लेने से रोक रहे हैं।"[2]

अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार, समग्र रूप में जीवन को उन्नत करने में अपूर्व योगदान दे पाएगा।

1- A. S. Altekar, The position of Women in Hindu Civilization, (1963) p.368

2- Prof. B. Kuppuswamy, Social Change in India. (1972) p.203.

चतुर्थ अध्याय

1- सेवायोजित महिलाओं की विभिन्न व्यवसायों में स्थिति

2- सेवायोजित महिलाओं की कार्य सुविधाएं

3- सेवायोजित महिलाओं के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध

सेवायोजित महिलाओं की विभिन्न व्यवसायों में स्थिति

महिलाओं के सेवायोजित होने से उनकी दोहरी भूमिका के कारण परिवार के सदस्यों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अपने पति और बच्चों पर अधिक समय नहीं दे पाती हैं। यहां पर नई जीवन शैली का प्रश्न उत्पन्न होता है। क्योंकि सेवायोजित महिलाओं को व्यवसायिक उत्तरदायित्व के साथ–साथ पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन में सन्तुलन रखना पड़ता है। किन्तु यह सन्तुलन तभी सम्भव है जब महिलाओं को व्यवसायिक समय से पारिवारिक कार्य के लिए भी समय दे सकें। क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की कार्यदशाएं एवं परिस्थितियां अलग–अलग होती हैं।

झांसी नगर में अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित महिलाओं को प्रमुख व्यवसायों में संलग्न पाया–

(1) अध्यापिका

(2) क्लर्क

(3) नर्स

(4) अधिकारी

(5) वकील

(6) विश्वविद्यालय कर्मचारी

(7) महिला पुलिस व महिला होमगार्ड

(8) समाज कल्याण विभाग में सेवायोजित महिलाएं

(9) अन्य।

अन्य व्यवसाय में सेवायोजित महिलाएं ऐसी है जो कि रेलवे, भारतीय

जीवन बीमा निगम, पोस्ट आफिस, अस्पताल तथा निजी उद्योगों में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है लेकिन देश में निजीकरण की अवधारणा के चलते धीरे–धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है जो कि इनकी प्रगति का सूचक है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली द्वारा शोध के लिए सेवायोजित महिलाओं में से 300 इकाइयों का चयन किया। इस चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अध्ययन इकाईयां, व्यवसाय वर्ग के आधार पर समानुपातिक रहे। उक्त प्रणाली के आधार पर अध्ययन इकाइयों का व्यावसायिक वर्ग के आधार पर विश्लेषण इस प्रकार है। सेवायोजित महिलाओं से उनकी कार्य सम्बन्धी जानकारी के लिए अनुसंधानकर्ता ने यह प्रश्न किया कि आप किस पद पर नौकरी कर रहीं हैं? तो 300 सेवायोजित महिलाओं ने जो विवरण दिया है, वह तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका

अध्ययन इकाइयों के व्यावसायिक वर्ग को स्पष्ट करने वाली तालिका

क्र.सं.	*व्यवसायिक पृष्ठभूमि*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	अध्यापिका	150	50.0
2–	क्लर्क	25	8.3
3–	नर्स	30	10.0
4–	अधिकारी	25	8.3
5–	वकील	10	3.3
6–	विश्वविद्यालय कर्मचारी	2	0.8
7–	महिला पुलिस व महिला होमगार्ड	20	6.7
8–	समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाएं	28	9.3
9–	अन्य	10	3.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि सेवायोजित महिलाओं में 50 प्रतिशत महिलाएं अध्यापिकाएं हैं जो प्राईमरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययन कार्य कर रहीं हैं। 8.3 प्रतिशत क्लर्क के व्यवसाय में सेवायोजित हैं, जबकि 10 प्रतिशत महिलाएं नर्स का व्यवसाय अपनाए हुए हैं। 8.3 प्रतिशत महिलाएं अधिकारी के पद पर सेवायोजित हैं। 3.3 प्रतिशत महिलाएं वकालत का व्यवसाय कर रहीं थी। जबकि 0.8 प्रतिशत महिलाएं विश्वविद्यालय कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहीं हैं। 6.7 प्रतिशत महिलाएं पुलिस व महिला होमगार्ड की नौकरी में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहीं हैं। 9.3 प्रतिशत महिलाएं समाज कल्याण विभाग में कार्य कर रहीं थीं तथा अन्य 3.3 प्रतिशत महिलाएं प्रशासन में रेलवे विभाग में अधिकारी के रूप में कार्य कर रहीं हैं। तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएं अध्यापन कार्य में लगी हुईं है।

जब इन महिलाओं से यह प्रश्न किया गया कि आप इस नौकरी या व्यवसाय में कब से है, तो उन्होने कहा कि–

तालिका

क्र.सं.	*नौकरी प्रारम्भ करने का समय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	विवाह के पूर्व	123	41.0
2–	विवाह के पश्चात	177	59.0
	योग	300	100

तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 41 प्रतिशत महिलाएं विवाह से पूर्व नौकरी करतीं थी, जबकि 59 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह के पश्चात नौकरी करना प्रारम्भ किया।

यह पूंछे जाने पर कि आप इस नौकरी/व्यवसाय में कितने वर्षों से हैं, तो उन्होंने बताया कि–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं का नौकरी/व्यवसाय करने का समय (वर्ष में)

क्र.सं.	*वर्ष*	*आवृत्ति*	*प्रतिशत*
1–	0–4	100	33.4
2–	4–10	75	25.0
3–	10–15	70	23.3
4–	15–20	20	6.6
5–	20–25	25	8.4
6–	25 से अधिक	10	3.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 33.4 प्रतिशत महिलाएं नौकरी/व्यवसाय में 0–4 वर्ष से, 25 प्रतिशत महिलाएं 4–10 वर्ष से, 23.3 प्रतिशत महिलाएं 10–15 वर्ष से, 6.6 प्रतिशत महिलाएं 15–20 वर्ष से, 8.6 प्रतिशत महिलाएं 20–25 वर्ष से तथा 3.3 प्रतिशत महिलाएं 25 से अधिक वर्षों से हैं।

नौकरी के कारण –

शिक्षित सेवायोजित महिलाओं से अनुसंधानकर्ता ने यह जानना चाहा कि आप के द्वारा नौकरी करने के क्या कारण है? इसके उत्तर में उन्होने नौकरी करने की जो वजह बताई वह निम्न प्रकार हैं–

तालिका

नौकरी करने के कारण

क्र.सं.	नौकरी करने के कारण	आवृति	प्रतिशत
1–	प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा	60	20.0
2–	समाज सेवा	50	16.7
3–	उच्च वेतनमान	30	10.0
4–	कोई विकल्प नहीं	10	3.3
5–	व्यवसायिक जीवन की आकांक्षा	15	5.0
6–	आर्थिक आवश्यकता	35	11.7
7–	उच्च शिक्षा का उपयोग करना	45	15.0
8–	विवाह करने के पूर्व का समय विताने	40	13.3
9–	घर के असुखकर वातावरण से दूर रहने के लिए	03	1.0
10–	घरेलू कामों से बचने, लोगों से मिलने–जुलने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए	07	2.3
11–	कामकाज का अभ्यास	05	1.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 20 प्रतिशत महिलाएं प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठावश नौकरी कर रहीं थीं, 16.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी इसलिए कर रहीं थीं, जिससे वे समाज सेवा में योगदान कर सकें, 10 प्रतिशत महिलाएं स्वयं उच्च वेतन हेतु नौकरी कर रहीं थीं, 3.3 प्रतिशत महिलाओं के नौकरी करने का कारण कोई विकल्प नहीं था, 11.7 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करना आर्थिक कारण की पूर्ति था। 13.3 प्रतिशत महिलाएं नौकरी इसलिए कर रहीं थी, जिससे उनके खाली समय का सदुपयोग हो सके। 15 प्रतिशत महिलाओं का नौकरी करने का कारण उच्च शिक्षा का उपयोग करना था, जबकि 13.3 प्रतिशत महिलाएं

विवाह होने के पूर्व का समय बिताने के लिए नौकरी कर रहीं थीं। केवल 1 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी मिली, जो घर के असुखकर वातावरण से दूर रहने के लिए नौकरी में थीं। 2.3 प्रतिशत महिलाओ का नौकरी करने का कारण या तो घरेलू कामों से बचने का था या फिर लोगों से मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए नौकरी में थीं। जबकि 1.7 प्रतिशत महिलाएं नौकरी में इसलिए थीं कि उन्हें कामकाज का अभ्यास हो चुका था।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षित महिलाएं केवल आर्थिक आवश्यकता अथवा समाज सेवा के कारण ही नौकरी/व्यावसाय में नहीं लगतीं हैं बल्कि इसलिए भी वैसा करतीं हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना चाहतीं हैं, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाना चाहतीं है, अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करना चाहतीं हैं तथा सृजनात्मक कार्य करना चाहतीं हैं, नाम कमाना चाहतीं हैं। ऐसी भी महिलाएं हैं जो किसी व्यवसाय–विशेष के प्रति आकर्षण की वजह से ही उसमें कार्यरत होती हैं। कुछ ऐसी भी स्त्रियां पाई गई हैं, जो आर्थिक आवश्यकता की वजह से शुरू–शुरू में व्यवसाय/नौकरी में भले ही लगीं हों, परन्तु उसके बाद वैसी आवश्यकता न रहने के बावजूद भी काम करतीं रहतीं हैं। क्योंकि उन्हें रोजगारशुदा जिन्दगी में आनन्द आने लगता है। उन्हें घर से बाहर की जीवन–पद्धति लोगों से मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता पसन्द आ जाती है, उनकी स्वतन्त्रता निजी आय हो जाती है तथा उनकी वैयक्तिक प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका मे सेवायोजित महिलाओं द्वारा बताए गए कारणों से देखा जा सकता है, कुछ महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम से बचने, लोगों से मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता प्राप्त करने, घर के असुखकर वातावरण से राहत पाने, फालतू समय का उपयोग करने अथवा शादी होने के पहले का समय बिताने के उद्देश्य से ही नौकरी करतीं हैं। महिलाएं केवल आर्थिक कठिनाई की वजह से ही नौकरी नहीं कर रहीं है। इससे इस बात की पुष्टि भी हो जाती है।

विवाहोपरान्त भी शिक्षित महिलाओं के नौकरी/व्यवसाय में बने रहने के कारण

ऊपर जिन तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो गई, उससे स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं का नौकरी/व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोंण बहुत बदल गया है अब ऐसी स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो यह मानती है, कि वे दूसरों द्वारा दबाव डाले जाने अथवा परिस्थिति के वश में आकर नौकरी नहीं करतीं बल्कि वे अपनी निजी खुशी और सन्तुष्टि के लिए ऐसा करतीं हैं। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने तथा अपनी वैयक्तिक प्रतिष्ठा कायम करने के उद्देश्य से नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्गीय महिलाओं में ऐसी भावना अथवा इच्छा बढ़ती जा रही है कि शादी के बाद भी वे नौकरी करतीं हैं।

तालिका

क्र.सं.	*नौकरी/व्यवसाय में बने रहने के कारण*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	आर्थिक स्वतन्त्रता	90	30.0
2–	रहन–सहन का स्तर सुधारने में मदद	25	8.3
3–	शिक्षा का उपयोग करना	50	16.7
4–	वाह्य जीवन के प्रति अभिरुचि	20	6.7
5–	कठिन समय के लिए पूर्वोपाय	30	10.0
6–	कार्यशील बने रहने के लिए	8	2.7
7–	अपने परिवार की मदद लायक बनने के लिए	70	23.3
8–	रहन–सहन का स्तर बनाए रखने के लिए	7	2.3
	योग	300	100

तालिका से इस बात की पुष्टि होती है कि यदि शिक्षित महिलाएं नौकरी में है, तो इसका कारण यह नहीं कि उन्हें ऐसा करने के लिए उनके माता–पिता, पति अथवा सास–ससुर ने बाध्य किया था अथवा उनके सामने आर्थिक संकट था, बल्कि वे इसलिए भी नौकरी करतीं है कि अन्य विभिन्न सामाजिक–मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहनों और लाभों की वजह से वे स्वयं ही नौकरी करना चाहतीं हैं। शिक्षा का उपयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी स्वतन्त्रता, काम करने की स्वतन्त्रता आदि तथा निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं की स्थिति के प्रमुख सूचक हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कामकाज करने वाली महिलाओ की संख्या का निरन्तर बढ़ते जाना, शादी के बाद भी उनका इसलिए नौकरी करते रहना क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना चाहतीं है, वैयक्तिक प्रतिष्ठा कायम करना चाहतीं हैं अथवा वे अपनी कतिपय सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहतीं हैं।

यह पूंछे जाने पर कि आपकी औसत मासिक आय क्या है? तो उन्होने जो विवरण दिया वह इस प्रकार है–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय

क्र.सं.	*औसत मासिक आय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	1500 से कम	50	16.7
2–	1500 – 3000	100	33.3
3–	3000 – 4500	110	36.7
4–	4500 से अधिक	40	13.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 300 सेवायोजित महिलाओं में से 16.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 1500 रुपए से कम थी, 33.3 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 1500 रुपए

से 3000 रुपए के मध्य थी, 36.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 3000 रुपए से 4500 रुपए के मध्य पाई गई जबकि 13.3 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं की औसत मासिक आय 4500 रुपए से अधिक थी।

इसी क्रम में उनका औसत मासिक व्यय क्या है? यह जाननें की चेष्टा की गई तो अधिकांश महिलाओं ने बताया कि आज के इस महंगाई के जमाने मे जितना कमाते हैं, सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। अध्यापिकाएं, क्लर्क, महिला–पुलिस व होमगार्ड, समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाएं आदि नौकरी करने वाली महिलाओं को यह बात कहते सुना गया है कि महीने के आखिरी दिनों में यह स्थिति आ जाती है कि वह कभी–कभी वेतन विलम्ब से मिलने के कारण हैण्ड टू माउथ रहना पड़ता है। जबकि कुछ महिलाओं का औसत मासिक व्यय, जितना वेतन मिलता है, उससे ज्यादा खर्च कर देतीं हैं अपनी शौक–मौज की वस्तुएं खरीदने, नए–नए फैशन के कपड़े खरीदने और विलासिता की वस्तुओं पर। इनके अतिरिक्त ऐसी महिलाएं जिनकी संख्या भी अच्छी खासी थी जो अपने हाथ रोक कर खर्च करतीं थीं तथा आकस्मिक संकट के समय पैसे को बचाकर रखतीं थीं। उनमें फिजूलखर्ची नहीं थी। इस प्रकार सेवायोजित महिलाओं से औसत मासिक आय व व्यय जानने के पश्चात उनके बजट का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न पूंछे जाने पर उन्होने बताया कि–

तालिका

बजट का स्वरूप

क्र.सं.	*बजट का स्वरूप*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बचत में	123	41.0
2–	संतुलित	100	33.3
3–	घाटे में	77	25.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 123 सेवायोजित महिलाएं ऐसी थीं जिनका बजट बचत का था क्योंकि इनका रहन–सहन या जीवन स्तर साधारण था। वे अपनी आय को बजट के अनुरूप खर्च करतीं थीं। भविष्य के लिए तथा आकस्मिक विपत्तियों के लिए कुछ धन बचत के रूप में रखतीं थीं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि महिलाएं पुरुषों से कम खर्चीली होती हैं तथा वे वचत भी अच्छी कर लेती हैं। 77 महिलाएं ऐसी थीं, जिनका बजट घाटे का रहता था, क्योंकि वे फिजूलखर्ची ज्यादा करतीं थीं। इनका व्यय जरूरत से कहीं अधिक होता था। जबकि 100 महिलाओं का बजट सन्तुलित था, वे अपनी आय के अनुसार ही व्यय करतीं थीं। फिजूलखर्ची वे नहीं कर पाती थीं।

कार्य सम्बन्धी दशाएं -

कार्य करने की दशाओं के अन्तर्गत विविध बातों का समावेश किया जाता है जिनमें एक सेवायोजित महिला को कार्य करना पड़ता है। साधारणतया कार्यस्थल के भीतर व बाहर की स्वच्छता, उचित तापमान, वायु तथा रोशनी का प्रबन्ध, सुरक्षा का प्रबन्ध, कैण्टीन, टॉयलेट, मनोरंजनालय, शिशु सदन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था, काम करने के उचित घण्टे, उचित पाली (शिफ्ट प्रणाली) आदि बातें कार्यदशाओं के क्षेत्र में सम्मिलित की जा सकतीं हैं।

कार्य संस्थान (जहां सेवायोजित महिलाएं नौकरी करती हैं) -

सेवायोजित महिलाओं में से 50 प्रतिशत महिलाएं शिक्षण कार्य में हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में नौकरी कर रहीं हैं, 16 प्रतिशत महिलाएं हास्पीटल में कार्य कर रहीं हैं। जबकि 20 प्रतिशत महिलाएं सरकारी तथा अर्द्ध–सरकारी, सार्वजनिक कार्यालयों तथा संस्थानों मे सेवायोजित है, 4 प्रतिशत महिलाएं अपने स्वतन्त्र पेशे, व्यवसाय में लगी हुईं थीं।

नौकरी की प्रकृति (स्थाई या अस्थाई) -

नौकरी की प्रकृति सेवायोजित महिलाओं की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालतीं हैं। इसी सम्बन्ध में अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से यह पूंछा गया कि आपकी नौकरी की प्रकृति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सेवायोजित महिलाओं द्वारा निम्न रूप में दिया गया।

तालिका
नौकरी की प्रकृति

क्र.सं.	*नौकरी की प्रकृति*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	स्थाई	240	80.0
2—	अस्थाई	60	20.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत महिलाएं नौकरी में स्थाई रूप से कार्य कर रहीं थीं, जबकि बाकी 20 प्रतिशत महिलाएं अस्थाई लीव वेकेन्सी या एडहॉक के रूप में कार्य कर रहीं थीं। अस्थाई नौकरी पर या एडहॉक के रूप में कार्य कर रहीं महिलाओं में अनिश्चितता दिखाई दे रहीं थी। वे मन लगाकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर मेहनत कर रहीं थीं। ताकि उनको आगे एक मौका मिल जाए, अपने अधिकारियों की नजरों में आना चाहतीं थीं, ताकि वे प्रसन्न होकर उनको स्थाई कर दें। जबकि स्थाई रूप से कार्य करने वाली महिलाएं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहीं थीं। उन्हें नौकरी के स्थाईपन का लाभ जो मिल रहा था। उनका यह कथन था कि अधिकारी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो स्थाई हैं।

कार्य स्थल की दूरी तथा आने-जाने के साधन -

एक सेवायोजित महिला के लिए घर से कार्यस्थल की दूरी, उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करतीं हैं और उसकी सफल व्यावसायिक भूमिका को भी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक सेवायोजित महिला को अपने घर की देखरेख भी करनी पड़ती है, जिसके लिए काफी समय की आवश्यकता होती है, इसलिए घर और उसके नौकरी/व्यवसाय के कार्य स्थल के बीच की दूरी सेवायोजित महिला के लिए महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी सेवायोजित महिला का कार्यस्थल घर के नजदीक है तो वह अपने पारिवारिक दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकती है, उनकी तुलना मे जो 4 कि0 मी0 सफर करके अपने काम पर पहुंचती है, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आने–जाने में काफी शक्ति (ऊर्जा) एवं समय नष्ट होता है। अतः कार्यस्थल की निकटता को ज्यादा पसन्द किया जाता है। सेवायोजित महिलाओ के लिए आवागमन के तरीके भी समस्या उत्पन्न करते हैं। तीव्रगति से बढ़ रही जनसंख्या और कार्यभार के कारण आवागमन के साधनों की कमी पाई जाती है, उन्हें बस, टैम्पो आदि का इन्तजार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपनी छोटी आय से इसका खर्च निकालना पड़ता है। 55 प्रतिशत महिलाओं का कार्यस्थल घर के नजदीक था या फिर 1 कि0 मी0 के अन्दर था। एक–चौथाई उत्तरदाताओं का कार्यस्थल एक से चार कि0 मी0 के अन्दर था तथा शेष को 5 कि0 मी0 से अधिक दूर जाना पड़ता था। अतः स्पष्ट है कि बहुत–सी महिलाओं का कार्यस्थल बहुत नजदीक था। सेवायोजित महिलाओं द्वारा प्रयुक्त आवागमन के साधनों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन महिलाओं को एक कि0 मी0 से कम दूरी तय करनी होती थी, वहां वे या तो पैदल जाना पसन्द करतीं थीं या फिर टैम्पो का सहारा लेतीं थीं। जबकि अन्य उत्तरदाता अपने निजी वाहनों, टैम्पों आदि द्वारा सफर तय करतीं थीं। इस प्रकार सेवायोजित महिलाओं के लिए आवागमन में विशेष असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता

है। वे सामान्यतः स्कूटर आदि वाहनों का प्रयोग भी करतीं हैं। इस प्रकार से सेवायोजित महिलाओं का पैसा उनके घर से कार्यस्थल तक आने–जाने में खर्च हो जाता है।

काम के घण्टे –

काम करने की दशाओं मे सबसे महत्वपूर्ण बात काम करने के घण्टे हैं। काम करने के घण्टों का सेवायोजित महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि काम करने के घण्टों का सेवायोजित महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी कार्य क्षमता, काम करने की भावना, उसके पारिवारिक जीवन, सामाजिक सम्बन्धों तथा धार्मिक कार्यों के साथ गहरा सम्बन्ध है। अधिक घण्टे काम करने से सेवायोजित महिलाओं में थकान पैदा हो जाती है। काम के बीच में सेवायोजित महिलाओं का खाना खाने के लिए अवकाश न देने से कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। ओवर–टाइम काम करने से भी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तथा काम करने की शक्ति घट जाती है। इस बात की जांच करने के लिए उत्तरदाता से यह प्रश्न पूंछा कि आपके काम करने के घण्टे कितने हैं? दूसरे शब्दों में आपको औसतन प्रतिदिन कितने घण्टे काम करना पड़ता है।

तालिका

काम के घण्टे

क्र.सं.	*काम के घण्टे*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	4 घण्टे/6 घण्टे	45	15.0
2–	8 घण्टे	225	75.0
3–	8 घण्टे से अधिक	30	10.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 15 प्रतिशत महिलाएं एक दिन में चार घण्टे कार्य कर रहीं हैं, 75 प्रतिशत महिलाएं दिन में आठ घण्टे कार्य कर रहीं हैं, जबकि 10 प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जिन्हें आठ घण्टे से अधिक कार्य करना पड़ता हैं। सेवायोजित महिलाओं के नौकरी के कार्य का समय एक महत्वपूर्ण तथ्य है। रात की ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी तथा कार्य के विषम घण्टे, विवाहित महिलाओं के लिए पसन्द नहीं होते। इसीलिए विवाहित महिलाएं ऐसी नौकरी को करना पसन्द नहीं करतीं।

अध्यापिकाओं को अपने स्कूल/कालेज को टाइम से जाना पड़ता है, जो महिला क्लर्क थीं या व्यवसायिक पेशे में थीं उनका कार्य का समय 10 बजे से 5 बजे सायं तक का था। वकील महिलाएं अपने घर पर सुबह और रात की सिटिंग करतीं हैं तथा 10 बजे सुबह से 5 बजे सायं तक कोर्ट अटैण्ड करतीं हैं। जो महिलाएं प्रशासनिक नौकरियों मे थीं, उनको 10 बजे सुबह से 5 बजे सायं, 1 बजे दोपहर से 7 बजे सायं या 8 बजे सुबह से 5 बजे सायं तक कार्य करना पड़ता है। विश्वविद्यालय कर्मचारी नर्स आदि महिलाओं को दिन में तथा रात में भी कार्य करना पड़ता है, उनकी शिफ्ट के निर्धारण के अनुसार, क्योंकि रात की ड्यूटी देना उनकी नौकरी का ही एक हिस्सा है। क्लर्क, समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाओं को 10 बजे सुबह से 5 बजे सायं तक कार्य करना पड़ता है। झांसी नगर में इन काम करने की जगहो पर अधिकांशतः आवास की सुविधा कम ही हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं को नौकरी से घर वापिस अकेले जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त समय एवं शक्ति ऐसी महिलाओं को खर्च करना पड़ता है।

कार्य समय -

तालिका के विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश सेवायोजित महिलाओं के कार्य का समय सामान्य कार्यालय, स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि

के अनुसार था। जबकि शेष महिलाओं के कार्य का समय शिफ्ट व्यवस्था के अनुसार था।

सेवायोजित महिलाओं से जब अनुसंधानकर्ता ने यह पूंछा कि आप अपने निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि–

तालिका
निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट

क्र.सं.	*निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	पूर्ण रूप से	200	66.7
2–	कुछ कह नहीं सकती	25	08.3
3–	नहीं	75	25.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 66.7 प्रतिशत महिलाएं अपने निर्धारित कार्य समय से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं, उन्होंने हां में जवाब दिया। जब इनसे इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने निम्न कारण बताए–

1. नौकरी करनी है, इसलिए जो भी कार्य का समय दिया गया है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा।

2. इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता।

3. हमारा निर्धारित कार्य समय, हमारे पति तथा बच्चों के स्कूल जाने का समय एक ही है। इसलिए हम अपने कार्य समय से सन्तुष्ट हैं।

25 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं द्वारा नहीं में उत्तर दिए गए अर्थात वे अपने निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट नहीं है, जब इनसे भी इसका कारण जानना

चाहा, तो उन्होंने कहा कि–

1. जो कार्य समय हमारे पति का होता है, नौकरी पर जाने के लिए वही समय हमारा भी होता है, इसलिए हमें जल्दी–जल्दी कार्य निपटाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, उल्टा सीधा खा–पीकर आफिस/स्कूल भागना पड़ता है। सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। जिससे हम अपने निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट नहीं है।

2. रात की ड्यूटी देने वाली सेवायोजित महिलाएं अपने निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट नहीं दिखाई दीं। क्योंकि रात की ड्यूटी देने पर इन्हें दिन में सोना पड़ता है, जिससे घर की सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है। पति तथा बच्चों का भी इस पर प्रभाव पड़ता हैं तथा हमारी कार्यक्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अपने निर्धारित कार्य करने से सन्तुष्ट नहीं हैं।

3. फील्ड में काम करने वाली महिलाएं भी अपने निर्धारित कार्य समय से सन्तुष्ट नहीं थीं क्योंकि यह कार्य समय उन्हें थका देता है।

कुछ महिलाएं जिनकी संख्या 10 प्रतिशत थी वे अपने निर्धारित कार्य समय के बारे में तटस्थ पाई गई, क्योंकि उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में केवल यही कहा कि कुछ कह नहीं सकती, जबकि उनकी तटस्थता के कारण पूंछे तो उन्होंने कहा कि–

1. हमारे हाथ की तो बात नहीं, और कर भी क्या सकते हैं।

2. हम अपनी गृह व्यवस्था को अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार ढाल लेते हैं इसलिए कोई फर्क मालूम नहीं होता।

3. हमारे पति, बच्चे तथा परिवार के सदस्य सहयोगी प्रवृत्ति के हैं, वे आत्म–निर्भर हैं इसलिए हमारे निर्धारित कार्य समय से हम भी तथा परिवार के सदस्य भी सन्तुष्ट से ही दिखाई देते हैं।

सेवायोजित महिलाओं के लिए कार्य सुविधाएं -

यह सर्वमान्य है कि नौकरी का लक्ष्य पूरी तरह से सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा उनके क्षेत्र पर निर्भर करता है जो कि श्रमिक वर्ग को प्रदान की जाती हैं। सेवायोजित महिलाओं के संदर्भ में जिनकी कुछ निश्चित समस्याएं जैसे, गर्भावस्था, मातृत्व एवं बच्चों की देखभाल करना है, ऐसी सुविधाओं की बहुत उपयोगिता है। उनकी नौकरी मे सफलता पूर्वक कार्य करने योग्य बनाने में न केवल मानवता के नाते बल्कि विशुद्ध धन्धे की दृष्टि से यह स्वीकार किया जाता है कि सेवायोजित महिलाओं को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपने परिवार, बच्चों तथा स्वास्थ्य के बारे में चिंतित न रहें और वे अपना अधिक समय तथा ऊर्जा अपने कार्य निष्पादन में लगा सकें। इन सुविधाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं–

(अ) कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं

(ब) कार्य स्थल के बाहर सामान्य सुविधाएं

कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं -

1. **बच्चों की देखरेख की सुविधा**
2. **केन्टीन सुविधा**
3. **चिकित्सा सुविधा**
4. **मनोरंजन सुविधा**
5. **हवा, रोशनी आदि की सुविधा**
6. **अन्य कल्याणकारी सुविधाएं**

उपरोक्त सुविधाओं के बारे में सेवायोजित महिलाओं का यह कहना था कि अधिकांश कार्य संस्थानों में या कार्य स्थल पर कैन्टीन अथवा चाय की दुकान सुलभ है, जिनसे कि हम पैसे देकर चाय, नाश्ता आदि मंगा लेते हैं। कभी–कभी अधिकारियों द्वारा मीटिंग आदि करने पर सभी को चाय, नाश्ता मिल जाता है। हम भी समय–समय पर धन संग्रह करके इस सुविधा का उपयोग कर लेते हैं। कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि हम रोज–रोज तो नाश्ता नहीं कर सकते, अतः घर से ही लन्च लेकर आते हैं, तथा साथ बैठकर खा लेते हैं। जहां तक चिकित्सा सुविधा का प्रश्न है, फर्स्ट एड के नाम पर थोड़ी बहुत दवाएं उपलब्ध हैं, जो जरूरत के समय उपलब्ध कराई जाती हैं। बच्चों की देख–रेख की सुविधा नौकरी के द्वारा कार्यस्थल पर अधिकांश सेवायोजित महिलाओं को उपलब्ध नहीं है। कुछ महिलाएं हाल के ही उत्पन्न दूध पीते बच्चों को कार्यस्थल पर साथ लातीं हुई देखी गईं हैं जहां पर अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बच्चों की देखभाल की जाती है। मनोरंजन की सुविधा के बारे में महिलाओं का कहना था कि जहां वे कार्य करतीं हैं वहां पर टी0वी0, रेडियो आदि उपकरणों की व्यवस्था है, जिन्हें खाली समय अथवा लन्च के समय देखा या सुना जा सकता है। हवा, रोशनी आदि सुविधा के बारे में अधिकांश महिलाओं ने बताया कि जिन कार्य संस्थानों की पुरानी इमारतें हैं, वहां हवा, रोशनी का अभाव पाया जाता है जबकि नई इमारतों में हवा, रोशनी आदि की अच्छी खासी सुविधा प्रदान की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में पंखे, कूलर आदि की सुविधा तथा शरद ऋतु में अंगीठी, हीटर आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर महिलाओं का यह कहना है कि हर विभाग या कार्य संस्थाओं में अलग–अलग तरह की सुविधाएं है, जिससे सबको यह सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उपरोक्त सुविधाओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या इन सुविधाओं से आप पूर्णतया

3. यदि हम इन सुविधाओं के बारे में अपने अधिकारियों से बात करते हैं, तो उन्हें यह अनुभव होता है कि आप हमारा व व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं तथा उन पर कार्यवाही करने की चेतावनी देते हैं। आखिर हमें अपना मुंह बन्द रखना पड़ता है। क्योंकि हम स्त्री हैं। दूसरी अन्य महिलाएं हमारा साथ देने को तैयार नहीं होती।

4. हमें जो सुविधाएं उपलब्ध है, उसी पर सन्तोष कर लेते हैं।

5. अधिकारी/बॉस अपने चापलूसों को ही इन सुविधाओं का लाभ दिला देते हैं, अन्य उस लाभ से वंचित रह जाती हैं।

उपरोक्त कारणों का पता लगाने के पश्चात सेवायोजित महिलाओं से यह भी पूंछा गया कि कार्य स्थल के बाहर सामान्य रूप से आपको कौन–कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार रही–

केन्टीन सम्बन्धी सुविधा के बारे में प्राईमरी तथा जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिकाओं, समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाएं है के आस पास खाने–पीने की चीजें उपलब्ध होती हैं। जबकि यातायात सुविधा के बारे में अधिकांश सेवायोजित महिलाओं, अध्यापिकाओं का कहना था कि उन्हें अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए टैम्पो तथा निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें लोगों को ठूंस–ठूंस कर भरा जाता है जिससे उन्हें शारीरिक थकान हो जाती है। समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाओं को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इन्हीं की तरह कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सेवायोजित महिलाओं को कार्यस्थल के बाहर टैम्पो, टैक्सी तथा बसों की सुविधा विभागीय स्तर पर नहीं है। केवल नर्स तथा महिला पुलिस को अवश्य विभागीय गाड़िया उपलब्ध हो जाती हैं, वह भी हर समय नहीं। चिकित्सा

सन्तुष्ट/तटस्थ/असन्तुष्ट/पूर्णतया असन्तुष्ट हैं?

तालिका
उपलब्ध सुविधाओं से सन्तुष्टि

क्र.सं.	उपलब्ध सुविधाओं से सन्तुष्टि	आवृति	प्रतिशत
1—	पूर्णतया सन्तुष्ट	125	41.7
2—	सन्तुष्ट	100	33.3
3—	तटस्थ	30	10.0
4—	असन्तुष्ट	25	8.3
5—	पूर्णतया असन्तुष्ट	20	6.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 41.7 प्रतिशत महिलाएं कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाओ से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं, जबकि 33.3 प्रतिशत महिलाएं सन्तुष्ट हैं। 10 प्रतिशत महिलाओं ने सुविधाओ के बारे में तटस्थता जाहिर की। 8.3 प्रतिशत महिलाएं असन्तुष्ट हैं, जबकि 6.7 प्रतिशत महिलाएं पूर्णतया असन्तुष्ट थीं।

महिलाओं से जब इसके कारण जानने चाहे, तो उन्होंने बताया कि—

1. सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए धनराशि उच्च अधिकारियों द्वारा हड़प ली जाती है, जिनके बारे में किसी को खबर नहीं लग पाती।

2. राज्य अथवा केन्द सरकार से आए प्रपत्र जो हम कर्मचारियों के किसी न किसी हित के लिए होते हैं, हमें नहीं दिखाए जाते और न ही कोई जानकारी दी जाती है। समय भी निकल जाता है, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए।

3. यदि हम इन सुविधाओं के बारे में अपने अधिकारियों से बात करते हैं, तो उन्हें यह अनुभव होता है कि आप हमारा व व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं तथा उन पर कार्यवाही करने की चेतावनी देते हैं। आखिर हमें अपना मुंह बन्द रखना पड़ता है। क्योंकि हम स्त्री हैं। दूसरी अन्य महिलाएं हमारा साथ देने को तैयार नहीं होती।

4. हमें जो सुविधाएं उपलब्ध है, उसी पर सन्तोष कर लेते हैं।

5. अधिकारी/बॉस अपने चापलूसों को ही इन सुविधाओं का लाभ दिला देते हैं, अन्य उस लाभ से वंचित रह जाती हैं।

उपरोक्त कारणों का पता लगाने के पश्चात सेवायोजित महिलाओं से यह भी पूंछा गया कि कार्य स्थल के बाहर सामान्य रूप से आपको कौन–कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार रही–

केन्टीन सम्बन्धी सुविधा के बारे में प्राईमरी तथा जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिकाओं, समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाएं है के आस पास खाने–पीने की चीजें उपलब्ध होती हैं। जबकि यातायात सुविधा के बारे में अधिकांश सेवायोजित महिलाओं, अध्यापिकाओं का कहना था कि उन्हें अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए टैम्पो तथा निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें लोगों को ठूंस–ठूंस कर भरा जाता है जिससे उन्हें शारीरिक थकान हो जाती है। समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिलाओं को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इन्हीं की तरह कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सेवायोजित महिलाओं को कार्यस्थल के बाहर टैम्पो, टैक्सी तथा बसों की सुविधा विभागीय स्तर पर नहीं है। केवल नर्स तथा महिला पुलिस को अवश्य विभागीय गाड़िया उपलब्ध हो जाती हैं, वह भी हर समय नहीं। चिकित्सा

सम्बन्धी सुविधा व भत्ता केवल सरकारी/अर्द्ध–सरकारी व सार्वजनिक संस्थानों में सेवायोजित महिलाओं को ही मिलता है। शिक्षा सम्बन्धी सुविधा भी सेवायोजित महिलाओं को विभागीय स्तर पर प्रमोशन पाने के लिए मिलती हैं। यह लाभ भी सरकारी सेवायोजित महिलाओं तथा अध्यापिकाओं को उपलब्ध है। बच्चों की शिक्षा जो राज्य सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक मुफ्त कर दी गई है, उसका लाभ सेवायोजित महिलाओं के बच्चों को भी मिलता है। आवास सम्बन्धी सुविधा हर सेवायोजित महिला को किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। जहां सरकारी क्वार्टर उपलब्ध हैं, या अन्य आवासीय सुविधा है, वहां उनको यह लाभ दिया जाता है। मनोरंजन सम्बन्धी सुविधा के बारे में अधिकांश सेवायोजित महिलाओं का कहना था कि वे नौकरी के बाद अपने घर जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच ही मनोरंजन कर लेती हैं। टी0वी0, रेडियो आदि देखकर या सुनकर ही मनोरंजन हो जाता है या कभी–कभी भ्रमण का कार्यक्रम बना लेते है, उससे भी मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के बीच हंस–बोल लेते हैं। कभी–कभी सिनेमा देखने का भी कार्यक्रम बना लेते हैं। हमारा तो बस यही मनोरंजन है। आर्थिक सुविधाओं के बारे में पूंछे जाने पर नौकरी मे लगी महिलाओं ने बताया कि उन्हें जरूरत पड़ने पर फण्ड से ऋण लेने की सुविधा प्राप्त है। लेकिन यह सुविधा केवल स्थाई रूप से नौकरी मे लगी महिलाओं को ही उपलब्ध है। अस्पतालों में सेवायोजित महिलाओं को अलग से भी आर्थिक सुविधा प्राप्त हो जाती है। अध्यापिकाएं अपने घर पर बच्चों की ट्यूशन करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर लेती हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त सेवायोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सेवायोजित महिलाओं को कार्यस्थल व उसके बाहर उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त हैं। कागजो पर तो यह लाभ देखे जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर सेवायोजित महिलाओं को यह सभी लाभ नहीं मिल पाते हैं, जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इनसे कहीं अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवायोजित महिलाओं के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध

सुप्रसिद्ध दार्शनिक **अरस्तू** के अनुसार– "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।" सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी बहुत–सी अवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अपने परिवार, आस–पड़ोस, नाते–रिश्तेदार और अपने कार्यस्थल पर अपने मालिक/अधिकारी, सहकर्मी, अधीनस्थ कर्मचारियों आदि के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करता है। ये सामाजिक सम्बन्ध मनुष्य के व्यवहार व उसकी अन्तःक्रियाओं के आधार पर बनते, विकसित होते और बिगड़ते रहते हैं, इन सम्बन्धों में स्नेह, आत्मीयता और सम्बन्धों की पारस्परिकता जैसे तथ्य आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। इन तत्वों की अनुपस्थिति सामाजिक सम्बन्धों की विभिन्नता और औपचारिकता का सूचक है।

सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्ध

परन्तु आधुनिक काल में मनुष्यों की धनलिप्सा, व्यक्तिवादिता और औपचारिकतापूर्ण मनोवृत्ति ने उनके सामाजिक सम्बन्धों को वृहद् स्तर पर हर क्षेत्र में प्रभावित किया है।

इस अध्ययाय में साक्षात्कार–निरीक्षण प्रविधि को अपनाते हुए झांसी नगर की 300 सेवायोजित महिलाओं के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की प्रकृति, उनके आधारों व अन्य सम्बन्धों के कारणों का शोधपरक अध्ययन करके उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

कार्यस्थल सीमा के अन्दर अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध –

सर्वप्रथम जब अनुसंधानकर्ता ने विभिन्न मुहल्लों में सेवायोजित महिलाओं से यह प्रश्न पूंछा कि आपके कार्य–स्थल पर आपके अधिकारियों से किस प्रकार के सम्बन्ध हैं? तो सेवायोजित महिलाओं ने जो उत्तर दिए उनका विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका

उच्च पदाधिकारियों से सम्बन्ध

क्र.सं.	*व्यवहार*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बहुत अच्छा	70	23.3
2–	अच्छा	180	60.0
3–	असन्तोषजनक	50	16.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 300 सेवायोजित महिलाओं में से 180 महिलाओं के प्रति अधिकारियों का व्यवहार अच्छा था, जबकि 70 महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा और 50 महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार असन्तोषजनक पाया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि उनके इस व्यवहार के प्रति आप उत्तरदायी हैं, या वे लोग, जो उन महिलाओं में से 250 महिलाओं ने इस व्यवहार के प्रति खुद को, जबकि बची हुई महिलाओं ने अपने अधिकारियों को उत्तरदायी माना।

अपने अधिकारियों के व्यवहार से असन्तुष्ट महिलाओं से जब उनके दुर्व्यवहार का कारण पूंछा गया तो उन्होंने इसके कतिपय कारण बताए–

1. जी–हुजूरी पसन्द
2. जातिवाद की प्रवृत्ति
3. कान के कच्चे
4. शोषण की प्रवृत्ति
5. चारित्रिक दुर्बलता

सेवायोजित महिलाओं से उनके सहकर्मियों के साथ सम्बन्धों के बारे में पूंछे जाने पर उन्होंने कहा–

तालिका

सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध

क्र.सं.	*सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बहुत अच्छा	50	16.7
2–	अच्छा	200	66.6
3–	तनावपूर्ण	50	16.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 200 सेवायोजित महिलाओं के अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे सम्बन्ध थे, जबकि दूसरी ओर 50 महिलाओं ने अपने सम्बन्धों की प्रकृति बहुत अच्छी तथा शेष 50 महिलाओं ने अपने सम्बन्धों को तनावपूर्ण बतलाया। जब सेवायोजित महिलाओं से सम्बन्धों के तनावपूर्ण होने का

कारण स्पष्ट करने को कहा गया, तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए–

1. फिजूलखर्ची और दिखावे की प्रवृत्ति।
2. चारित्रिक दुर्बलता।
3. दोगली नीति।
4. सहकर्मियों के प्रति अफसरों के कान भरने की प्रवृत्ति।

सेवायोजित महिलाओं से साक्षात्कार करने के समय जब यह पूंछा कि क्या उनके अफसरों/मालिकों में अनावश्यक उच्च भावना है, तो उन्होंने कहा–

तालिका

अफसरों/मालिकों में अनावश्यक उच्च भावना

क्र.सं.	*उच्च भावना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	200	66.6
2–	नहीं	100	33.4
	योग	300	100

तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि 200 सेवायोजित महिलाओं के प्रति उनके अफसरों/मालिकों मे उच्च भावना पाई गई, जबकि 100 महिलाओं ने इस तथ्य से इन्कार किया। सेवायोजित महिलाओं से यह पूंछे जाने पर कि क्या उनमें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कोई तुच्छ भावना है। उन्होंने कहा–

तालिका

अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति तुच्छ भावना

क्र.सं.	*तुच्छ भावना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	50	16.7
2–	कुछ नहीं कह सकते	100	33.3
3–	नहीं	150	50.0
	योग	300	100

तालिका का विश्लेषण करने पर मालूम पड़ता है, कि 300 सेवायोजित महिलाओं में 150 महिलाओं में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कोई तुच्छ भावना नहीं पाई गई, जबकि 100 महिलाओं ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकती। 50 महिलाओं ने इस तथ्य को स्वीकारा।

क्या आपको अपने साथियों से कष्ट के समय कोई सहयोग मिलता है? यह प्रश्न पूंछे जाने पर सेवायोजित महिलाओं ने जो वैकल्पिक उत्तर दिया वे तालिका में प्रस्तुत हैं–

तालिका
कष्ट के समय सहकर्मियों से प्राप्त सहयोग

क्र.सं.	*सहकर्मियों से प्राप्त सहयोग*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	100	33.4
2–	कभी–कभी	150	50.0
3–	नहीं	50	16.6
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 100 सेवायोजित महिलाओं को अपने सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होता है। 150 महिलाएं सहकर्मियों का यदा–कदा सहयोग स्वीकारतीं हैं, जबकि 50 महिलाएं सहयोग से इन्कार करतीं हैं।

जब सेवायोजित महिलाओं से अपने सहकर्मियों से प्राप्त सकारात्मक, सामान्य अथवा नकारात्मक सहयोग के कारण के बारे में पूंछा तो, उन्होंने कहा–

(क) सहकर्मियों के साथ मधुर सम्बन्ध होने के कारण जब हम उनके साथ सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो वे भी हमसे पूरा–पूरा सहयोग करते हैं।

(ख) पूर्व में हमारे कुछ सहकर्मियों से सम्बन्ध बहुत अच्छे थे, लेकिन कालान्तर में सम्बन्धों की प्रकृति तनावपूर्ण हो जाने के कारण वे हमसे सहयोग नहीं करते।

(ग) प्रारम्भ से ही हमारे सम्बन्ध कुछ सहकर्मियों के साथ तनावपूर्ण चले आ रहे हैं, अतः उनसे किसी भी सहयोग की अपेक्षा करना व्यर्थ है।

सेवायोजित महिलाओं के अन्तर्वैक्तिक सम्बन्धों का समग्र रूप से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनके अपने उच्चाधिकारियों के प्रति औपचारिक सम्बन्ध है, क्योंकि उन्हें ये भली–भांति पता होता है कि कतिपय संस्था में ये अधिकारी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। अतः वे स्वार्थ के वशीभूत होकर उनसे सम्बन्ध विकसित करने का प्रयास करतीं हैं। उनके सम्बन्धों में एकनिष्ठता का अभाव होता है। क्योंकि वे येन–केन–प्रकारेण अपना स्वार्थ–सिद्ध करने में विश्वास करतीं हैं। फलतः उनके सम्बन्धों की प्रकृति नितान्त औपचारिक होती है। सेवायोजित महिलाओं के अपने सहकर्मियों के साथ सम्बन्ध अधिकांशतः अनौपचारिक होते हैं जिनमें आत्मीयता का समावेश भी होता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ उन्हें लम्बे समय तक कार्य करना है, दूसरी ओर कुछ सहकर्मियों के साथ उनके सम्बन्ध औपचारिक तथा दिखावटी भी होते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सेवायोजित महिलाओं के सम्बन्ध सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, साथ–ही–साथ मातहतों के प्रति उनमें बेचारगी का भाव भी रहता है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखने में आया कि सेवायोजित महिलाओं के मातहत कर्मचारी अपने दुःखों का रोना रोकर व अपने अधिकारियों को धोखा देकर उनसे जायज–नाजायज तरीकों से अपनीं स्वार्थ सिद्धी भी करते हैं, जिससे कि वे अपने अधिकारियों की सहानुभूति खो देतीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों की जानकारी कर लेने के पश्चात उनके पारिवारिक सम्बन्धों की प्रकृति जानने का भी प्रयास किया गया है।

कार्यस्थल-सीमा के बाहर के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध-

(क) परिवार में सम्बन्ध-

जब सेवायोजित महिलाओं से यह पूंछा कि क्या उनकी नौकरी में परिवार के किसी सदस्य का विरोध रहा है? तो कतिपय महिलाओं का सकारात्मक और कुछ महिलाओं का नकारात्मक रुख रहा–

तालिका

परिवार के सदस्यों का विरोध

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का विरोध	आवृति	प्रतिशत
1–	हां	200	66.6
2–	नहीं	100	33.4
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 200 सेवायोजित महिलाओं के परिवार के सदस्यों ने नौकरी का मुखर विरोध किया, जबकि 100 महिलाओं के परिवार इस मुद्दे पर शान्त रहें।

यह पूंछे जाने पर कि आपकी नौकरी आरम्भ करते समय परिवार के किस सदस्य का मुखर विरोध रहा, सेवायोजित महिलाओं ने कहा–

तालिका

परिवार के सदस्यों का विरोध

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का विरोध	आवृति	प्रतिशत
1–	पति	45	22.5
2–	जेठ–जेठानी	80	40.0
3–	सास	70	35.0
4–	श्वसुर	5	2.5
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 80 महिलाओं की जेठ–जेठानियों ने, 70 की सासों ने, 45 के पतियों ने व 5 महिलाओं के श्वसुरों ने उनकी नौकरी का विरोध किया। उनसे साथ–ही–साथ यह भी पूंछा कि आपके नौकरी के परिप्रेक्ष्य में सास–श्वसुर से कैसे सम्बन्ध रहे? तो सेवायोजित महिलाओं ने बताया–

तालिका

नौकरी के परिप्रेक्ष्य में सास-श्वसुर से सम्बन्ध

क्र.सं.	*सास–श्वसुर से सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बहुत अच्छे	175	58.3
2–	अच्छे	75	25.0
3–	असन्तोषजनक	50	16.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 175 सेवायोजित महिलाओं के नौकरी के परिप्रेक्ष्य में अपने सास–श्वसुरों से सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे, जबकि 75 महिलाओं के सम्बन्ध अच्छे, व 50 के असन्तोषजनक रहे।

(क) सास-श्वसुर और जेठ-जेठानी का दृष्टिकोंण -

नौकरी करने के परिप्रेक्ष्य में सेवायोजित महिलाओं के सास–श्वसुर और जेठ–जेठानी की रूढ़िवादी विचारधारा अवरोध सिद्ध हुई है, क्योंकि वे यह मानते हैं कि बहू के नौकरी करने से घर की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा–सुश्रुषा और बच्चों का लालन–पालन भली–भांति नहीं हो पाएगा, साथ–ही–साथ उनके विचार से जाति और कुटुम्ब के लोग भी बहू के नौकरी करने को अच्छा नहीं मानते। उनकी दृष्टि में नौकरी करने वाली महिलाएं चरित्रवान भी नहीं होतीं क्योंकि वे पराए पुरुषों से खुल कर बातचीत और हंसी–मजाक करती हैं, जिनसे उनकी यह विचारधारा पुष्ट हुई, वे यह भी सोचते हैं कि नौकरी करने वाली बहू बात–बात में तर्क–वितर्क ज्यादा करती है, जबकि संयुक्त परिवार होने की दशा में तर्क–वितर्क का कोई स्थान नहीं होता।

(ख) पति का दृष्टिकोंण –

सेवायोजित महिलाओं के पतियो द्वारा भी विरोध इस कारण होता है क्योंकि वे यह मानते हैं कि यदि उनकी पत्नी नौकरी करेगी, तो उस पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। मुख्यतः इसमें उनका पुरुषत्व बाधक होता है। कुछ सेवायोजित महिलाओं के अनुसार उनके पतियों ने उनका इस कारण से भी विरोध किया क्योंकि वे सोचते हैं कि जाति व कुटुम्ब के लोग व उनके मित्र यह सोचेंगे बहू की कमाई खा रहा है। कतिपय पतियों का अप्रत्यक्ष विरोध रहा क्योंकि उन्होंने यह घोषित कर दिया कि पत्नी के नौकरी करने की दशा मे वे किसी भी प्रकार उसके घरेलू कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। सेवायोजित महिलाओं से जब पूंछा गया कि आपने परिवार के लोगों के विरोध का सामना किस प्रकार किया, तो उन्होंने कतिपय बिन्दुओं पर प्रकाश डाला–

(क) सेवायोजित महिलाओं ने अपने पति व परिवार के अन्य बुजुर्गों की नौकरी करने वाली महिलाओं के सम्बन्ध में पनपी भ्रान्त धारणाओं का निराकरण किया, जिससे उन्होंने सन्तुष्ट होकर उनको नौकरी करने की स्वीकृति दे दी।

(ख) नौकरी करने वाली महिलाओं ने यह कहा कि हम नौकरी करने के साथ–साथ घर की भी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं।

(ग) सेवायोजित महिलाओं ने कहा कि आज के अर्थ–प्रधान युग में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, अतः वे आर्थिक रूप से परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहयोग करेंगी।

(घ) कतिपय महिलाएं अपनी बात पर अड़ी रहीं, परिणामस्वरूप परिवार में पति और अन्य बुजुर्गों को झुकना पड़ा।

(च) परिवार के अन्तरंग लोगों द्वारा भी सेवायोजित महिलाओ ने अपने पति, सास–श्वसुर इत्यादि के सामने अपना पक्ष रखा, जिससे उनको सफलता प्राप्त हुई।

(छ) एकांकी परिवार के सन्दर्भ में सेवायोजित महिलाओं के मायके के बुजुर्गों द्वारा उनके पति को उनके नौकरी करने के विषय में येन–केन–प्रकारेण सन्तुष्ट करने, परिवार मे नौकरी करने के दौरान आने वाली समस्याओं का निदान का भी सुझाव दिया जाता है।

सेवायोजित महिलाओं से उनके पतियो के साथ सम्बन्धों के विषय में जब बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि –

तालिका

पति के साथ सेवायोजित महिलाओं के सम्बन्ध

क्र.सं.	*पति के साथ सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	सन्तोषजनक	240	80.0
2–	असन्तोषजनक	60	20.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 240 सेवायोजित महिलाओं के अपने पतियों के साथ सम्बन्ध सन्तोषजनक थे, जबकि 60 महिलाओं के असन्तोषजनक।

जिन सेवायोजित महिलाओं के अपने पतियों से असन्तोषजनक सम्बन्ध हैं, उनसे इसके प्रकार/कारण पूंछने पर उन्होंने बताया–

(क) पति की इच्छा के विपरीत अपनी इच्छा से नौकरी करने के कारण सम्बन्ध अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं।

(ख) नौकरी करने से पूर्व हमने अपने पति व सास–श्वसुर को जो आश्वासन दिए थे, वे हम पूरे नहीं कर पाए।

(ग) सास–श्वसुर व बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से न निभा पाने के कारण भी पति से सम्बन्ध असन्तोषजनक हैं।

(घ) पति–पत्नी के स्वभाव, आदतें, विचारधारा, रुचि, जीवन–दर्शन आदि में अन्तर पाए जाने के कारण भी सम्बन्ध असन्तोषजनक हैं।

(च) जब हमारे अधिकारी या सहकर्मी पुरुष हमारे घर आते हैं, तो उनके साथ खुलकर बातचीत करने और हंसने–बोलने से हमारे पति असन्तुष्ट रहते हैं क्योंकि वे इन बातों को पसन्द नहीं करते।

(छ) सेवायोजित महिलाओं से विस्तृत बातचीत करने पर अप्रत्यक्ष रूप से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि नौकरी करने के बाद वे घर लौटकर इतनी थक जातीं हैं कि अपने पति की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वे सहयोग नहीं कर पातीं हैं, परिणामस्वरूप उनके पति उनसे असन्तुष्ट रहते हैं।

(ज) सेवायोजित महिलाओं ने यह भी कहा कि अक्सर हमारी कमाई की बजह से भी हमारे पति असन्तुष्ट रहते हैं क्योंकि वे हमारे वेतन पर अपना अधिकार समझते हैं, जिससे हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं।

सेवायोजित महिलाओं से जब यह पूंछा गया कि आपके बच्चों के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध है तो उन्होंने कहा–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं के बच्चों के साथ सम्बन्ध

क्र.सं.	*बच्चों के साथ सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	मधुर	120	40.0
2–	सामान्य	150	50.0
3–	तनावपूर्ण	30	10.0
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि 120 सेवायोजित महिलाओं के अपने बच्चों के साथ मधुर सम्बन्ध थे, जबकि 150 महिलाओं के सम्बन्ध सामान्य तथा 30 के तनावपूर्ण पाए गए।

आपके सम्बन्ध घर में किस व्यक्ति के साथ सामान्य नहीं हैं? यह पूंछे जाने पर सेवायोजित महिलाओ ने कहा–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं के घर के सदस्यों के साथ सम्बन्धों का सन्तोषजनक न होना

क्र.सं.	*घर के सदस्यों के साथ सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	पति के साथ	50	16.0
2–	सास–श्वसुर के साथ	90	30.0
3–	जेठ–जेठानी के साथ	60	20.0
4–	देवर–देवरानी के साथ	20	7.0
5–	ननद के साथ	60	20.0
6–	अन्य लोगों के साथ	20	7.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 90 सेवायोजित महिलाओं के अपने सास–श्वसुर से सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं रहे। 60 महिलाओं के अपने जेठ–जेठानी से, 50 के पतियों से, 60 के ननदों से, 20 महिलाओं के देवर–देवरानी से व शेष 20 महिलाओं के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्बन्ध असन्तोषजनक रहे।

जब सेवायोजित महिलाओं से यह जानना चाहा कि क्या वे नौकरी करते हुए परिवार के सभी लोगों को सन्तुष्ट रखने में कामयाब हो जाती हैं,

तो उन्होंने उत्तर दिया–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं का नौकरी करते हुए परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर पाना

क्र.सं.	*नौकरी करते हुए परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर पाना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	140	46.7
2–	कभी–कभी	60	20.0
3–	नहीं	100	33.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 140 सेवायोजित महिलाएं नौकरी करते समय परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट कर लेती हैं, जबकि 100 महिलाएं सन्तुष्ट नहीं कर पातीं और शेष 60 महिलाएं कभी–कभी सन्तुष्ट कर पाने में कामयाब हो पाती हैं।

जब उनके उपरोक्त उत्तरों का कारण जानना चाहा तो सेवायोजित महिलाओं ने कतिपय कारण गिनाए–

(क) परिवार के सभी सदस्यों को सन्तुष्ट रख पाने के सन्दर्भ में–

जिन सेवायोजित महिलाओं ने हां में उत्तर दिया, उन्होंने यह कारण बताया कि उनमें समायोजन की प्रवृति होने की वजह से वे हर परिस्थिति में, इस प्रकार के परिवार के सभी सदस्यों को सन्तुष्ट कर लेती हैं।

(ख) परिवार के सभी सदस्यों को कभी-कभी सन्तुष्ट रख पाने के सन्दर्भ में–

जिन सेवायोजित महिलाओं ने यह कहा कि वे परिवार के सदस्यों

को कभी–कभी सन्तुष्ट कर पातीं हैं, उन्होंने इसका यह कारण बताया कि परिवार के सदस्य कभी–कभी सन्तुष्ट से प्रतीत होते हैं, और कभी–कभी वैचारिक मतभेद, रहन–सहन के स्तर और कार्य पद्धति की अनुकूलता के कारण असन्तुष्ट रहते हैं।

(ग) परिवार के सदस्यों को सन्तुष्ट न कर पाने के सन्दर्भ में–

जिन सेवायोजित महिलाओं ने इस सन्दर्भ में नकारात्मक उत्तर दिया, उन्होंने इसका कारण यह बताया कि वे परिवार के बुजुर्गों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरी नहीं उतरीं हैं। सेवायोजित महिलाओं के साक्षात्कार के दौरान जब उनसे यह पूंछा गया कि क्या आपकी वर्तमान नौकरी अथवा व्यवसाय घर तथा बच्चों की देख–रेख में बाधक है, तो उन्होंने कहा–

तालिका

परिवार तथा बच्चों की देखरेख में वर्तमान नौकरी/ व्यवसाय बाधक

क्र.सं.	*परिवार तथा बच्चों की देखरेख में वर्तमान नौकरी/व्यवसाय बाधक*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	100	33.4
2–	नहीं	200	66.6
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 200 सेवायोजित महिलाओं ने यह बात स्वीकार की कि परिवार तथा बच्चों की देखरेख मे उनकी वर्तमान नौकरी/व्यवसाय बाधक नही हैं, जबकि 100 महिलाओं ने इस तथ्य को स्वीकारने से इन्कार किया है।

जब अनुसंधानकर्ता ने उनके उत्तर की पुष्टि हेतु उपरोक्त तथ्यों के कारण जानने चाहे, तो सेवायोजित महिलाओं ने निम्नलिखित कारण बताए–

उच्च आय वर्ग और पारिवारिक पृष्ठभूमि की सेवायोजित महिलाओं ने अपने परिवार और बच्चों की देखरेख में अपनी नौकरी/व्यवसाय को बाधक नहीं माना क्योंकि उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना भी उनके परिवार व बच्चों की देखरेख आसानी से हो जाती है, जबकि मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग की एकाकी परिवार में रहने वाली महिलाओ को अपेक्षित साधन सुलभ न होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां स्वयं ही वहन करनी पड़तीं है, फलस्वरूप वे अपनी नौकरी/व्यवसाय को परिवार और बच्चों की देखरेख में बाधक मानतीं हैं। लेकिन नौकरी/व्यवसाय को बाधक मानते हुए भी वे इससे इसलिए जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। उनके सामने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने तथा बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाने का लक्ष्य है। कुछ सेवायोजित महिलाओं ने ये स्वीकार किया कि उनके कार्य के घण्टे और परिवार की जिम्मेदारियों को वहन करने के सबसे उपयुक्त समय के बीच तालमेल नही बैठ पाता, अतः उन्होंने अपनी नौकरी/व्यवसाय अपने परिवार तथा बच्चों की देख रेख में बाधक सिद्ध होता है। इस श्रेणी की महिलाओं मे क्लर्क, नर्स, वकील, महिला पुलिसकर्मी, आदि आतीं हैं, जिनका जीवन व्यस्तम और भागदौड़ भरा है।

कार्यरत महिलाओं मे से कुछ महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि पति–पत्नी दोनों के नौकरी/व्यवसाय में संलग्न होने के कारण भी वे अपनी नौकरी/व्यवसाय को परिवार तथा बच्चों की देखरेख में बाधक मानतीं हैं क्योंकि जब वे अपनी नौकरी/व्यवसाय से थकीं मांदी वापस आती हैं तो, उनके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वे अपनी स्त्रियोचित भूमिकाओं का भली–भांति निर्वाह करें, जबकि उनकी यह इच्छा होती है कि उनके

पति और परिवार के अन्य सदस्य उनके कार्य में हाथ बटाएं। अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण कभी–कभी वे खीज पड़तीं हैं। परिणामस्वरूप उनके परिवार और बच्चों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता इससे उनके परिवार में कलह बनीं रहती है, जिससे पति–पत्नी के सम्बन्ध भी प्रभावित होते हैं। कुछ सेवायोजित महिलाओं के अपने नौकरी/व्यवसाय में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पातीं, जिससे उनके बच्चों पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है और वे उच्छृंखल हो जाते हैं। नौकरी/व्यवसाय से थकीं–मांदी अवस्था में वापस आने पर घरेलू कार्यों में बच्चों से हाथ बंटाने हेतु सहयोग मांगने पर वे उनकी अवज्ञा करते हैं। इस वजह से उन्हें अपनी नौकरी/व्यवसाय अपने परिवार तथा बच्चों की देखरेख में बाधक लगता है।

घर के बाहर अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध –

सेवायोजित महिलाओं के जीवन में अपने रक्त सम्बन्धों के अलावा नाते–रिश्तेदारों और आस–पड़ोस वालों से भी सम्बन्धों का निर्वाह करना पड़ता है। सेवायोजित महिलाओं से जब अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार के दौरान यह जानना चाहा कि उनके रिश्ते–नातेदारों से उनके किस प्रकार के सम्बन्ध है, तो उन्होंने उत्तर दिया–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं के रिश्ते–नातेदारों से सम्बन्ध

क्र.सं.	*रिश्ते–नातेदारों से सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	मधुर	65	21.7
2–	सामान्य	175	58.3
3–	तनावपूर्ण	60	20.0
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि 175 सेवायोजित महिलाओं के अपने रिश्ते–नातेदारों से सम्बन्ध सामान्य पाए गए, जबकि 65 महिलाओ ने अपने सम्बन्ध मधुर और 60 महिलाओं ने सम्बन्ध तनावपूर्ण स्वीकार किए। जिन सेवायोजित महिलाओं ने रिश्ते–नातेदारों से अपने सम्बन्ध तनावपूर्ण बताए इसके कारण पूंछने पर उन्होंने बताया–

हम अपने रिश्ते–नातेदारों के लिए नौकरी/व्यवसाय की वजह से समय नहीं निकाल पाते हैं।

नौकरी/व्यवसाय में होने के कारण हमारे जीवन–स्तर और रहन–सहन को देखकर वे ईर्ष्या करते हैं, जिससे हमारे सम्बन्ध मधुर नहीं रह पाते हैं।

नाते–रिश्तेदारों से सम्बन्धों के मार्ग में सेवायोजित महिलाओं की स्पष्टवादिता और तार्किकता भी आड़े आती है, जिसे वे पचा नहीं पाते हैं, फलस्वरूप सम्बन्ध सामान्य ही रहते हैं।

मकान–मालिकों और किराएदारों से आपके सम्बन्ध कैसे हैं? यह पूंछे जाने पर सेवायोजित महिलाओं ने कहा–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं के मकान–मालिकों और किराएदारों से सम्बन्ध

क्र.सं.	*मकान मालिकों तथा किराएदारों से सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	अच्छे	60	20.0
2–	साधारण	150	50.0
3–	बुरे	90	30.0
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि 150 सेवायोजित महिलाओं के अपने मकान–मालिको और किराएदारों से सम्बन्ध साधारण, 90 महिलाओं के सम्बन्ध बुरे और 60 महिलाओं के सम्बन्ध अच्छे पाए गए। जिन सेवायोजित महिलाओं ने अपने सम्बन्ध मकान–मालिक और किराएदारों से बुरे बतलाए, उनसे जब उनका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया–

मकान मालिकों की अहंवादिता के कारण सेवायोजित महिलाओं के सम्बन्ध उनसे बुरे हो जाते हैं, क्योंकि वे बात–बेबात अपना मकान–मालिकपन प्रदर्शित करते हैं।

अक्सर छोटी–छोटी बातों पर मकान–मालिक किराएदारों के सम्बन्धों में बिखराव आ जाता है।

कतिपय महिलाओं ने किराएदारी को भी सम्बन्धों की दिशा में बाधक बताया। जब सेवायोजित महिलाओं से यह पूंछा गया कि आप पर ऐसे सम्बन्धों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन महिलाओं ने बताया–

मकान–मालिक और किराएदारों से सम्बन्ध बुरे होने के कारण उनका पारिवारिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। बात–बेबात पर हम अपने बच्चों को बिना किसी उपयुक्त कारण के पीट देते हैं, साथ–ही–साथ अपने कार्यालय में हमारा उन सम्बन्धों की वजह से मन नहीं लगता, और हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। हम अपने कार्यालय में अपने अधिकारियों व अधीनस्थों के प्रति समान्य व्यवहार नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप हम मानसिक रूप से परेशान रहने लगते है।

जब साक्षात्कार के दौरान सेवायोजित महिलाओं से यह पूंछा कि आपके अपने पड़ोसियों से कैसे सम्बन्ध हैं, तो उन्होंने बताया–

तालिका

पड़ोसियों से सम्बन्ध

क्र.सं.	पड़ोसियों से सम्बन्ध	आवृति	प्रतिशत
1—	अच्छे	70	23.4
2—	सन्तोषजनक	95	31.6
3—	तनावपूर्ण	60	20.0
4—	असन्तोषजनक	45	15.0
5—	बुरे	30	10.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 95 सेवायोजित महिलाओं के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध सन्तोषजनक, 70 से अच्छे, 60 के तनावपूर्ण, 45 के असन्तोषजनक व 30 महिलाओं के पड़ोसियों से सम्बन्ध बुरे पाए गऐ। उन सेवायोजित महिलाओ से, जिन्होंने अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध अच्छे और सन्तोषजनक बताए, इन सम्बन्धों के कारण पूंछे, तो उन्होंने कहा कि हमारे दुःख—सुख में हमारे पड़ोसी ही हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं, जबकि ऐसे समय में हमारे नाते—रिश्तेदारों को तो बाद में खबर लगती है, अतः हम लोग अपने सम्बन्धों को ही मधुर बनाने का प्रयास करते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ बुरे, असन्तोषजनक और तनावपूर्ण सम्बन्ध बताने वाली सेवायोजित महिलाओं से जब इन सम्बन्धों के कारण जानने चाहे, तो वे बोलीं— कि हमारे पड़ोसियों में ईर्ष्या की भावना है, क्योंकि नौकरी/व्यवसाय की वजह से हमारे रहन—सहन के स्तर के कारण हम उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। बच्चों की बातों में आकर नासमझी के कारण तब बड़े लोग आपस मे लड़ बैठते हैं, तो सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ता है। दैनिक जीवन में घटित छोटी—छोटी बातों पर जब पड़ोसी लड़ाई—झगड़े कर लेते हैं, तब भी सम्बन्ध खराब हो जाते हैं।

जब पड़ोस की महिलाएं, समूह में बैठकर हमारे सम्बन्ध में अनर्गल बातें करतीं है, और हमारे दूसरे व्यक्तियों के साथ आने–जाने के बारे में गलत अर्थ लगातीं है, जिससे सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं।

यह पूंछे जाने पर कि आप और आपके पड़ोसी किसी भी समस्या के निराकरण में परस्पर सहयोग देते हैं, तो उन्होंने कहा–

तालिका

पड़ोसियों द्वारा समस्या के निराकरण हेतु परस्पर सहयोग

क्र.सं.	*पड़ोसियों द्वारा समस्या के निराकरण हेतु परस्पर सहयोग*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	180	60
2–	नहीं	120	40
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि जिन 180 सेवायोजित महिलाओं के अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध मधुर है, उन्होंने ही अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी समस्या के निराकरण हेतु परस्पर सहयोग की बात कही, जबकि जिन 120 महिलाओं के पड़ोसियों से साथ सम्बन्ध असन्तोषजनक व तनावपूर्ण रहे, उन्होंने उपरोक्त तथ्य से इन्कार किया। आपके अपने पति के मित्रों तथा अपने निजी मित्रों से कैसे सम्बन्ध है? सेवायोजित महिलाओं से पूंछे जाने पर उन्होंने कहा–

तालिका

पति के मित्रों, अपने मित्रों से सेवायोजित महिलाओं के सम्बन्ध

क्र.सं.	*पति के मित्रों, अपने मित्रों से सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	सन्तोषजनक	70	23.4
2–	सामान्य	170	56.6
3–	असन्तोषजनक	60	20.0
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि जिन 170 सेवायोजित महिलाओं के अपने मित्रों व अपने पति के मित्रों से सम्बन्ध सामान्य, 70 महिलाओं के सन्तोषजनक व 60 महिलाओं के सम्बन्ध असन्तोषजनक पाए गए। जिन 60 सेवायोजित महिलाओं ने अपने निजी मित्रों व अपने पति के मित्रों के साथ सम्बन्ध असन्तोषजनक बताए, उनसे इसका कारण पूंछने पर उन्होंने कहा–

कतिपय सेवायोजित महिलाओं की 'रिजर्व नेचर' के कारण मित्रों से सम्बन्ध बनाने के इच्छुक नहीं रहतीं हैं, अतः सम्बन्ध असन्तोषजनक हो जाते हैं।

कुछ सेवायोजित महिलाओं के साथ ऐसे हादसे भी हुए है कि पति के पुरुष मित्रों ने सम्बन्धों का नाजायज फायदा उठाकर गलत हरकते करने की कोशिश की, जिनसे उनके सम्बन्ध असन्तोषजनक हो गए।

सेवायोजित महिलाओं से जब यह पूंछा गया कि क्या आप अपने पति को कभी सन्देह की दृष्टि से देखतीं हैं, तो वे बोलीं–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं का अपने पति को सन्देह की दृष्टि से देखना

क्र.सं.	*सेवायोजित महिलाओं का अपने पति को सन्देह की दृष्टि से देखना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	180	60
2–	नहीं	120	40
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि 180 सेवायोजित महिलाएं अपने पति को सन्देह की दृष्टि से देखतीं है, जबकि 120 सेवायोजित महिलाएं अपने पति के बारे में ऐसा नहीं सोचतीं।

अपने पतियों को सन्देह की दृष्टि से देखने वाली महिलाओ से जब इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने कहा–

कतिपय सेवायोजित महिलाओं से यह कहा कि पति की महिला–मित्रों के कारण जब आस–पास (आस–पड़ोस) की स्त्रियों की जमात उनके बारे में अनर्गल बातें करतीं हैं और उसको प्रमाणित करने का दावा करतीं हैं, तो हमारे पति हमारे सन्देह के घेरे में आ जाते हैं। कुछ सेवायोजित महिलाओं ने यह कहा कि हमारे पति अपनी महिला–मित्रों को आए दिन घर पर लाकर उनके साथ खुले रूप से हंसी–मजाक करते हैं और अपनी सीमाओ का अतिक्रमण करतें हैं और हमारे साथ बात–बात पर तुनक मिजाजी दिखातें हैं, तब हमें उन पर शक होने लगता है। पति देर से घर आते हैं और जब उनसे इसका कारण पूंछा जाता है, तो वे आफिस में कार्य की अधिकता का बहाना बना देते हैं। उनकी बात पर हम उस समय तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में बात खुलती है, तो वे अपनी गलती स्वीकारने के बजाय हम पर ही हावी होने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप हमारे शक की सुई उनकी ओर मुड़ जाती है।

सेवायोजित महिलाओ से जब यह पूंछा गया कि क्या आपके पति आपको सन्देह की दृष्टि से देखतें हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया–

तालिका

सेवायोजित महिलाओं का अपने पतियों को सन्देह की दृष्टि से देखना

क्र.सं.	*सेवायोजित महिलाओं को उनके पतियों द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	120	40
2–	नहीं	180	60
	योग	300	100

तालिका से यह स्पष्ट है कि 180 सेवायोजित महिलाओं ने यह स्वीकारा कि उनके पति उनको सन्देह की दृष्टि से नहीं देखतें है, जबकि 120 सेवायोजित महिलाओं ने यह स्वीकारा कि उनके पति उन पर सन्देह करते हैं।

120 सेवायोजित महिलाओं से जब पति के सन्देह का कारण पूंछा गया तो उन्होंने बताया–

कुछ सेवायोजित महिलाओं ने यह कहा कि जब हमारे पति हमें सहकर्मियों के साथ हमें हंसते–बोलते और खुले रूप में व्यवहार करते हुए देखतें हैं, तो वे हम पर शक करने लगतें हैं।

कुछ सेवायोजित महिलाओं ने यह कहा कि कभी–कभी जब हमारे पति हमको अपने बॉस या सहकर्मी की तारीफ करते हुए देख लेते हैं, तो वे नाराज होकर हम पर कटाक्ष करने लगते हैं और हमारे ऊपर वे शक करने लगते हैं, फलतः सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जाते हैं।

यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त तथ्यों के संकलन में सेवायोजित महिलाओं से साक्षात्कार के अतिरिक्त निरीक्षण–पद्धतियां अन्य स्रोतों का भी सहारा लिया है तथा मौलिक व यथार्थपरक जानकारी प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया है।

पंचम अध्याय

1- पारिवारिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

2- सेवायोजित महिलाओं की सामान्य
दशाएं (विवाह से पूर्व)

3- सेवायोजित महिलाओं की सामान्य
दशाएं (विवाह के पश्चात)

4- सेवायोजित महिलाओं का परिवार
के साथ सामंजस्य

5- कठिनाइयां तथा उनके कारण

पारिवारिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

किसी व्यक्ति के विवाह–पूर्व की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके परिवार के उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तथा भौतिक एवं अभौतिक वातावरण को प्रकट करती है, जिसमें वह जन्म लेता है और भरण–पोषण पाता है, वह परिवेश, जिसमें वह शिक्षा प्राप्त करता है और जिसमें उसके विवाह के पूर्व के जीवन का ढांचा प्रकट होता है। समाज की एक महत्वपूर्ण अभिन्न इकाई होने के कारण परिवार उसी समाज–विशेष की सांस्कृतिक परम्परा को स्वयं में आत्मसात करता है। चूंकि संस्कृति सीखने–सिखाने की प्रतिक्रियाओं द्वारा संचारित होती है चाहे वे प्रतिक्रियाएं औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक हों, अतः संस्कृति का अनिवार्य अंश उन ढांचों में पाया जाता है जो एक समूह की सामाजिक परम्पराओं व रीति–रिवाजों में निहित हैं, इसका तात्पर्य यह है कि यह उस समूह के प्रचलित ज्ञान, आचार–विचारों, धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आस्थाओं, स्तरों तथा भावनाओं में निहित हैं। चूंकि मानव केवल अपने वातावरण तथा अपनी आनुवंशिकता की उपज है, अतः उसकी विवाह पूर्व की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी धारणाओं, मान्यताओं तथा दृष्टिकोंणों तथा उसके जीवन के ढांचे के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतीं हैं। वैवाहिक अन्तर्वैयक्ति तथा गैर–अन्तर्वैयक्तिक परस्पर क्रियाओं पर पति–पत्नी की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चिन्ह अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालतें हैं।

(अ) सेवायोजित महिलाएं – सामान्य दशाएं (विवाह से पूर्व)

पारिवारिक पृष्ठभूमि –

स्त्री के जीवन में उसके परिवार की एक अहम् भूमिका होती है,

जिसमें उसने जन्म लिया। जो संस्कार वह बचपन से अपने परिवार में ग्रहण करती है, जिस परिस्थितियों में उसका पालन–पोषण होता है, जिस परिवेश में उसका रहन–सहन होता है, जिन संस्थाओं में उसने शिक्षा ग्रहण की होती है, उन सभी बातों का मिला–जुला स्वरूप होता है, उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसके सोचने–समझने का दृष्टिकोंण तथा परिस्थितियों से समायोजित होने की अनुकूल क्षमता। प्रस्तुत अध्याय में अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित शिक्षित उच्च, पिछड़ी एवं अनुसुचित जाति की महिलाओं का अध्ययन उनके विवाह के पूर्व, जिस परिवार में वह रह रही है, उसके आधार पर किया है।

परिवार का आकार –

परिवार के आकार का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से स्त्री के जीवन को प्रभावित करता है। छोटे परिवारों में बड़े परिवारों की अपेक्षा अधिक सुख–सुविधाओं, वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बाहुल्य पाया जाता है। अतः सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया गया है कि विवाह से पूर्व कितनी महिलाएं संयुक्त परिवारों में रहीं हैं, और कितनी एकाकी परिवारों में।

तालिका में इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है :

तालिका

स्त्रियों के विवाह से पूर्व परिवार का आकार

क्र.सं.	*परिवार के प्रकार*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	संयुक्त	240	80
2–	एकाकी	60	20
	योग	300	100

तालिका से यह ज्ञात होता है कि शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाएं

विवाह से पूर्व 80 प्रतिशत संयुक्त परिवारों में रहीं हैं और 20 प्रतिशत एकाकी परिवारों में रह रहीं हैं। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि एकाकी परिवारों मे लड़कियों को अधिक स्वतन्त्रता–पूर्ण जीवन, अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं। संयुक्त परिवारों में प्रतिबन्ध थोंड़े अधिक पाए गए हैं।

आर्थिक आधार –

परिवार का ढांचा आर्थिक रूप से जितना सुदृढ़ होगा, उसका जीवन स्तर उतना ही समृद्ध होगा, इसके विपरीत किसी परिवार का आर्थिक पहलू कमजोर है तो समस्त परिवार का रहन–सहन उससे प्रभावित होता है। अतः प्रस्तुत अध्याय में पैतृक व्यवसाय व पिता की औसत मासिक आय का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं से स्पष्ट होता है–

तालिका

पिता का व्यवसाय विवरण

क्र.सं.	*व्यवसाय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	व्यापार	95	31.7
2–	कृषि	80	26.7
3–	सम्पत्ति से आय	30	10.0
4–	नौकरी	70	23.3
5–	डाक्टर	10	3.3
6–	वकील	15	5.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं

के मायके मे उनके पिता उपरोक्त छः प्रकार से अर्थोपार्जन करते है। 31.7 प्रतिशत व्यापार, 26.7 प्रतिशत कृषि, 10 प्रतिशत को सम्पत्ति से आय, 23.3 प्रतिशत नौकरी, 3.3 प्रतिशत डाक्टर, 5 प्रतिशत वकालत करते थे। सबसे अधिक प्रतिशत व्यापार करने वाले परिवारों का रहा। उसके बाद कृषि करने वालों का रहा।

तालिका

पिता की औसत मासिक आय

क्र.सं.	*मासिक आय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	0—1000	80	26.7
2—	1000—2000	60	20.0
3—	2000—3000	90	30.0
4—	3000—4000	50	16.6
5—	4000 से अधिक	20	6.6
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं ने विवाह से पूर्व 26.7 प्रतिशत निम्न वर्ग, 20 प्रतिशत निम्न—मध्य वर्ग, 30 प्रतिशत मध्यम वर्ग, 16.6 प्रतिशत उच्च—मध्यम व 6.6 प्रतिशत महिलाओं ने उच्च आर्थिक स्तर में जीवन यापन किया।

महिलाओं के विचारों, आदतों और रहन—सहन पर उनके विवाह पूर्व के परिवार की आर्थिक स्थिति का पूर्ण प्रभाव देखा गया। जो महिलाएं उच्चवर्गीय परिवारों की हैं, उन्हें महंगे कपड़े पहनना, घर को खूब सजाकर रखना, अच्छा खाना, खूब घूमने आदि का शौक है और विपरीत पारिवारिक पृष्ठभूमि में फिर

उनका टकराव प्रायः इस आधार पर होता है। आर्थिक अभाव को बरदास्त कर पाना उनके वश की बात नहीं। किन्तु जो महिलाएं मध्यम वर्ग की हैं, वे गृहस्थी का संचालन मितव्ययिता और उचित सूझ–बूझ के साथ करना ठीक समझतीं हैं। ज्यादा फिजूलखर्ची उन्हें पसन्द नहीं। आवश्यक आवश्यकताओं पर सोच–समझकर खर्च करतीं हैं। परिवार के साथ भी समन्वय बनाए रखने का पूरा प्रयास होता है। निम्न वर्गीय महिलाओं का स्तर स्वाभाविक रूप से अति साधारण होता है। ऐसी परिवार की महिलाएं संयोग से यदि उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय परिवार में पहुंच जातीं हैं, तो हीन भावना से ग्रस्त रहतीं हैं, परिवार के साथ अनुकूलन स्थापित करने में उन्हें पर्याप्त असुविधा होती है। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं के जीवन पर उनके विवाह पूर्व के आर्थिक स्तर का बहुत प्रभाव पड़ता है और विपरीत आर्थिक स्तर परिवार में समायोजन में भी कठिनाई अनुभव होती है।

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि –

प्रत्येक लड़की बचपन से ही उन संस्कारों को ग्रहण करना प्रारम्भ कर देती है, जो उसके परिवार में अपनाए जाते हैं। इसके लिए उसे कहीं अलग से शिक्षा लेने नहीं जाना पड़ता, बल्कि वह जन्म से ही जो देखती, सुनती आ रही है, जाने–अन्जाने उसे ग्रहण करना प्रारम्भ कर देती है। लेकिन विवाह के पश्चात जब वह पति गृह में पहुंचती है, तो सम्भव है, उसे विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़े। क्योंकि प्रत्येक परिवार की कुछ अपनी अलग मान्यताएं, मूल्य, रुचियां आदि हुआ करतीं हैं। रहन–सहन का ढंग भी अलग होता है। अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में यह बताने की कोशिश की है कि विवाह के पूर्व महिलाएं अपने जीवन के प्रति कौन–सा दृष्टिकोण पसन्द करतीं थी। तालिका से उपरोक्त प्रश्न का अर्थ स्पष्ट हो जाता है–

तालिका

जीवन के प्रति दृष्टिकोंण

क्र.सं.	दृष्टिकोंण	आवृति	प्रतिशत
1—	परम्परागत	90	30.0
2—	आधुनिक	45	15.0
3—	मिश्रित (संयुक्त)	165	55.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि जीवन के प्रति रहन—सहन के दृष्टिकोंण पर अध्ययन इस आशय से किया गया कि विवाह पश्चात कई बार महिलाओं को अपनी इच्छानुकूल परिवार न मिल कर भिन्न दृष्टिकोंण के परिवार भी मिल जाते हैं। ऐसे में समायोजन की समस्या जन्म लेती है। अतः यह जानना आवश्यक था कि कितने प्रतिशत महिलाएं किस प्रकार के परिवारों में रहतीं हैं।

पारिवारिक परिस्थितियों का महिलाओं की मनःस्थिति पर पूरा—पूरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी महिला के परिवार में विघटन रहा है, तो निश्चित रूप से उसके स्वभाव, हाव—भाव में अन्तर होगा, अपेक्षाकृत उसके जिसका पारिवारिक वातावरण स्नेहपूर्ण और मधुर रहा हो। अतः महिलाओं के व्यवहार, आदतों में माध्यम के परिवार की विशेष भूमिका होती है। उनके व्यक्तित्व पर उनके मायके के परिवार के संस्कारों, विचारों, आदतों का पूर्ण प्रभाव उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। मायके के संस्कार उसके जीवन में आजीवन विद्यमान रहतें हैं। उनके संस्कारों से विमुख होना उसके लिए सम्भव नहीं होता। जैसे किसी परिवार में वैदिक धर्म का पालन होता है, तो स्वाभाविक रूप से लड़की को पत्थर पूजा में विश्वास नहीं होगा। वह ससुराल पहुंचकर परिवार की प्रसन्नता के लिए परिवार से समायोजित होने की चेष्टा में भले ही पाषाण की प्रतिमाओं

को सिर झुकां दें, हाथ जोड़ लें, परन्तु उसे पत्थर की मूर्ति में कभी विश्वास नहीं होगा। इसी प्रकार वैदिक परम्परा में रही लड़की अंधविश्वास, रूढ़िया, तन्त्र–मन्त्र पर विश्वास नहीं करेगी। जो परिवार के संस्कार उसे मायके से मिलते हैं वो उसके विचार, आदतों में ऐसे रच–बस जाते हैं कि उनसे विमुख होना सहज नहीं होता और कभी–कभी इन विपरीत संस्कारों वाले परिवारों में समायोजन करना महिला के लिए काफी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार व्रत, त्यौहार, रीति–रिवाज भी महिला को वही अच्छे लगतें हैं जो उसके विवाह से पूर्व के परिवार में मनाए जाते थे और जिस ढंग से मनाए जाते थे, वही उसे पसन्द आता है। ससुराल में यदि त्यौहारों के मनाने का तरीका भिन्न है, तो उसे कष्ट का अनुभव होता है। महिलाओं के मूल्यों और मान्यताओं में भी उसके मायके के परिवार की अहम् भूमिका होती है। इसी प्रकार मायके और ससुराल के परिवार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अन्तर होने पर परिवार में अनुकूलन की समस्या उत्पन्न होती है। कभी–कभी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर समायोजन में कठिनाई भी अनुभव होती है। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं के जीवन पर उनके विवाह पूर्व के परिवार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य ही पड़ता है और उनकी इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी ससुराल के परिवार में उनके अनुकूलन की प्रतिक्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रहती।

उनकी शिक्षा तथा नौकरी –

शिक्षा शब्द संस्कृत की 'शिक्ष्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। यहां पर सीखने का अर्थ मात्र वह नहीं है जो विद्यार्थी किसी विद्यालय में जाकर ग्रहण करता है। सीखना तो एक व्यापक प्रक्रिया है, जो मानव जब से जन्म लेता है, तब से प्रारम्भ हो जाती है और यह प्रक्रिया उसके आजन्म चलती रहती है। शिक्षा वास्तव में मानव के सर्वतोन्मुखी विकास की जीवन व्यापी प्रक्रिया है। शिक्षा मूल रूप से व्यक्ति दो प्रकार से ग्रहण करता है। एक औपचारिक

रूप में, दूसरी अनौपचारिक रूप में। अनौपचारिक रूप से होने वाली शिक्षा तो अविराम चलती रहती है। किन्तु औपचारिक शिक्षा वह है जो व्यक्ति विवेकपूर्ण योजनाबद्ध रूप से स्कूल, कालेजों में ग्रहण करता है। व्यक्तित्व के विकास में इस शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत और परिमार्जित कर उसे कितना योग्य बना देती है। महिलाओं के जीवन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा उसके सोचने–समझनें के ढंग, रहन–सहन, उसकी वैयक्तिक आदतों, मूल्यों, प्रतिमानों आदि सभी को प्रभावित करती है। महिलाओं के जीवन में परिवार और शिक्षा दोनों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। किन्तु भिन्न–भिन्न पारिवारिक रीति–रिवाज व रहन–सहन के स्तर के कारण महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी अलग–अलग है। शैक्षिक स्तर भिन्न–भिन्न होने के कारण विवाह के पश्चात महिलाओं के कार्य करने के ढंग, रुचियां, दृष्टिकोंणों, आदतों सभी में पर्याप्त अन्तर विद्यमान रहता है। अतः यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं ने अपने विवाह पूर्व जो शिक्षा ग्रहण की, उसमें परिवार में सर्वाधिक योगदान उन्हें किसने दिया।

तालिका

शिक्षा तथा प्रगति में योगदान

क्र.सं.	*योगदान पारिवारिक सदस्यों का*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बाबा–दादी	35	11.7
2–	नाना–नानी	10	3.3
3–	माता	45	15.0
4–	पिता	120	40.0
5–	भाई	80	26.7
6–	बहिन	10	3.3
	योग	300	100

तालिका से यह विदित होता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा में सर्वाधिक योगदान उनके पिता का है, द्वितीय माता का है, तृतीय भाई का। मुख्य रूप से शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाना माता–पिता का ही कर्तव्य। भाई, बहिन, बाबा, दादी या नाना, नानी का योगदान सिर्फ उन महिलाओं के ही जीवन में है, जिनके माता–पिता नहीं हैं। कही–कहीं यह पाया गया है कि माता–पिता अत्यन्त रूढ़िवादी हैं बहनों का भी योगदान रहा है, उनकी शिक्षा में। महिलाओं का शैक्षिक स्तर भी अलग–अलग है। अतः तालिका में उनकी शिक्षा का स्तर दर्शाया गया है–

तालिका

महिलाओं की शिक्षा का स्तर

क्र.सं.	*शिक्षा का स्तर*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हाईस्कूल	25	8.4
2–	इण्टरमीडिएट	100	33.4
3–	बी0 ए0	85	28.2
4–	एम0 ए0	15	5.0
5–	एम0बी0बी0एस0, पी–एच0डी0, एल–एल0बी0	75	25.0
	योग	300	100

तालिका के अनुसार इण्टरमीडिएट पास महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। उसके बाद वे महिलाएं हैं, जिन्होंने बी0ए0 तक शिक्षा ग्रहण की है। स्नात्कोत्तर शिक्षा का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं के सोचने, समझने के दृष्टिकोंण व्यवहार, आदतों, निर्णय लेने की क्षमता, कार्य को अधिक कर पाने

की क्षमता, उन्हें शिक्षा से प्राप्त होती है। परिवार में शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की कार्य–शैली में पर्याप्त सामनता देखी जा सकती है। यही असमानता जब विवाह के पश्चात महिलाओं को ससुराल में मिलती है, तो परिवार के साथ उनके अनुकूलन की प्रक्रिया अवश्य ही प्रभावित होती है। महिलाओं का अधिक शिक्षित होना, परिवार के सदस्य कम शिक्षित होना, इसमें एक दूसरे से प्रायः टकराव हो जाता है और कभी तो परिवार में ऐसा वातावरण उपस्थित हो जाता है कि महिला को अनुभव होता है कि इससे तो वह अशिक्षित होती, तो अच्छा था। कम से कम परिवार वाले बात–बात में शिक्षा का उलहना तो न देते। कहीं–कहीं परिवार में पढ़ी–लिखी बहू के विचारों, उसके कार्य करने के ढंग, बात, व्यवहार की प्रशंसा होती है। इस प्रकार सफल और असफल दोनों ही प्रकार के अनुकूलन का सम्बन्ध शिक्षा से जुड़ा होता है। शैक्षिक स्तर के आधार पर उनकी अनुकूलन क्षमता में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

नौकरी –

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय परिवर्तन के साथ–साथ महिलाओं के लिए बने प्रतिबन्धों में भी काफी हद तक शिथिलता आती जा रही है। शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष आ खड़ीं होने को उद्यत हैं। किन्तु कितना ही पारिवारिक दृष्टिकोंण परिवर्तित क्यों न हुआ हो, फिर भी हमारे समाज में महिलाओं को वह स्वतन्त्रता नहीं है कि वे स्वेच्छा से अपने लिए मन चाहे क्षेत्र का चुनाव कर सकें। बदलते परिवेश में बढ़ती हुई महंगाई के साथ यह आवश्यकता अनुभव की जाती है कि महिलाएं भी अर्थोपार्जन कर हाथ बंटा कर परिवार के आर्थिक दायित्व–कुछ कम करें। नौकरी के लिए महिलाएं आगे आ रही हैं। नगरों में यह प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। क्या विवाहित और क्या अविवाहित, दोनों ही प्रकार की महिलाएं नौकरी कर रहीं है। किन्तु छोटे शहरों में यह अनुपात अभी भी कम है।

तालिका

विवाह से पूर्व सेवायोजित महिलाएं

क्र.सं.	नौकरी	आवृति	प्रतिशत
1—	करतीं हैं	120	40
2—	नहीं करतीं हैं	180	60
	योग	300	100

तालिका से यह ज्ञात होता है कि विवाह से पूर्व नौकरी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 40 है, जबकि नौकरी न करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 60 है। सेवायोजित महिलाएं विवाह से पूर्व नौकरी करतीं थीं। उनके नौकरी करने के कारण जानने पर ज्ञात हुआ कि 15 प्रतिशत महिलाएं शिक्षा के सदुपयोग के कारण नौकरी करतीं थी, 13.3 प्रतिशत महिलाएं समय काटने के लिए नौकरी करतीं थीं तथा 20 प्रतिशत महिलाओं की नौकरी करने का कारण आर्थिक विषमता था।

विवाह के पश्चात नौकरी करने वाली महिलाओं का परिवार के साथ अनुकूलन उनकी नौकरी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। नौकरी करने वाली महिला का दायित्व चूंकि दोहरा हो जाता है। उसे नौकरी और परिवार दोनों की देखभाल करनी होती है, तो उसके सम्मुख कुसामंजस्य की समस्या आ खड़ी होती है। दोनों में उचित समायोजन बनाए रखना वास्तव में उसके लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए सेवायोजित महिला छोटे बच्चों के पालन—पोषण के लिए परिवार के सदस्यों पर या नौकरानी पर निर्भर करती है। कार्य संस्थान में आते समय बच्चा तो छोड़ना ही पड़ता है। बच्चे की देखभाल यदि परिवार के सदस्य करें, तो वह भी अक्सर नाराज हो जाते हैं और यदि नौकरानी करे, तो उस पर इतना विश्वास नहीं होता। महिला के लिए दोनों स्थिति चुनौतीपूर्ण

होती हैं। इसी प्रकार परिवार में अन्य सभी सदस्यों, सास–ससुर, पति, सभी को उससे अलग–अलग अपेक्षाएं है, जरा–सी चूक हुई और परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में सेवायोजित महिलाओं को घर और नौकरी दोनों में सामंजस्य बनाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। अतः अनुकूलन की प्रक्रिया पर नौकरी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

उनके परिवारों की सामाजिक स्थिति –

प्रस्तुत अध्याय में अनुसंधानकर्ता ने यह बताने का प्रयास किया है कि विवाह के पूर्व शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं के परिवार की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। हर परिवार का समाज में अपना अलग ही स्थान हुआ करता है। लड़की जिस परिवार में रहती है, उस पर उस परिवार का अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जैसी स्थिति उसके परिवार की समाज में होती है, उसी के अनुसार वैयक्तिक आदतें, रहन–सहन, विचार, परिवेश आदि लड़की अपना लेती है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, जिन्हें समाज में कोई जानता तक नहीं। इसके विपरीत कुछ परिवार ऐसे होते हैं, जिनका नाम सुनकर ही लोग प्रसन्न हो उठते हैं। किसी परिवार की सामाजिक स्थिति उसके कार्यों से आंकी जाती है, बहुत से परिवार समाज में ऐसे पाए जाते हैं जो किसी से सम्बन्ध ढूंढना ठीक नहीं समझते। किसी के साथ सुख–दुःख में भाग नहीं लेते और न ही किसी सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जातिवाद की संकीर्णता में जकड़े होते हैं और अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इसके विपरीत ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं, जो सबके साथ उठना बैठना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, किसी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहना, परेशानी में दूसरों का साथ देना। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति, परिवार की स्थिति समाज में उसके कार्यों के आधार पर, गुणों के आधार पर की जाती है। प्रायः देखने में आता है कि कुछ परिवार

सामाजिक रूप से इतने लोकप्रिय हुआ करते हैं कि किसी से भी आप उनके विषय में पूंछे, तो लोग तुरन्त उनके विषय में बताने को उद्यत हो जाते हैं और बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि जिनकी अपने जाति समुदाय में भी कोई पहचान नहीं होती। स्पष्टतः लड़कियों पर उनके परिवार की सामाजिक स्थिति का प्रभाव कहीं न कहीं अवश्य दृष्टिगोचर होता है। उनकी पारिवारिक स्थिति जानने का कारण यह भी है कि विवाह के पश्चात यदि उन्हें विपरीत सामाजिक स्थिति वाला परिवार मिल जाता है तो उनके समक्ष अनुकूलन की समस्या एक चुनौती बन जाती है। साक्षात्कार के दौरान अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन में यह पाया कि ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं, जिनके मायके के परिवारों की सामाजिक स्थिति अत्यन्त उच्च थी किन्तु दुर्भाग्यवश ससुराल में उन्हें वैसा परिवार नहीं मिला। अनुसंधानकर्ता ने अनौपचारिक रूप से इस सन्दर्भ में साक्षात्कार में यह प्रश्न भी पूंछा कि मायके में आपके परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी थी। 33.3 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर था कि वे सामान्य पारिवारिक स्थिति के परिवारों की हैं, 25 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया कि उनके परिवार की स्थिति समाज में कुछ खास नहीं थी, 16.7 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर था कि उनकी पारिवारिक स्थिति नगण्य थी। बहुत से लोग उनके परिवार के विषय में जानते तक नहीं, 8.3 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं को उच्च पारिवारिक स्थिति वाले परिवार का बताया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की बहुत प्रतिष्ठा थी। उन्हें समाज में और सभी उनके परिवारों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। साक्षात्कार के दौरान अनुसंधानकर्ता ने यह अनुभव किया कि जो महिलाएं उच्च पारिवारिक स्थिति वाले परिवारों की थीं, उनका रहन–सहन, बात करने का ढंग, शिष्टाचार आदि सभी गुणों का समावेश उनमें दिखाई दिया। इसके विपरीत जो महिलाएं निम्न पारिवारिक स्थिति वाले परिवारों की थीं, उनमें शिष्टाचार की विशेष कमी थी। इस प्रकार अनुभव किया गया कि महिलाओं पर उनके परिवार की सामाजिक स्थिति का प्रभाव भी कितना महत्वपूर्ण हुआ करता है।

उनका सामाजिक जीवन –

विवाह के पूर्व महिलाओं का निजी सामाजिक जीवन क्या था। वे किन सामाजिक कार्यों में भाग लेतीं थीं। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे स्कूल, कालेज में जो उनकी सखी, सहेलियां होती थीं, उन्हीं से मित्रता और उत्सवों आदि में उनके घर ही जाना होता था। अलग से सामाजिक कार्य करने का अवसर कहां मिलता था। यह पूंछे जाने पर कि क्या आप विवाह के पूर्व किसी क्लब की सदस्या थीं? उनका उत्तर था नहीं। विवाह से पूर्व लड़कियों को कहां इतनी स्वतन्त्रता होती है कि वे किसी क्लब की सदस्या बनें। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके पिता तथा भाई–भाभी क्लब जाते थे, तो कभी–कभार वे भी चलीं जाती थीं, किसी उत्सव वगैरह के अवसर पर। यह पूँछे जाने पर कि आपको अपने मित्रों तथा परिचितों में मिलने जाने की स्वतन्त्रता थी तो 15 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर था, कभी–कभी, 25 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर था नहीं और 60 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर हां में था। इस प्रकार विवाह के पूर्व महिलाओं का सामाजिक जीवन सीमित ही था और उनका सामाजिक जीवन सीमित होने का कारण था, उन पर पारिवारिक प्रतिबन्ध। परिवार से बिना पूंछे कहीं जाना उनके लिए सम्भव नहीं था। परिवार जिस कार्य की अनुमति देता था, उसे ही वे कर सकतीं थीं। अतः उनका सामाजिक जीवन बस सखी, सहेलियों तक ही सीमित था।

व्यक्तिगत अभिरूचियां तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोंण –

रूचि एक सामाजिक संरचना है, वह व्यक्ति को अन्तरप्रेरित कर सकता है। **मैक्डूगल** के अनुसार– "रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है।" रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक स्वभाविक संस्कार है। रुचि की प्रेरणाशक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर

ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि वह प्रवृति है जिसमें हम किसी अनुभव में दत्तचित होकर उसे जारी रखना चाहते है।

अभिरुचियों से अभिप्राय किसी वस्तु के प्रति विशेष लगाव से है। अभिरुचियों का अर्थ प्रायः लोग मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति से लगाते हैं किन्तु सदैव ऐसा नहीं होता, किसी खास परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। अभिरुचियां सभी की पृथक–पृथक हुआ करतीं हैं और उन रुचियों का प्रभाव सम्बन्धित व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। रुचि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। एक ही परिवार में यह आवश्यक नही कि सबकी रुचि समान हो। यह संयोग की बात है कि परिवार में किसी की रुचियां अन्य सदस्यों से मेल खातीं हों। रुचि एक स्वेच्छात्मक आन्तरिक प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय, स्थान आदि से प्राप्त हो सकती है। अतः इस सन्दर्भ में कि विवाह पूर्व की अभिरुचियों और विवाह के पश्चात की परिस्थितियों में अन्तर हो जाने से कहीं कुछ असामान्यता आती है। अतः व्यक्तिगत अभिरुचियों का अध्ययन किया गया। साक्षात्कार में महिलाओं से यह पूंछे जाने पर कि आपकी व्यक्तिगत अभिरुचियां क्या हैं? भिन्न–भिन्न उत्तरों की प्राप्ति हुई।

तालिका

व्यक्तिगत अभिरूचियां

क्र.सं.	*रुचियां*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	गृहकार्य (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाककला)	185	61.7
2—	साहित्यिक (लेखन, कला आदि)	15	5.0
3—	खेलकूद	10	3.3
4—	संगीत	30	10.0
5—	मनोरंजन (सिनेमा देखना, पत्रिकांए पढ़ना, ताश खेलना आदि)	60	20.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 61.7 प्रतिशत महिलाओ की गृहकार्यों मे ही रुचि थी। गृहकार्यों में मुख्यतः सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं पाककला के प्रति उनकी रुचि थी। केवल 5 प्रतिशत महिलाओं की रुचि साहित्यिक क्षेत्र में थी। 10 प्रतिशत महिलाएं ऐसी पाई गई, जिन्हें संगीत में विशेष रुचि थी। विशेष रुप से अभिप्राय उन महिलाओं से है, जो संगीत में दक्ष थीं और उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण भी लिया है, 20 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी रुचि मनोरंजनात्मक बताई। ऐसी महिलाओं को सिनेमा देखना, घूमना–फिरना, पत्रिकाएं पढ़ना प्रिय था। इस प्रकार सर्वाधिक रुचि गृह कार्यों में, उसके बाद मनोरंजन में रुचि रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने पाया कि अभिरुचियों के कारण भी प्रायः परिवार के अन्य सदस्यों से टकराव हो जाया करता है। परन्तु महिलाएं ऐसी स्थिति में बात को न बढ़ाकर अनुकूलन ही स्थापित कर लेतीं हैं। अभिरुचि के कारण कहीं पारिवारिक अनुकूलन असफल रहा हो, ऐसा नहीं है। रुचियों के कारण परिवार में पति–पत्नी में भी प्रायः टकराव हो जाता है। सबकी रुचियां समान तो होती नहीं। इसी प्रकार बच्चों की रुचियां तो बड़ों की तुलना में एकदम ही अलग होती है। तो प्रायः माता–पिता और बच्चों में टकराव हो जाता है। परन्तु अनुकूलन ऐसी परिस्थितियों में करना ही पड़ता है। महिलाओं के अनुसार "हमने तो अपनी इच्छाओं का बलिदान करना ही सीखा है। इन छोटी–छोटी बातों पर टकराव तो होता ही है। किन्तु इनको विवाद का विषय बना दें और जिद का सहारा लें, तो चल गई परिवार की गाड़ी। अतः बस अनुकूलन करना ही अच्छा है। कभी थोड़ी बहुत देर तो बुरा लगा, तो लगा किन्तु हम ज्यादा महत्व नहीं देते, ऐसी बातों को।

जीवन के प्रति दृष्टिकोंण –

जीवन के प्रति हर किसी का अपना दृष्टिकोंण हुआ करता है। कुछ लोग आशावादी प्रवृत्ति के हुआ करते हैं तो कुछ निराशावादी, आशावादी

दृष्टिकोंण के अन्तर्गत वे लोग आते हैं, जिन्हें घर, कार्य को करने का उत्साह, उत्कन्ठा और रुचि हुआ करती है। ऐसे लोग स्वयं को किन्ही कार्यों में व्यस्त रखते हैं। परन्तु निराशावादी दृष्टिकोंण के लोग जीवन के प्रति अत्यन्त उदासीन होते हैं। यहां तक कि वे जीवन को एक बोझ समझकर ढोतें हैं। कुछ नया करने का न उनमें उत्साह होता है, न लगन। न ही आगे बढ़कर कुछ करने की सोचते हैं। ऐसे लोगों का जीवन जीने की लालसा भी उनमें नहीं पाई जाती। इस विषय में कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोंण कैसा है, आशावादी या निराशावादी। जिन उत्तरों की प्राप्ति हुई, उनको तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका

जीवन के प्रति दृष्टिकोंण

क्र.सं.	*दृष्टिकोंण*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	आशावादी	110	36.6
2–	निराशावादी	190	63.4
	योग	300	100

तालिका से यह ज्ञात होता है कि 63.4 प्रतिशत महिलाएं ही जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोंण रखतीं हैं। साक्षात्कार व निरीक्षण के मध्य यह पाया गया कि ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सन्तुष्ट नहीं हैं, पारिवारिक तनावों को सह रहीं हैं तथापि परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने का साहस उनमें है। केवल 36.6 प्रतिशत महिलाएं ऐसीं थीं, जिनके जीवन में घोर निराशा व्याप्त थी तथा वे जीवन के प्रति उदास थीं। उन महिलाओं से, जिन्होंने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोंण उदासीन बताया। कुछ अनौपचारिक प्रश्न भी पूंछे, जिनके निष्कर्ष है कि जो महिलाएं कुंठाग्रस्त हैं, जीवन के प्रति उदासीन हैं, उनके कुछ ठोस कारण थे। कुछ महिलाओं

मे यह उदासीनता विवाह के पश्चात आई थी। कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे विवाह पूर्व भी जीवन के प्रति उदासीन थीं।

इसी सन्दर्भ में महिलाओं से एक प्रश्न यह भी पूंछा गया कि जब आपका विवाह हुआ, आप विवाह करने की इच्छुक थीं। इसका विवरण तालिका मे स्पष्ट है।

तालिका
विवाह करने की इच्छुक

क्र.सं.	*विवाह करने की इच्छुक*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1—	हां	125	41.6
2—	नहीं	60	20.0
3—	कह नहीं सकती	115	38.4
	योग	300	100

तालिका को देखने से विदित होता है कि 38.4 प्रतिशत महिलाएं इस विषय में कि वे विवाह करने की इच्छुक थीं, स्पष्ट बताने में असमर्थ थीं। इसका कारण ऐसी महिलाओं का प्रतिशत अधिक था, जिन्हें इस विषय में उक्त अहसास नहीं था। अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कर लेते समय यह अनुभव किया कि ये वे महिलाएं थीं, जिनकी शिक्षा हाईस्कूल व इण्टर थी। अतः कुछ तो शिक्षा और कुछ अल्पायु के कारण उनके पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। 20 प्रतिशत महिलाएं विवाह करना ही नहीं चाहतीं थीं और उसके कारण थे आगे अध्ययन करना, अपने पैरों पर खड़े होने की अभिलाषा एवं कुछ को विवाह से अरुचि। 41.6 प्रतिशत महिलाएं ऐसी थीं जो विवाह के प्रति रुचि रखतीं थीं, उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आयु भी परिपक्व थी।

वैयक्तिक आदतें, स्वभाव –

आदत के अन्तर्गत केवल वही कार्य शामिल किए जा सकते है, जिन्हें हम बिना विचार शक्ति का प्रयोग किए, करना सीख जाते है। और हम हर बार न्यूनाधिक एक ही प्रकार से करते है।

व्यवहार के वे सभी परिवर्तन जो अनुभव द्वारा प्राप्त किए जाते है, आदत कहलाते है। मानव की दैनिक एवं स्वभाविक क्रियाएं ही आदत कहलाती है। जैसे सत्य बोलने की आदत कहलाती है, शराब पीने की आदत आदि। रुचियों की भांति सभी की आदतें भी प्रायः भिन्न हुआ करती है परन्तु आदतों पर परिवार का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जिस परिवार का बालक जैसा देखता, सुनता है, उसी प्रकार उसकी आदतों का निर्माण हो जाया करता है। इन आदतों को बालक जाने–अनजाने ही ग्रहण कर लेता है अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की आदतों में परिवार की अहम् भूमिका होती है। लड़कियो की आदतों में भी उनके परिवार की बड़ी भूमिका होती है वे वही आदतें अपना लेती है जो परिवार में दूसरों को करते देखती है। आदतें पारिवारिक वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करती है अतः सभी महिलाओं की आदते एक–दूसरे से भिन्न हो सकती है। यही भिन्नता जब विवाह के पश्चात नए परिवार में पहुंचने पर स्त्री को मिलती है, तो अनुकूलन करना कुछ असम्भव–सा हो जाता है। जो पारिवारिक आसामंजस्य या तनाव को जन्म देता है। अतः आदतों का पारिवारिक सामंजस्य में महत्वपूर्ण स्थान है।

इस सन्दर्भ में महिलाओं ने स्वीकार किया कि अपनी विवाह पूर्व की आदतों के कारण उनको विवाह पश्चात नए परिवार के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। अनौपचारिक साक्षात्कार के मध्य एक महिला ने यह बताया कि वह अपनी मां की लाड़ली इकलौती बेटी थी, मां ने न तो उससे कभी

काम ही नहीं करवाया और न ही कभी उसको डांट पड़ती थी, वह तो बस खेलने कूदने मे मस्त रहती थी। सुबह देर तक सोना, उसकी आदत थी और अपनी इस आदत के कारण विवाह के बाद जब पहली बार वह पति गृह आई, तो अगले दिन से ही उसको आदतों के कारण उलाहने सुनने को मिले, बहुत दुःख हुआ। किन्तु अब धीरे-धीरे उसने अपनी इस आदत को बदल लिया है इसी प्रकार अन्य कई महिलाओं ने आदतों को लेकर अपनी आप बीती सुनाई। इन महिलाओं के अनुभव काफी कटु थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी विवाह पूर्व की आदतों के कारण परिवार के साथ समायोजन में उन्हें विशेष कठिनाई का अनुभव होता है।

स्वभाव -

गांधी जी के अनुसार, "दैनिक जीवन के मानसिक व्यवहार को स्वभाव कहते हैं।" जिस प्रकार रुचियां, आदतें भिन्न-भिन्न होती है, उसी प्रकार स्वभाव एक दूसरे से भिन्न हुआ करते हैं। स्वभाव अपने अलग-अलग हो सकते हैं। कोई आवश्यक नही कि एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्य एक स्वभाव के ही हों। किसी का स्वभाव मधुर हो सकता है, किसी का कटु तो किसी का सामान्य। स्वभाव नितान्त व्यक्तिगत हुआ करते हैं किन्तु स्वभाव का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वभाव ही ऐसी चीज है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनों की दृष्टि में भी अपनत्व खो बैठता है तो कोई अन्जान व्यक्ति को अपना बना सकता है। स्वभाव तो ऐसी डोर है जो व्यक्ति कितनी दूर पहुंच जाए, किन्तु सम्बन्धित व्यक्ति उसको सदैव याद रखेगा। इसके विपरीत उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों से उपेक्षित रहता है। स्वभाव का दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के व्यक्तिगत स्वभाव का अध्ययन इसी दृष्टिकोंण को रखकर किया गया है। उनका स्वभाव उन्हें पारिवारिक जीवन के समायोजन में कष्ट देता है या सहयोग, इस सन्दर्भ में उनकी प्रतिक्रिया

जानने के लिए उनसे प्रश्न किया गया कि आपके स्वभाव के विषय में लोग क्या कहते हैं? यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी के स्वभाव का सही मूल्यांकन दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। अपना स्वभाव तो सबको मधुर ही लगता है। तालिका से यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है –

तालिका
महिलाओं का स्वभाव

क्र.सं.	*महिलाओं का स्वभाव*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	मधुर 'शान्त'	40	13.4
2–	सामान्य 'साधारण'	200	66.6
3–	उग्र 'तेज'	70	20.0
	योग	300	100

तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि 13.4 प्रतिशत महिलाएं शान्त 'मधुर' स्वभाव की हैं, 66.6 प्रतिशत महिलाएं सामान्य स्वभाव की हैं। अर्थात् न तो उनका स्वभाव उग्र है और न ही शान्त। 20 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिनका स्वभाव तेज है।

अनुकूलन क्षमता –

मैकाइवर तथा पेज के अनुसार – "जब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, अनुकूलन कहलाता है।" प्रत्येक की अनुकूलन क्षमता भी अलग– अलग हुआ करती है और अपनी इसी क्षमता के आधार पर वे अपने परिवार के साथ अनुकूलन स्थापित करतीं हैं। अनुकूलन क्षमता और स्वभाव का घनिष्ठ सम्बन्ध है।स्वभाविक रूप से शान्त स्वभाव की महिलाओ की अनुकूलन क्षमता अधिक होगी। किन्तु

ऐसा हर क्षेत्र में ही आवश्यक नहीं है। यह अनुकूलन क्षमता अनुकूलन के क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे महिलाओं को प्रारम्भ से अन्त तक गुजरना पड़ता है। इस विषय पर अनुसंधानकर्ता ने अनौपचारिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक अनुकूलन में उन्हें किसके साथ परेशानी होती है? अधिकांश महिलाओं ने बताया कि दादी, बाबा का अत्यन्त रूढ़िवादी होना उनको कष्टप्रद लगता था। विवाह पूर्व वे स्वयं कैसे परिवार के साथ समायोजित कर लेतीं थी। विवाह के पूर्व ऐसा किसी महिला के साथ नहीं हुआ कि उसका अनुकूलन बहुत त्रुटिपूर्ण रहा हो। जिस व्यक्ति के विचार मेल नहीं खाते थे, उनसे थोड़ी बहुत कहा–सुनी हो जाया करती थी। यह पूंछने पर कि परिवार में किसी भी संकट के समय आप अनुकूलन करने में सफल रहतीं हैं। अधिकांश महिलाओं का उत्तर था कि वे अनुकूलन में सफल रहतीं हैं। परन्तु कुछ महिलाओं का उत्तर था कि वे किसी भी संकट के समय अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठती हैं और अनुकूलन नही कर पातीं हैं।

अनुकूलन की सफलता के सन्दर्भ में अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन में पाया कि जिन महिलाओं में अनुकूलन क्षमता अधिक है, हर स्थिति में समझौता कर लेतीं हैं। वे परिवार के साथ सहज अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं। इसके विपरीत कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जरा–जरा–सी बात पर टकरा जातीं हैं। उनका अनुकूलन अपेक्षाकृत सफल नहीं होता। यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की अनुकूलन क्षमता का परिवार के साथ समायोजन स्थापित करने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएं छोटी–मोटी बातों को भी अहम और टकराव का विषय बना लेतीं है उनका जीवन कष्टप्रद होता है तथा जो महिलाएं ऐसी कटु परिस्थितयों को नजर अन्दाज कर देतीं हैं, उनका पारिवारिक अनुकूलन सफल है।

(ब) सेवायोजित महिलाएं - सामान्य दशाएं (विवाह के पश्चात्)

जिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति जन्म लेता है, चलता और शिक्षा पाता है, वे जिस तरह उसके व्यक्तित्व के निर्माण तथा उसके फलस्वरूप उसके अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालतीं हैं, उसी प्रकार वे गैर–अन्तर्वैयक्तिक तथा अन्तर्वैयक्तिक तत्वों से सम्बद्ध परिस्थितियां उसके वैवाहिक सम्बन्ध को भी प्रभावित कर सकतीं हैं। जिनमें विवाह के बाद उस व्यक्ति को रहना पड़ता है। विवाहोत्तर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिस्थितियां अपने अलग–अलग रूप में काम नहीं करतीं, अपितु इन दोनों परिस्थितियों की अन्योत्य क्रिया ही वैवाहिक अन्योन्यक्रिया के ढांचे का निर्माण करतीं हैं और इन्हें एक–दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता।

विवाहित सेवायोजित महिलाओं का विवाह पूर्व जब वे अविवाहित थीं, उसके परिवार का आकार, परिवार की सामाजिक स्थिति, उनका सामाजिक जीवन, उनकी अभिरुचियों तथा दृष्टिकोंण, उनकी वैयक्तिक आदतें स्वभाव आदि का अध्ययन उनकी पारिवारिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ मे उनकी शिक्षा तथा नौकरी को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। प्रस्तुत शोध में शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं का अध्ययन विवाह के पश्चात भी किया गया है। भारतीय समाज में यह प्रचलन है कि लड़की को विवाह के पश्चात पति गृह अर्थात ससुराल में ही रहना पड़ता है। विवाह के पूर्व जिस परिवार में उसने जन्म लिया, उसका सब कुछ अनजाना होता है। बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी, जिनका उनकी ससुराल से पूर्व परिचय हो, अन्यथा विशेष रूप से माता–पिता ही उसके लिए योग्य वर ढूंढ़ कर उसके हाथ पीले कर देते हैं। ऐसी स्थित में आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं के दोनों प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाए। अतः इस अध्याय में विवाह के पश्चात्, वह जिस परिवार में आई है, उसका भी अध्ययन किया गया है।

परिवार का आकार व संरचना –

किसी भी परिवार में उसके आकार का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है। परिवार का आकार बड़ा हो, तो सुख–सुविधाओं में अन्तर आ ही जाता है, अपेक्षाकृत सीमित परिवारों के। इसी प्रकार बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण अनुकूलन का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत हो जाता है। अतः तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि कितनी महिलाएं इस समय संयुक्त परिवारों में रह रहीं हैं और कितनी एकाकी परिवरों में –

तालिका

परिवार का आकार

क्र.सं.	*परिवार का आकार*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	संयुक्त	114	38.3
2–	एकाकी	186	61.7
	योग	300	100

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 38.3 प्रतिशत महिलाएं संयुक्त परिवारों में रह रहीं हैं और 61.7 प्रतिशत महिलाएं एकाकी परिवारों में रह रहीं हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत एकाकी परिवारों की तुलना में कम है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक बदलते परिवेश में आज संयुक्त परिवारों का अस्तित्व कम नहीं है।

किसी भी परिवार की संरचना स्त्री, पुरुष और बच्चों से मिलकर बनती है। अतः यह देखना भी आवश्यक है कि सेवायोजित परिवारों में स्त्री, पुरुष और बच्चों का क्या प्रतिशत है, क्योंकि परिवार के आधार और रचना दोनो

के द्वारा ही परिवार का अनुकूलन प्रभावित होता है।

तालिका
(क) संयुक्त परिवार की संरचना

क्र.सं.	संयुक्त परिवार की संरचना	आवृति	प्रतिशत
1—	स्त्री	530	26.5
2—	पुरुष	600	30.0
3—	बच्चे	870	43.5
	योग	2000	100

तालिका को देखने से विदित होता है कि 100 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं के संयुक्त परिवार की संरचना में 26.5 प्रतिशत महिलाएं, 30 प्रतिशत पुरूष तथा 43.5 प्रतिशत बच्चे हैं।

तालिका
(ख) एकाकी परिवार की संरचना

क्र.सं.	एकाकी परिवार की संरचना	आवृति	प्रतिशत
1—	स्त्री	200	23.3
2—	पुरुष	200	23.3
3—	बच्चे	60	53.4
	योग	460	100

तालिका से स्पष्ट है कि 200 सेवायोजित महिलाओं के एकाकी परिवार की संरचना में 23.3 प्रतिशत महिलाएं, 23.3 प्रतिशत पुरूष तथा 53.4 प्रतिशत बच्चे हैं। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवार के आकार और संरचना दोनों से ही परिवार का अनुकूलन प्रभावित होता है।

परिवार में स्त्रियों तथा लड़कियों की स्थिति -

परिवार में ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को बहुओं की अपेक्षा स्वतन्त्रता है। बहुओं की अपेक्षा लड़कियों को अधिक स्नेह दिया जाता है और शिक्षा की दृष्टि से भी लड़कियों पर ही ध्यान दिया जाता है। स्त्रियों को बाहर घूमने की स्वतन्त्रता है, अथवा नहीं। 45 प्रतिशत महिलाओं को घूमने की स्वतन्त्रता नहीं है।

परिवार में विवाहित स्त्रियों की स्थिति -

श्री लिण्टन के अनुसार– "किसी व्यवस्था विशेष में एवं समय विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यवस्था के सन्दर्भ में उस व्यक्ति की स्थिति कहलाती है।"

आगबर्न तथा निमकाफ के अनुसार – "स्थिति समूहों में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करतीं है।" परिवार में प्रत्येक स्त्री की अपनी अलग–अलग स्थिति होती है। उसी के अनुसार वह मान–सम्मान की अधिकारिणी होती है। स्त्री की स्थिति बहुत कुछ परिवार के विचारों पर निर्भर होती है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि किसी भी परिवार में उस स्त्री की स्थिति निम्न बातों पर निर्भर करती है।

आयु और रिश्ते के आधार पर -

यूं आयु के आधार पर भी अलग–अलग स्थिति होना स्वभाविक–सा लगता है, किन्तु रिश्तों के आधार पर महिलाओं की स्थिति में जो अन्तर है वह कहीं–कहीं आसामन्जस्य की समस्या को जन्म देती हैं। आयु के अनुसार तो सम्मान स्वभाविक रूप से मिलना ही चाहिए। जैसे सास यानी पति की माँ तो सम्मान की अधिकारिणी है ही। किन्तु यह अधिकार जब रिश्तों के आधार

पर मिलता है, तो कुछ शिक्षित महिलाएं उसको हृदय से स्वीकार नहीं कर पातीं। आज की महिलाएं समान आयु के अनुसार सम्मान देना पसन्द करतीं हैं। इस सन्दर्भ में अनुसंधानकर्ता ने उनके विचार ज्ञात किए तो सबने इस बात को स्वीकार किया कि वे बड़ों के कारण चरण स्पर्श करना, यथासम्भव उनकी आज्ञा पालन करना अपना कर्तव्य समझतीं हैं।

उनकी स्थिति पति की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है–

परिवार में महिला की स्थिति का मूल्यांकन उसके पति की स्थिति के आधार पर होता है। किसी परिवार में पति की भूमिका मुखिया की है तो पत्नी को भी उसी के अनुसार आदर मिलता है। इस प्रकार उसके पति के आधार पर ही परिवार में उसका स्थान निर्धारित होता है।

योग्यता के आधार पर स्थिति –

सबकी योग्यता समान नहीं होती है। कोई किसी क्षेत्र में योग्य होता है तो कोई किसी क्षेत्र में। अनुसंधानकर्ता ने इस विषय में महिलाओं से प्रश्न किया– "क्या आपको अपनी योग्यता के अनुसार आदर दिया जाता है।" बहुत कम महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनकी योग्यता के आधार पर उनका सही मूल्यांकन नहीं होता है और जबकि अधिकांश महिलाओं ने उनकी स्थिति का मूल्यांकन योग्यता को ठहराया है। महिलाओं का किसी भी क्षेत्र में निपुण होना परिवार के लिए गौरव की बात होती है।

पति की दृष्टि में पत्नी की स्थिति –

शिक्षा प्रसार से लोगों के दृष्टिकोंण में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। पति की दृष्टि में पत्नी की स्थिति आज जीवन साथी, सहभागी के रूप में या पति की स्थिति से निम्न है। कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनके

पति का दृष्टिकोंण उनकी स्थिति के बारे में संकीर्ण एवं परम्परागत है, वह उनको घर में दासी के रूप में देखते हैं। जबकि कुछ महिलाओं ने स्वीकार किया कि उनकी स्थिति परिवार में पति की दृष्टि में तभी बढ़ती है, जबकि वह एक कमाऊ पत्नी हो। पैसा कमा कर उसके हाथ में रखें तो उसकी स्थिति सम्मानजनक रूप में देखी जा सकती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार में पति तथा अन्य सदस्यों की नजरों में एक कमाऊ पत्नी की स्थिति सम्मानजनक होती है। शिक्षा तथा नौकरी परिवार में महिलाओं की स्थिति का आधार बनता है।

परिवार की आर्थिक दशा तथा रहन-सहन का स्तर -

प्रस्तुत अध्याय के प्रथम भाग में सेवायोजित महिलाओं के विवाह से पूर्व, जिस परिवार में रह रही थी, उसके आर्थिक स्तर पर प्रकाश डाला गया था। दूसरे भाग में वर्तमान समय में जिस परिवार में रह रहीं है, उस परिवार की आर्थिक दशा तथा रहन–सहन के स्तर पर अध्ययन किया गया है।

तालिका

परिवार की आय के मुख्य स्त्रोत

क्र.सं.	*आय के स्रोत*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	कृषि	75	25.0
2–	व्यापार	100	33.4
3–	नौकरी	100	33.4
4–	अन्य	25	8.2
	योग	300	100

तालिका से विदित होता है कि परिवारों में मुख्य रूप से व्यापार, उसके पश्चात् नौकरी और फिर कृषि तथा अन्य प्रकार के स्रोतों से अर्थोपार्जन

किया जाता है। अन्य प्रकार के अर्थोपार्जन में कुछ डाक्टर, कुछ वकील व कुछ ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिनकी आय का साधन सम्पत्ति अर्थात किराए तथा ब्याज के द्वारा अर्जित आय है। रहन–सहन का स्तर परिवार की आय पर निर्भर करता है। जिस परिवार की आय अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से उसका स्तर अच्छा होना चाहिए। अतः निम्न तालिका में परिवार की औसत मासिक आय का विवरण दिया गया है।

तालिका

परिवार की औसत मासिक आय

क्र.सं.	*औसत मासिक आय*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	0–1000	75	25.0
2–	1000–2000	100	33.4
3–	2000–3000	100	33.4
4–	3000–4000	15	5.0
5–	4000 से अधिक	10	3.2
	योग	300	100

तालिका से विदित होता है कि 0–1000 रुपए औसत मासिक आय वाले परिवार 25 प्रतिशत, 1000 से 2000 रुपए मासिक आय वाले परिवार 33.4 प्रतिशत, 2000–3000 रुपए औसत मासिक आय वाले परिवार 33.4 प्रतिशत 3000–4000 रुपए औसत मासिक आय वाले परिवार 5 प्रतिशत, 4000 रुपए से अधिक औसत मासिक आय वाले परिवार 3.2 प्रतिशत है।

अध्ययन के दौरान पाया गया कि परिवार के रहन–सहन का स्तर पूर्णतया परिवार की आय पर निर्भर करता है। वैसे तो आर्थिक आय के अनुसार

ही रहन–सहन का स्तर था, किन्तु कुछ परिवारों में आर्थिक स्तर को देखते हुए उनका रहन–सहन का स्तर निम्न था।

प्रत्यक्ष परिस्थितियां -

विवाहोत्तर प्रत्यक्ष परिस्थितियां उस बाह्य वातावरण का उल्लेख करतीं हैं, जिनमें विवाह के बाद सेवायोजित महिलाओं को रहना पड़ता है।

1. **आर्थिक तनाव** – आर्थिक तनाव पति–पत्नी के बीच तथा पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के बीच सामंजस्य को लगभग कठिन बना देता है।

2. **पर्याप्त आय होते हुए भी आर्थिक मामलों में झगड़ा**– यह भी देखा गया कि पति–पत्नी के वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्धों में तनाव आर्थिक मामलों को लेकर हुए।

3. **ससुराल वालों से तनाव** – ससुराल वालों का अत्याधिक हस्तक्षेप, या सास का दुर्व्यवहार सम्बन्धों में तनाव पैदा कर देता है।

4. **यह मांग कि सारा गृहकार्य बहू ही करे।**

5. **सेवायोजित महिलाओं के काम के घण्टे अधिक कड़े व अनुपयुक्त होना** – घर में उसकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का कोई समुचित प्रबन्ध न होना– किसी भी सन्तोषजनक घरेलू सहायता न मिलना और घर का सारा कार्य स्वयं करना।

अप्रत्यक्ष परिस्थितियां –

अप्रत्यक्ष परिस्थितियां पत्नी के अपने भावात्मक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तथा उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रकट करती है। इसमें इन सभी क्षमताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी सम्मिलित है, जैसे– गृह कार्यों में उसकी कार्यकुशलता, सिलसिलेवार व सुनियोजित ढंग से काम करने की उसकी क्षमता तथा अपने बाह्य वातावरण को इस भांति ढालने व सुविकसित करने की योग्यता रखना कि वह पति और पत्नी दोनों की सुविधा व सन्तोष के अनुरूप हो जाए।

1. **भावात्मक परिपक्वता** – यदि पत्नी भावात्मक रूप से परिपक्व हो, तो कठिन परिस्थितियों और पति–पत्नी के बीच उनकी रुचियों व स्वभावों से सम्बद्ध भिन्नताओं पर भी काबू पाया जा सकता है।

2. **पारिवारिक सुख** – शान्ति के लिए पत्नी में सांमन्जस्य रखने, सहन करने तथा निजी हितों के त्याग की क्षमता होना।

3. **गृहस्थी के कुशल संचालन में पत्नी की क्षमता तथा गृहिणी की अपनी भूमिका पर उसका गर्व करना।**

4. **अपनी दोहरी भूमिका से सन्तोषजनक निर्वाह में पत्नी की शारीरिक क्षमता, कार्यकुशलता व क्रमबद्धता का होना।**

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अपर्याप्त–आय सेवायोजित महिलाओं के पारिवारिक जीवन को दुःखी बना देती है। आर्थिक मामलों

में अक्सर मतभेद का होना या न होना भी एक कारण देखने को मिला। इसी तरह ससुराल वालों के अत्याधिक हस्तक्षेप करने, अशिष्ट व कठोर बर्ताव करने की स्थितियों में पारिवारिक तनाव आते हैं। पत्नी के काम के घण्टों का अधिक होना, काम के घण्टों की परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति प्रतिकूलता, उसकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के समुचित प्रबन्ध का अभाव, सन्तोषजनक घरेलू सहायता का अभाव या घरेलू काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का न होना, उसका गिरा हुआ स्वास्थ्य और उसका अपनी नौकरी के बाद थक कर घर लौटना आदि उसके पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे असंगति पैदा होती है। यह विश्लेषण करने की बात है कि न केवल पत्नी की अपनी नौकरी के कामों व उत्तरदायित्वों के सन्तोषजनक निर्वाह की उसकी योग्यता या उसकी अपनी नौकरी करने से सन्तुष्टि पाने की अप्रत्यक्ष परिस्थिति थी, जो उसके पारिवरिक जीवन से इतनी सम्बद्ध पाई गई थी बल्कि उसकी अपेक्षा घर के कार्यों व उत्तरदायित्वों को पूरी लगन व सन्तोषजनक रूप से निभाने की उसकी योग्यता और बहुत कुछ उसकी अपनी दोनों भूमिकाओं को मिलाने तथा दोनों का सफलतापूर्वक व सन्तोषजनक रूप से निर्वाह करने की योग्यता उससे अधिक सम्बद्ध पाई गई थी, जिन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तत्वों ने उसे ऐसा कर पाने के योग्य बनाया था, उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

सेवायोजित महिलाओं का परिवार के साथ सामंजस्य एवं उसमें आने वाली कठिनाइयों के कारण

परम्परागत पारिवारिक प्रथा के अनुसार नारी का घर से बाहर निकल कर नौकरी पेशे में आना निषिद्ध था, सदियों से नारी का व्यक्तित्व घर की चहारदीवारी में बन्द गृहलक्ष्मी का नाम पाता रहा है। पुरुष निर्मित हमारे समाज में उसकी नागरिकता हमेशा दूसरे दर्जे पर रखी गई है। उसे अवला, मूर्ख और बेचारी कहकर पुकारा गया है। आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण का प्रभाव जिस मात्रा तथा अनुपात में समाज के हर क्षेत्र–दिशा, व्यवसाय, रहन–सहन, खान–पान, जीवन मूल्यों एवं मान्यताओं आदि में पड़ा है वह कल्पनातीत है। नई–नई वैज्ञानिक सुविधाओं ने जहां एक ओर मनुष्य को आकर्षित किया, वहीं दूसरी ओर उनके लिए एक नई समस्या के रूप में भी जन्म दिया। फलस्वरूप आर्थिक अनिवार्यता आवश्यक हो गई है। कृषि प्रधान पारिवारिक प्रणाली में हम मुख्यरूप से कृषि पर ही निर्भर रहते थे। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से नौकरी पेशे में आने के लिए वाध्य हुए। अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि न कर पाने के कारण समाज ने महिलाओं को भी नौकरी करने की छूट दी। चहारदीवारी में घुटती हुई महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा अपनी शिक्षा का समुचित उपयोग करने का दृष्टिकोण लेकर नौकरी पेशे में आईं। आज जब वह घर की चहारदीवारी से बाहर निकल कर अपने व्यक्तित्व का लेखा–जोखा पुरुष से मांगने लगी हैं, तब अन्य जिम्मेदारियों के साथ उसे अनेक विश्लेषणों का बोझ उठाना पड़ता है या पड़ रहा है। यह आम धारणा है कि जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनको आधुनिक कहा जाता है और आधुनिकता का विशेष निन्दात्मक तथा उपहासात्मक अर्थों में प्रस्तुत हो रहा है। भारतीय मन नारी तुम केवल

श्रद्धा हो कहकर उसकी स्तुति केवल एक शर्त पर कर सकता है कि वह आधुनिक न हो। आधुनिक शब्द उसके साथ जोड़ देने का सामान्य अर्थ यह लिया जाता है। कि वह रंगीन तितली होगी। पति से गुलामी कराएगी, सास, ननद को फटकारेगी, बच्चों को बोतल का दूध पिलाकर पालेगी, खर्चीली होगी, गैर जिम्मेदार और निर्लज्जा होगी इस आम धारणा के अनुसार सेवायोजित महिलाए क्या वास्तव में अपने परिवार तथा वैवाहिक जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव रखती हैं, उसकी जानकारी करने का प्रयास किया गया है। नौकरी पेशे में जाने की कीमत परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में स्वयं नारी को किस हद तक कीमत चुकानी पड़ती है, यह बात जानने की नहीं वरन् समझने की अपेक्षा करती है रखती है। प्रस्तुत अध्ययन में परिवार से बाहर निकल कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की ज्वलंत समस्या की जानकारी तथा सामंजस्य एवं उसमें आने वाली कठिनाइयों के कारण जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका

सेवायोजित महिलाएं तथा पारिवारिक सम्बन्ध

क्र.सं.	*पारिवारिक सम्बन्ध*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बहुत अच्छे	100	33.3
2–	अच्छे	125	41.7
3–	तनावपूर्ण	75	25.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट होता है कि 33.3 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं के पारिवारिक सम्बन्ध बहुत अच्छे थे, 41.7 प्रतिशत महिलाओं ने अपने पारिवारिक सम्बन्धों को अच्छा बताया, जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं ने अपने पारिवारिक

सम्बन्ध तनावपूर्ण स्वीकार किए। इसी क्रम में क्या आपका परिवार तनावग्रस्त है? तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया–

तालिका
सेवायोजित महिलाओं का परिवार तनावग्रस्त होना

क्र.सं.	*परिवार तनावग्रस्त होना*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	80	26.7
2–	नहीं	220	73.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 73.3 प्रतिशत महिलाओं का परिवार तनावग्रस्त नहीं है, जबकि 26.7 प्रतिशत सेवायोजित महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनके परिवार में तनाव मौजूद है। जिन परिवारों में तनाव था, जब उन सेवायोजित महिलाओं से तनाव के कारण जानने चाहे, तो उनमें से कुछ महिलाओं ने तनाव के व्यक्तिगत कारण बताए, जबकि अन्य महिलाओं ने पारिवारिक कारणों को उत्तरदाई बताया। 50 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक व व्यावसायिक कारणों को जिम्मेदार माना। शेष महिलाओं ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व अन्य कारणों को तनावों के लिए जिम्मेदार माना।

सेवायोजित महिलाओं से जब यह पूंछा गया कि क्या नौकरी की वजह से आप में और आप के पति के बीच कभी कोई टकराव हुआ है? तो इस प्रश्न का इन महिलाओं ने निम्नलिखित उत्तर दिया–

तालिका

नौकरी की वजह से पति-पत्नी में टकराव

क्र.सं.	टकराव	आवृति	प्रतिशत
1–	हां	110	36.6
2–	नहीं	190	63.4
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 190 महिलाओं में नौकरी की वजह से अपने पति से टकराव नहीं है, जबकि 110 महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि नौकरी की वजह से उनका पति से टकराव हुआ है और अब भी है।

तालिका

सेवायोजित महिलाओं को नौकरी के लिए घर छोड़ना पड़े हां / नहीं / कह नहीं सकतीं

क्र.सं.	नौकरी के लिए घर छोड़ना	आवृति	प्रतिशत
1–	हां	50	16.7
2–	नहीं	180	60.0
3–	कह नहीं सकती	70	23.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि ऐसी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, जो नौकरी के लिए घर नहीं छोड़ सकतीं। 70 महिलाओं ने इस प्रश्न के उत्तर में न तो हां में उत्तर दिया और न ही न में, केवल यही कहा कि इस

सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकतीं, और न ही ऐसा सोचा है। जबकि 50 महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि वे नौकरी/व्यवसाय के लिए या उसमें प्रमोशन पाने के लिए वे अपने घर को भी छोड़ सकती हैं। ट्रांसफर पर आई हुए महिलाओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई। 180 महिलाओं ने नौकरी/व्यवसाय के लिए अपने घर को नहीं छोड़ सकतीं, उत्तर दिया।

सेवायोजित महिलाओं से जब यह प्रश्न किया गया कि घर के लिए नौकरी छोडनी पड़े, तो छोड़ देंगी? तो अधिकांश महिलाओं ने यह कहा कि हमें मुश्किल से नौकरी मिली है, उसे हम आसानी से कैसे छोड़ दें। यह हमारे भविष्य का सवाल है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आज के युग में विभिन्न परिस्थितियोंवश महिलाओं को नौकरी करनी पड़ती है, अतः वे न तो घर छोड़ने के लिए तैयार हैं और न ही नौकरी। दोनों नावों पर पैर रखना चाहतीं हैं।

जब इन महिलाओं से ये यह प्रश्न पूछा गया कि बदलते सामाजिक परिवेश में आपको एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, क्या आप उनसे न्याय कर पाती हैं? घर पर आदर्श गृहणी के रूप में, एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में तथा नौकरी में विभिन्न भूमिकाओं को आप कैसे निभाती हैं, क्या इन सभी भूमिकाओं में न्याय कर पातीं हैं, कहीं न कही भूमिका संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी भूमिकाओं को संघर्षयुक्त कहा जा सकता है।

विवाहित सेवायोजित महिलाओं के पारिवारिक जीवन एवं उनके व्यवसाय के बीच उत्पन्न बाधाएं क्या हैं? यह प्रश्न जाननें के लिए जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि –

तालिका

पारिवारिक जीवन एवं व्यवसाय के बीच उत्पन्न बाधाएं

क्र.सं.	*पारिवारिक जीवन एवं व्यवसाय में बाधाएं*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	बच्चों को समय न दे पाना	80	26.7
2–	बच्चों के व्यक्तिगत विकास में सहयोग न देना	60	20.0
3–	गृह कार्य को ठीक से न कर पाना	95	31.6
4–	पति की इच्छाओं को पूरा न कर पाना	65	21.7
	योग	300	100

तालिका से विदित होता है कि 26.7 प्रतिशत महिलाएं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं। वे स्वीकार करतीं है कि पारिवारिक जीवन और व्यवसाय/नौकरी के बीच उत्पन्न यह सबसे बड़ी बाधा है, जबकि 31.6 प्रतिशत महिलाओं ने पारिवारिक जीवन एवं नौकरी मे गृहकार्य को ठीक से न कर पाना, एक बाधा माना है। 20 प्रतिशत महिलाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कोई सहयोग नहीं दे पातीं, उनके सामने यह सबसे बड़ी बाधा है तथा 21.7 प्रतिशत महिलाएं पत्नी के रूप में पति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पातीं हैं, इससे पति–पत्नी के बीच यौन–सम्बन्धों से असन्तुष्टि देखने को मिलती है, क्योंकि वे नौकरी तथा घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण थक जाती हैं, तो उन्हें

आराम मिलना चाहिए रिलैक्स होने के लिए। पति द्वारा इसका प्रस्ताव आने पर वे झुंझला पड़तीं हैं अथवा खुशी से सहयोग नहीं कर पातीं हैं, जिससे इनके पारिवारिक जीवन में यौन असंगति का सामना करना पड़ता है।

गृहकार्य में परिवार के सदस्यों द्वारा सहयोग -

एक सुखी घर के निर्माण में स्त्री और पुरुष का समान उत्तरदायित्व है। घर के कार्य, घर की सुव्यवस्था एवं शान्ति बनाए रखने का केवल महिलाओं का ही उत्तरदायित्व न होकर, पुरुषों का भी उत्तरदायित्व है। घर की सुव्यवस्था पारिवारिक सदस्यों में उचित श्रम विभाजन पर निर्भर है।

सेवायोजित महिलाओं से यह पूछने पर कि घर के कार्यों में परिवार के सदस्य आपको सहयोग देते हैं? तो इस प्रश्न पर उनकी प्रतिक्रियाएं निम्न थीं–

संयुक्त परिवार में रहने वाली अधिकांश महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनके परिवार के सदस्य गृहकार्य में सहयोग देते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को गृहकार्य स्वयं करना पड़ता था, उनके परिवार के सदस्य गृहकार्य मे हाथ बंटाते थे। इसका कारण जानने पर उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्य यह सोचते है कि सारा गृहकार्य बहू को ही करना चाहिए।

एकाकी परिवार वाली सेवायोजित महिलाओं में से अधिकांश महिलाओं के गृहकार्यों में उनके पति सहयोग प्रदान करते हैं। कुछ महिलाओं ने यह बताया कि उनके पति परिवार के किसी भी कार्य में सहयोग प्रदान नहीं करते, उन्हें अकेले ही सारे गृहकार्य करने पड़ते हैं।

कार्यरत महिलाएं और पारिवारिक सामंजस्य -

कार्यरत महिलाओं का कार्य संस्थान के प्रति ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों कों पूरा करना एक पारिवारिक समस्या का रूप ले लेता है। क्योंकि कार्य पर जाने के बाद महिलाओं को गृहकार्य के लिए यथेष्ट समय नही मिल पाता। उनको नौकरों की सेवाएं लेना आवश्यक हो जाता है। और जिन महिलाओं के यहां नौकर रखना कठिन होता है। उनके यहां प्रायः भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यरत महिलाओं को प्रमुख रूप से वस्त्रों की धुलाई, बर्तन स्वच्छ करना, खाना बनाना तथा उनकी अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने के कार्यों मे नौकर की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है।

तालिका

विभिन्न गृह कार्य नौकरों द्वारा किया जाना या स्वयं करना

क्र.सं.	*विभिन्न गृह कार्य*	*नौकरों द्वारा किए जाते हैं*	*स्वयं करने पड़ते हैं*	*योग*
1–	वस्त्रों की धुलाई	120	180	300
2–	बर्तनों की सफाई	170	130	300
3–	भोजन बनाना	80	220	300
4–	बच्चों की देखभाल करना	75	225	300

तालिका से स्पष्ट होता है कि सेवायोजित महिलाओं में से अधिकांश महिलाएं केवल बर्तनों की सफाई के लिए महरी रखने में समर्थ थीं। कुछ महिलाएं ही भोजन बनाने व बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकर लगा

सकतीं थीं, जबकि अधिकांश महिलाओं को ये गृहकार्य स्वयं करने पड़ते थे। वस्त्रों की धुलाई के लिए भी सभी महिलाएं नौकर की सेवा प्राप्त करने में असमर्थ थीं।

अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त गृह कार्यों में यथेष्ट समय के पश्चात् इन महिलाओं को अपनी कार्य संस्था के प्रति भी पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। फलस्वरूप इन दो विभिन्न गृहणी और व्यवसायी/नौकरी की भूमिकाओं में उचित सामंजस्य नहीं हो पाता है और भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो जाता है।

सेवायोजित महिलाएं एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्व -

प्रत्येक कार्य संस्थान अपने सदस्यों से यह आशा करती है कि वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाएं। विशेषकर ऐसे संस्थान जो अपने–अपने सदस्यों को कार्य के बदले में धन देतीं हैं, अर्थात उन्हें अपने यहां व्यवसाय देती हैं। यह कभी सहन नहीं करती कि वे व्यवसायी की भूमिका भली–भांति पूरी न करें। साथ ही व्यवसायी का भी यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी संस्थान के प्रति ईमानदारी से कार्य करें। विवाहित सेवायोजित महिलाओं के समक्ष भी यही समस्या होती है। कभी–कभी वे अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए भी अपना कार्य सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाती और परिवार तथा व्यवसाय के प्रति दोहरी नैतिक कर्तव्य भावना के कारण भूमिका संघर्ष हो जाता है। इसका मुख्य कारण उनका मातृत्व अवकाश लेना, बच्चों की बीमारी, गृह कार्यों की अधिकता तथा उनका स्वतः अस्वस्थ रहना है।

तालिका

सेवायोजित महिलाओं द्वारा कार्यविधि में लिए गए अवकाश के प्रमुख कारण

क्र.सं.	विवाह करने की इच्छुक	आवृति	प्रतिशत
1–	बच्चों की बीमारी	120	40.0
2–	विवाह तथा सामाजिक रीति–रिवाजों में भाग लेना	60	20.0
3–	गृहकार्यों की अधिकता	30	10.0
4–	स्वयं अस्वस्थ हो जाना	90	30.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि बच्चों की बीमारी के कारण अवकाश लेने वाली महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, शेष कारणों के लिए अवकाश लेने वाली महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत न्यून है। बच्चों की बीमारी में उनकी देखभाल करना, महिलाओं का नैतिक कर्तव्य है तथा स्वभाव से अधिक स्नेहशील होने के कारण बीमारी की हालत में उनके बच्चों की भली–भांति एवं आवश्यक देखभाल मां के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। साथ ही सेवायोजित होने के कारण उन्हें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी बरतनी होती है। जो महिलाएं अपने व्यवसायिक कर्तव्यों को प्रमुख समझकर अपने कार्यालय/स्कूल आ जाती थीं, वे भली प्रकार मन लगा कर क़ार्य नहीं कर पाती थीं। व्यवसायी/नौकरी की भूमिका में भी वे अपना कार्य सन्तोषजनक नहीं समझती थीं। अतः यहां पर भी भूमिका संघर्ष अन्तर्द्वन्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा आचरण व व्यवहार में असंगति पनप जाती थी।

पत्नी की नौकरी का उसके पारिवारिक सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिन कारणों से पारिवारिक सम्बन्ध प्रभावित होते पाया गया है, उनको निम्नलिखित

रूप में विभाजित किया जा सकता है–

पति–पत्नी की विवाह से पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति, पति–पत्नी के व्यक्तित्व के विशेषगुण, यौन सम्बन्ध, विवाह के बाद की परिस्थितियां, पति–पत्नी का एक–दूसरे की भूमिका और दर्जे के प्रति दृष्टिकोंण तथा पत्नी की नौकरी के प्रति पति–पत्नी के दृष्टिकोंण।

उपरोक्त कारण एक–दूसरे से इतने अधिक घुले–मिलें है कि उन्हें एक–दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। पारिवारिक सम्बन्धों को जिस तरह या जिस हद तक वे प्रभावित करते हैं, वे इस प्रकार हैं –

पारिवारिक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले कारण

पति-पत्नी की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति -

पति–पत्नी की विवाह के पूर्व की सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति की समानता अथवा विषमता उनके वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन को अच्छा या बुरा बनाने में बहुत हद तक अपनी भूमिका निभाती हैं। पति–पत्नी की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समानता अथवा उसमें असमानता की स्थिति में पति–पत्नी द्वारा सहनशीलता का दृष्टिाकोंण अपनाने का है। परस्पर विरोधी स्थिति का पति–पत्नी के वैवाहिक सम्बन्ध पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर तब, जब वे एक दूसरे की पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा तथा नौकरी के प्रति असहिष्णुता से काम लेते हैं।

पति-पत्नी के व्यक्तित्व के विशेष गुण -

पति–पत्नी के व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों की समानता अथवा भिन्नता का उनके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उनमें से किसी एक को भी

ईर्ष्यालु और शंकालू होने से कार्यरत पत्नी और पति के पारिवारिक सम्बन्ध बिगड़ते पाए गए हैं। ज्यादा अच्छी नौकरी में हुई अथवा उसे समाज में सम्मान मिलता है, तो इससे पति के पुरुष अहम् को ठेस लगती है।

वैवाहिक जीवन में यौन सम्बन्ध -

यौन सम्बन्ध में असंगति का पति–पत्नी के वैवाहिक सम्बन्ध पर बुरा असर पड़ता है। यौन सम्बन्ध बिगड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। यौन सम्बन्ध के शारीरिक अथवा भावनात्कम पहलू की ओर अनेक मनौवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोंण में विभिन्नता है। पति पत्नी के सेक्स सम्बन्धी विभिन्नता, सेक्स करने की प्रणाली, पति की कामवृत्ति, सेक्स सम्भोग, बुरा चरित्र आदि इन सभी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक वजहों से उनमें यौन असन्तुष्टि तथा मन मुटाव पैदा होते पाया गया है। सेवायोजित महिलाओं में यौन असन्तुष्टि के पीछे यौन सम्बन्धों के अलावा तथा दूसरे तथ्यों का ही अधिक हाथ था, जैसे पति के प्रति अथवा विवाह के बाद की परिस्थिति की पति–पत्नी की शिकायत वैवाहिक जीवन की दूसरी असंगतियों को सेक्स सम्बन्ध में भी लाने की वजह से यौन असंगतियां उत्पन्न हुई।

विवाह के बाद की परिस्थितियां -

विवाह के बाद की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'अनुकूल' अथवा 'प्रतिकूल' परिस्थितियों का सेवायोजित पत्नी के वैवाहिक सम्बन्धों पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। यदि पत्नी के नौकरी का कार्यकाल अनुकूल है, खाना बनाने तथा घर के काम–काज में उचित सहायता उपलब्ध होती है, सास–श्वसुर को लेकर कोई समस्या नहीं है, पति समझदार है, पत्नी अपने कार्य में चतुर है, तो अच्छे वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित होने में इससे मदद मिलती है, अन्यथा

यह सम्बन्ध बिगड़ जाता है। पति–पत्नी का अपने भौतिक तथा दूसरी अन्य परिस्थितियों के प्रति समान रूप से अच्छी धारणां रखना तथा उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहना। यदि उनकी मनोवृत्ति अनुकूल है तो उनकी अधिकांश जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी होती रहतीं है। यदि दृष्टिकोंण प्रतिकूल है और कुल मिलाकर घर के वातावरण में उनकी जरूरतें और अपेक्षाएं पूरी हीं होती तो उनका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित होता है।

पति-पत्नी की भूमिका और दर्जे के प्रति दृष्टिकोंण –

पति–पत्नी की वास्तविक भूमिका और दर्जे से अधिक महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की भूमिका और दर्जे के प्रति उनका दृष्टिकोंण, पति यदि पत्नी की भूमिका तथा दर्जे के प्रति पुरुष–प्रधानता पर दृष्टिकोंण रखता है तथा पत्नी उसके प्रति समानता का दृष्टिकोंण रखती है तो इन दो दृष्टिकोंणों में संघर्ष निश्चित है। आज की बदली हुई परिस्थिति में जब कि पत्नी नौकरी करती है, और दृष्टिकोंण तथा परिस्थितियां बदल गईं है। यदि पति–पत्नी ने एक दूसरे की भूमिका और दर्जे के प्रति पारस्परिक सहमति तथा सूझ–बूझ का रास्ता अपनाया तो उनके बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित होने में इससे काफी सहायता मिलती है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, पति यह मानता रहा है कि नौकरी करने के बावजूद भी घर–गृहस्थी का सारा बोझ उठाना और बच्चों की देखभाल करना एकमात्र पत्नी का ही उत्तरदायित्व है। तथा पत्नी इस बात को नहीं मानती कि ये जिम्मेदारियां अकेली उसकी हैं। तो वैसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं।

पत्नी की नौकरी के प्रति दृष्टिकोंण –

पति–पत्नी की नौकरी को किस दृष्टि से देखता है तथा कैसा आचरण करते हैं, इसका उनके पारिवारिक सम्बन्धों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता

है। पत्नी की नौकरी के प्रति पति का दृष्टिकोंण तथा उससे सम्बन्धित बदली हुई परिस्थितियां तथा आचरण आदि ठीक रहता है। तो पारिवारिक सम्बन्ध मधुर बनें रहते हैं।

परम्परागत परिवार की व्यवस्था और परिवर्तित स्थिति के बीच अन्तर –

शिक्षित महिलाओं के बीच पारिवारिक कलह का मुख्य कारण है, भारत में परिवार की व्यवस्था का मौलिक रूप से परम्परागत तथा पुरुष प्रधान होना। शिक्षित महिलाओं का दृष्टिकोंण, जहां तक परिवार का सम्बन्ध है, बहुत बदल गया है। स्त्रियां अधिकाधिक समतावादी होती जा रहीं हैं, वे कानूनी और राजनैतिक अधिकारों तथा शिक्षा और आर्थिक स्वतन्त्रता के अवसरों की वजह से प्राप्त अपने अधिकारों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होती जा रहीं हैं, दूसरी ओर पति यह आशा करते हैं कि पत्नियां उनके आदेशों का पालन करें। लेकिन पत्नी आज की बदली हुई परिस्थितियों में यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अक्सर सभी शिक्षित और नौकरी करने वाली महिलाएं आशा करतीं हैं और चाहतीं हैं कि उनके पति घरेलू कार्य में उनके साथ सहयोग करें। महिलाएं ज्यों–ज्यों समानता की भावना अपनातीं जा रहीं हैं त्यों–त्यों अधिकारवादी पारिवारिक सम्बन्धों तथा व्यवस्था में संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है।

भूमिका संघर्ष –

पारिवारिक जीवन में इसलिए तनाव पैदा होते हैं कि नौकरी करने वाली पत्नियां अपनी भूमिका को ठीक–ठीक नहीं समझतीं हैं। जब तक उसकी मुख्य भूमिका पत्नी और माँ बनना था, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। परन्तु आज उसे इसके अलावा घर से बाहर नौकरी भी करनी पड़ती है। इसकी वजह से उसकी भूमिका को लेकर अनेक उलझनें पैदा हो गई हैं। इस संक्रान्ति काल

में यह उलझनें इसलिए हैं क्योंकि उसकी पुरानी और नई भूमिकाओं में तालमेल नहीं है, उसकी कार्यक्रमों की भूमिका और पत्नी तथा माँ की भूमिका में विरोध है और क्योंकि स्वयं इसके अन्तर में भी संघर्ष है।

पत्नी और माँ की उसकी भूमिका में नौकरी से सम्बन्धित भूमिका के जुड़ जाने से उनके सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा घर और बाहर दोनों जगहों के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाने की उसकी अभिलाषा की वजह से उसके अन्तर में भी संघर्ष और तनाव पैदा होते हैं। उसके उत्तरदायित्व में तालमेल बैठाने तथा परिवार के अन्य सदस्य उससें जो अपेक्षाएं करते हैं उसको लेकर तनाव पैदा होते रहते हैं। उसके उत्तरदायित्वों के बढ़ जाने से उससे जिस आचरण की आशा की जाती है तथा वह वास्तव में जैसा आचरण करतीं हैं, जहां तक इनका सम्बन्ध है उसका आचरण जटिल हो जाता है और स्वयं अपना दर्जा और उत्तरदायित्व साफ–साफ समझ नहीं पातीं हैं। चूंकि उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्व को पुनः निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए तनाव और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं।

दृष्टिकोंण–भेद –

नौकरी करने वाली शिक्षित महिलाओं के पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां इसलिए भी आती हैं, स्त्री और पुरुष परिवार के भीतर तथा बाहर से अपने तथा दूसरे के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रति जो रुख अपनाते हैं, उनमें काफी अन्तर होता है। शिक्षित महिलाओं के विचारों और दृष्टिकोंणों में जिस तेजी से परिवर्तन आए हैं। उतने पुरुषों में नहीं आए हैं। इसकी वजह है कि स्त्री के उत्तरदायित्वों और दर्जे और पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक परिवर्तन आना। इस दृष्टिकोंण भेद के कारण पति–पत्नी के सम्बन्धों में तनाव पैदा होता है। आचरण के सम्बन्ध में भी यह पाया गया कि पत्नी की नौकरी के सम्बन्ध में

तथा इसकी वजह से उसके व्यक्तित्व में तथा परिस्थितियों में आने वाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में यदि पति–पत्नी के दृष्टिकोंण, अपेक्षा और आचरण में परिवर्तन नहीं आए तो उनके पारिवारिक सम्बन्ध में संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

भूमिका के सम्बन्ध में भी यह पाया गया है कि एक व्यक्ति समाज में जो भूमिका निभाता है उससे उसका दृष्टिकोंण प्रभावित होता है। मध्यवर्ग की स्त्रियां आज जो शिक्षित और नौकरी करने वाली स्त्रियों की भूमिका निभा रहीं है, उससे उन्हें एक नया सामाजिक तथा आर्थिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नौकरी करने वाली शिक्षित स्त्रियों का दृष्टिकोंण परिवार के भीतर तथा बाहर के अपने अधिकारों विशेषाधिकारों की ओर बहुत कुछ बदल चुका है।

पुरानी तथा नई विचारधारा, दोनों के परस्पर विरोंधी तत्वों को अपनाने की वजह से पुरुष के दृष्टिकोंण में असंगतियां आ जाती हैं।

आत्म-संयम और कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए समुचित योजना का अभाव –

नौकरी करने वाली स्त्रियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि पति–पत्नी अपने घर के भीतर–बाहर के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में समुचित योजना बनाने की योग्यता नहीं रखते तथा परिवार सम्बन्धी अपने उत्तरदायित्वों में दिलचस्पी नहीं रखते, तो इससे पारिवारिक सम्बन्ध पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

परिवार में सेवायोजित महिलाओं के सामने कार्य निर्धारण की अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं हैं, जिसके कारण पारिवारिक असंगतियां उत्पन्न हो जातीं है। सेवायोजित महिलाओं को जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना

पड़ता है, उन परिस्थितियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. कार्यों के प्रति असन्तोष।
2. कार्यों की विविधता।
3. कार्यों में संघर्ष।

आज की पत्नी कार्यों की विविधता के कारण अपने कार्यों को पूर्ण कुशलता के साथ नहीं कर पातीं हैं। परम्परागत पारिवारिक संरचना में स्त्री की सीमित सर्व–स्वीकृत भूमिकाएं ही थीं। लेकिन आज विधिक व्यवसायिक और वर्गीय समूह में पत्नी से विभिन्न भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है। निम्न वर्ग में माँ और खाना पकाने वाली स्त्री के साथ–साथ जीविका कमाने वाली स्त्री के रूप में भूमिका अदा करने की भी उससे अपेक्षा की जाती है। व्यापारिक समूहों में पत्नी से शिक्षित होने की अपेक्षा की जाती है। ताकि वह पति को उसके कार्य में मदद दे सके। पत्नी से अपेक्षित भूमिकाओं की यह विविधता उसके सामने भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न कर देती है। परम्परागत भूमिकाओं के प्रति उनके शिक्षित महिलाओं में असन्तोष पाया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् वे घर में रहकर केवल गृह की प्रबन्धक और माता के रूप में में ही अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहतीं। आज उनके सम्मुख इतने अवसर उत्पन्न हैं कि वे अपने पतियों के समान ही व्यापार, नौकरी और व्यवसायिक कार्यों में स्वयं को लगाना चाहतीं हैं। कुछ समय पूर्व जब स्त्रियों को घर में ही रहकर अपनी भूमिका निभानी होती है, उनमें असन्तोष पाया जाता है। भूमिकाओं का संघर्ष परिवार में असंगति पैदा कर देता है। जहां पत्नी अपनी परम्परागत भूमिका से कुछ भिन्न प्रकार की भूमिका निभाना, बच्चों की देखभाल और घर के प्रबन्ध के अतिरिक्त नौकरी करना और पारिवारिक नीति सम्बन्धी निर्णयों में राय देना चाहती है, वहां कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि

पत्नी नौकरी भी करती है और पति, सास–श्वसुर और परिवार के अन्य सदस्य उससे पूर्ववत् सब प्रकार के पारिवारिक दायित्वों को निभाने की आशा करते हैं, पत्नी के लिए इन सब भूमिकाओं को एक साथ निभा पाना सम्भव नहीं होगा, वह अपने कार्यों की विविधता के कारण सबको सन्तुष्ट नही कर पाएगी, परिणामस्वरूप असन्तोष और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो जाता है।

शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं के जीवन में आने वाली कठिनाइयां–

जो महिलाएं नौकरी/व्यवसायों की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहतीं हैं, उन्हें परिवार के अन्दर तथा घर के बाहर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का पता लगाना बहुत आवश्यक था शिक्षित विवाहित स्त्रियों के नौकरी/व्यवसायिक जीवन में कौन–सी कठिनाइयां आती हैं।

गृह व्यवस्था की सुविधाओं का अभाव –

गृह व्यवस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव तथा भारतीय पद्धति की रसोई बनाने की वजह से नौकरी करने वाली सेवायोजित महिलाओं के समय की बहुत बरबादी होती है। उसके साथ–साथ नौकरी की जिम्मेदारी भी निभाने से सेवायोजित महिलाओं को थककर निढाल हो जाना पड़ता है या थककर निढाल हो जाती है, उनकी कार्यकुशलता जाती रहती हैं।

बच्चों की देखरेख की सुविधाओं का अभाव –

नौकरी करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखरेख करने की सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं। इस बात की पुष्टि **डॉ प्रमिला कपूर** के अध्ययन से

होती है, उनके अध्ययन के दौरान ऐसे अनेक दृष्टान्त मिले, जिनमें उन स्त्रियों को कठिन मानसिक तनाव से गुजरता देखा गया है, जिन्हें नौकरी पर जाते समय अपने बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी नौकरानियां तथा परिवार के दूसरे सदस्यों को सौपनी पड़तीं थीं। बच्चों की बीमारी या अस्वस्थता के समय वे मन लगा कर वे अपना काम नहीं कर सकतीं हैं।[1]

सेवायोजित महिलाओं के उत्तरदायित्वों में संघर्ष –

व्यवसायों/नौकरियों में सेवायोजित महिलाओं द्वारा सफलता प्राप्त करने के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई यह है कि घर और नौकरी दोनों जगहों के उनके उत्तरदायित्वों में पारस्परिक संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। व्यवसायों/नौकरियों में सफलता के लिए पूरी तन्मयता की आवश्यकता होती है। योग्यता और प्रतिभा रखते हुए भी महिलाएं व्यवसायों में पुरुषों से प्रायः मात खा जातीं हैं, क्योंकि घर–गृहस्थी, बाल–बच्चों के, पति आदि से सम्बन्धित जिम्मेदारियां उन्हें निभानी पड़तीं हैं। इससे उन्हें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, विशेषकर उस स्थिति में जब वे घर तथा नौकरी की जिम्मेदारियों को साथ–साथ और अच्छी तरह से निभाना चाहतीं हैं। मानसिक तनाव की तीव्रता उस समय और बढ़ जाती है जिसमें पति को अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभाने में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है और दूसरी तरफ उसे ऐसे भान होता है कि अपने उत्तरदायित्वों की वजह से वह अपने पति और बच्चों का समुचित ध्यान नहीं रख पा रहीं हैं। नौकरी करने वाली कार्यरत महिलाओं तथा उनके उत्तरदायित्वों में निहित संघर्ष से इस बात की पुष्टि **डॉ प्रमिला कपूर, अमरजीत महाजन, विनीता श्रीवास्तव, बीना कौल** के अध्ययन से हो जाती है।

1– डा0 प्रमिला कपूर – "मैरिज एण्ड द वर्किंग वुमन इन इण्डिया", दिल्ली विकास पब्लिकेशन्स, 1970।

तनाव और संघर्ष उन परिस्थितियों में भी सामने आते हैं, जब कार्यरत महिला अपनी नौकरी के प्रति द्वैध वृत्ति रखती है। मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी नौकरी इसलिए जारी रखना चाहतीं है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक व मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मिलती है तथा परिवार की आमदनी में अपना योगदान कर पातीं हैं। नौकरी से सम्बन्धित कठिनाइयों तथा पति एवं बच्चों की सुख–सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में तब उनकों मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है।

सेवायोजित विवाहित महिलाएं परिवार की आमदनी में योग देते रहने पर भी अपने परिवार और बच्चों की देख–रेख करना ही उनका विशेष उत्तरदायित्व है। साथ ही साथ सेवायोजित महिलाएं व्यवसाय/नौकरी को भी महत्वूपर्ण मानतीं हैं। यदि उन्होने अपने नौकरी/व्यवसाय में समुचित ध्यान और शक्ति लगाई तो उन्हें वहां सफलता प्राप्त होती है। फिर भी उन्हें इस बात का दुःख बना रहता है कि उनकी वजह से उनका घर–बार चौपट हो रहा है। जो ठीक नहीं है और यदि कहीं उन्होंने घर–बार पर भी अधिक ध्यान देना शुरू किया, तो उन्हें नौकरी की जिम्मेदारी की अवहेलना से उत्पन्न मानसिक तनाव से पीड़ित होना पड़ता है। उन्हें इसका भी दुःख होता है कि वे अपने पुरुष सहकर्मी से पिछड़ गईं अथवा अपने अधिकारियों के कोप का भाजन बनना पड़ता है। यह तनाव मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि सेवायोजित महिला घर और नौकरी दोनों जगहों की जिम्मेदारियों के पाटों में अपने को पिसती पाती हैं। दो नावों पर चढ़ने के उपक्रम में उन्हें असीम तनाव और थकान की स्थिति से गुजरना पड़ता है, जो पारिवारिक असंगतियों को उत्पन्न करतीं हैं।

परस्पर विरोधी मांग –

सेवायोजित महिलाओं से पत्नियों के रूप में जिस आचरण और

कर्तव्य पालन की जैसी आशा की जाती है, उसके कारण उनको ऐसे बोझ को वहन करना पड़ता है, जो उन महिलाओं के लिए आन्तरिक संघर्ष, दुविधा तथा तनाव उत्पन्न कर देता है। वे घर–बार और नौकरी के उत्तरदायित्वों को समान महत्व दे दोनों को निवाहने की चेष्टा करतीं हैं। इस आन्तरिक तनाव से केवल उन महिलाओं को ही पीड़ित नहीं होना पड़ता, जिन्हें नौकरी के साथ–साथ परिवार की सारी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है बल्कि उन महिलाओं की भी वही स्थिति होती है, जिन्हें घर की जिम्मेदारी निभाने की सारी सुविधाओं को उपलब्ध करना होता है या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 'कार्य–बोध की यह स्थिति जो सामने आती है, वह महज इसलिए नहीं कि घर और नौकरी दोनों उत्तरदायित्वों के कारण महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है, बल्कि उस कारण सामने आती हैं, कि दोनो जगहों के उत्तरदायित्वों को एक समान महत्वपूर्ण मानने की वजह से उत्पन्न मानसिक तनाव तथा मानसिक प्रतिबद्धता और उद्विग्नता की द्विधा, उनके सामने होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं दोनों उत्तरदायित्वों के प्रति समान रूप से जितनी ही सजग होती हैं, मानसिक तनाव की अनुभूति उतनी ही तीव्र होती है। इन मनोवैज्ञानिक तनावों और दुविधाओं से वे महिलाएं और भी अधिक पीड़ित होती हैं, जो ऐसे व्यवसायों/नौकरियों में लगी हैं, जिनमें उन्हें बहुत अधिक शक्ति, समय और ध्यान देना पड़ता है।

सेवायोजित महिलाओं की परस्पर-विरोधी भूमिकाएं –

घर और नौकरी/व्यवसाय दोनों जगहों के उत्तरदायित्वों को निभाते रहने से महिलाओं के उत्तरदायित्वों में प्रायः संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यह मानसिक तनाव को जन्म देती है। यहां तक की स्वयं नौकरी करने वाली महिलाएं भीं अपने को असमंजस्य की स्थिति में पाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि घर और नौकरी दोनो जगहो में वे कैसा आचरण करें। नौकरी में

उन्हें स्वाग्रही, स्वतन्त्र, आत्मविश्वासी तथा चालाक बनना पड़ता है। ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभा सकें तथा उन कठिन कामों को कर सकें, जिन्हें अभी तक पुरुष ही करते आए हैं परन्तु घर पर पत्नी की हैसियत से उन्हें इसके विपरीत विनम्र, परावलम्बी तथा दब्बू बना रहना पड़ता है।

घर और नौकरी, दोनों जगहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। इससे उक्त संघर्ष की समस्या और भी जटिल बन जाती है। परम्परागत भारतीय परिवार में गृहलक्ष्मी के रूप में महिला को स्वार्थहीन और सहयोगी बनना पड़ता है और नौकरी के जीवन में सफल होने के लिए उसे स्वार्थी और प्रतियोगी होना पड़ता है। इस प्रकार इन परस्पर लक्ष्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के प्रयास मे नौकरी करने वाली विवाहित महिला का बड़े असमंजस में रहना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शिक्षित विवाहित सेवायोजित महिलाओं के जीवन में पैदा हुई अडचनें निम्नलिखित हैं –

1. सेवायोजित महिलाओं के प्रति नियोजकों की धारणा।
2. महत्वाकांक्षा का अभाव।
3. महिलाओं के विरूद्ध पुरुषों का पूर्वाग्रह।
4. नौकरी/व्यवसाय में लगी महिलाओं के विरूद्ध समाज के पूर्वाग्रह।
5. महिला कर्मचारियों के प्रति भेदभाव।
6. नौकरी करने वाली महिलाओं के दृष्टिकोंण तथा पूर्वाग्रह।
7. बच्चों वाली महिलाओं की नौकरी के सम्बन्ध में समाज के पूर्वाग्रह।
8. यह विश्वास है कि नौकरी करने वाली महिलाओं के दाम्पत्य

सम्बन्ध पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

9. नौकरी न करने वाली महिलाओं के कार्यरत महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह।

10. विशेष शिक्षा तथा प्रशिक्षण की कमी।

सेवायोजित महिलाओं की समस्याएं तथा कठिनाइयां -

सेवायोजित महिलाओ की समस्या तथा कठिनाइयां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं –

1. वातावरण जनित,

2. सामाजिक

3. मनोवैज्ञानिक

इनमें से प्रत्येक दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है–

(अ) घर में,

(ब) व्यवसाय या नौकरी में।

सेवायोजित महिलाओं का घर में तथा व्यवसाय (नौकरी) दोनों जगहो पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरणजनित समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये समस्याएं दोहरी हैं।

1. दोहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आन्तरिक संघर्ष।

2. व्यवहारिक स्तर पर समस्या–घर–बार की जिम्मेदारी के साथ नौकरी/व्यवसाय से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का तालमेल बैठाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई।

घर–बार की सारी जिम्मेदारियों को अकेले निभाते रहने की वजह से सेवायोजित महिलाएं थक जाती हैं और चिड़चिड़ी बन जाती है।

घर तथा दफ्तर के कार्यों की मांग तथा इसके साथ–साथ घरेलू सुविधाओं तथा सहायता के अभाव की वजह से छोटी–छोटी घटनाएं भी कामकाजी स्त्रियों को उत्तेजित कर देती है।

अनुसंधानकर्ता ने अपने अध्ययन के दौरान विभिन्न नौकरियों/व्यवसायों में लगी महिलाओं के साथ बातचीत की, उससे जान पड़ा कि इनकी समस्याएं मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। – वातावरणजनित, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक। और इनमें प्रत्येक समस्या दो अवस्थाओं में उत्पन्न होती है – (1) घर में, और (2) नौकरी/व्यवसाय में सेवायोजित महिलाओं का घर तथा नौकरी दोनों जगहों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वातावरणजनित समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं दोहरी हैं – (1) दो तरफी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आंतरिक संघर्ष, तथा (2) व्यवहारिक स्तर की समस्या–घर–बार की जिम्मेदारी के साथ नौकरी से सम्बन्धित उत्तरदायित्व का तालमेल बैठाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई।

अपनी नौकरी एवं अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोंण में जो परिवर्तन आया है, उसका उनके व्यक्तित्व, उनके दृष्टिकोंण तथा घर में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं, यह जानने का प्रयास किया गया।

मध्यमवर्गीय महिलाओं द्वारा हर प्रकार की नौकरियां करने तथा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने की वजह से उनमें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास आ गया है। घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली। नौकरी की वजह से वे अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता से अधिक सन्तुष्ट

हैं तथा अपने अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा आत्म सम्मान के प्रति सजग हैं। परिवार के लिए अपनी महत्ता, परिवार में अपने अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों तथा स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के प्रति उनके दृष्टिकोंण में परिवर्तन आ गए हैं।

परन्तु दूसरी ओर अधिकांश पति–पत्नी द्वारा नौकरी करने की वजह से पारिवारिक जीवन में आई हुई तब्दीली को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ता ने पाया कि अधिकांश पति तो यह चाहते हैं कि पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उनकी पत्नियां नौकरी करें, परन्तु साथ ही साथ वे (पति) घर–बार के काम में हांथ बंटाने तथा बच्चों की देखभाल करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। यह माना जाता है कि यह काम तो पत्नी का ही है, भले ही वह पति के ही जैसी नौकरी क्यों न करती हो। यद्यपि अधिकांश सेवायोजित महिलाएं अपने इस दोहरे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं, परन्तु उन्हें अपने पतियों से इस काम में शायद ही कोई सहयोग मिलता है। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि पति ऐसा चाहते हैं कि उनकी पत्नियां परम्परागत रीति के अनुसार उनके वस में रहें तथा नौकरी के बावजूद भी वे ही घर–बार की चिन्ता करें। घर–बार की सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही निभाते रहने की वजह से कार्यरत महिलाएं थक जातीं है और चिड़चिड़ी बन जाती हैं। इससे स्वभाविक है कि वे अपने पतियों तथा बच्चों के साथ हंसी–खुशी के साथ समय नहीं बिता पाएं। कभी–कभी घर तथा नौकरी से सम्बन्धित कार्यो की मांग तथा इसके साथ–साथ घरेलू सुविधाओं तथा सहायता के अभाव की वजह से छोटी–छोटी घटनाएं भी कार्यरत महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएं नौकरी करने के साथ घरेलू उत्तरदायित्वों को तथा पत्नी के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह से निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही थीं।

दूसरी तरफ यदि कोई सेवायोजित महिला अपने घरेलू उत्तरदायित्वों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाती है तथा घर–बार एवं बच्चों के प्रति लापरवाही बरतती है तो उसे केवल पत्नी, गृहणी तथा मां के रूप में अयोग्य, निकम्मी और घमण्डी ही नहीं माना जाता है बल्कि उसे यह अहसास कराया जाता है कि उसने घर–बार और बच्चों के प्रति उपेक्षा दिखा कर बुरा किया है। चूंकि वे चाहती हैं कि वह एक कार्यकर्ता तथा गृहणी के रूप में सफल रहें, इसलिए वह घर और नौकरी के उत्तरदायित्वों के पाटों के बीच पिसती रहतीं हैं।

जहां सेवायोजित पत्नी के उत्तरदायित्वों और स्थिति के प्रति एक ओर पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोंण तथा दूसरी ओर उसके अपने दृष्टिकोंण में अन्तर हुआ, वहां वैवाहिक तथा पारिवारिक जीवन में निश्चय ही संघर्ष और तनाव बने रहते हैं। इनकी वजह से परिवार के सदस्यों के आपसी सम्बन्ध में अनेक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएं उठतीं हैं। इस प्रकार जो महिलाएं पत्नी–मां तथा सेवायोजित महिला के दोहरे दायित्वों तथा स्थितियों 'पदों' को एक साथ निभाना चाहती हैं, उन्हें अनेक समस्याओं तथा असंगतियों का सामना करना पड़ता है।

जो महिलाएं विवाह करने के बाद भी नौकरी करतीं रहना चाहतीं हैं, उनके सामने एक असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इन दोनों उत्तरदायित्वों को वे किस कदर एक साथ निभाएं। फलस्वरूप उन्हें संघर्ष, थकावट, तनाव तथा असंगतियों के क्षणों में गुजरना पड़ता है। कुछ महिलाओं ने कहा कि आर्थिक भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें घरेलू झंझटों से कोई राहत नहीं है, जबकि अन्य महिलाओं को उन सारे कामों को निपटाना पड़ रहा था, जो वे नौकरी में आने से पहले कर रहीं थीं। उनसे आशा की जाती थी कि घर–बार के कामों में पूरा–पूरा हांथ बटाएं। चूंकि

अधिकांश सेवायोजित महिलाओं को नौकरी और घरेलू काम, दोनों को साथ–साथ निपटाना पड़ता है, अतः उनका थक जाना स्वभाविक है। जिन परिवारों मे कोई नौकर नहीं होता अथवा घरेलू कामों में हाथ बंटाने और बच्चों को सम्हालने के लिए कोई बूढ़ी औरत नहीं होती, उन परिवारों में भी पति लोग पत्नी की सहायता नहीं करते। नौकरी में अनेक घण्टों का कार्यकाल होता है तथा घरेलू उपादानों के अभाव में कामों में भी घण्टों लग जाते हैं।

परिवार के एक कमाऊ सदस्य के नाते महिला परिवार मे एक विशिष्ट सम्मान का पद पाना चाहती है, वह चाहती है कि कमाऊ पुरुष सदस्य की बरावरी का दर्जा उसे मिले। परन्तु हकीकत में उसे यह सब उपलब्ध नहीं है। अध्ययन के दौरान अनेक महिलाओं ने बताया कि स्वयं अर्जित धन को खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी सारी आय पति अथवा सास–श्वसुर को देनी पड़ती है और जहां औरतों ने अपने अर्जित धन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की, वहां कलह उठ खड़ा हुआ क्योंकि पति और परिवार के दूसरे सदस्य उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसी तरह नौकरी करने तथा परिवार का सदस्य होने के बावजूद भी उसे कहीं आने–जाने की स्वतन्त्रता नहीं है, पति उसे अपने समकक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हैं, न ही उसके पति अथवा सास–श्वसुर उसका कोई विशेष ध्यान रखते हैं।

अधिकांश सेवायोजित महिलाओं को परिवार से आवश्यक स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती है। परिवार के लिए धन अर्जित करने के बावजूद भी जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता।

जो सेवायोजित महिलाएं पुरुषों के साथ काम करतीं है, उनकी समस्याएं कुछ दूसरी हैं और जो महिलाओं के साथ काम करतीं हैं, उनकी कुछ और। इस तरह सेवायोजित महिलाओं की समस्याएं बहुमुखी हैं।

जिन कार्यरत महिलाओं के साथ अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि पुरुषों के साथ काम करने की वजह से उन्हें कठिन परिस्थितियों और उलझनों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं किसी पुरुष उच्चाधिकारी के मातहत काम करती हैं, उनके सामने यह समस्या रहती है कि अधिकारी उन्हें कार्यकुशल कार्यकर्ता न मान कर सिर्फ उन्हें स्त्री के ही रूप में देखता है। यदि वह उनकी प्रशंसा करे, उनके सामने सौम्य और नम्र रहे तो सम्भव है कि अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके महिला कर्मचारी से नाजायज फायदा उठाना चाहेगा। यदि उसने अधिकारी को वैसा करने दिया तो उसमें अपराध भावना की वजह से आन्तरिक संघर्ष और तनाव पैदा होंगे। घर में तथा सहकर्मियों के साथ उसका सम्बन्ध कटु हो जाता है। उसके सहकर्मी उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं और यदि कही उसने अपने अधिकारी को प्रसन्न नहीं रखा, अपने काम में ही दिलचस्पी रखती रही तो उसके लिए अपनी नौकरी बनाए रखने अथवा पदोन्नति पाना कठिन हो जाएगा, उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वह पदोन्नति के कतई योग्य नहीं है।

यदि महिला अधिकारी हुई तो उसके अधीनस्थ कर्मचारी पुरुष हुए तो उसको एक दूसरी प्रकार की उलझन से पाला पड़ता है। यदि वह अल्पभाषी, अपने कर्मचारियों से उसने अनुशासन बरतने के लिए काम ठीक तरह से करने के लिए कहा तो उनका कोपभाजन बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि उसने नम्रता, शिष्टता से काम लिया तो कहा जाता है कि वह उच्चाधिकारी होने के काबिल नहीं है। उसके अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हुए उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसके आदेशों की अवहेलना करते हैं। इन दोनों स्थितियों से साफ जाहिर होता है कि पुरुष अभी भी किसी महिला अधिकारी के मातहत काम करना पसन्द नहीं करते हैं, और यदि लाचारी में ऐसा करना ही पड़े तो उनकी अहम भावना को चोट पहुंचती है।

सेवायोजित महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों के साथ काम करना पड़ता है। परन्तु इस साधारण स्थिति में भी तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि ज्यादा बोलती–चालती नहीं, खुल कर पुरुष सहकर्मियों के साथ मिलती–जुलती नहीं, तो कहा जाता है कि उसे अपने परिवार, पद आदि का घमण्ड है। दूसरी तरफ यदि वह उनके साथ खुल कर मिलती है तो उसे गलत नजरों से देखा जाता है। उसका नाजायज फायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है।

एक दूसरी समस्या है पुरुषों के साथ काम करते–करते वह किसी पुरुष विशेष के साथ नजदीकी सम्बन्ध बना लेती है। इसकी वजह से उसके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

जो महिलाएं आर्थिक मजबूरी की वजह से नौकरी करती हैं उन्हें अपने अधिकारियों के गन्दे विचारों के सामने भी झुकना पड़ता है। वे इस डर से उनकी शिकायत भी नहीं कर पातीं, कि कहीं उनकी नौकरी ही न चली जाए। अथवा उन्हें पदोन्नति ही न मिले। इन परिस्थितियों की वजह से सेवायोजित महिलाओं में आंतरिक अशान्ति, तनाव और अपराध–भावना पैदा होती है। उनके सामने दुविधा रहती है। यदि उन्होंने अपने अधिकारी को खुश नहीं रखा तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी, यहां तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है। दूसरी तरफ उन्हें खुश रखने के लिए यदि उन्होंने उनकी हर इच्छाओं के सामने झुकना पसन्द किया तो उन्हें अपराध भावना का शिकार होना पड़ता है।

इससे साफ जाहिर होता है कि काम करने वाली महिलाओं का किस हद तक शोषण हो रहा है।

सेवायोजित महिलाओं की एक और समस्या अध्ययन के दौरान देखने को मिली, वह है स्थानान्तरण की वजह से सेवायोजित महिलाओं का अपने पतियों से दूर रहना अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित महिलाओं की समस्याओं तथा कठिनाइयों को बारीकी से समझा व अनुभव किया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सेवायोजित महिलाओं को नौकरी के उत्तरदायित्वों को निभाने में उलझी रहने की वजह से वे अपनी परम्परागत पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा–पूरा निर्वाह नहीं कर पाती, फलस्वरूप उसे ताने सहने पड़ते हैं, कटु आलोचना का शिकार होना पड़ता है। सेवायोजित महिलाएं स्वयं भी महसूस करतीं हैं कि दोहरा उत्तरदायित्व निभाना सुखकर नहीं है। इन सामाजिक–मनोवैज्ञानिक समस्याओं के अलावा सेवायोजित महिलाओं को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, उनमें से मुख्य हैं– आवास की कठिनाई। घर से बाहर महिलाओं के लिए सम्मानजनक आवास पाना मुश्किल होता है। जिसकी वजह से उनकी गतिशीलता प्रतिबन्धित होती है। एक दूसरी बड़ी समस्या है आवागमन की। जहां घर से कार्य–स्थल तक बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां बसों की रेल–पेल में सेवायोजित महिलाओं का सफर करना मुश्किल हो जाता है। नौकरी पर जाने के लिए बस पकड़ने हेतु धक्का–मुक्की करनी पड़ती है। बसों की प्रतीक्षा मे घण्टों लग जाते हैं। लम्बे कार्यकाल के बाद दो तीन घण्टों तक बसों की प्रतीक्षा करना तथा उसमें सफर करना बहुत कष्टदायक है। उस महिला के लिए जिसे घर के भी सारे कार्य करने पड़ते है, बसों द्वारा सफर करना बहुत ही क्लेशकर और थका देने वाला है। बसों की यथेष्ट सुविधा के अभाव से होने वाले कष्ट तो हैं ही, उसके अलावा यदि कोई सेवायोजित महिला उसकी वजह से घर देर से पहुंचती है, तो पड़ोसियों में उसके विरूद्ध कानाफूसी होने लगती है। उसके पति तथा सास–श्वसुर भी उसके देर से घर पहुंचने पर व्यंग्यवाण छोड़ने से बाज नहीं आते।

षष्ठम अध्याय

1- सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्ध

2- पारिवारिक समस्याएं

3- प्रभाव तथा परिणाम

कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक समस्याओं के प्रभाव तथा परिणाम

प्रस्तुत अध्याय में झांसी नगर की सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों एवं पारिवारिक समस्या के प्रभाव तथा उनके परिणाम पर प्रकाश डाला गया है।

कार्यस्थल पर सेवायोजित महिलाओं के अपने उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों व समान परिस्थिति एवं आयु वाले कर्मचारियों से कार्यों के आधार पर सम्बन्ध बनते, विकसित होते और बिगड़ते रहते हैं तथा महिलाओं के नौकरी करने से परिवार में जो समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, उनके प्रभाव न केवल सेवायोजित महिलाओं के व्यक्तित्व बल्कि परिवार तथा अन्य सदस्यों व समाज पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित महिलाओं से जब यह पूंछा कि नौकरी करने से आपकी प्रस्थिति में कोई परिवर्तन आया? तो उन्होंने उत्तर दिया –

तालिका

सेवायोजित महिलाओं की नौकरी/व्यवसाय से उनकी प्रस्थिति में परिवर्तन

क्र.सं.	*प्रस्थिति में परिवर्तन*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	270	90
2–	नहीं	30	10
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 270 सेवायोजित महिलाओं की नौकरी / व्यवसाय

के कारण उनकी प्रस्थिति मे परिवर्तन आया है, जबकि 30 महिलाओं ने इस तथ्य से इन्कार किया।

प्रस्थिति मे परिवर्तन के कारण पूंछने पर सेवायोजित महिलाओं ने कहा –

उनकी नौकरी/व्यवसाय के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ–साथ उनका सामाजिक सम्पर्क का दायरा भी बढ़ा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है। वे कहतीं हैं कि नौकरी/व्यवसाय उनके भविष्य हेतु बचत में भी मददगार साबित हुई है, जबकि थोड़ी महिलाओं ने बताया कि नौकरी व्यवसाय में उनकी प्रस्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है।

जब सेवायोजित महिलाओं से यह पूछा गया कि क्या आपकी नौकरी/व्यवसाय से उत्पन्न पारिवारिक समस्याओं का आपकी नौकरी पर कुछ प्रभाव पड़ा है? तो उन महिलाओं ने कहा –

तालिका

सेवायोजित महिलाओं की पारिवारिक समस्याओं का नौकरी पर प्रभाव

क्र.सं.	*नौकरी पर प्रभाव*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	220	73.3
2–	नहीं	80	26.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 220 सेवायोजित महिलाओं की पारिवारिक समस्याओं से उनकी नौकरी/व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा, जबकि 80 महिलाओं ने नकारात्मक उत्तर दिया।

सकारात्मक उत्तर देने वाली महिलाओं से जब उनकी पारिवारिक समस्याओं से नौकरी/व्यवसाय पर होने वाले प्रभावों के कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक समस्याओं की वजह से ही उनकी नौकरी व्यवसाय हेतु अक्सर देर हो जाती है व इन समस्याओं के कारण ही उनका अपनी नौकरी/व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यों में मन नहीं लगने की वजह से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पातीं हैं, जिससे उनके अधिकारी उन्हें बात–बात पर डांटते हैं, चेतावनी पत्र भी मिल जाता है तथा कभी–कभी तन्ख्वाह भी कट जाती है।

ऐसी सेवायोजित महिलाओं ने यह भी कहा कि जब नौकरी पर होती हैं, तो उन्हें घर, बच्चों, अधूरे छोड़े हुए कार्यों, बीमार सास–श्वसुर आदि की चिन्ता सताती है, और जब वे घर पर होती हैं, तो नौकरी के अधूरे कार्यों को पूरा करने की चिन्ता बनी रहती है। इस वजह से उन पर हर समय तनाव बना रहता है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है।

अनुसंधानकर्ता ने जब सेवायोजित महिलाओं से यह पूछा कि क्या नौकरी तथा घरेलू कार्यों को करने से आप थकावट अनुभव करतीं हैं, तो उन्होंने कहा–

तालिका

नौकरी/व्यवसाय तथा घरेलू कार्यों से थकान अनुभव करना

क्र.सं.	*कार्य के समय थकान*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	हां	120	40
2–	कभी–कभी	80	26.7
3–	नहीं	100	33.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 120 सेवायोजित महिलाओं की अपनी नौकरी/व्यवसाय के कारण थकान महसूस होती है, जबकि 100 महिलाओं ने

थकान अनुभव से इंकार किया तथा 80 महिलाओं ने कहा कि उन्हें कभी–कभी थकान महसूस होती है। सेवायोजित महिलाओं से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आपकी पारिवारिक समस्याओं का आपकी नौकरी पर कुछ प्रभाव पड़ा है? तो उन महिलाओं ने जो उत्तर दिए, वे इस प्रकार हैं –

तालिका

पारिवारिक असंगतियों का नौकरी पर प्रभाव

क्र.सं.	*नौकरी पर प्रभाव*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	काम पर जाने के लिए देर हो जाना	120	40.0
2–	नौकरी में (कार्य करते समय) घर की, बच्चों की, अधूरे छोड़े गए कार्यों की, बीमार सास–श्वसुर की चिन्ता बनी रहती है	80	26.7
3–	पारिवारिक चिन्ताओं से कार्य ठीक तरह से न हो पाना	100	33.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 120 सेवायोजित महिलाएं ऐसी थीं जो नौकरी या काम पर जाने के लिए लेट हो जाती है, जबकि 100 महिलाएं पारिवारिक चिन्ताओं के बने रहने के कारण कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं। 80 महिलाएं ऐसी भी पाई गईं, जिन्हें कार्य करते समय बच्चों की तथा अधूरे छोड़े हुए कार्यों की व बीमार सास–श्वसुर की चिन्ता सताए रहती थी।

इन महिलाओं से जब यह पूछा गया कि इनसे नौकरी प्रभावित हुई, तो उन्होने बताया कि अक्सर अपने बॉस/अधिकारी की डांट–डपट या झिड़कियों का शिकार होना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि चेतावनी पत्र भी मिल चुका हैं। कुछ की नौकरी पर देर से पहुंचने की वजह से तन्ख्वाह कट गई, जिससे

उन्हें मानसिक सन्ताप झेलना पड़ता है। सेवायोजित महिलाओं से यह भी प्रश्न किया गया कि कार्यकारी सम्बन्धों का उनके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने बताया कि उनके नौकरी तथा वहां के लोगों से बने सम्बन्धों का उनके पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। बॉस/सहकर्मी के साथ सम्बन्धों को लेकर पति–पत्नी के बीच सम्बन्धों में तनाव पैदा हुआ है। पति पत्नी को शंका की दृष्टि से देखते हैं, उनके चरित्र पर भी लांछन लगाने से भी नहीं चूकते। आए दिन सास–श्वसुर के व्यंग बाण भी कार्यकारी सम्बन्धों को लेकर सुनने पड़ते हैं। कभी–कभी मुहल्ले/पड़ोस के लोगों की चर्चाओं का भी कार्यकारी सम्बन्धों को लेकर शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों से सेवायोजित महिलाओं में चिड़चिड़ापन, कुण्ठाएं, चिन्ताएं, मानसिक तनाव, इच्छाओं का दमन, अन्र्तद्वन्द नौकरी छोड़ने की इच्छा, दबाव, प्रतिस्पर्धा, थकान, असन्तोष देखने को मिला। आगे उनसे यह प्रश्न किया गया कि इसके परिणाम क्या हुए, अथवा स्वयं पर उनके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, तो उन्होंने अनुसंधानकर्ता को बताया कि –

तालिका

स्वयं पर प्रभाव, परिणाम

क्र.सं.	*स्वयं पर प्रभाव, परिणाम*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	गिरती हुई सेहत (स्वास्थ्य)	35	11.7
2–	मानसिक संघर्ष	60	20.0
3–	सहनशीलता का अभाव	30	10.0
4–	कर्तव्यों की उपेक्षा	50	16.7
5–	व्यक्तिवाद् की प्रकृति	40	13.3
6–	कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव	30	10.0
7–	हीनभावना	55	18.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि सेवायोजित महिलाओं पर कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक समस्याओं का उन पर (स्वयं पर) प्रभाव पड़े हैं अथवा उनके परिणाम सामने आए हैं। 60 महिलाएं ऐसी है जिन्हें नौकरी तथा कार्यकारी सम्बन्धों और पारिवारिक समस्याओं की वजह से मानसिक संघर्ष झेलना पड़ता है। 30 प्रतिशत महिलाओं की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 25 महिलाएं ऐसी भी पाई गई, जिनमे सहनशीलता का अभाव था, वे परन्तु तुरन्त जवाब दे बैठतीं थीं। 35 प्रतिशत महिलाएं रोगग्रस्त हैं, उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य इसका परिचायक है। 55 महिलाओं के अन्दर हीनभावना, कुंठाएं, इच्छाओं का दमन देखने को मिला। जबकि 40 महिलाओं के अन्दर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति ने जन्म लिया है।, उनके अन्दर मैं की भावना घर कर गई है। ये यह समझतीं है कि हम घर में तथा नौकरी पर दो पाटों के बीच पिसतीं रहतीं हैं, सब कुछ उन्हें अकेला ही झेलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, सहानुभूति नहीं दिखाता। इसलिए उन्होने अपने मन को कठोर कर लिया है। दूसरी तरफ पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा तथा नौकरी की वजह से व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पनप गई है।

50 महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि वे कर्तव्यों की उपेक्षा करतीं हैं, स्वयं को दोषी माना है। जब 50 महिलाओं से कर्तव्यों की उपेक्षा का कारण पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह तो हमारी आदत बन गई है, अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं में यह प्रवृत्ति देखी गई है। उनकी नौकरी का स्थाई होना, अपने अधिकारियों का डर न होना, अपनी ऊपर तक पहुंच होना आदि कारण बताए गए हैं।

इस प्रकार उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कार्यरत महिलाओं पर कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक समस्याओं का अस्वस्थ प्रभाव पड़ा है तथा इसके दुष्परिणाम भी इन्ही महिलाओं को झेलने पड़ते हैं।

जबकि कुछ महिलाओं पर कार्यकारी सम्बन्धों का उनके जीवन पर स्वस्थ्य प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। उनके जीवन में समय का पाबन्द होना, घर से बाहर निकलने पर चार लोगों के बीच बैठकर नई जानकारी मिलना, संकीर्ण दृष्टिकोंण परित्याग होना, अपना काम खुद करना, दूसरों को देखकर अपने व्यवहार को बदलना तथा व्यवहार कुशल बनना, अपने घर को व्यवस्थित रखने की चेष्टा करना, बच्चों को आत्म–निर्भर बनाना आदि अच्छे परिणाम देखने को मिले।

परिवार एवं बच्चों पर प्रभाव –

पारिवारिक जीवन एवं बच्चों पर महिलाओं के रोजगार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को दो मोरचों पर काम करना पड़ता है। – एक तो नौकरी में और दूसरा घर पर उन दोनों पर उन्हें क्रमशः 8 व 5 घण्टे काम करना पड़ता है, इस प्रकार दिन में 13 घण्टे काम करने के बाद उनका शरीर बहुत अधिक थक जाता है। जिसका उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन और आराम के लिए उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता यही नहीं, उनके बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव होता है, बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है। शिशु सदन के अभाव में जब बच्चों को घर अकेला रहना पड़ता हैं तो नियंत्रण के अभाव में उनमें बुरी आदतें आ जाती हैं, कुछ माताएं तो बच्चों को अफीम खिलाकर घर पर छोड़ जाती हैं, जिससे उनका दिल और दिमाग कमजोर हो जाता है। महिलाओं के रोजगार का पति–पत्नी के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब स्त्रियां कमाने लगतीं हैं तो यह सोचतीं हैं कि पुरुषों को भी घर के काम में मदद देनी चाहिए हमारे देश में घर का उत्तरदायित्व महिलाओं के कन्धों पर ही होता है। यही कारण है कि वे पुरुषों को अपने कार्य में भागीदार बनाना चाहती हैं। नवीन वातावरण के अन्तर्गत पति–पत्नी के सम्बन्ध कहां तक मधुर रहेंगे, यह जानने

हेतु अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित महिलाओं से कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक समस्याओं का उनके परिवार तथा बच्चों पर प्रभाव जानने का प्रयास किया है।

अनुसंधानकर्ता ने सेवायोजित महिलाओं से यह प्रश्न पूछा कि जब आप नौकरी पर जातीं हैं या काम में लगी रहतीं हैं, तो बच्चों की देखभाल का क्या इन्तजाम करतीं है? तो उन्होंने बताया कि –

तालिका

सेवायोजित महिलाओं द्वारा बच्चों की देखभाल का इंतजाम

क्र.सं.	*बच्चों की देखभाल*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	रिश्तेदार/नौकर दोनों देखभाल करते हैं	75	25.0
2–	रिश्तेदारों के घर पर छोड़ जाते हैं	30	10.0
3–	घर पर अकेले रहते है	35	11.7
4–	बड़े भाई–बहिन घर पर देखभाल करते हैं	20	6.6
5–	नौकरी/काम वाले स्थान पर चले जाते हैं	50	16.7
6–	बच्चे बड़े हैं, देखभाल की आवश्यकता नहीं	65	21.7
7–	अन्य कोई	25	8.3
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 65 महिलाएं ऐसी है जिनके बच्चे बड़े हैं, उन्हें देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, 75 महिलाएं ऐसी है जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए रिश्तेदारों/नौकरों पर छोड़ जाती हैं। वे घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पति भी नौकरी में हैं तथा उन दोनों की आय अच्छी है, वे नौकर रखने में समर्थ हैं। दूसरी ओर उनके घर पर आए दिन कोई न कोई रिश्तेदार बना रहता है, जिन पर वे नौकरी पर जाते समय बच्चों को छोड़ जातीं है, उनकी अनुपस्थिति में रिश्तेदार ही

बच्चों की देखभाल करते हैं। 50 महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि वे अपने बच्चों को नौकरी/काम वाले स्थान पर ले जाती हैं। क्योंकि उनके यहां बच्चों की देखभाल के लिए कोई आसरा नहीं है। ये बच्चे हाल ही के पैदा हुए दूध पीते बच्चे हैं। 30 महिलाएं ऐसी थीं जो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर पर नौकरी पर जाते समय छोड़ आती थीं, तथा नौकरी से वापिस आते समय बच्चों को रिश्तेदारों के घरों से ले आती थीं। ऐसी महिलाओं के बच्चे एक साल से 10 साल तक की उम्र के थे। इन महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए किसी शहर में उनके रिश्तेदारों के घरों का होना था, जिसका वे लाभ उठातीं थीं। 35 महिलाएं ऐसी थीं, जो अपने बच्चों को नौकरी पर जाते समय घर पर अकेले छोड़ जाती थीं। ऐसी महिलाएं एकाकी परिवार में रहतीं हैं, उनकी सामर्थ्य, भी यह नहीं है कि वे नौकर/आया रख सकें। इन महिलाओं के बच्चे समझदार तथा 10–12 साल की उम्र के थे। 20 महिलाएं ऐसी थी जो अपने छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई–बहिन की देखरेख में नौकरी पर जाते समय छोड़ जाती थीं, 25 महिलाएं ऐसी भी मिली, जो पड़ोस में अपने बच्चों को नौकरी पर जाते समय छोड़ जाती थीं। क्योंकि ऐसी महिलाओं का बच्चों की देखरेख के लिए कोई सहारा नहीं था। ऐसी महिलाओं के बच्चे गली–कूचे मे खेलते देखे गए। जिनके अन्दर गाली देना, बुरी आदतें पनपते तथा बिगड़ते पाया गया। इन महिलाओं का बच्चों पर नियंत्रण का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सेवायोजित महिलाओं के बच्चों की देखभाल का इंतजाम ठीक नहीं रह पाता है तथा ऐसी महिलाओं के नौकरी करने से परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ना स्वभाविक ही है। नौकरी करने से परिवार तथा बच्चों पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वे स्वस्थ्य भी हो सकते हैं तथा अस्वस्थ्य भी। उसकी

कुछ झलकियां इस प्रकार है, जिन्हें अनुसंधानकर्ता ने साक्षात्कार करते समय अपनी आंखों से देखा –

1. बच्चे सहमे–सहमे तथा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि मां नौकरी से वापिस आने पर डांटेगी, झल्लाएगी।

2. बच्चें मां–बाप के प्यार से वंचित रहते हैं। इसका कारण माता–पिता का नौकरी करना है। वे बच्चों को इतना समय भी नहीं दे पाते हैं कि उनको पास बिठा कर उनसे मन की बात पूछ सकें।

3. बच्चें अपना काम करना स्वयं सीख जाते हैं, चाहे वे उल्टा सीधा ही क्यों न करें।

4. माता–पिता के नौकरी करने से कुछ बच्चे बिगड़ते हुए देखे गए हैं, क्योंकि उन पर माता–पिता का नियंत्रण नहीं रहता।

सेवायोजित महिलाओं से जब यह प्रश्न किया गया कि क्या आप ऐसा अनुभव करतीं हैं कि आपकी नौकरी/कार्य आपको एक अच्छी मां बनाने में बाधक होता है? अतः उन्होंने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार है –

तालिका

नौकरी/कार्य अच्छी मां बनाने में बाधक है या नहीं

क्र.सं.	*बाधक*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	नहीं	120	40.0
2–	हां	100	33.3
3–	कुछ सीमा तक	80	26.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 120 महिलाओं ने नहीं में उत्तर दिया इन महिलाओं से इसके कारण जानने चाहे तो उन्होंने कहा कि नौकरी अच्छी मां बनने में बाधक नहीं है। हम नौकरी के बाद अपने दूध पीते बच्चों तथा स्कूल जाते बच्चों का पूरा ख्याल करते व रखते हैं। घर में यदि बच्चों का ख्याल मां नही रखेगी, तो कौन रखेगा। नौकरी से वापिस आने पर चाय नाश्ता तैयार करके बच्चों का गृहकार्य देखना, बच्चों की हारी–बीमारी में तीमारदारी एक मां ही अच्छी प्रकार से कर सकती है। जिन 100 महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनकी नौकरी/कार्य अच्छी मां बनाने में बाधक है, उन्होंने जो हां में उत्तर दिए, उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो कारण बताए, वह इस प्रकार हैं। उनके नौकरी से लौटने पर घर आने पर चौका–चूल्हे में जुटना, घर को व्यवस्थित रखना, अधूरे छोड़े हुए कार्यों को निपटाना, इन सबसे परेशान हो जाती हैं। उनका कहना है कि वे कोई यन्त्र मशीन तो हैं नहीं, जो कोल्हू के बैल की तरह चलतीं रहें। आखिरकार वे भी इन्सान हैं, उनको भी आराम चाहिए, जब आराम करने को नहीं मिलता जो दिमाग में झुंझलाहट आ ही जाती है और बच्चों पर उतारतीं हैं, जरा सी बात पर बेचारे बच्चे पिट जाते हैं। इस तरह वे नौकरी को या कार्य को अच्छी मां बनाने में बाधक मानतीं हैं। 80 महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने नौकरी/कार्य को अच्छी मां बनाने में कुछ सीमा तक बाधक माना है। उनका कहना है कि जब स्कूल/आफिस में कार्य अधिक हो जाने की वजह से घर देर से पहुंचती हैं, तो घर में बच्चे पहले से व अन्य सदस्य उनकी बाट जोहते रहते हैं, उनको मां का सम्पर्क चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उन्हें नौकरी कुछ सीमा तक अच्छी मां बनाने में बाधक मानती हैं।

सेवायोजित महिलाओं से यह भी प्रश्न किया गया कि उनके नौकरी करने से पारिवारिक समस्याओं का परिवार तथा अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव

पड़ा है? तो उन्होने कहा कि –

तालिका

नौकरी करने से उत्पन्न कार्यकारी सम्बन्ध तथा पारिवारिक तनाव का परिवार तथा अन्य सदस्यों पर प्रभाव

क्र.सं.	*पारिवारिक असंगतियों का परिवार तथा अन्य सदस्यों पर प्रभाव*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	प्राथमिक सम्बन्धों का ह्रास	45	15.0
2–	अविश्वास में वृद्धि	35	11.7
3–	पारिवारिक मूल्यों का ह्रास	30	10.0
4–	एकाकी परिवार	100	33.3
5–	परिवार का भौतिकीकरण	50	16.7
6–	बच्चों की देखरेख का प्रभाव	35	11.7
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 100 महिलाएं ऐसी थीं कि जिनको नौकरी/कार्य तथा पारिवारिक असंगतियों की वजह से एकाकी परिवार में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। 45 महिलाऐं ऐसी हैं जिनका कार्यकारी सम्बन्धों की वजह से उनके प्राथमिक सम्बन्धों का ह्रास हुआ। 35 महिलाऐं ऐसी थीं, जिनके नौकरी करने से उत्पन्न कार्यकारी सम्बन्धों की वजह से परिवार मे पति–पत्नी के बीच अविश्वास की वृद्धि हुई। 40 महिलाएं ऐसी पाई गईं, जिनका नौकरी करने से परिवार का भौतिकीकरण हुआ। 30 महिलाएं ऐसी हैं जिनके नौकरी/कार्य में ज्यादा व्यस्त रहने से पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, ऐसा स्वीकार किया। 30 महिलाएं ऐसी भी थीं जो नौकरी/कार्य में व्यस्त रहने से बच्चों की देख–रेख भली–भांति नही कर पातीं थीं।

तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक असंगतियों का उनके परिवार तथा अन्य सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है।

सेवायोजित महिलाओं से यह जानने की चेष्टा की गई कि क्या आपकी नौकरी/काम से आपके परिवार के आर्थिक स्तर में कोई परिवर्तन आया है? तो उन्होंने कहा कि नौकरी/काम से परिवार के आर्थिक स्तर में परिवर्तन निम्न प्रकार से आया –

तालिका

नौकरी/कार्य से परिवार के आर्थिक स्तर में परिवर्तन

क्र.सं.	*परिवार के आर्थिक स्तर में परिवर्तन*	*आवृति*	*प्रतिशत*
1–	कुछ परिवर्तन	160	53.3
2–	बहुत परिवर्तन	95	31.7
3–	कोई परिवर्तन नहीं	45	15.0
	योग	300	100

तालिका से स्पष्ट है कि 95 महिलाऐं ऐसी थी, जिन्होने स्वीकार किया कि उनके नौकरी करने से परिवार के आर्थिक स्तर में बहुत परिवर्तन हुआ है।पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के साथ–साथ जीवन स्तर उन्नत हुआ है, जबकि महिलाओं ने नौकरी की वजह से परिवार के आर्थिक स्तर में कुछ परिवर्तन को स्वीकार किया है। 45 महिलाऐं ऐसी थीं जिन्होंने कहा कि नौकरी की वजह से परिवार के आर्थिक स्तर में कोई परिवर्तन हुआ है।

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सेवायोजित महिलाओं के नौकरी करने से उनके परिवार के आर्थिक स्तर पर सुधार हुआ।

समाज पर प्रभाव –

महिलाओं के नौकरी/व्यवसाय के प्रभाव से समाज भी अछूता नहीं रहता। जब स्त्रियां भी उद्योगो/आफिसों/स्कूलों तथा प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर कार्य करने को तैयार रहतीं है, स्वभावतः उनको प्राथमिकता दी जाती है, जिससे पुरुषों के रोजगार में कमी आती है। कभी–कभी यह समस्या पैदा हो जाती है कि पुरुषों और स्त्रियों के काम का वर्गीकरण कर दिया जाता है। सामान्यतः शिक्षा, नर्सिंग परिवार तथा समाज के कल्याण से सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। महिला–श्रमिकों के कारण समाज में नई समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे– छोटे–बच्चों की निगरानी करना, अन्हें आवारा होने से बचाना, पारिवारिक कलह आदि रोजगार/नौकरी में महिलाएं अन्य स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषों के सम्पर्क में भी आती हैं। इससे एक ओर उनका दृष्टिकोंण व्यापक होता है। किन्तु दूसरी ओर स्त्री–पुरुष सम्पर्क में चारित्रिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकतीं हैं।

यह जानने हेतु सेवायोजित महिलाओं के कार्यकारी सम्बन्धों तथा पारिवारिक असंगतियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उन्होंने इसके निम्नलिखित प्रभाव बतलाए –

1. औपचारिकता।
2. परस्पर विश्वास की कमी।
3. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारों का दुरुपयोग।
4. भौतिकवादी दृष्टिकोंण

5. व्यक्तिवादिता।

6. सामाजिक अशान्ति।

7. सामाजिक नियंत्रण का शिथिल हो जाना।

8. सामाजिक समस्याओं में वृद्धि।

सेवायोजित महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि नौकरी में औपचारिकता का निर्वाह अधिक करना पड़ता है। विभिन्न लोगों से औपचारिकता के सम्बन्ध बनाने पड़ते है। व्यवहारों में भी औपचारिकता निभानी पड़ती है। एक प्रकार से उनका अपना जीवन भी औपचारिक मात्र बन जाता है।

सेवायोजित महिलाओं में आत्म विश्वास अधिक देखा जाता है। लेकिन नौकरी में उतार–चढ़ाव देखने की वजह से परस्पर विश्वास में कमी देखी गई है। उनके सहकर्मी भी परस्पर विश्वास में कमी ला देते हैं।

आज के बदलते समय में कार्यरत महिलाओं का दृष्टिकोंण परम्परागत न होकर भौतिकवादी दृष्टिकोंण से ही उनमें व्यक्तिवादिता पनपती है। नौकरी करने से वे आत्म–निर्भर बनतीं हैं। उनमें मैं की भावना प्रबल हो जाती है।

बच्चों पर नियंत्रण न रह पाने से परिवार व समाज में अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक नियन्त्रण के साधन प्रभावहीन होते दिखाई देते हैं। समाज में अनेकों नवीन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

इस प्रकार से सेवायोजित महिलाएं ही अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं।

सप्तम अध्याय

निष्कर्ष

सुझाव

परिशिष्ट

1. संदर्भ ग्रन्थ सूची
2. साक्षात्कार अनुसूची

निष्कर्ष

पारिवारिक संरचना में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका का केन्द्रीय स्थान होता है। यदि उनकी भूमिका प्रस्थिति में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव परिवार, पारिवारिक संरचना पर पड़ता है। यह परिवर्तन परिवार की लघु इकाई में होता है। जब व्यापक स्तर पर पारिवारिक परिवेश में महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में परिवर्तन आने लगते हैं तो वे सामाजिक मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को इंगित करते हैं।

वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा, कार्य संलग्नता और समानता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनमें निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं–

1– महिलाओं का शिक्षित एवं सेवायोजित होना।

2– सेवायोजित महिलाओं का नगरों में रहना।

3– महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना और पारिवारिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

4– अन्तर्जातीय एवं प्रेम–विवाह का होना।

5– वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के प्रति पति, बच्चों और अन्य सदस्यों द्वारा समायोजन।

6– चिकित्सीय तकनीकी वृद्धि के फलस्वरूप नियोजित मातृत्व की धारणा।

उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सेवायोजित होने के परिणामों को विश्लेषण में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान अध्ययन में इस बात का

ध्यान दिया गया है कि महिलाओं के सेवायोजित होने से उत्पन्न समायोजन की समस्याओं को निम्नलिखित स्तरों के सन्दर्भ में देखा जाए–

1– सेवायोजित होने और कार्य स्थल से समायोजन की समस्या।

2– सेवायोजित होने से उत्पन्न वैवाहिक एवं पारिवारिक समायोजन की समस्याएं आदि।

3– सहकर्मियों/अधिकारियों के साथ कार्यालय में समन्वय की समस्या।

4– सेवायोजित होने के कारण सामाजिक एवं पारिवारिक भूमिकाओं में सन्तुलन की समस्याएं आदि।

5– दोहरी प्रतिबद्धता से उत्पन्न आंतरिक संघर्ष।

यह परीक्षण करके जानने का प्रयास किया गया है कि कठिनाइयों के बावजूद वे कौन से सामाजिक कारक हैं, जिनके कारण महिलाएं सेवायोजित क्षेत्र में लगीं हैं या लग रहीं हैं। आंकड़ों के आधार पर यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के सेवायोजित होने से किस प्रकार परिवार एवं वैवाहिक जीवनशैली आदि बदल रही है। इन सभी पक्षों के मिले–जुले स्वरूप को समाज वैज्ञानिक अध्ययन की परिमिति में रखा गया है।

महिलाओं के सेवायोजित होने से पारम्परिक पारिवारिक प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। सेवायोजित महिलाओं की भूमिका–प्रस्थिति घर की चहारदीवारी में बने रहने वाली भूमिका प्रस्थिति से भिन्न हुई है। महिलाओं के सेवायोजित होने से उत्पन्न पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की समस्याओं से समायोजन की जो नई शैली उत्पन्न हो रही है, उससे सामाजिक परिवर्तन का बोध होता है।

सेवायोजित महिलाओं के सामने सबसे बड़ा जटिल प्रश्न विशेषकर भारतीय परिवेश में भूमिका–पुंज के यथोचित तादात्म्य से है, जिसकी अनुपस्थिति

में पारिवारिक और सामाजिक असन्तुलन व्याप्त होते है। प्रायः बहुत सी युवा उम्र की सेवायोजित महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी भूमिका–पुंज को यथोचित रूप में एक साथ वहन नहीं कर पातीं। प्रस्तुत अध्ययन में सेवायोजित महिलाओं के सामने एक प्रश्नसूचक स्थिति है। शोध के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त बहुत सी महिलाएं जो विविध क्षेत्रों तथा अध्यापन क्षेत्र में सेवायोजित हैं उनमें एक ही समय में परिवार, व्यवसाय क्षेत्रों तथा सामाजिक दायरे में विविध विषम प्रवृत्ति की भूमिकाओं को पूरा करना पड़ता है। निष्कर्ष के आधार पर अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि समाज द्वारा सम्प्रेषित विषम भूमिकाएं जो महिलाओं के सामने पेश की गईं हैं उससे प्रभावित हुईं हैं। सेवायोजित महिलाओं का उन्मेष परिवार में पति, माँ–बाप, बच्चे, सास–ससुर, व्यवसाय क्षेत्र आदि में एक समान नहीं हो पाता। उन्हें मुक्त समाज में अध्यापक, क्लर्क, वकील, अधिकारी, कर्मचारी की भूमिका अपनानी है। जिसकी तरफ वे ज्यादा सचेत हैं। क्योंकि इन्हीं भूमिकाओं से उनके व्यक्तित्व में वृद्धि हुई है। तो दूसरी तरफ सास–ससुर की निगाहों में एक बहू या मात्र पारिवारिक अधिष्ठात्री, बच्चों की पोषिका आदि की प्रत्याशाएं जुड़ी हुई हैं। उपर्युक्त सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह इंगित किया जाता है कि भारतीय संदर्भ में सेवायोजित महिलाएं द्वंद और कार्यभ्रामकता की स्थिति महसूस करतीं है। कारण यह है कि व्यवसाय में जहां इनकी आर्थिक स्वतन्त्रता देखकर इनमें वैयक्तिक एवं सामाजिक चेतना को जाग्रत किया है। वहां पर बुजुर्ग पीढ़ी आज भी इन्हें हर शिक्षा, योग्यता और वाह्य कार्यों के कौशल रखने के बावजूद भी घर की मालकिन, बहू और गृहपत्नी के रूप में ही ज्यादा देखने की कोशिश करता है।

उपर्युक्त विवेचन की पश्चिमी विद्वानों में **प्रो0 आर0 के0 मर्टन,**

लिण्टन, ह्यूजेज आदि ने भूमिका–पुंज का विवेचन प्रस्तुत करते हुए 'भूमिका द्वंद' की संज्ञा दी है।

महिलाओं के सेवायोजित होने का मुख्य कारण आर्थिक आवश्यकता है। परन्तु शिक्षा, समानता और आधुनिकीकरण की चेतना महिलाओं को सेवायोजित होने के लिए प्रेरित करती है। सेवायोजित महिलाओं के कार्य एवं परिवार में संघर्ष की स्थिति भी रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक कार्यकारी उपकल्पना बना कर चले थे। आधुनिक मनोवृत्ति और आर्थिक दबाव के कारण महिलाएं सेवायोजन के क्षेत्र में प्रवेश करतीं है। महिलाओं के सेवायोजित होने से पारिवारिक और वैवाहिक समायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस सन्दर्भ में जो भी प्रश्न किए गए, उनमें अधिकांश सेवायोजित महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा नौकरी करने से पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हुए हैं और इस तनाव के परिणामस्वरूप परिवार में विभिन्न असंगतियां उत्पन्न हो गईं हैं। उनसे निरन्तर समायोजन और पुर्नसमायोजन करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु सेवायोजित क्षेत्र को छोड़ने का संकल्प नहीं किया जाता है।

उपर्युक्त उपकल्पना का परीक्षण निम्नलिखित के सन्दर्भ में किया गया है–

1– सेवायोजित महिलाओं का सामाजिक स्वरूप।

2– सेवायोजित महिलाओं के पति के आर्थिक स्तर का प्रमापन।

3– सेवायोजित क्षेत्र में कार्य करने के कारण।

4– सेवायोजन सम्बन्धी समस्याओं से अभियोजन।

5– सेवायोजन से उत्पन्न वैवाहिक समस्याओं का निराकरण।

6– कार्य और परिवार से समायोजन के स्वरूप, वैवाहिक और पारिवारिक समायोजन के समाकलन का प्रयास किया गया है।

इक्कीसवीं शताब्दी के शुरूआत में सांस्कृतिक प्रतिमान में जो सबसे बड़ा संघातक परिवर्तन हुआ है वह परिवार एवं घर की प्रकृति मे परिवर्तन है। जो मुख्यतः महिला आंदोलन, महिला स्वतंत्रता तथा उनके वेतन भोगी नौकरियों के फलस्वरूप घटित हुआ है। इस प्रक्रिया में सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रिया में जो शिथिलता आई है, वह भी जिम्मेदार है। नियोजित मातृत्व तथा जनसंख्या नियोजन के अभियानों ने परिवार के आकार को छोटा किया है। सन्तानोत्पत्ति तथा विवाह बदले परिवेश में अपरिहार्य आवश्यकताएं नहीं रहीं।

परिवार स्वयं ही बहुत से संदर्भों में गृह कार्यों का केन्द्र अब नहीं रहा। जहां भोजन, पोषण, मनोरंजन प्रमुख कार्य थे, वहां नगरीय जीवन इसको नया स्वरूप दे रहा है। बाजार अर्थ–व्यवस्था ने गृहिणी की भूमिकाओं को भी पूर्व निर्मित वस्तुएं प्रदान की हैं। परिणामस्वरूप परिवार जो आदत, व्यवहार, अनुशासन, धर्म, विचार, आदर्श आदि से प्रशिक्षण में पोषणशाला या पालने का कार्य करता रहा, वर्तमान में इन्हीं कार्यों को यह पूरा नहीं कर रहा है और चलचित्र, रेडियों, टेलीविजन, पत्र–पत्रिकाओं आदि ने पारिवारिक परिवेश में माँ–बाप के शैक्षणिक एवं अनुशासनिक व्यवस्थाओं को छीन रखा है।

महिलाओं के व्यवसाय में संलग्नता के परिणामस्वरूप बच्चों और परिवार के अन्य युवा सदस्यों को सामाजिक बन्धनों से काफी स्वछंदता मिल चुकी है। बच्चों में माँ–बाप की बदलती जीवन–पद्धति, आदत एवं व्यवहारों का प्रभाव इस रूप में पड़ा है कि माँ–बाप के आधिपत्यमूलक प्रस्थिति बच्चों की पुष्टि में प्रायः श्रेयहीन होती जा रही है। इस प्रकार के बदलते परिवेश में परिवार से लेकर

प्रशिक्षण संस्थाओं तथा व्यवसाय से लेकर उच्च सांस्कृतिक संस्थाओं तक सामाजिक तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार की कुछ भूमिका नर्सरी स्कूलों की है जिनका सर्वप्रथम विकास इंग्लैण्ड, इटली, फ्रांस और जर्मनी में हुआ। भारतीय समाज में भी विशेषकर नगरीय परिवेश में विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न पति–पत्नी अपने कार्यों में व्यस्त रहते और बच्चों का दाखिला नर्सरी स्कूलों मे होता है। इस प्रकार परिवार नाम का जो समुच्चय है वह प्रायः लुप्त दिख पड़ता है। किंचित भोजनकाल और रात्रि निवास ही नगरीय समुदाय में परिवार का एक छोटा सा सिनेमामयी रूप प्रस्तुत कर पाता है। वस्तुतः सेवायोजित महिलाओं का परिवार केवल मात्र पति–पत्नी के रूप में दिखाई देता है। **प्रो0 डब्ल्यू आगवर्न** के द्वारा दी गई वर्तमान परिवार की परिभाषा का व्यापारिक चित्रण हमें सेवायोजित महिलाओं के परिवार से मिलता है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु झांसी नगर की 300 सेवायोजित महिलाओं का पैनल चुना गया है। चुनाव का आधार अध्यापन क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रों मे कार्यरत महिलाएं हैं।

आंकड़ो का सन्तुलन निम्नलिखित विधियों द्वारा एकत्रित किया गया है–

1– प्राथमिक स्रोत।

2– द्वैतियक स्रोत।

प्राथमिक स्रोतों मे निरीक्षण, साक्षात्कार तथा अनुसूची और द्वैतियक स्रोतों में विभिन्न समितियों, संस्थाओं के प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी आंकड़ो

(प्रकाशित और अप्रकाशित) समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है।

आधुनिक युग मे प्राथमिक समूह से विश्वास उठता जा रहा है। व्यक्ति द्वैतियक समूह की ओर अग्रसारित हो रहा है, क्योंकि जो भी व्यवसाय में पदार्पण करेगा, वहां विभिन्न जाति, धर्म, भाषा आदि के लोगों से सम्पर्क स्थापित होता है तथा वह एक दूसरे से अपने को परिमार्जित करने का प्रयास करता है। सभी दूसरे की अपेक्षा अपने को ऊपर की स्थिति में रखने का प्रयास करते हैं। महिलाएं भी इससे वंचित नहीं हैं, जो जिस क्षेत्र में है वहां पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करतीं रहतीं है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म एवं भाषा–भाषी क्षेत्र की हों। किसी भी अनुसंधान के लिए निरीक्षित उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है।

अध्ययन के अन्तर्गत सेवायोजित शिक्षित महिलाएं उच्च, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति की हिन्दू महिलाएं हैं। सेवायोजित महिलाएं 20–25 वर्ष, 26–30, 31–35, 36–40, 41–45, 46–49 व 50 से अधिक उम्र की हैं। अधिकांश उत्तरदात्रियों की मातृभाषा हिन्दी है तथा शैक्षिक योग्यता, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम0बी0बी0एस0 तथा पी–एच0डी0 स्तर की हैं।

सेवायोजित महिलाओं की पारिवारिक संरचना एवं वैवाहिक पृष्ठभूमि के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक परिवारो का स्वरूप उच्च एवं पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है। अधिकांश महिलाओं का कथन है कि वे अपनी पारिवारिक आमदनी से सन्तुष्ट हैं। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पारिवारिक जीवन में तेजी से परिवर्तन हुए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सेवायोजित महिलाओं के कार्यसंलग्न होने से उनकी आर्थिक स्थिति एवं अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और प्रस्थिति और प्रतिष्ठा से, रोजगार मिल जाने से रोजगार क्षेत्र में संलग्न हुईं हैं। अधिक आय एवं उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं अधिक लाभकारी क्षेत्र को अपनाने के पक्ष में हैं। जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न महिला कर्मियों द्वारा उच्चाधिकारियों को दिए गए सुझावों के प्रश्न में बहुसंख्यक सेवायोजित महिलाओं का मत है कि उनके दिए गए सुधार सुझावों पर उच्चाधिकारी विचार तो करते हैं, परन्तु जब तक वे उस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत नही हो जाते, नहीं मानते हैं। बहुसंख्यक ने यह स्वीकार किया है कि व्यवसाय के उपरान्त उनकी चेतना परिवार में प्रतिष्ठा एवं महत्व तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अधिकांश उत्तरदात्रियों का मत है कि वर्तमान तकनीकी एवं औद्योगिक परिस्थिति में महिलाओं का शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण आवश्यक है। अधिकांश उत्तरदात्रियों ने परम्पराओं, रूढ़ियों तथा परिवार के बुजुर्गों को अपने कार्यक्षेत्र में बाधक माना है। जहां तक परम्परागत पीढ़ी के साथ सामंजस्य का प्रश्न है, बहुसंख्यक महिलाओं ने व्यवसाय में संलग्नता के बाद जाति संकीर्णता को उच्च सीमा तक समाप्त बतातीं है। प्राणीशास्त्रीय भेद भी रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में आने से कम हुआ है। प्रशासनिक कार्यो के प्रति भी उत्तरदात्रियां जागरूक हुई है। आधुनिक युग में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए परिवार नियोजन के प्रति भी उत्तरदात्रियां सहमत हैं। इसको उन्होंने वर्तमान युग के लिए आवश्यक बताया है।

उपर्युक्त विश्लेषणों तथा सामान्यीकृत निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि सेवायोजित महिलाओं ने अपने विकास के लिए सभी क्षेत्रों में दृढ़ता से प्रवेश किया है संक्षेप मे कहा जा सकता है कि सेवायोजित महिलाओं के सेवायोजित होने से उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि प्रवृत्तियों के प्रति चेतना तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है।

सुझाव

- सेवायोजित महिलाओं के बारे में समाज के सभी पुरुषों और महिलाओं के विश्वासों, विचार पद्धति, विचारधारा एवं सिद्धान्तों में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाना आवश्यक है।

- परम्पराओं से जकड़े पतियों के मन में कुछ ऐसी धारणाएं बैठी हैं, जिन्हें बदलना होगा। पतियों का यह भ्रम भी दूर करना होगा कि आवश्यकता पड़ने पर पुरुषो को घर के कार्यों में रुचि लेना और सहयोग देना उन्हें समाज की नजरों मे गिराता नहीं है।

- सेवायोजित महिलाओं के व्यक्तिगत और उनके पारिवारिक जीवन मे जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे यह मांग करते हैं, कि जीवन का सामंजस्य, न केवल पति और पत्नी के विचारों और व्यवहार में अपितु परिवार के सभी सदस्यों के विचारों और व्यवहार में भी उत्पन्न हो।

- सेवायोजित महिलाओं को घर तथा नौकरी दोनों क्षेत्र सम्भालना कठिन है, अतः परिवार के सदस्यों को सेवायोजित महिलाओं के घरेलू कार्यों में मदद करना चाहिए। यदि संयुक्त परिवार है तो सास, ननद, देवरानी सभी को उनके काम में सहायता करनी चाहिए, किन्तु यदि एकाकी परिवार है तो पति को पत्नी के कार्यों में मदद करनी चाहिए।

- आज की शिक्षित सेवायोजित महिला को अपने व्यक्तित्व निर्माण और अपना आत्म–विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है।

- सेवायोजित महिलाएं जो कि एकाकी परिवार की हैं, उन्हें अपनी अनुपस्थिति में हर समय बच्चों की चिन्ता बनी रहती हैं। ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए 'शिशु संरक्षण गृह' खोले जाएं ताकि सेवायोजित महिलाएं निश्चित होकर कार्य संस्थानों में कार्य कर सकें और इस कारण पारिवारिक तनाव कम हो सके।

- कार्य करते समय बीच में दो–तीन बार 10–15 मिनट का विश्राम लेने की आदत डालें इस तरह सेवायोजित महिलाओं को अगले काम के लिए नई ऊर्जा मिलती रहेगी।

- सेवायोजित महिलाएं अपने कार्य को सकारात्मक व आधुनिक ढंग से सोचकर व वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सफलतापूर्वक निपटाएं, ताकि समय, शक्ति व श्रम का अपव्यय न हो तथा घरेलू व अन्य कार्यों के लिए समय मिल सके।

- सेवायोजित महिलाएं अपने काम के तरीके में समय–समय पर परिवर्तन करतीं रहें। घर की, कार्य स्थल से तुलना न करें बल्कि बीच–बीच में घरेलू कार्यो के लिए पर्याप्त समय भी दें। जिससे उनकी जीवन शैली में परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा।

- सेवायोजित महिलाएं अपने कार्यों का प्राथमिकता के अनुसार विभाजन करें, जिससे वे कार्य के अत्यधिक दबाव से बच सकें।

- सेवायोजित महिलाएं निरन्तर कार्य की थकान को दूर करने के लिए कुछ दिन घूमने व छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम बनाएं ताकि मनोरंजन से एवं वातावरण के बदलने से मानसिक तनाव कम हो सके।

- सेवायोजित महिलाओं को घरेलू या निजी समस्याओं को दफ्तर में नहीं बताना चाहिए।

- सेवायोजित महिलाओं को अपनी समस्याएं दूर करने के लिए परिवार के किसी समझदार सदस्य, नाते–रिश्तेदार एवं सहयोगियों की राय लेना चाहिए।

- सेवायोजित महिलाओं के परिवार वालों को उनके दोहरे कार्य को समझना चाहिए और उन्हें घर के काम में सहयोग देना चाहिए।

- आज अधिकतर सेवायोजित महिलाएं यह सोचतीं है कि उनके लिए निजी जीवन, उनका निजी कैरियर प्रथम है, घर बच्चों का दायित्व बाद में। इसलिए इस ओर ध्यान दिलाना होगा कि उनका मूल कार्य क्षेत्र घर है और मूल दायित्व बच्चों का पालन पोषण और उन्हें सही संस्कार देना है।

- सेवायोजित महिलाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक धैर्य, अधिक सूझ–बूझ से काम लेना चाहिए।

- घर के बाहर काम करने पर स्त्री के कार्यक्षेत्र दो हो गए हैं, तो उस पर बहस की जानी चहिए और दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

- सेवायोजित महिलाओं को अपने सहकर्मियों के साथ एक ओर सहज मैत्री पूर्ण सम्बन्ध बनाने हैं तो दूसरी ओर उनसे एक सहज दूरी बनाए रखकर चलना है। आपका आत्म विश्वास ऊँचे दर्जे का हो, आपके पति भी

आप पर पूरा विश्वास करते हों, तो भी अतिरिक्त छूट लेना न आपको स्त्रीत्व–मर्यादा के अनुकूल होगा, न आपके आस–पास का समाज उसे सहन करेगा। अकारण भी आवांछित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपना कार्यालयी कार्य अपने पुरुष सहकर्मियों पर डालना, उनके सामने अपनी कमजोरियां बताना, घर की निजी परेशानियों का रोना रोकर अनावश्यक सहानुभूति प्राप्त करना भी आवांछित या जोखिम भरी स्थितियों को न्यौता हैं इसलिए शुरू से सावधानी बरतना चाहिए।

- सेवायोजित महिलाओं को इस समाज वैज्ञानिक तथ्य से परिचित होना चाहिए कि आर्थिक आजादी और स्त्रीवाद का अर्थ परिवार तोड़ना नहीं है, न अपनी आजादी को मनमानी तक ले जाकर घर–परिवार के प्रति अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ही है। स्वयं में जिम्मेदारी पूरी उठाने की क्षमता विकसित करके ही शादी के बाद घर से बाहर काम के बारे में सोचना चाहिए।

- सेवायोजित महिलाओं के लिए घरों में सहयोगी और कार्यालय में सहज, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने के लिए व्यापक स्तर पर चेतना जगाने की जरूरत है।

- थकान, तनाव व अन्य कारणों से यौन–सम्बन्धों में बाधा उपस्थित होती है, तो दूसरे साथी का प्यार से, सहानुभूति व मधुर व्यवहार से समस्या का हल निकालना चाहिए।

- पति–पत्नी को यौन सन्तुष्टि के विषय में एक–दूसरे की इच्छा को महत्व देना चाहिए।

- स्थान की दूरियों के साथ परिवहन की समस्या कार्यालयी समय पर अतिरिक्त टैक्सियां, बसें चलाकर दूर की जा सकतीं हैं।

- सेवायोजित महिलाओं को छोटे–बच्चों की देखभाल के लिए बाहरी संस्थाओं की अपर्याप्त व गैर–ईमानदार सेवाओं पर अधिक निर्भर न करके संयुक्त परिवार के उज्जवल पक्ष को महत्व देना चाहिए।

- घर के सभी सदस्यों के बीच छोटे–बड़े कामों का विभाजन कर उन पर जिम्मेदारी डालने से कामकाजी गृहिणी की अत्यधिक थकान (जो आज कार्यरत महिलाओं के शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के साथ घरेलू तनाव) पारिवारिक तनाव के लिए भी बहुत जिम्मेदार है की समस्या हल होगी। घरेलू मनोरंजन और सुख–शान्ति के अवसर बढेंगे। तभी पूरे परिवार को गृहिणी की नौकरी का लाभ मिल सकेगा और तभी बाहरी कामकाज के लिए उसी कार्यक्षमता का विकास हो सकेगा।

- एक घरेलू समस्या है, सेवायोजित पत्नी पर अत्याधिक कार्य की। एक तरफ कामकाजी गृहिणी पर काम का बोझ अधिक है तो दूसरी तरफ घरेलू काम की सुगमता के लिए तकनीकी वैज्ञानिक–उपकरण भी सुलभ हुए हैं, जिनसे घण्टों का काम मिनटों में होता है। शिक्षित महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोंण और तकनीकी कुशलता भी बढ़ी है। इससे हर काम सुनियोजित–सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है।

- सेवायोजित महिलाओं के लिए परिस्थितियों को उन्नत बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि वे सेवायोजित महिलाओं के दफ्तरों और उनकी नौकरी अन्य काम–धन्धों के स्थान के निकट नर्सरियों (शिशु गृहों) की स्थापना करें, जहां सेवायोजित महिलाओं की अनुपस्थिति में उनके बच्चों की पूरे स्नेह और ध्यान से देखभाल हो सके। इस तरीके से कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित अपने तनावों से राहत महसूस करेंगी।

- सेवायोजित महिलाओं के लिए उन्हें अपने घर से बाहर के व्यवसायों और अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों एवं दायित्वों को एक साथ निभाने में समर्थ बनाने के लिए, अंशकालिक नौकरियों की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे अपनी दोनों भूमिकाओं में सामंजस्य रख सकेंगी।

- घरेलू मामलों में कामकाजी पत्नियों को पर्याप्त सहायता दी जा सकती है। प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों द्वारा गृहस्थी के कार्यों का पूरी कार्यकुशलता, क्रमबद्धता, शीघ्रता एवं तीव्रता से पूरी मितव्ययिता से पूरा करने के उपायों तथा तरीकों के बारे में उन्हें सुझाव एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- पति–पत्नी के दृष्टिकोंण और आदतों में आवश्यक और उचित परिवर्तन लाने के लिए, जो उस सामाजिक–मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण आवश्यक हो गया है, जिसमें सेवायोजित पत्नी वाले दम्पत्ति रहते और काम करते हैं, साथ ही उनके बीच वैयक्तिक स्तर पर उत्पन्न भिन्नता और तनाव को दूर करने के लिए, विवाह सम्बन्धी परामर्श देने वाली एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सामाजिक–मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकती हैं जिनसे उचित परामर्श एवं मार्ग दर्शन प्राप्त हो सकेंगे।

- उन परिस्थितियों और वातावरण में परिवर्तन लाए जाएं, जिनमें सेवायोजित महिलाएं रहती और काम करती है।

- मनोवृत्ति के स्तर पर, स्त्रियों के प्रति विशेष रूप से सेवायोजित महिलाओं के समाज में स्थान के प्रति–घर में और कार्यालय में पुरुषों, स्त्रियों और समाज की मनोवृत्तियों के समाजीकरण की प्रक्रिया शिक्षित शिक्षा प्रणाली और प्रभावकारी जन–सूचना के माध्यमों द्वारा बदलने की जरूरत है

- नौकरी करने वाली महिला को पति के साथ सम्बन्धों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। इन सम्बन्धों में निहित कर्तव्यों को यदि निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया जाए, तो उन अनेक दिशाओं, अनिश्चयों तथा मानसिक परेशानियों से बचा जा सकता है।

- सेवायोजित स्त्रियां परिवार के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक जीवन में जो योगदान दे रही हैं, और देने की क्षमता रखतीं हैं, उनके प्रति लोगों में और जागरूकता लाने की जरूरत है। स्त्रियों को अगर वास्तव में शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी, सुरक्षा और काम के क्षेत्र में अत्साह वर्धन करके आगे उन्नति के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएं। उन्हें अपने दोहरे कार्यों को कर्मचारी के रूप में और पत्नियों तथा माताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का, बिना एक भूमिका का दूसरी भूमिका को प्रभावित किए हुए एक साथ और प्रभावकारी ढंग से पालन करने की सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो स्त्रियां कही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान कर सकतीं हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) अल्टेकर, ए0 एस0, "द पोजीशन ऑफ वीमन इन हिन्दू सिविलाईजेशन" वाराणसी मोतीलाल बनारसी दास, तृतीय संस्करण, 1962।

(2) कपूर, प्रमिला, "द चेन्जिंग रोल एण्ड स्टेट्स ऑफ वीमन" "द इण्डियन फैमिली इन द चेंज एण्ड चैलेन्ज ऑफ द सेवेण्टीस", नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा0 लि0, 1972 ए0।

(3) कपूर, प्रमिला, "मैरिज एण्ड द वर्किंग वीमन इन इण्डिया", दिल्ली विकास पब्लिकेशन्स, 1970।

(4) कपाड़िया, के0 एम0, "चेन्जिंग पैटर्न ऑफ हिन्दू मैरिज", "सोशियोलॉजिकल बुलेटिन", वर्ष 3, अंक 2, सितम्बर, 1954 बी0।

(5) कपाड़िया, के0 एम0, "चेन्जिंग पैटर्न्स ऑफ हिन्दू मैरिज एण्ड फैमिली", "सोशियोलॉजिकल बुलेटिन", वर्ष 4, अंक 2, सितम्बर, 1955।

(6) कपाड़िया, के0 एम0, "द फैमिली इन ट्रांजिशन", "सोशियोलॉजिकल बुलेटिन", 8 सितम्बर, 1959।

(7) कपाड़िया, के0 एम0, "मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया", द्वितीय संस्करण, बम्बई, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1958।

(8) मोरे, एम0 ए0, "अर्बेनाइजेशन एण्ड फैमिली चेंज", बम्बई, पापुलर प्रकाशन, 1968।

(9) जोशी, रमा जे0, "कंटेम्परेरी चेंज इन द सोशियो–इकानामिक रोल ऑफ वीमन इन इण्डिया", कमला भसीन (सं0), बम्बई।

(10) ढींगरा, ओ0 पी0, "वीमन एन एम्प्लायमेण्ट", रिपोर्ट।

(11) देसाई, जी0 बी0, "वीमन इन मार्डन गुजराती लाइफ", बम्बई, विश्वविद्यालय बम्बई, 1945।

(12) देसाई, नीरा0 ए0, "वीमन इन मार्डन इंडिया", बम्बई, वोरा एण्ड कं0 पब्लिशर्स प्रा0 लि0, 1957।

(13) नाई, आइवन एफ0, "एम्प्लायमेण्ट स्टेट्स ऑफ मदर्स एण्ड एडजस्टमेण्ट ऑफ एडोलेसेण्ट चिल्ड्रन", "मैरिज एण्ड फैमिली लिविंग", अगस्त, 1959, वर्ष 21, पृ0 240–44।

(14) पाटिल, विमला, "इन डिफेंस ऑफ वीमन एक्जीक्यूटिव्स", "द टाइम्स ऑफ इण्डिया", 16 जुलाई, 1972।

(15) वर्मा, मल्लिका, "द स्टडी ऑफ द मिडिल क्लास वर्किंग वीमन इन कानपुर", "द इण्डियन जर्नल सोशल वर्क", वर्ष 21, दिसम्बर, 1960, पृ0 283–6।

(16) मटर्न, राबर्ट के0, "सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर", संशोधित संस्करण, ग्लेनकी, द फ्री प्रेस, 1957।

(17) मेहता, रमा, "द वेस्टर्न एजुकेटिड हिन्दू वुमेन", बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1970।

(18) रॉस, एलीन डी0, "द हिन्दू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग", बम्बई, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 1961।

(19) श्रीवास्तव, विनीता, "एम्प्लायमेण्ट ऑफ एजुकेटेड मैरिड वीमन : इट्स कासिस एण्ड कांसिक्वेनसिज : विद रिफ्रेंस टु चण्डीगढ़", समाज–विज्ञान में पी–एच0 डी0 थीसिस, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, 1972।

(20) सेनगुप्ता, ए0 के0, "इण्डियन वुमन–हर पोजीशन एण्ड प्राब्लम्स इन माडर्न टाइम्स", "जर्नल ऑफ फैमिली वेलफेयर, पर्सनल, मैरिकल एण्ड सोशियोलाजिकल," वर्ष 10, अंक 21, जून 1964, पृ0 51–9.

(21) सेनगुप्ता, पद्मिनी, "वीमन वर्कर्स इन इण्डिया", बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1960।

(22) हाटे, सी0 ए0, "चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमन इन पोस्ट इंडिपेंडेस इण्डिया", बम्बई, एलाइड पब्लिशर्स, प्रा0 लि0, 1969।

(23) रॉसी, एलिस0 एस0, "इक्वलटी बिटवीन द सेक्सिज : इन इम्पाडेस्ट प्रॉपोजल", "डैडेलेस" 93, 1964, (स्प्रिंग) पृ0 607–52।

(24) हाटे, सी0 ए0, "द वर्किंग वीमन", "द पोजिशन ऑफ वीमन इन इण्डिया" बम्बई, 1973।

(25) हाटे, सी0 ए0, "हिन्दू वुमन एण्ड हर फ्यूचर", बम्बई, न्यूयार्क, बुक कं0, 1948।

(26) हेल्सन, रेवेना, "द चेंजिंग इमेज ऑफ द कैरियर वीमन", "द पर्सपेक्टिव आन वीमन–जर्नल ऑफ सोशल इशूज" वर्ष 29, अंक–2, 1972, पृ0 33–44।

(27) गुप्ता, प्रो0 एम0 एल0 एवं शर्मा, डा0 डी0 डी0, "समाजशास्त्र" साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (1999)।

(28) सिंह, डा0 जे0 पी0, "समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धान्त" प्रेटिस–हाल आफ इंडिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली (2003)।

(29) गोरे, एम0 एस0 "अर्बनाइजेशन एण्ड फैमली चेंज इन इण्डिया" पापुलर प्रकाशन, बम्बई (1968)।

(30) जैन, मन्जू, "कार्यशील महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन" प्रिन्टवैल, जयपुर।

(31) मुकर्जी, डा0 रवीन्द्र नाथ, "शोध का पद्धतिशास्त्र" विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।

(32) महाजन एवं महाजन "सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी" शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ।

(33) देसाई, मीरा, "भारतीय समाज में नारी" मैकमिलन इंडिया प्रा0 लि0, दिल्ली (1982)।

(34) त्रिवेदी, डा0 आर0 एम0 एवं शुक्ला, डा0 पी0डी0 "रिसर्च मैथडोलाजी" कालेज बुक डिपो, जयपुर।

(35) कपाड़िया, के0 एम0, "मैरिज एण्ड फैमिली इन इंडिया" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई।

(36) .... "भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति" प्रकाशित सेमिनार प्रतिवेदन म0प्र0 समाजशास्त्र परिषद, क्षेत्रीय इकाई जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र ग्वालियर द्वारा आयोजित (1989)।

(37) .... "भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति" राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप, एलाइड पब्लिशर्स प्रा0लि0, नई दिल्ली (1989)

(38) नैयर, रेणुका, "नारी स्वातन्त्र्य के बदलते रूप" अभिषेक पब्लिकेशन्स, चंडीगढ़, प्रथम संस्करण (1990)।

(39) दुबे, श्यामाचरण, "भारतीय समाज" नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली (2001)

(40) गुप्ता, एम0 एल0, "भारत में समाज" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर (1999)

(41) शर्मा, रोमी, "भारतीय महिलाएं : नई दिशाएं" प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(42) कपूर, प्रमिला, "द स्टडी आफ मैरिटल एडजस्टमेंट आफ एजूकेटेड वर्किंग वीमन इन इण्डिया" समाज विज्ञान में डी. लिट थीसिस आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (1968)।

(43) कपूर, प्रमिला, "सोशियो–साइकोलॉजिकल स्टडी आफ द चेंज इन दि एटीट्यूड्स आफ एजूकेटेड अर्निंग हिन्दू वीमन" पी–एच0 डी0 थीसिस आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (1960)।

(44) कपूर, रमा, "रोल कनफिलक्ट अमंग एम्पलायड हाउसवाइव्स" "इण्डियन जनरल आफ इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स" वर्ष 5, अंक 1, जुलाई 1969।

(45) झा, प्रेमशंकर, "वर्किंग वीमन, नो फ्यूचर?", "फेमिना" 27 अक्टूबर 1972।

(46) कौल, बीना, "स्टडी आफ एडजस्टमेंट आफ वीमन इन एम्प्लायमेण्ट", मनोविज्ञान में डी0 फिल0 थीसिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1973।

(47) टण्डन, एस0 डी0, "चेंजिंग एटीट्यूडस एण्ड कल्चर पैटर्न्स अमंग एजूकेटेड, अर्निंग वीमन इन यू0पी0" समाज विज्ञान में पी–एच0 डी0 थीसिस आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (1959)।

(48) बरोत, ज्योति, "माडर्न ट्रेड्स इन मैरिटल रिलेशन्स" द इण्डियन फैमिली इन द चेंज एण्ड चैलेन्ज ऑफ सेवेन्टीज", नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, प्रा0 लि0, 1972।

(49) बोमैन, हेनरी ए0, "मैरिज फार माडर्न्स", न्यूयार्क, मैक्ग्रा हिल बुक कं0, 1954।

(50) मसानी, मेहरा, "वीमन एट वर्क", पोजिशन्स ऑफ वीमन इन इण्डिया, बम्बई।

(51) महाजन, अमरजीत, "वीमन्स टू रोल्स : ए स्टडी ऑफ रोल कनफिलक्ट", "द इण्डियन जर्नल आफ सोशल वर्क", वर्ष 1926, अंक 1, मार्च 1966।

(52) मेहर, एम0 आर0, "प्राब्लम्बस आफ वीमन्स एम्प्लायमेंण्ट", "द इण्डियन जर्नल आफ सोशल वर्क", वर्ष 32, अंक 2 जुलाई 1971।

(53) हाटे, सी0 ए0, "द सोशल पोजिशन ऑफ हिन्दू वीमन", पी-एच0 डी0 थीसिस, यूनीवर्सिटी स्कूल आफ इकानामिक्स एण्ड सोशियोलॉजी, बम्बई, 1946

(54) राधाकृष्णन "धर्म और समाज", 1961।

(55) वेदालंकार, हरिदत्त, "हिन्दू परिवार मीमांसा", 1963।

(56) .... "जिला विकास पुस्तिका", सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जनपद–झांसी, वर्ष 2003–2004।

(57) त्रिपाठी, मोतीलाल 'अशान्त' "झांसी दर्शन", लक्ष्मी प्रकाशन, झांसी (उ0प्र0)

(58) Rani, Kala "Role Co-flict in Working Woman"(1stEd.) Chetana Publications, New Delhi (1958).

(59) Ross, Allen D. "The Family in Its Urban Setting" Oxford University Press, (1961).

(60) Gupta, Anjula "Modernizing Working Woman" A Study in Urban Setting Sarup & Sons Publishers, New Delhi (1994).

(61) Jatav, Dr. D. R. — "Social System in India" College Book Depot, Jaipur.

(62) Basu, M.N. — "Field Methods in Anthropology and Other Social Science" p.21.

(63) Emory, S. Bogardus — "Introduction to Social Research", 1936.

(64) Young, P. V. — "Scientific Social Surveys and Research", Asia Publishing House, London, 1954.

(65) Lundberg, G. A. — "Social Research", Longman, Green and Co., New, York, 1951.

(66) Lundberg,G.A. — Op. cit., p.9.

(67) Mukherji,R.N. (Dr.) — "Samajik Shodh Tatha Sankhyaki" (Hindi) Vivek Prakashan, 7UA Jawahar Nagar, Delhi-7.

(68) Moser, C.A. — "Survey Methods in Social Investigations"

(69) Oxford Concise Dictionary, — Quoted by C.A. Moser. Survey Methods in Social Investigation, 1961.

(70) Pauline. V. Young — "Scientific Social Surveys and Research", Asia Publishing House, Bombay, 1960.

(71) Jaiswal, R. P. "Professional Status of Women" Rawat Publications, New Delhi.

(72) Ahlawat, N. "Women's Organizations & Social Network" Rawat Publications, New Delhi.

(73) Andal, N. "Women and Indian Society : Options and Constraints" Rawat Publications, New Delhi. (2002).

(74) Indra, M.A. "Status of Women in Ancient India (Seond Revised Edition.) Banaras, Motilal, Banarsi Das Publishers (1955).

(75) Bai, Rama. "The High Cast Hindu Women" Quoted by Vidyalankar in Parivar Mimansa.

(76) Radhakrishnan, S. "The Hindu View of Life", London, George. Allen and unwin Ltd. 1957.

(77) Sullerot, E. "Women, Society and Change" World University Library, London. 1967

(78) Marchant, K. T. "Changing Views on Marriage and the Family", Madras, B.G. Paul & Corporation, 1933.

(79) Kaushik, Sharma, Vijay, Bela Rani — "Indian Women Through Ages" Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd., New Delhi. 1998.

(80) Kaushik, Sharma, Vijay, Bela Rani — "Planning for Women's Development" Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1998.

(81) Kaushik, Sharma, Vijay, Bela Rani — "Women's Rights & World Development" Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1998.

(82) Kaushik, Sharma, Vijay, Bela Rani — "Women in the Developed World" Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1998.

(83) Mukta, Gupta — "Women & Educational Development" (Crown Size) Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 2000.

(84) Mukta, Gupta — "Issues Related to Women" (Crown Size) Sarup & Sons Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 2000.

(85) Coser, C. F. & Rosenberg — "Sociological Theory" The Makmilan Company, New York London 1964.

JOURNALS

(1) Blood Robert & Hamble Robert, L., The Effects of Wife's Employment on the Family Power Structure, Social for as, 56 (May, 1958), pp. 347-52.

(2) Deshmukh, Durga Bai, New Dimensions of women's Attitudes Forwards working Mother's Sociology and Social Research, 45 (January, 1961).

(3) Eve's Weekly, Let the Words Fly Ladien Talented Image Makers, Sept. 8, 1984 and their Compagins.

(4) Eve's Weekly, Open the Door of Opportunity, 5th May 1975

(5) Heer, David, M., Deminance and the Working Wife, Social Forces, Vol.I, 36 (May 1958) pp. 341 to 347.

(6) Kapadia,K.M., 'Changing Pattern of Hindu Marriage & Family', Part 2, Sociological Bulletin, 3 (Sept. 1954) pp.154 to 65.

(7) Mukherjee, D. P. 'The Status of Indian woman'. International Social Science Journals, Vol. 3 (1951) pp. 793-801.

(8) Nandi, Romila, 'Woman in the Modern India' Bihar Information (January 26 1961) p.18

(9) Radhakrishan, S. 'Women must Retain their Feninine Qualities : Social Walfare, Vol. No. 3 June 1663

(10) Women's Era

OFFICIAL DOCUMENTS RECORDS & OTHER SOURCES

(1) District Gazetters.

(2) उत्तर प्रदेश वार्षिकी, 2004, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग उ0 प्र0।

(3) सांख्यिकी पत्रिका, जनपद–झांसी, 2004।

(4) सामाजिक, आर्थिक समीक्षा, जनपद–झांसी, वर्ष–2004। कार्यालय, संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, झांसी।

(5) जिला विकास पुस्तिका, वर्ष 2004 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झांसी (उ0प्र0)

समाचार पत्र,

(1) दैनिक जागरण

(2) अमर उजाला

(3) आज

(4) पंजाब केसरी

(5) जनसत्ता

(6) हिन्दुस्तान

(7) नवभारत टाइम्स

(8) द टाइम्स आफ इण्डिया

(9) द हिन्दू

(10) हिन्दुस्तान टाइम्स

(11) दैनिक भाष्कर

(12) स्वतन्त्र भारत

पत्रिकाएं,

(1) इंडिया टुडे

(2) गृहशोभा, दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन

(3) मनोरमा, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद

(4) माया, टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन

(5) सामाजिक कल्याण पत्रिका, समाज कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(6) योजना पत्रिका, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

(7) सरिता

(8) गृहलक्ष्मी

(9) मुक्ता

(10) वनिता

(11) कुरुक्षेत्र

(12) आउटलुक

(13) फेमिना

(14) फ्रन्टलाइन

कोड नं0

क्रम संख्या

गोपनीय

MODERNIZATION SCALE

निर्देश

आपके दैनिक व्यवहार व परिस्थितियों से सम्बन्धित कुछ कथन दिए गए है। प्रत्येक कथन के पाँच विकल्प दिए गए हैं– पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत। जिस विकल्प को आप सही मानते हैं, उस विकल्प पर (✔) का चिन्ह लगा दीजिए। इनमें से कोई भी उत्तर सही अथवा गलत नहीं है। मापनी का उद्देश्य केवल आपकी प्रतिक्रियाओं को जानना है।

आपके विचारों को पूर्णतः गुप्त रख जाएगा। बिना किसी संकोच के उत्तर दीजिए।

धन्यवाद!

आयु --

जाति ------------------------------ लिंग ---------------

शैक्षिक योग्यता ------------------------ धर्म ---------------

व्यवसाय --------------------------- शहरी ---------------

		पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
1.a	महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।					
2.b	समाज की प्रगति के लिए अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए।					
3.c	जितना अधिक संयुक्त परिवार टूटे उतना ही अच्छा है।					
4.d	क्या आप एकाकी परिवार के पक्ष में हैं।					
5.e	छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, अतः परिवार सीमित रखना चाहिए।					
6.f	समाज के समुचित विकास में छुआछूत बाधक है, अतः इसे समाप्त करना चाहिए।					
7.a	महिलाओं को अपने भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।					
8.b	दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसे समाज हित में समाप्त कर देना चाहिए।					
9.c	विज्ञान और तकनीकी अविष्कारों और उपकरणों के प्रयोग से परिवार के परम्परागत कार्यों में कटौती हुई है।					
10.d	राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है					
11.e	बच्चे ईश्वर का वरदान हैं, अतः परिवार नियोजन व्यर्थ की बातें हैं।					
12.f	निम्न व पिछड़ी जाति के योग्य व्यक्तियों को प्रोन्नत करना उचित है।					

		पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
*13.a	महिलाओं को नौकरी देने का अर्थ है, अयोग्य लोगों को बढ़ावा देना तथा योग्य लोगों की कमी करना है।	☐	☐	☐	☐	☐
14.b	युवाओं को अपना जीवन–साथी चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।	☐	☐	☐	☐	☐
*15.c	जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए।	☐	☐	☐	☐	☐
16.d	शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है।	☐	☐	☐	☐	☐
17.e	सुखी वैवाहिक जीवन का आधार सीमित परिवार है।	☐	☐	☐	☐	☐
18.f	निम्न जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि उन्हें विकास का अवसर मिल सके।	☐	☐	☐	☐	☐
*19.a	महिलाओं की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।	☐	☐	☐	☐	☐
20.b	विधवा विवाह एक अच्छी परम्परा है					
21.c	समाज की उन्नति के लिए जातिगत संकीर्ण विचारों को छोड़ना ही होगा।	☐	☐	☐	☐	☐
22.d	शिक्षा के लिए ग्रामीण बालिकाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।	☐	☐	☐	☐	☐
23.e	सीमित परिवार के द्वारा अपना रहन–सहन व जीवन–स्तर अधिक अच्छा बनाया जा सकता है।	☐	☐	☐	☐	☐
24.f	समाज के सभी वर्गों कों समान स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए	☐	☐	☐	☐	☐
*25.a	महिलाओं को हाईस्कूल/इण्टर पास होना ही पर्याप्त है।	☐	☐	☐	☐	☐

		पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
26.b	समाज में दहेज कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेम–विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए।					
*27.c	यह बात सत्य है कि समय से पहले तथा भाग्य से अधिक कुछ पाया नहीं जा सकता।					
28.d	बच्चों को स्कूल न भेजने वाले माता–पिता को दंडित करना चाहिए।					
29.e	बढ़ती जनसंख्या का निराकरण छोटे परिवार द्वारा ही सम्भव है।					
30.f	मेरा मित्र ऊँच–नींच की भावना से दूर होना चाहिए।					
*31.a	पुरूषो की अपेक्षा महिलाएं कमजोर हैं, अतः समान अधिकार की बात करना उपयुक्त नहीं है।					
32.b	विवाह पश्चात पति–पत्नी को संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहिए।					
*33.c	ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।					
34.d	शिक्षा के विकास में पुराने दकियानूसी विचार तथा गलत परम्पराएं बाधक हैं।					
35.e	इस प्रकार के नियम व कानून बनाने चाहिए कि, ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिल सके।					
36.f	मैं अपना जीवन सभी जाति व धर्म को समान समझते हुए व्यतीत करना चाहूँगा।					
37.a	परिवार की जिम्मेदारी महिला व पुरुष दोनों की समान रूप से होती है।					

		पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
*38.b	सफल वैवाहिक जीवन के लिए जन्मपत्री के अनुरूप विवाह होना आवश्यक है।					
39.c	स्वर्ग–नरक नहीं होता है, यह एक कोरी कल्पना है।					
40.d	शिक्षा प्राप्त करना बालक का अधिकार है।					
41.e	यदि अपने राष्ट्र को प्रगति करनी है, तब जनसंख्या को नियंत्रित करना ही होगा।					
42.f	शिक्षा का उद्देश्य सभी को समान समझना होना चाहिए।					
43.a	परिवार की धन सम्पत्ति आदि पर महिलाओं का समान अधिकार होना चाहिए।					
44.b	विवाह जीवन का बन्धन है, अतः लड़के व लड़की का विवाह पूर्व मिलना व एक दूसरे के विचार जानना कोई गलत बात नहीं है।					
45.c	यह विचार करना कायरता है कि पिछले जन्मों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है।					
46.d	शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए।					
*47.e	परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करना प्रकृति के नियम विरूद्ध काम करना है।					
*48.f	अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता सभी के लिए होनी चाहिए।					
*49.a	यह बात महत्वहीन है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है अथवा नहीं होता है					
50.b	संयुक्त परिवार के कारण ही वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं					

		पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
*51.c	आत्म–विश्वास में कमी के कारण हम ईश्वर की पूजा करते हैं।					
52.d	प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए।					
53.e	नौकरी में उन व्यक्तियों को ही तरक्की मिलनी चाहिए जिनका परिवार सीमित है।					
54.f	गरीब व्यक्तियों को व्यवसाय के अधिक अवसर मिलने चाहिए।					
55.a	वर्तमान समय में कार्यशील महिलाओं को पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए।					
*56.b	अनुभवी माता व पिता की सहमति से ही लड़के व लड़की का विवाह होना चाहिए।					
57.c	मुझे पुराने दकियानूसी विचार पसन्द नहीं हैं					
58.d	विद्यालय में बालक बालिकाओं को यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए।					
59.e	प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति का कर्तव्य है कि वह अपना परिवार छोटा रखे।					
*60.f	वैदिक काल से जाति व्यवस्था चली आ रही है, अतः आगे भी चलती रहनी चाहिए।					

Areas	Score	Level	Remarks
a b c d e f			
Total			

कोड नं0

क्रम संख्या

गोपनीय

PROBLEM CHECK LIST

निर्देश

हम आपके घर तथा आपके कार्य से सम्बन्धित विशेषताओं और आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है, ताकि आपका जीवन अधिक सफल हो सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षाविदों के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करेगा। कोई भी उत्तर सही अथवा गलत नहीं है। हमारे लिए आपका स्पष्ट उत्तर ही सर्वश्रेष्ठ होगा। आप विश्वास रखें आपके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। इन सूचनाओं का उपयोग केवल शोध कार्य हेतु किया जाएगा।

कृपया उत्तर भरते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें–

1. कृपया अपना नाम कहीं न लिखें।
2. कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर सही चिन्ह (✔) लगाकर दें।
3. प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में दें, जिसमें वे प्रकाशित हैं, यद्यपि आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं–कहीं प्रश्न दोहरा दिए गए हैं।
4. कृपया उत्तर देते समय किसी दूसरे से सलाह न लें।
5. किसी प्रश्न पर अत्यधिक समय न लगाएं। आपके मस्तिष्क में जो उत्तर तुरंत एवं सर्वप्रथम आता हो, उसे ही दें।

धन्यवाद!

		अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत
1-	अधिकारी प्रायः मेरे कार्य एवं कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं।					
2-	कार्य करने हेतु अधिकारियों के मुझे स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं।					
3-	कार्य करने में मुझे पूरी स्वतन्त्रता नहीं रहती है					
4-	अपने व्यवसाय में मुझे कार्य करने हेतु पर्याप्त साधन तथा सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं।					
5-	मेरे तथा सहयोगियों के कार्यक्षेत्र एवं नीतियों में बहुधा मतभेद हो जाता है।					
6-	कार्य समय से पूरा न होने पर मुझे अत्यधिक चिन्ता होती है।					
7-	मेरे कार्य में सहयोगी मुझे भरपूर सहयोग नहीं देते हैं।					
8-	कार्यालय में सभी लोगों का मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है।					
9-	अधिकारियों का मेरे प्रति व्यवहार सभ्यता एवं सहयोग का नहीं होता है।					
10-	मैं अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से पालन नहीं कर पाती हूँ।					
11-	मेरा कार्य मेरी व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।					
12-	मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मुझे कार्य करना पड़ता है, जिससे मुझे कष्ट होता है।					
13-	मैं अपने व्यवसाय सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान स्वयं नही कर पाती हूँ।					
14-	मुझे यह समझ में नहीं आता है कि व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यों के लिए अपने समय का विभाजन कैसे करूँ					

	अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत
15- घर पर अधिक व्यस्त होने के कारण कभी–कभी मैं अपने कार्य पर समय से नहीं पहुंच पाती हूँ					
16- मुझे अपने द्वारा कमाए धन को मनमाने ढंग से खर्च करने की अनुमति नहीं है।					
17- मुझे अपने ही व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं है।					
18- आज भी भारतीय परम्परा के अनुसार कामकाजी महिला को अच्छा नहीं माना जाता है।					
19- पुरुषों के साथ कार्य करने के कारण सामाजिक बुराई का सामना करना पड़ता है।					
20- मैं एक कार्यशील महिला हूँ जिसके कारण मेरे प्रति कुछ लोग सशंकित दृष्टि रखते हैं।					
21- मैं घर और व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यों से थक जाती हूँ।					
22- कार्य के कारण मुझे घरेलू कार्यों में कोई रुचि नहीं है।					
23- मुझे इस बात का अफसोस है। कि मैं घर और अपने व्यवसाय दोनों के ही कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हूँ।					
24- आप अपने पति के घर वालों को सन्तुष्ट रख पाती हैं।					
25- यदि आप विवाह से पहले कार्य में थीं तो क्या विवाह के बाद आपने कार्य को छोड़ना चाहा।					
26- अत्यधिक कार्य के बोझ से मुझे बेचैनी होने लगती है।					
27- क्या आप अपने निर्धारित कार्य से सन्तुष्ट है।					
28- मेरे पास अपने मनोरंजन के लिए कोई समय नहीं है।					

	अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत
29- क्या आप कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं से सन्तुष्ट हैं।					
30- नौकरी के परिप्रेक्ष्य में सास–ससुर से सम्बन्धों से सन्तुष्ट है।					
31- मेरे लिए सभी घरेलू कार्य करना सम्भव नहीं हैं।					
32- घर के कार्यों में मुझे बच्चों से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है।					
33- व्यस्तता के कारण अन्य लोगों की कठिनाइयों के समय समुचित सहयोग नही दे पाती हूँ।					
34- परिवार के सदस्यों द्वारा पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण घर के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं।					
35- नौकरी करने से उत्पन्न कार्यकारी सम्बन्ध तथा पारिवारिक तनाव का परिवार तथा अन्य सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है।					
36- क्या आपकी परिवारिक समस्याओं का नौकरी पर प्रभाव पड़ता है।					
37- परिवार तथा बच्चों की देखरेख में नौकरी बाधक है					
38- क्या आप अपने रिश्ते–नातेदारों से सम्बन्ध से सन्तुष्ट हैं					
39- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था महिलाओं में स्वावलम्बन और प्रस्थिति चेतना जाग्रत की है।					
40- अपने बच्चों से पूर्ण स्नेह एवं प्यार नहीं कर पाती हूँ।					
41- मैं एक माँ के रूप में अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती हूँ।					
42- बच्चे मेरी इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं।					

	अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत
43- बच्चों की सभी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पातीं हूँ।					
44- बच्चों के कारण मुझे अन्य कार्यों को करने में कठिनाई होती है।					
45- अपने बच्चों को कड़े अनुशासन में नहीं रख पाती हूँ।					
46- बच्चों के पालन—पोषण में कठिनाई होती है।					
47- बच्चों के शैक्षिक विकास तथा अन्य कार्यों की पूरी जानकारी नहीं रख पाती हूँ।					
48- अन्य कार्यों के कारण बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में पूरा समय नहीं दे पाती हूँ।					
49- बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती हूँ।					
50- क्या आपके अपने मकान मालिकों से सम्बन्ध सन्तुष्टिपूर्ण है।					
51- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आपके नौकरी करने से आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है।					
52- मुझे यह अनुभव होता है कि विवाह मेरे लिए एक अनावश्यक बोझ के रूप में है।					
*53- आप जिस पद पर सेवायोजित हैं उससे सन्तुष्ट हैं।					
54- मेरे पति मेरी अन्य भूमिकाओं को लेकर असन्तुष्ट रहते है।					
*55- मेरे कैरियर को बनाने में मेरे पति का योगदान रहा है।					
*56- मैं अपने पति के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ।					
*57- मेरे पति मेरी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसके समाधान में सहयोग देते हैं।					

	अत्यधिक सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	अत्यधिक असहमत
58- कभी–कभी मुझे लगता है कि मेरे पति मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं।					
59- मेरे पति मेरे कार्यों की हमेशा आलोचना करते रहते हैं, जिससे मैं चिंतित रहती हूँ।					
*60- मैं अपने पति की यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान नही रख पाती हूँ।					
*61- मैं यह अनुभव करती हूँ कि वैवाहिक जीवन को बनाने में यौन सन्तुष्टि का बहुत बड़ा हाथ है					
62- आपके कार्यों को आपके पति द्वारा महत्वपूर्ण न मानने पर आप दुःखी हो जाती हैं।					
63- मेरे पति घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लाद देते हैं, यह जानते हुए कि मेरे पास बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां है।					
64- पति द्वारा घर में तथा बाहर अनेक प्रतिबन्ध और अनुशासनात्मक आदेश मुझे मानने पड़ते है।					
65- मुझे यह लगता है कि मेरा विवाहित जीवन उतना सुखी नहीं है, जितना कि होना चाहिए।					

Areas	Score	Level
a		
b		
c		
d		
e		
Total		